

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017—पौष 1, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 12 से 18 दिसम्बर 2017 कुल सात दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 12 से 15 दिसम्बर 2017 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में करने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-573-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एफको तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-630-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज मंडलोई, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विकअ-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज मंडलोई द्वारा विकअ-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-684-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएस., तत्कालीन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (वर्तमान में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर 2017 से 31 मार्च 2018 तक, एक सौ अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया

था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 16 मार्च 2018 तक नवासी दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को दिनांक 1 से 19 जनवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 20, 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक ग्यारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, सिंगरौली का प्रभार श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-916-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस, अपर कलेक्टर जिला इन्दौर को दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 दिसम्बर 2017 एवं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-924-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस., संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-960-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हर्ष दीक्षित, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्ष दीक्षित को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हर्ष दीक्षित को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्ष दीक्षित, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1050-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. पी. एस. जादौन, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 19 से 23 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. एस. जादौन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. पी. एस. जादौन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. एस. जादौन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1053-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री शैलबाला मार्टिन, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी इन्टरस्टेट ट्रांसपोर्ट एथोरिटी एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 20 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, चौदह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी इन्टरस्टेट ट्रांसपोर्ट एथोरिटी एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-475-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश वैश, आयएएस., उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा, बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को दिनांक 30 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक पन्द्रह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-408-2017-5-एक.—श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे (2001) कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-877-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डोरी को दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 एवं 16, 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अमित तोमर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला डिण्डोरी का प्रभार श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डोरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डोरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे., उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-1026-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस., संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर को दिनांक 11 से 30 दिसम्बर 2017 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-1049-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमर पाल सिंह, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 28 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर पाल सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1065-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिनेश श्रीवास्तव, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 नवम्बर 2017 एवं 02, 03 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-757-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कोचर, आयएएस., आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. के. अग्रवाल, आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना एवं सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे द्वारा आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएएस., प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश को दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती मधु खरे, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती मधु खरे, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-838-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस., सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16,17 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री मनोहर लाल दुबे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोहर लाल दुबे द्वारा सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-900-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. ई-1-410-2017-5-एक.—श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्र. ई-1-423-2017-5-एक.—श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे (2007) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे (2007) द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण

करने पर राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000), आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार), केवल आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्र. ई-5-480-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 26 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-523-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएस., प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 11 से 23 दिसम्बर 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 9, 10 एवं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस., आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विकास नरवाल, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-974-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आदित्य सिंह, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1048-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे., उपसचिव, "कार्मिक" सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी, आनंद विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, "कार्मिक" सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी, आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 5-1-2017-एक (1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक 8-12-2017 से दिनांक 12-12-2017 तक.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ 5-07-2013-एक (1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री अशोक जोशी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक 13-11-2017 से दिनांक 23-11-2017 तक.	11	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

क्र. ई.-5-945-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. परमार, आयएएस., तत्कालीन अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल (वर्तमान में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद) को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें

दिनांक 12 से 20 अक्टूबर 2017 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्र. ई-5-1047-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरेन्द्र नारायण, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 20 नवम्बर 2017 से 1 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री हरेन्द्र नारायण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरेन्द्र नारायण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. ई.-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 30 अक्टूबर 2017 तक, बाईस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

फजल मोहम्मद, अपर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)40-2003-ब-2-दो.—श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 6 से 15 दिसम्बर 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 16-17 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. सी. जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)168-89-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), पुलिस मुख्यालय को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 7 जनवरी 2018 के पश्चात्पूर्वी विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अअवि), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि), पुलिस मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)11-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा को परिवार सहित शिरडी (महाराष्ट्र) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 1 से 6 जनवरी 2018 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. श्री अंशुमन यादव | — स्वयं |
| 2. श्रीमती किरण यादव | — पत्नी |
| 3. कु. अपेक्षा | — पुत्री |
| 4. कु. संतुष्टि | — पुत्री |

(2) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एन. पी. वरकडे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमन यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अंशुमन यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमन यादव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)62-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर को परिवार सहित अंडमान-निकोबार (पोर्ट ब्लेयर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री राकेश कुमार जैन | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती रजनी जैन | — | पत्नि |
| 3. कु. रोली | — | पुत्री |
| 4. सूर्यन | — | पुत्र |

(2) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)75-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री संजय कुमार, भापुसे, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर रेंज को परिवार सहित हैवलोक, अंडमान-निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक कुल 12 बारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| 1. श्री संजय कुमार | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती नबीना | — | पत्नि |

(2) श्री संजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय कुमार, भापुसे, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर रेंज के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)169-97-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 11 से 30 दिसम्बर 2017 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 एवं 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)196-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को परिवार सहित अंडमान एवं निकोबार

जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से दिनांक 23 दिसम्बर 2017 तक छह दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह — स्वयं
2. अदिति सिंह — पुत्री
3. जनमेजय — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)55-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, शहर, जिला ग्वालियर को परिवार सहित सिक्किम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2017 तक कुल छह दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री अभिषेक तिवारी — स्वयं
2. श्रीमती गीतिका तिवारी — पत्नि
3. अनादि तिवारी — पुत्र
4. अनंत तिवारी — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)86-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद को परिवार सहित अंडमान-निकोबार द्वीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 नवम्बर 2017 व 2-3- दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री मनीष कपूरिया — स्वयं
2. श्रीमती नवनीता कपूरिया — पत्नि
3. कु. अनुश्री — पुत्री
4. कु. अनन्या — पुत्री

(2) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अवधेश प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)116-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत) पुलिस मुख्यालय भोपाल, को दिनांक 13 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2017 तक इकतालीस दिवस अर्जित अवकाश अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एस. सिकरवार, भापुसे, प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, (अजाक) पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)176-97-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2017 को निरस्त करते हुए श्री के. पी. वैकटेश्वर राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश, को दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वैकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वैकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वैकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)199-91-ब-2-दो.—राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से दिनांक 4 जनवरी 2018 तक कुल तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री सीताराम सत्या, पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश

वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)82-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर को परिवार सहित कोच्ची (केरल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री अनिल कुशवाह	—	स्वयं
2. श्रीमती ममता सिंह	—	पति
3. क्षितिज	—	पुत्र
4. कु. संजना	—	पुत्री

(2) श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनीष अग्रवाल, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को परिवार सहित (केरल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 11 से 22 दिसम्बर 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश

स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री महेशचन्द्र जैन — स्वयं
2. श्रीमती उषा जैन — पत्नि
3. निहित जैन — पुत्र
4. सहित जैन — पुत्र

(2) श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक झाबुआ की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती रचना भदौरिया, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)157-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु., भोपाल को परिवार सहित अलीगढ़ उत्तरप्रदेश जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2017 तक छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16-17 दिसम्बर 2017 एवं 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री संजीव शमी — स्वयं
2. श्रीमती रश्मि अरूण शमी — पत्नि

3. सम्यक शमी — पुत्र
4. कु. वृष्टि शमी — पुत्री

(2) श्री संजीव शमी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव शमी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 5264-2017-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री विजय मालवीय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 1 नवम्बर 2017 एवं फुलकोर्ट (by circulation) द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री विजय मालवीय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 (VII) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्री विजय मालवीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) करता है.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 4897-इक्कीस-ब(दो)-2017.—राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के नव सृजित पद पर श्री सौरभ मिश्रा, स्थायी अधिवक्ता, नई दिल्ली (नामांकन क्र. डी/784/2004) को इस आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करता है.

फा. क्र. 17-(ई)47-2017-इक्कीस-ब(एक)4869-2017.—विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण किए जाने के प्रयोजन हेतु, राज्य के प्रत्येक सत्र संभाग में एक विशेष न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करता है.

F. No. 17(E) 47-2017-XXI-B(one)-4869-2017.—In exercise of the powers conferred by section 84 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (No. 49 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Special Court for the purpose of providing speedy trial of offences under the said Act.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 17(ई)67-2008-5341-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील दण्डोतिया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 निवाड़ी जिला टीकमगढ़ की सेवार्यें श्रम न्यायालय नं. 2 ग्वालियर (रिक्त न्यायालय) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. एफ-3-100-बत्तीस-2010.—राज्य शासन, एतद्वारा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री जस्टिस सुभाष काकड़े सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

2. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) में विहित अवधि के लिये होगा. अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

3. अध्यक्ष को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम 30 के उपनियम 1(क) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. 1982.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम-रंगारी, प. ह. नं. 39 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-502.271 हेक्टर.	ग्राम-रंगारी ठोका प.ह.नं. 39

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख) बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. 2331-एल.आर.-4-का.रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, शशांक मिश्र (भा.प्र.से.) कलेक्टर, बैतूल मध्यप्रदेश भू-राजस्व, संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील, मुलताई के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल, प्रभातपट्टन की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 कुल 18 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल, प्रभातपट्टन एवं पटवारी हल्का नम्बर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83 कुल 9 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मंडल धाटबिरोली की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ.

शशांक मिश्र, कलेक्टर.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

संशोधन

क्र. बंधक श्रम-2017-1019.—मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 सितम्बर 2017 को भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 5168 एवं 5169 पर प्रकाशन किया गया है. पृष्ठ क्रमांक 5169 भाग-1 में कार्यालयीन त्रुटिवश भूतपूर्व कलेक्टर श्री शेखर वर्मा का नाम प्रकाशित हो गया है जबकि वस्तुतः वर्तमान में जिला अलीराजपुर के कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के नाम से प्रकाशन होना था.

श्री शेखर वर्मा के स्थान पर श्री गणेश शंकर मिश्रा का नाम पढ़ा जाय.

गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

सूचना

क्रमांक एफ-01-10-16.— मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 का उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसारेण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन धार जिले में पीथमपुर "नवीन तहसील" सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला धार की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	पीथमपुर	पीथमपुर	धार	नवीन प्रस्तावित तहसील पीथमपुर में, वर्तमान तह0 धार से दो रा0नि0 मंडल नालछा एवं सागौर के 33 पटवारी हल्का (हल्का क0 46 से 49, हल्का 56 से 73 एवं हल्का क. 76 से 86) के कुल ग्राम 213 अपवर्जित किये जाकर, सम्मिलित होंगे।	पूर्व में - तहसील महू, पश्चिम में - तहसील धार उत्तर में - तहसील देपालपुर, दक्षिण में - तहसील धरमपुरी एवं तहसील महेश्वर
2	धार (शेष तहसील)	धार	धार	वर्तमान तहसील धार में, प्रस्तावित तहसील पीथमपुर के अपवर्जन उपरांत, शेष दो राजस्व निरीक्षक मण्डल धार एवं तिरला के पटवारी हल्के 53 (हल्का क0 1 से 45, हल्का क0 50 से 55 एवं हल्का क0 74 से 75) के 265 ग्राम होंगे।	पूर्व में - तहसील पीथमपुर (प्रस्तावित) पश्चिम में - तहसील सरदारपुर उत्तर में - तहसील बदनावर दक्षिण में - तहसील मनावर

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

क्रमांक एफ 01-02/2017/सात-6 - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (1959 का क्रमांक (20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा (1) उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा को तहसील का दर्जा दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम (2) में दर्शाई गई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/- इस प्रस्ताव पर 'मध्यप्रदेश राज्य पत्र' में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा । और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे :-

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
1	सुठालिया	सुठालिया	ब्यावरा	वर्तमान तहसील ब्यावरा के राजस्व निरीक्षक मण्डल सुठालिया वृत्त-02 पटवारी हल्का क्रमांक 41 से लगायत 71 एवं वृत्त 03 मलावर के हल्का नम्बर 72 लगायत 75 एवं हल्का नंबर 78 तथा हल्का नं. 100 लगायत 111 इस प्रकार कुल 48 पटवारी हल्के एवं 131 ग्राम होंगे !	पूर्व में राघौगढ़ जिला गुना एवं तहसील बैरसिया जिला भोपाल पश्चिम में तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ उत्तर में तहसील चाचौडा जिला गुना दक्षिण में तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
02	ब्यावरा	ब्यावरा	ब्यावरा	वर्तमान तहसील ब्यावरा का राजस्व निरीक्षक ब्यावरा वृत्त-01 के पटवारी हल्का नं0 01 लगायत 40 तथा वृत्त मलावर में पटवारी हल्का नं. 76, 77 एवं 79 लगायत 99 इस प्रकार कुल 63 हल्के तथा 164 ग्राम सम्मिलित होंगे	पूर्व प्रस्तावित तहसील सुठालिया पश्चिम तहसील राजगढ़ उत्तर तहसील राजगढ़ दक्षिण तहसील नरसिंहगढ़

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

क्रमांक एफ 01-12/2017/सात-6 - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (1959 का क्रमांक (20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा (1) उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में बहादुरपुर तहसील सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान जिला अशोकनगर के अंतर्गत सीमाओं में परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/- इस प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राज्य पत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा। और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे :-

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
1	2	3	4	5	6
1	बहादुरपुर	बहादुरपुर	मुंगावली	वर्तमान तहसील मुंगावली के 02 रा.नि. वृत् (अथाईखेडा व बहादुरपुर) एवं 35 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 1-30, 33, 36 से 39) जिनमें 90 ग्राम होंगे अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील बहादुरपुर में सम्मिलित होंगे।	1. पूर्व में तहसील मुंगावली 2. पश्चिम में तहसील अशोकनगर 3. उत्तर में तहसील पिपरई 4. दक्षिण में तहसील कुरवाई, सिरौज
2	शेष तहसील	मुंगावली	मुंगावली	वर्तमान तहसील मुंगावली में 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल, (मुंगावली) 36 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 31, 32, 34, 35 व 40 से 71) जिनमें 111 ग्राम शेष रहेगे।	1. पूर्व में तहसील बीना 2. पश्चिम में तहसील बहादुरपुर 3. उत्तर में तहसील चंदेरी 4. दक्षिण में तहसील कुरवाई एवं बहादुरपुर

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 05-अ-82-17-18. मौजा ग्राम चौकी, पट.ह.नं.-29, तहसील राहतगढ़ सागर, दिनांक 22 नवम्बर 2017

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-I पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| (1) | परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| | 3. ग्राम | : | चौकी |
| | 4. पट.ह.नं.- | : | 29 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 67.71 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			8
1	हरि पिता खिलान साकिन देह	भूमिस्वामी	70	0.770	0.770	
		भूमिस्वामी	71	0.15	0.150	
		भूमिस्वामी	87	1.340	1.340	
		भूमिस्वामी	132	0.150	0.150	
		भूमिस्वामी	134	0.110	0.110	
		भूमिस्वामी	135	0.550	0.550	
2	पूरन, रोहन, जीवन, गुड्डा, गुलाब, परमलाल पिता जमना, लालबाई नाबालिग पिता जमना पालक माँ व खुर्द सुहागरानी वेवा जमना साकिन देह	भूमिस्वामी	72	0.56	0.56	
		भूमिस्वामी	136	0.050	0.050	
		भूमिस्वामी	222/4	0.650	0.650	
		भूमिस्वामी	84	0.090	0.090	

3	हरि पिता खिलान साकिन देह	भूमिस्वामी	73/2	0.260	0.260
4	भुजबलसींग वल्द हिम्मतसींग, इन्द्रानी वेवा हिम्मत सींग, जगन्नाथ, भैयाराम, मन्सूसिंह वल्द फूलसिंह, लक्ष्मन सींग वल्द निर्मयसींग साकिन खिरिया	भूमिस्वामी	80	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	190	0.100	0.100
5	मूलचंद वल्द परम साकिन देह	भूमिस्वामी	81	1.230	1.230
			191	0.760	0.760
6	राजकुमार वल्द मैरो प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	85	0.590	0.590
		भूमिस्वामी	88/3	0.410	0.410
7	जनकरानी पति रामचरण साकिन देह	भूमिस्वामी	88/1	0.180	0.180
		भूमिस्वामी	113	0.730	0.730
8	गोविन्द, सूरत पिता खित्ता साकिन देह	भूमिस्वामी	88/2	1.01	1.01
9	कमल वल्द बूठा साकिन देह	भूमिस्वामी	88/4	0.200	0.200
10	कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक व खद हल्कीबाई वेवा बूठा साकिन देह	भूमिस्वामी	89	0.500	0.500
		भूमिस्वामी	121	0.750	0.750
11	रामचरण वल्द हरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	90	1.060	1.060
12	मंजू पति संजय साकिन दीनदयाल कालोनी रीवा	भूमिस्वामी	91	0.770	0.770
		भूमिस्वामी	92	0.92	0.920
		भूमिस्वामी	94	0.880	0.880
		भूमिस्वामी	133	0.240	0.240
13	मंगल वल्द दमरू साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	93	2.110	2.110
		भूमिस्वामी	100	0.73	0.730
14	मुन्ना पिता तुला साकिन चौकी	भूमिस्वामी	101	0.770	0.770
15	नसीम खां वल्द अब्दुल सगीर साकिन शनिचरी सागर	भूमिस्वामी	102	0.590	0.590
16	रामचरण, काशीराम पिता हरलाल, नत्थीबाई, रामवतीबाई, किक्कोबाई पुत्री हरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	106	0.350	0.350
17	चौदा वल्द मुलू साकिन देह	भूमिस्वामी	107	0.420	0.420
18	गुलाब वल्द मुलू साकिन देह	भूमिस्वामी	108	0.400	0.400
19	गुलाब वल्द जालम साकिन देह	भूमिस्वामी	111/1	3.390	3.390
20	रामलाल वल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	111/2	1.420	1.420
		भूमिस्वामी	128	0.300	0.300
21	परसादी वल्द मनमोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	112	0.650	0.650
22	रामसींग, चन्द्रभानसींग पिता शोभाराम साकिन मरदापुर	भूमिस्वामी	114/1	0.430	0.430
		भूमिस्वामी	115/1	0.540	0.540
23	परमानंद, राजू वल्द लच्छू साकिन देह	भूमिस्वामी	114/2	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	115/3	0.780	0.780
24	लालचंद वल्द मोहन साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	115/2	0.020	0.020
25	चंद्रभान वल्द शोभाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	116	0.470	0.470
26	रामसींग, पप्पू पिता रामकिशन, श्रीबाई, गोमती, शांतिबाई पिता रामकिशन आदिवासी साकिन देह	भूमिस्वामी	118/1	1.090	1.090
27	मोहन, गोविन्द, सीताराम, प्रकाश, हरिचरण पिता रतन साकिन देह	भूमिस्वामी	118/2	1.090	1.090
28	महेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल राय साकिन सीहोरा	भूमिस्वामी	119	0.870	0.870
		भूमिस्वामी	124	0.060	0.060
29	नंदा पिता परसू, शारदा पिता परसू साकिन देह	भूमिस्वामी	120	1.040	1.040

30	गोविन्द, सूरज पिता खित्ता, सुशीला, रामवती विद्या, शशि पुत्री खित्ता, नोनीबाई वेवा खित्ता साकिन देह	भूमिस्वामी	127	0.760	0.760
		भूमिस्वामी	218	0.410	0.410
31	पूरनलाल, मिहीलाल वल्द भैयालाल, कस्सोबाई, कलोबाई पुत्री भैयालाल, खिम्माबाई पुत्री नवल, लीला, मीरा, सुदा, पूना पुत्री लालसींग, मनोज पुत्र लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	129	1.900	1.900
		भूमिस्वामी	139	0.390	0.390
		भूमिस्वामी	159	0.070	0.070
		भूमिस्वामी	164	0.040	0.040
32	हिम्मत वल्द गुलू, फूलाबाई पुत्री मुलू साकिन देह	भूमिस्वामी	138	2.670	2.670
33	भगवानसींग वल्द अर्जुन सींग, नल्थू, बसंतसींग, रामेश्वर, भानूसींग, जगदीश पिता किशोरसींग, कुसुमबाई, जागृतिबाई, शकुनबाई पिता किशोरसींग साकिन धनौरा	भूमिस्वामी	142	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	158	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	174	0.190	0.190
		भूमिस्वामी	177	0.020	0.020
		भूमिस्वामी	182	0.010	0.010
34	परम, शिवप्रसाद, बबलू पिता गोकल, मीरा पुत्री गोकल, जालम पिता देशम साकिन देह	भूमिस्वामी	147	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	171	0.030	0.030
		भूमिस्वामी	197	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	200	0.170	0.170
35	कुंजनसींग पिता रामसिंह राजपूत साकिन मरदानपुर	भूमिस्वामी	154	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	160	0.040	0.040
36	वीरेन्द्र कुमार वल्द हरिराम साकिन देह	भूमिस्वामी	155	0.020	0.020
		भूमिस्वामी	156	0.010	0.010
		भूमिस्वामी	211	2.510	2.510
		भूमिस्वामी	212	4.800	4.800
		भूमिस्वामी	223	0.020	0.020
37	रगवर वल्द उमराव साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	163	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	214/1	0.180	0.180
38	बाबूलाल वल्द कन्हैयालाल, इन्द्रानी वेवा कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	165	0.020	0.020
		भूमिस्वामी	166	0.040	0.040
39	रामसींग, पप्पू पिता राकिशन, गुलाबरानी वेवा रामकिशन, मोहन, गोविन्द, सीताराम, प्रकाश, हरिचरण पिता रतन साकिन देह	भूमिस्वामी	168	0.130	0.130
40	धनराज, विशाल पिता चिन्तामन, गोपी, सरोज, शशि, वर्षा, रीना पिता चिन्तामन, सुहागरानी वेवा चिन्तामन आदिवासी साकिन देह	भूमिस्वामी	169	0.240	0.240
		भूमिस्वामी	184	0.290	0.290
		भूमिस्वामी	193	2.420	2.420
41	मनोहर, रामचरण, नल्थू, छोटेलाल पिता मुल्ले, सुमंत्राबाई वेवा मुल्ले साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	170	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	199	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	201	0.560	0.560
42	हिम्मतसींग, फूलसींग पिता मोहन सींग साकिन खिरया	भूमिस्वामी	172	0.260	0.260
43	कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक माँ हल्कीबाई वेवा बूठा, परसू, बिहारी पिता खित्ता साकिन देह	भूमिस्वामी	175	0.040	0.040
44	कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक व खुद माँ हल्कीबाई वेवा बूठा, परसू, खित्ता पिता बिहारी, गनेश, दुर्गा, हीरा पिता उमेदा, जालम वल्द बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	176	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	178	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	179	0.030	0.030
45	गनेश, दुर्गा, हीरा पिता उमेदा साकिन देह	भूमिस्वामी	185/1	1.120	1.120
		भूमिस्वामी	187	0.170	0.170

45	पुखराज वल्द धनराज साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	185/2	0.030	0.030	
47	कमलाबाई वैवा नरोत्तम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	185/3	0.010	0.010	
48	लीलाघर वल्द मोहनलाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	185/4	0.270	0.270	
		भूमिस्वामी	185/5	0.190	0.190	
		भूमिस्वामी	185/6	0.200	0.200	
		भूमिस्वामी	185/7	0.040	0.040	
49	सेलटसींग वल्द रतनसींग साकिन बेरखेड़ी सड़क	भूमिस्वामी	186	1.110	1.110	
50	परम वल्द गोकल साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	188	0.920	0.920	
51	उदयमान पिता श्यामलाल, गुडडीबाई पुत्री श्यामलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	202	0.580	0.580	
		भूमिस्वामी	209	0.400	0.400	
52	राहुल वल्द राकेश राय निवासी बेगमगंज	भूमिस्वामी	214/2	0.600	0.600	
		भूमिस्वामी	214/3	1.340	1.340	
53	चरन, रामसेवक पिता धनसींग, कृष्णाबाई, पानबाई, भग्गोबाई, कल्लोबाई पुत्री धनसींग रावत साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	216	0.800	0.800	
54	मोहनलाल वल्द रतन साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	217	0.460	0.460	
55	परमोबाई वैवा मूलचंद, गनपत पिता मूलचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	219/2/1	1.200	1.200	
56	चरन, रामसेवक वल्द धनसींग, कृष्णाबाई, पानबाई, भग्गोबाई, कल्लोबाई पुत्री धनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	219/2/2	1.200	1.200	
57	लक्ष्मण सींग वल्द निर्भयसींग साकिन खिरिया	भूमिस्वामी	224	0.240	0.240	
58	भारतीलाल वल्द डालचंद साकिन बिचपुरी	भूमिस्वामी	237/1/1	1.800	1.150	
59	शैलेन्द्र वल्द रामेश्वर साकिन खजुरिया	भूमिस्वामी	237/1/2	0.200		
60	डालचंद वल्द शिवलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	237/2	0.710		
61	दुर्गेश वल्द मनोहरलाल साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर, पवन वल्द माखनलाल साकिन सदर बाजार सागर	भूमिस्वामी	237/3	1.210		
62	राजेश वल्द माखनलाल यादव, दुर्गेश वल्द मनोहरलाल यादव साकिन सागर	भूमिस्वामी	238/1	2.000	3.280	
		भूमिस्वामी	238/3	0.820		
63	मायाबाई पति भारतीलाल साकिन बिचपुरी	भूमिस्वामी	238/2	2.480		
		भूमिस्वामी	238/6	0.830		
		भूमिस्वामी	238/7	0.110		
		भूमिस्वामी	238/4	1.210		
64	दुर्गेश कुमार वल्द मनोहर लाल, जयकुमार वल्द माखनलाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	238/4	1.210		
		भूमिस्वामी	238/5	0.940		
योग:-			119	75.59	67.71	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 18 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 06-अ-82-17-18-14517 मौजा बिलासपुर पट.ह.नं.-27, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | : | बिलासपुर |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 27 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 39.44 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	ब्रजरानी जोजे रामसेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	4/1	0.300	0.300	
		भूमिस्वामी	4/4	0.290	0.290	
2	कमलरानी पत्नि मित्तू साकिन देह	भूमिस्वामी	4/2	0.99	0.990	
3	जनकदुलारी पत्नि रमेश साकिन देह	भूमिस्वामी	4/3	0.590	0.590	
4	जागर सिंह वल्द मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	5/1	1.400	1.400	
		भूमिस्वामी	13	3.230	1.150	
5	देवेन्द्र कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	5/2	0.850	0.850	
6	पूरन वल्द तिजई साकिन भानगढ़	सेवाखातेदार	7	1.890	1.890	
		सेवाखातेदार	11	2.470	2.470	
		सेवाखातेदार	65	1.090	0.100	
		सेवाखातेदार	73	0.620	0.620	

7	लक्ष्मण वालिग राजू नाबालिग वल्द बारेलाल पालक व खुद माँ नन्हीबाई वेवा बारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	14	0.850	0.020
8	मुन्शीलाल वल्द छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	22	1.730	0.650
9	फूलसींग, नारायणसींग, मिट्टूसींग, रमेश, परषोत्तम, रामसेवक पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	24	1.910	1.550
		भूमिस्वामी	31	0.550	0.550
		भूमिस्वामी	71	0.580	0.200
10	नत्थू वल्द उमराव साकिन देह	भूमिस्वामी	25/1	1.360	1.360
11	बाबूलाल वल्द उमराव साकिन देह	भूमिस्वामी	25/2	1.360	1.360
12	नूरमुहम्मद वल्द अकबर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/2	1.210	1.210
13	कौशिल्या, सावित्री, कृष्णा, लक्ष्मी पुत्री करोड़ी साकिन देह	भूमिस्वामी	27/3	0.800	0.800
14	नारान वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	30	1.210	1.210
15	सतीष वल्द कमल साकिन देह	भूमिस्वामी	32	2.640	1.440
16	रेवाराम वल्द शेव साकिन देह	भूमिस्वामी	35	0.200	0.020
17	मनोज कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	36	0.660	0.040
18	गजराजसींग वल्द तुलसीराम, रघुवीरसींग वल्द हरीप्रसाद साकिन खिरिया	भूमिस्वामी	60/1	0.590	0.870
19	रेवाराम वल्द शेव साकिन देह	भूमिस्वामी	60/2	0.400	
20	मिट्टू वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	64	1.170	0.230
21	शांतिबाई जोजे मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	70	1.000	0.150
22	मुरलीधर वल्द घनश्याम साकिन देह	भूमिस्वामी	71/146/1	0.180	0.100
23	अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	71/146/2	0.100	
24	रामसेवक वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	72	0.530	0.530
25	फूलसींग वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	74/1	1.250	1.250
26	परषोत्तम वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	74/2	1.24	1.240
27	जालम वल्द सुकई, नर्मदाप्रसाद कमलसींग वल्द खूबसींग, राजकुमारी वेवा खूबसिंह साकिन खिरिया	भूमिस्वामी	75	1.040	1.040
28	उत्तम पिता सूरजसींग साकिन खिरिया	भूमिस्वामी	76/1	0.420	0.420
29	मेहताब सिंह वल्द सूरज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	76/2	0.810	0.810
30	तखत सिंह वल्द रामचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	78	1.680	1.680
		भूमिस्वामी	84	0.450	0.450
31	नोनीतराम वल्द इमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	79	1.490	1.230
32	सीताराम पिता नंदराम यादव साकिन देह	भूमिस्वामी	80/1	0.020	0.020
33	विमला पत्नि नोनीतराम साकिन देह	भूमिस्वामी	80/2	0.300	0.300
		भूमिस्वामी	81	0.300	0.150
		भूमिस्वामी	82/2	0.160	0.160
34	राजाराम, बाबूलाल वल्द थानसिंह, सावित्रीबाई, रामसखी पुत्री थानसींग साकिन खिरिया	भूमिस्वामी	82/1	0.190	0.190
35	तखत सिंह वल्द रामचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	83	0.420	0.420
36	सुरेन्द्र सिंह वल्द अमरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	86	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	89	0.090	0.090
37	अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	87	0.150	0.150
		भूमिस्वामी	88	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	133	1.370	0.780
38	विजयसींग वल्द अमरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	90	1.210	1.210
		भूमिस्वामी	91/4	0.600	0.600
39	बालचंद वल्द बिहारी साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	91/2	1.400	0.280

40	राजाराम पिता शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	91/3	0.910	0.910
41	सियारानी जोजे गजराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	124/1	1.970	0.060
42	मनोज कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	124/2	0.070	
43	अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	125	0.790	0.220
		भूमिस्वामी	134	0.310	0.310
44	बतीबाई पुत्री मथुराप्रसाद साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	129	0.790	0.550
45	चन्दारानी पत्ति बालकिशन साकिन देह	भूमिस्वामी	130	1.560	0.650
46	नेमीचंद वल्द इमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	131	1.500	0.530
47	बालचंद वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	132	1.350	0.580
योग:-			62	56.81	39.44

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 18 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आवेदन यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. -82-17-18-14519 मौजा सेमरामेड़ा पट.ह.नं.-28 तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : राहतगढ़
 3. ग्राम : सेमरामेड़ा
 4. पट.ह.नं.- : 28
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 109.500 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	खित्ता वल्द कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	2/2	0.800	0.800	
2	शोभाराम वल्द घूमन साकिन देह	भूमिस्वामी	3	0.700	0.700	
3	रामनारायण वल्द चन्द्रशेखर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	5	0.810	0.810	
4	शम्भूदयाल, रामनारायण पिता चन्द्रशेखर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7	0.050	0.050	
		भूमिस्वामी	9	0.350	0.350	
		भूमिस्वामी	11	0.040	0.040	
		भूमिस्वामी	13	0.020	0.020	
		भूमिस्वामी	14	0.020	0.020	
5	हरज्ञान वल्द परमसुख साकिन देह	भूमिस्वामी	10	0.140	0.140	
6	प्रकाश, राजेश पिता भददा, अनीता, कविता पुत्री भददा, जुगताबाई वेवा भददा साकिन देह	भूमिस्वामी	12	0.120	0.120	

7	रम्मा पिता कलुवा, करन पिता कन्छेदी, मुला, श्रीबाई पुत्री कन्छेदी, प्रकाश, राजेश पिता भददा, अनीता, कविता पुत्री भददा जुगताबाई वेवा भददा साकिन देह	भूमिस्वामी	17	0.060	0.060	
		भूमिस्वामी	59	1.910	1.910	
8	हरविन्द, राजेश पिता तुलसीराम, मीरा, प्रीति पुत्री तुलसीराम, रोहन, धनराज पिता अमोल, राजाबेटी वेवा अमोल साकिन देह	भूमिस्वामी	19	0.050	0.050	
		भूमिस्वामी	20/1	1.620	1.620	
9	राजेश पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	20/2	0.400	0.400	
10	अब्दुल जलील वल्द अब्दुल बाकर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	23	0.680	0.680	
11	कालेखा पिता दरसे खा साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	24/1	0.080	0.080	
		भूमिस्वामी	28/1	0.100	0.100	
		भूमिस्वामी	29/1	0.240	0.240	
		भूमिस्वामी	30/1	0.050	0.050	
12	हकीमनबी पति कालेखा साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	24/2	0.150	0.150	
		भूमिस्वामी	28/2	0.600	0.600	
		भूमिस्वामी	29/2	0.800	0.800	
		भूमिस्वामी	30/2	0.150	0.150	

13	घासीराम, अमरचंद, हल्के, कन्छेदी, खिलान, रम्भू, रामलाल पिता पंचा, हरवा वेवा पंचा, हरविन्द, राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, घनराज पिता अमोल, राजाबेटी वेवा अमोल, हरनाम, राजकुमार पिता चुन्नीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	26	0.500	0.500
		भूमिस्वामी	33	1.040	1.040
		भूमिस्वामी	45	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	51	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	117	0.100	0.100
14	हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह	भूमिस्वामी	27	0.380	0.380
		भूमिस्वामी	36	0.750	0.750
		भूमिस्वामी	52	0.070	0.070
		भूमिस्वामी	116	0.010	0.010
15	प्रेमसींग, दुरगा पिता बबुआ, शारदा पुत्री बबुआ, शांतिबाई वेवा बबुआ, परसादी पिता मनमोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	32	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	35	0.770	0.770
		भूमिस्वामी	37	0.260	0.260
		भूमिस्वामी	46	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	112	0.030	0.030
16	दरयावर्सींग पिता किशनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	34	0.160	0.160
17	प्रेमसिंह पिता बाबूलाल यादव साकिन देह	भूमिस्वामी	38	0.210	0.210
		भूमिस्वामी	47	0.130	0.130
18	सूरतसींग वल्द रामलाल साकिन मुडिया मेड़ा	भूमिस्वामी	39	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	55	1.280	1.280
19	वाहिद शाह वल्द मजीद शाह साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	40/1	1.650	1.650
20	मुन्ना शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	41/1	0.210	0.210
		भूमिस्वामी	40/2	1.650	1.650
		भूमिस्वामी	41/2	0.210	0.210
21	चन्द्रवती पति रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	44	1.980	1.980
22	संतोष पिता मुरलीधर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	48/1	0.530	0.530
		भूमिस्वामी	48/3	1.200	1.200
		भूमिस्वामी	128	0.050	0.030
23	सदारानी पति हरप्रसाद निवासी तेंदूडाबर	भूमिस्वामी	48/2	1.780	1.780
24	फैयाद वल्द मुहम्मद सुलेमान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	50	0.110	0.110
25	नंदराम, रामलाल, गुपाल पिता गया साकिन देह	भूमिस्वामी	54	2.900	2.900
26	सहादत खां वल्द बाबू खां साकिन देह	भूमिस्वामी	56	1.010	1.010
27	रामसेवक वल्द ग्या साकिन देह	भूमिस्वामी	57	0.550	0.550
28	अमजद हसन वल्द नसीरुल हसन साकिन देह	भूमिस्वामी	61/1	2.540	2.540
		भूमिस्वामी	103/1	2.000	2.000
		भूमिस्वामी	121	0.540	0.320
29	सैयावी जोजे असरफ खा साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	61/2	1.000	1.000
30	मु. सलीम वल्द विलायत अली साकिन देह	भूमिस्वामी	61/3	0.600	0.600
31	मन्नू खां वल्द बब्बू खां साकिन देह	भूमिस्वामी	61/4	0.400	0.400
32	आमिर हसन वल्द नसीरुल हसन साकिन देह	भूमिस्वामी	61/5	2.540	2.540
		भूमिस्वामी	103/2	2.000	2.000
		भूमिस्वामी	118	0.520	0.300
33	महेश पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	63/1	0.410	0.410
34	राजकुमारी पति महेश नामदेव साकिन देह	भूमिस्वामी	63/2	1.000	1.000
		भूमिस्वामी	68/2	0.620	0.620
35	जुलेशाबी वेवा शौकतअली साकिन देह	भूमिस्वामी	65/1	0.020	0.020
36	जलील अहमद पिता शौकत अली साकिन देह	भूमिस्वामी	65/2	0.580	0.580
37	म. नबाठ पिता शौकत अली साकिन देह				

37	मु. नबाव पिता शौकत अली साकिन देह	भूमिस्वामी	65/3	0.580	0.580
38	मौलाना मु. फारूक पिता शौकत अली साकिन देह	भूमिस्वामी	65/4	1.700	1.700
39	हल्कई वल्द नंदलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	67/1	1.430	1.430
40	रामसींग वल्द नंदलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	67/2	1.440	1.440
41	बाबूमियां वल्द अब्दुल जब्बार साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	68/1	0.400	0.400
42	चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	70/1	2.000	2.000
43	नन्नीबाई, दशोदाबाई, रत्तीबाई, पन्नाबाई पुत्रियां गोपाल, चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	70/2	0.670	0.670
44	रिजवान वल्द मु. अब्बास साकिन देह	भूमिस्वामी	71/1	1.440	1.440
45	इरफान वल्द मुह. अब्बास साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	71/2	1.030	1.030
46	अमरसींग पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	72/1	1.29	1.290
47	हल्कई पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	72/2	1.300	1.300
48	अशोक कुमार वल्द शोभाराम साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	73	1.380	1.380
49	वीरसींग, अशोक कुमार, आँकार, रामसेवक, रामबाबू बालिग, वकील, मुनीम नाबालिग वल्द शोभाराम पालक माँ व खुद बेटीबाई देवा शोभाराम साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	74	0.660	0.660
50	परमानंद वल्द फुल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	75	0.170	0.170
51	नंदराम, रामलाल, गोपाल पिता गयाप्रसाद, भागवती पुत्री	भूमिस्वामी	76	0.160	0.160
52	गयाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	77	0.220	0.220
		भूमिस्वामी	81	1.520	1.520
		भूमिस्वामी	83	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	84/2	3.630	3.630
		भूमिस्वामी	85	1.420	1.420
53	नसीरुल हसन वल्द नुरुलहसन साकिन देह	भूमिस्वामी	79	1.720	1.720
		भूमिस्वामी	167	0.140	0.140
		भूमिस्वामी	191	2.770	0.260
		भूमिस्वामी	193	0.270	0.270
		भूमिस्वामी	194	0.210	0.210
54	मु. उवेश पिता अ. हफीज साकिन देह	भूमिस्वामी	80/1	0.620	0.620
		भूमिस्वामी	82	1.240	1.240
55	समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	80/2	0.290	0.290
		भूमिस्वामी	102/2	0.530	0.530
56	मु. हमदुद्द पिता अ. हफीज साकिन देह	भूमिस्वामी	80/3	1.800	1.800
57	पूरन, मुन्ना, रामसेवक, गोरेलाल पिता गजा साकिन देह	भूमिस्वामी	84/1	1.000	1.000
		भूमिस्वामी	84/3	3.150	3.150
		भूमिस्वामी	88	1.300	1.300
58	आसिफ वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	87	0.200	0.200
		भूमिस्वामी	94	1.050	1.050
		भूमिस्वामी	89	0.200	0.200
59	छोटीबाई जोजे रूपसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	90	3.950	3.950
60	माखन वल्द रामचरण साकिन देह	भूमिस्वामी	91	0.600	0.600
		भूमिस्वामी	96/3	0.050	0.050
61	जुम्नन, मुमराज पिता छोटेखा, सितारा पुत्री छोटेखा, हबीब, मु. रफीक बालिग मुहम्मद नाबालिग वल्द हमीद, सकीना पुत्री हमीद पालक व खुद माँ सहीदबी देवा हमीद साकिन देह	भूमिस्वामी	92	0.910	0.910
62	गीताबाई पुत्री शंकर, धनाबाई देवा शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	95	1.860	1.860
63	मिहीलाल, पूरनलाल पिता भैयालाल, कलीबाई, रज्जो, कस्सो पुत्री भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	96/1	2.670	2.670
64	रूपसींग पिता नवल नन्नीबाई देवा नवल सेवक				

64	रूपसींग पिता नवल, नन्नीबाई देवा नवल, प्रेमबाई, लीलाबाई पुत्री नवल साकिन देह	भूमिस्वामी	96/2	2.020	2.020
65	मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	96/4	0.040	0.040
66	मुजाहिद वल्द नसीरुलहसन साकिन देह	भूमिस्वामी	98	0.240	0.240
		भूमिस्वामी	99	0.220	0.220
		भूमिस्वामी	103/3	1.620	1.620
		भूमिस्वामी	104/1	0.320	0.320
67	माधौ पिता कन्छेदी, रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	100	0.080	0.080
68	गनेशा, हरीराम, हीरा, छोटा पिता भावसींग, खिमिया पुत्री वल्देव, कड़ोरा पिता पुन्ता, अमरसींग, हल्कई पिता लक्ष्मन, केशर, हरिबाई, ललता, मीरा पुत्री लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	101	0.440	0.440
69	शहजाद वल्द फ़ैयाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	102/1	1.620	1.620
70	लालचंद पिता घूमनसींग, शिवराज, माखन, राजकुमार पिता बाबूलाल, जानकी पुत्री बाबूलाल, माधौ पिता कन्छेदी, रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	104/2	0.060	0.060
		भूमिस्वामी			
71	श्री देव हनुमानजी स्वामी बांके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	105	0.040	0.040
72	सद्दू खां, मुहम्मद खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह	भूमिस्वामी	107	0.030	0.010
73	इस्माइल खां, मुहम्मद खां, सरदार खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह	भूमिस्वामी	108	0.060	0.040
74	लालचंद वल्द घूमनसींग, दरयावसींग वल्द किशनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	109	0.180	0.180
75	दरयावसींग वल्द किशनसींग, बाबूलाल, कन्छेदी, लालचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	111	0.030	0.030
		भूमिस्वामी	178	0.050	0.050
76	हरप्रसाद वल्द हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	114	0.060	0.040
77	प्रेमसींग, दुरगा पिता बबुआ, शारदा पुत्री बबुआ, शांति देवा बबुआ, खेतसींग वल्द भावसींग, पंचा वल्द	भूमिस्वामी	115	0.050	0.050
78	रम्पा पिता कलुवा, प्रकाश, राजेश पिता भददा, अनीता, कविता पुत्री भददा, जुगताबाई देवा भददा साकिन देह	भूमिस्वामी	122	0.110	0.110
79	हरदास, रामदास पिता मरदन, देवकाबाई पुत्री मरदन, कलुवा, रम्पा पिता बालचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	124	0.030	0.030
		भूमिस्वामी	137	0.030	0.030
80	मुन्ना पिता फदाली, गनेशीबाई पुत्री रमला, भगोनी देवा रमला साकिन देह	भूमिस्वामी	125	0.030	0.030
81	हरबाई जोजे हरमजन, जयबाई वल्द मुल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	126	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	143	0.060	0.060
82	सितारा पत्नि गुलाम, मु. चांदखा वल्द अलादीन खा साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	136	0.160	0.040
		भूमिस्वामी	139	0.030	0.030
83	अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	144	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	145/1	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	145/2	0.100	0.100
84	शबनम पति अजीम खा साकिन देह	भूमिस्वामी	146	0.060	0.060
85	लालचंद वल्द घूमनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	147	0.220	0.220
86	कलू पिता मंगल, सिन्दी, बाबूलाल, भागीरथ, नन्नू पिता दमरू साकिन देह	भूमिस्वामी	166	0.320	0.030
87	दम्मा वल्द मुल्ला, हल्कई, रामसींग पिता नंदा, मोहन, भगवानदास पिता रतन साकिन देह	भूमिस्वामी	168	0.080	0.050
88	नसीरुलहसन पिता नूरुलहसन, नईमाबी, रिहाना पुत्री नूरुलहसन, सूफिया बेगम देवा नूरुलहसन, जाबिद हुसेन वल्द आबिद हुसेन, नबाव हसन वल्द जियाऊल हसन साकिन रोदा	भूमिस्वामी	170	0.070	0.070
89	पूनम, हरीराम, दौलत पिता चुन्नी, कुन्दनबाई देवा चुन्नी, महेन्द वल्द शोभाराम, हरिबाई देवा शोभाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	171	0.130	0.130

90	मुन्ना पिता दमरू, सियाबाई, दौलतबाई, गुड्डीबाई पुत्री दमरू साकिन देह	भूमिस्वामी	172	0.080	0.050
91	परताप वल्द भगोनी साकिन देह	भूमिस्वामी	173	0.080	0.040
92	दम्मा वल्द मुल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	174	0.110	0.040
93	कुददा वल्द नंदलाल, खजुरियावारी वेवा नंदलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	175	0.050	0.020
94	हल्का वल्द दूडे साकिन मनऊ	भूमिस्वामी	176	0.020	0.010
95	काशीराम, तुलाराम, खेमचंद, देवचंद बालिग, हीरा नाबालिग वल्द गफलू पालक भाई काशीराम, अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली, रामचरन, तुलसीराम, शोमा पिता बुद्धा, द्रोपती, कुसुम, कसिया पुत्री बुद्धा, हरलाल वल्द हल्के साकिन देह	भूमिस्वामी	179	0.050	0.050
96	इन्द्राज सिंह पिता माखन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	195	0.380	0.380
97	पूरन वल्द गजा साकिन देह	भूमिस्वामी	196/1	1.980	1.980
98	गोरेलाल वल्द गजा साकिन देह	भूमिस्वामी	196/2	2.000	2.000
99	तेजाबाई पुत्री वल्देव साकिन देह	भूमिस्वामी	199/1	0.49	0.370
100	रामप्रसाद वल्द पंचे साकिन देह	भूमिस्वामी	199/2	0.500	
101	नसीरूल हसन वल्द नुरूलहसन साकिन देह	भूमिस्वामी	200/1	5.030	3.950
102	नईमा जोजे सलीमुद्दीन साकिन देह	भूमिस्वामी	200/2	1.620	
103	श्रीमति साबिराबी जोजे मु. अब्बास साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	200/3	0.800	
104		भूमिस्वामी	200/4	0.400	
105	शमीम बेगम पति नसीरूल हसन साकिन देह	भूमिस्वामी	201	0.890	0.750
		भूमिस्वामी	202	0.890	0.400
योग:-			164	118.300	109.500

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 18 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 08-अ-82-17-18-14520 मौजा ग्राम चौकी, पट.ह.नं.-29, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	राहतगढ़
3. ग्राम	:	चौकी
4. पट.ह.नं.-	:	29
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.740 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			8
1	जानकी प्रसाद वल्द भावसींग साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	9	4.490	0.570	
2	बलराम वल्द त्रिलोक सींग साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	21	0.600	0.600	
3	सीताबाई देवा सरदार सींग, हरीसींग, दीनारसींग पिता सरदार सींग साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	22	2.000	0.570	
योग:-			03 किता	7.090	1.740	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 09-अ-82-17-18-14521, मौजा पीपलखेड़ी, पट.ह.नं.-09, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | : | पीपलखेड़ी |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 09 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 13.330 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			8.
1	राजू वल्द तुलसीराम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	2	2.000	0.500	
2	तुलसी वल्द पंचा साकिन देह	भूमिस्वामी	4/1	0.090	0.300	
3	तमीजुल हसन वल्द मुन्बर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	4/2	1.490		
		भूमिस्वामी	4/5	0.400		
4	मुन्बर वल्द नूरमुहम्मद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	4/3	1.490		
5	अब्दुल लतीफ वल्द अहमदनूर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	4/4	0.460		
		भूमिस्वामी	4/8	0.800		
6	तारिक, ताहिरा नाबालिग वल्द व वली	भूमिस्वामी	4/6	1.600		
7	तामीलुलहसन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	4/7	1.600		
8	कृपाराम पिता तुलसी साकिन देह	भूमिस्वामी	4/9	0.350		
9	परशोत्तम पिता तुलसी साकिन देह	भूमिस्वामी	4/10	0.350		
10	ज्ञानचंद पिता तुलसी साकिन देह	भूमिस्वामी	4/11	0.350		
11	सुरेन्द्र पिता तुलसी साकिन देह	भूमिस्वामी	4/12	0.350		

4					
12	सादाब सायर नाबालिग वल्द रहीश वली हबीब पल्नि रहीश साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	6	0.280	0.120
		भूमिस्वामी	9	0.520	0.040
13	लतीफ पिता रज्जाक साकिन देह	भूमिस्वामी	8	0.740	0.120
14	आबिद पिता इब्राहीम साकिन देह	भूमिस्वामी	49/1	1.000	7.81
15	मुह. जुबैर नाबालिग वल्द वली आबिद हुसैन, मुह. आमिर नाबालिग वल्द व वली शाबिर हुसैन वल्द इब्राहीम हुसैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/2	1.500	
16	शोकतबी जोजे इब्राहीम साकिन देह	भूमिस्वामी	49/3	2.330	
17	साबिर पिता इब्राहित साकिन देह	भूमिस्वामी	49/4	1.000	
18	इदरीश पिता आबिद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/5	0.500	
19	मुह. जुबैर नाबालिग पिता पालक आबिद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/6	0.500	
20	मुह. उजेर नाबालिग पिता पालक आबिद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/7	0.500	
21	खालिद पिता साबिर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/8	0.500	
22	चांदमियां नाबालिग पिता पालक साबिर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/9	0.500	
23	आमिर नाबालिग पिता पालक साबिर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	49/10	0.500	
24	मुह. सिद्दीक वल्द शेख अब्दुल करीम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	50	10.050	4.200
25	रसीद पिता रज्जाक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	13/1	0.560	0.240
26	रफीक टीपू बालिग शरीफ नाबालिग पिता तालेवर, शायना, शबाना, सकीला, अकीला पुत्री तालेवर पालक व खुद माँ कुरेशाबी वेवा तालेवर साकिन देह	भूमिस्वामी	13/2	1.630	
27	याकूब वल्द अब्दुल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	13/3	1.42	
28	गुल मुहम्मद पिता अब्दुल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	13/4	1.420	
29	मुलाम वल्द अब्दुल साकिन देह	भूमिस्वामी	13/5	1.420	
30	लतीफ पिता रज्जाक साकिन देह	भूमिस्वामी	13/6	0.100	
योग:-			34	38.300	13.330

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 10-अ-82-17-18-14522, मौजा भामरा, पट.ह.नं.-09, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	राहतगढ़
	3. ग्राम	:	भामरा
	4. पट.ह.नं.-	:	09
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	63.100 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4		7	
1	श्रीमति शकुन्तला पति महेश कुमार तिवारी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	1/1	1.640	1.640	
2	महेश कुमार वल्द राजाराम तिवारी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	1/2	1.900	1.900	
3	मौजीलाल, गुलझारी, गंगाराम, नबू, जसरथ, रामसींग पिता परमा, कुशमबाई पुत्री परमा साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	2	1.350	1.350	
4	शाहजहानबी जोजे कल्लूमिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3/1	0.970	0.970	
5	नसीममिया वल्द कल्लूमिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3/2	0.400	0.400	
6	अब्दुल सलाम वल्द अब्दुल सहीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3/3	0.240	0.240	
		भूमिस्वामी	5/2	1.040	1.040	
		भूमिस्वामी	6/2	0.180	0.180	
7	रगवीर पिता रामसींग, मुन्ना पिता रामसींग साकिन भूलना भानगढ़	भूमिस्वामी	3/4	0.80	0.800	

8	घासीराम वल्द वल्देव साकिन भानगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	4	0.940	0.940
9	श्रीमति रईसाबी जोजे अब्दुल सहीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	5/1	1.150	1.150
10	प्यारेलाल, मंशाराम, भगौनी, प्रकाश पिता जगन, शांतिबाई, भागवती पुत्री जगन साकिन भानगढ़	भूमिस्वामी	6/1	1.520	1.520
11	संजीव कुमार वल्द बंदी प्रसाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7/1	1.610	1.610
		भूमिस्वामी	7/2	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	9	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	12	2.020	0.100
12	मंजूलता पति संजीव कुमार साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7/3	1.000	1.000
13	सलीम वल्द अब्दुल रसीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	10/1	0.810	0.810
14	सगीर अहमद पिता अब्दुल गनी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	10/2	0.540	0.540
15	रफीक वल्द अब्दुल रजाक साकिन देह	भूमिस्वामी	10/3	1.120	1.120
		भूमिस्वामी	15/9	0.400	0.400
16	रफीक वल्द अब्दुल अजीम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	10/4	0.700	0.700
		भूमिस्वामी	10/5	0.080	0.080
17	जुलेशा वेगम पति सगीर अहमद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	10/6	1.300	1.300
18	प्रकाशचंद वल्द बाबूलाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	11	0.160	0.160
		भूमिस्वामी	15/1	0.880	0.880
19	ब्रजेश कुमार वल्द वृन्दावन चेला सुखरामदास साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	14	0.730	0.300
		भूमिस्वामी	25	0.810	0.810
		भूमिस्वामी	44	0.530	0.260
20	मुहम्मद शब्बीर पिता मुहम्मद रज्जाक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	15/2	1.200	1.200
		भूमिस्वामी	15/3	1.200	1.200
21	मुहम्मद आजाद वल्द अब्दुल हकीम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	15/4	0.500	0.500
22	मुहम्मद शहजाद उर्फ सुजात वल्द मुस्सू साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	15/5	1.400	1.400
23	रईस, मु. अब्बास वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	15/6	1.200	1.200
24	गोमतीबाई पत्नि मथरा प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	15/7	1.200	1.200
25	शहजाद वल्द अब्दुल हकीम साकिन देह	भूमिस्वामी	15/8	0.500	0.500
26	अब्दुल कलाम वल्द महबूब हसन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	17	0.730	0.730
		भूमिस्वामी	19	0.900	0.900
		भूमिस्वामी	20	0.510	0.510
27	सेफुल इस्लाम वल्द महबूब हसन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	18	1.770	1.770
		भूमिस्वामी	24/2	1.030	1.030
28	मु. आरिफ वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	22/1	1.160	1.160
29	आजाद मिया वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	22/2	1.160	1.160
30	अनीस मिया वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	23/1	0.81	0.810
		भूमिस्वामी	23/2	0.480	0.480
31	मुस्लिमा पति शब्बीर साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	24/1	1.020	1.020
32	हल्काई, तुलाराम, शोभाराम, रामसींग, मुन्ना, वीरसींग पिता हरीराम साकिन भूलनाभानगढ़	भूमिस्वामी	26/1	1.810	1.810
33	कल्लू मियां पिता अब्दुल गनी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	26/2	0.360	0.360

34	मुह. तारिक वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/1	0.990	3.400	
35	मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/2	0.400		
36	शहजाद मियां वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/3	1.200		
37	मोहम्मद अनजर वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/4	1.260		
38	मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/5	0.800		
39	मुह. तारिक वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	27/7	0.210		
40	बबलू आशाराम, लीलाघर, सन्तोष पिता इमरत, हेमवती, धनाबाई पुत्री इमरत, अमानो वेवा इमरत साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	35/2	1.000	2.000	
41	द्रोपतीबाई पति गुपाल साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	35/3	1.000		
42	प्यारे मियां वल्द बसीर मियां साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	39	0.620	0.060	
43	सलीम, हलीम, सगीर अहमद, जहीर पिता रशीद, मन्नीबाई, फरीदा पिता रशीद, मासूमबी वेवा रशीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	41/1	0.810	0.300	
44	नूरेहसन पुत्र अकबर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	41/2	1.010		
		भूमिस्वामी	41/3	0.810		
45	बेगमबी पति नूरे हसन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	41/4	0.200		
46	जहीर मिया वल्द वशीर कुरेशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	42	1.620	0.800	
		भूमिस्वामी	43/1	0.380	1.500	
47	शहजाद, ताहिर, आरिफ, सादिक, आशिफ, सद्दाम, सलमान, इरफान, बिलाल, जलाल पिता नूरेहसन, सखावतबी, गुडडीवी पुत्री नूरेहसन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	43/2	1.000		
48	हसीन वल्द बसीर कुरेशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	43/3	1.510		
49	अहलिया बी पति आरिफ कुरेशी, नशरत बी पति अन्सार कुरेशी साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	45	1.570	1.100	
		भूमिस्वामी	46	1.460	1.460	
50	वसीम वल्द बशीर कुरेशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	47/1	1.430	2.080	
51	श्रीमति अजीजबानो पति मुह. जलील साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	47/2	0.800		
52	हसीन वल्द बसीर कुरेशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	47/3	0.650		
53	वसीम वल्द बशीर कुरेशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	48	0.590	0.590	
54	मुह. जलील वल्द इमाम बक्स साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	49	1.600	1.600	
55	रूपसींग वल्द हीरालाल साकिन बेरखेरी गुरु अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	50	0.990	0.990	
		भूमिस्वामी	53	1.24	1.240	
56	सुनील कुमार, प्रवीण कुमार वल्द दुर्गापसाद साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	51	1.410	1.410	
57	श्यामलाल वल्द नथू साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	52	1.610	1.610	
58	रामचरण वल्द खुमान साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	54	1.650	1.650	
योग:-			78	73.75	63.1	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए नोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संग्राम राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए नोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संग्राम राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संग्राम राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11-अ-82-17-18-14523, मौजा मनकापुर, पट.ह.नं.-09, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यप्रालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-I पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| (1) | परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| | 3. ग्राम | : | मनकापुर |
| | 4. पट.ह.नं.- | : | 29 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 78.500 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जयवंत, मुन्ना, जगमोहन पिता महतापसींग, ऋषिबाई पुत्री महतापसींग, झलकना वेवा महतापसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	69	1.210	1.210	
2	मिट्टू वल्द बल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	70	1.210	1.210	
3	रामरतन, सरवन, कल्याण पिता खिलान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	71	1.100	1.100	
4	नारायण प्रसाद वल्द सुदर्शन प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	75	0.410	0.410	
		भूमिस्वामी	103	0.070	0.070	
		भूमिस्वामी	107	0.400	0.400	

5	प्रीतमसींग वल्द राजाराम, संजीव वल्द प्रेमचंद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	76	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	141	1.820	1.820
6	बारेलाल वल्द करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	77	0.170	0.170
		भूमिस्वामी	104	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	169/3	1.110	1.110
7	जयराम वल्द मोहन, मुकेश वल्द नंदलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	79	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	86	0.940	0.940
		भूमिस्वामी	114	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	111	0.43	0.430
8	रामलाल वल्द दौलत साकिन देह	भूमिस्वामी	80	1.710	1.710
		भूमिस्वामी	110	1.29	1.290
9	चित्तरसींग, राजकुमार, प्रीतम, गंधर्व सींग, मरदन पिता वृन्दावन, गुलाबरानी वेवा वृन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	81	0.440	0.440
		भूमिस्वामी	85	0.890	0.890
10	रामस्वरूप पिता गुलाब अहिरवार साकिन चौकी	सेवाखातेदार	82	2.060	2.060
		सेवाखातेदार	117	0.610	0.610
		सेवाखातेदार	138	0.970	0.970
11	कलू वल्द हरया साकिन देह	भूमिस्वामी	83	1.210	1.210
12	तुलसीराम वल्द गनेश साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	91	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	160	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	161	0.670	0.670
13	रामस्वरूप वल्द बंदीप्रसाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	92	0.250	0.250
		भूमिस्वामी	131	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	132	0.440	0.440
		भूमिस्वामी	130/3	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	130/1	0.200	0.200
14	मीराबाई पत्नि परमानंद, रचना, भूरी, अंगूरी पिता परमानंद, राकेश, पप्पू, अशोक पिता परमानंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	93	0.170	0.170
		भूमिस्वामी	95	0.200	0.200
		भूमिस्वामी	98	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	101	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	168	0.520	0.520
15	नारायण पिता देवचंद निवासी शिकारपुर	भूमिस्वामी	96/1	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	134/1	0.950	0.950
		भूमिस्वामी	163/1	0.660	0.660
		भूमिस्वामी	124	0.950	0.950
16	लालसींग वल्द देवचंद साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	96/2	0.060	0.060
17	विजयरानी पति बलराम, पूजा, छोटीबाई, अमिलाषा, अंजनी नाबालिग पुत्री बलराम, सीताराम, सचिन नाबालिग वल्द बलराम वली माँ विजयरानी पत्नि बलराम साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	96/3	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	134/3	0.960	0.960
		भूमिस्वामी	163/3/1	0.250	0.250
		भूमिस्वामी	123/1	0.550	0.550
18	हिम्मत वल्द हजारी, फूलसींग वल्द गजराजसींग, विमलाबाई, प्रेमबाई, बीनाबाई, पुत्री गजराजसींग, चित्तरसींग, राजकुमार, गंधर्वसींग, प्रीतम, मरदन पिता विन्दावन, गुलाबरानी वेवा विन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	97	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	164	1.760	1.760
19	बलराम वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	99	0.240	0.240

20	हरीसींग, हरप्रसाद पिता आधार, रामरतन, सुरेश, रगवीर पिता हरगोविन्द, जगरानी वेवा हरगोविन्द, जगरानी वेवा हरगोविन्द, ग्याप्रसाद, बाबूराम पिता घनश्याम, मजलीबहू वेवा घनश्याम साकिन देह	भूमिस्वामी	102	0.180	0.180
		भूमिस्वामी	167	2.000	2.000
21	हलकई वल्द दुर्गाप्रसाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	105	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	166	1.450	1.450
22	चंद्रभान पिता सुदर्शन प्रसाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	108	1.250	1.250
23	हरीसींग वल्द करनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	109/1	0.150	0.150
		भूमिस्वामी	169/1	0.340	0.340
		भूमिस्वामी	170/2	1.21	1.210
24	फूलरानी वेवा गुलाबसींग, माखन, संतोष, प्रकाश पिता गुलाबसींग, रीना, मीरा नाबालिग वल्द गुलाबसींग वली फूलरानी साकिन देह	भूमिस्वामी	109/2	0.150	0.150
		भूमिस्वामी	169/2	0.340	0.340
		भूमिस्वामी	170/1	1.210	1.210
25	रंधीरसींग वल्द हरप्रसाद, सुमतरानी वेवा हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	119	0.280	0.280
		भूमिस्वामी	121	0.130	0.130
26	उत्तमचंद वल्द जानकी प्रसाद जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	122	0.960	0.960
27	श्रीमति रज्जोबाई पत्नि सरमन यादव साकिन देह	भूमिस्वामी	123/2	0.400	0.400
28	श्रीमति अमरवती पति पन्नालाल साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	125	0.890	0.890
		भूमिस्वामी	130/2	0.200	0.200
29	श्री दयाराम पिता उमेद सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	126	1.140	1.140
30	द्वारकाप्रसाद वल्द रामलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	127	0.140	0.140
31	शिबू वल्द जगन्नाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	128/1	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	133/1	0.400	0.400
32	दीनदयाल वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	128/2	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	133/2	0.400	0.400
33	गौतम नाबालिग वल्द व वली रामभरोसे साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	129/1	0.500	0.500
34	गोलू नाबालिग वल्द व वली रमेश साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	129/2	0.510	0.510
35	सुनील कुमार पिता उत्तमचंद जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	134/2	0.960	0.960
36	किशोरी, मोतीलाल पिता मूलचंद साकिन समौरिया जिला विदिशा	भूमिस्वामी	136/1	0.220	0.220
37	मनोजकुमार वल्द सुदर्शन प्रसाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	136/2	0.310	0.310
		भूमिस्वामी	137	0.350	0.350
38	मंदिर श्री महादेवजी स्वामी मुह. परसराम वल्द रामेश्वर प्रबंधक कलेक्टर महोदय, सागर	भूमिस्वामी	139	1.320	1.320
39	लक्ष्मीदेवी पत्नि रामरतन, हीरेन्द्र प्रतापसींग, पुष्पेन्द्र, नारायण पिता रामरतन, शिवानी पुत्री रामरतन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	140	0.990	0.990
40	जयराम पिता जमना, गोपाल, बलराम पिता हरगोविन्द साकिन मनकापुर	भूमिस्वामी	142/1	0.260	0.260
41	सीमारानी पत्नि बलराम साकिन मनकापुर	भूमिस्वामी	142/2	0.660	0.660
42	राकेश वल्द परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	143/1	0.390	0.390
43	बल्लू वल्द हरगोविन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	143/2	0.400	0.400
44	इन्दरबाई, तुलाबाई पुत्री हीरालाल, धूरी, मिठू, मुन्ना, बाबूलाल, पूरन पिता हीरालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	144	1.700	1.700
45	घनश्याम वल्द खुमान साकिन देह	भूमिस्वामी	145	0.780	0.780
		भूमिस्वामी	159	0.700	0.700
46	वीरसींग वल्द हरप्रसाद, मायाबाई पत्नि हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	146/1	0.200	0.200
		भूमिस्वामी	147	0.580	0.580
		भूमिस्वामी	157/1	0.140	0.140

47	सुहागरानी पत्नि हरिप्रसाद, रामगुलाम, रामकेश, रामप्यारे पिता हरिप्रसाद, रामसखी पिता हरिप्रसाद साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	146/2	0.380	0.380
		भूमिस्वामी	157/3	0.270	0.270
48	जवाहर वल्द मर्दन साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	148	0.500	0.500
		भूमिस्वामी	157/2	0.490	0.490
49	महेश सिंह वल्द लक्ष्मन सिंह साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	149/1	0.520	0.520
		भूमिस्वामी	151	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	176/3	1.410	1.410
50	रामस्वरूप, मुरलीधर पिता लक्ष्मनसींग साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	149/2	2.830	2.830
51	रामेश्वर वल्द वंशी साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	150	0.630	0.630
		भूमिस्वामी	175	0.700	0.700
52	मुरलीधर वल्द वंशी साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	152	1.330	1.330
		भूमिस्वामी	154	0.410	0.410
		भूमिस्वामी	165	0.170	0.170
55	पन्नालाल वल्द वंशी साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	153	1.330	1.330
		भूमिस्वामी	155	0.410	0.410
54	प्रदीप कुमार वल्द सरमन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	156	0.400	0.400
55	दुर्गाप्रसाद, हरीराम, मूलचंद पिता लक्खू साकिन बिचपुरी	भूमिस्वामी	158	0.410	0.410
56	सविता पिता बलराम, मनोज, जितेन्द्र, संदीप, सुदीप पिता बलराम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	162	0.820	0.820
57	कमलाबाई पत्नि उत्तमचंद जैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	163/2	0.650	0.650
58	दशरथ वल्द रामदयाल साकिन आमाखुर्द रिछोरा श्यामपुरा तह. सागर	भूमिस्वामी	163/3/2	0.400	0.400
59	गिरीश कुमार वल्द सुदर्शनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	171/1	0.690	0.690
60	हरभजन वल्द जालम साकिन देह	भूमिस्वामी	171/2	1.210	1.210
61	चेनसींग वल्द लक्ष्मन साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	176/1	2.000	2.000
62	सरमन वल्द रघुनाथ साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	176/2	2.000	2.000
63	उमेश पिता प्रेमचंद जैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	195/1	0.680	0.080
64	होतीलाल पिता लक्ष्मन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	195/2	0.010	
65	चन्द्रकुमार पिता मिट्ठूलाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	195/3	0.680	
66	राजेन्द्र पति परगट सिंह साकिन बरखेड़ा	भूमिस्वामी	195/5	0.810	
67	मुह. इकराम वल्द मुह. उस्मान कुरेशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	197/1	0.600	0.170
68	जनरेल सिंह पिता परगट सिंह साकिन बरखेड़ा	भूमिस्वामी	197/2	1.190	
		भूमिस्वामी	197/3	1.300	
69	तेजेन्द्र पति सरबन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	197/4	2.000	
70	राजेन्द्र पति परगट सिंह साकिन बरखेड़ा	भूमिस्वामी	197/5	0.810	
		भूमिस्वामी	197/6	1.190	
71	सरवन सिंह पिता गुरदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	198/1	0.250	4.840
		भूमिस्वामी	198/2	2.000	
		भूमिस्वामी	198/8	0.170	
72	जनरेल सिंह पिता परगट सिंह निवासी बरखेड़ा	भूमिस्वामी	198/3	1.430	
73	परगट सिंह पिता गुरदयाल निवासी बरखेड़ा	भूमिस्वामी	198/4	1.370	
		भूमिस्वामी	198/6	0.630	
74	गुरदयाल सिंह पिता बहादुर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	198/5	3.450	
		भूमिस्वामी	198/9	0.020	
75	जनरेल सिंह पिता परगट सिंह साकिन बरखेड़ा	भूमिस्वामी	198/10	0.080	
योग:-			132 कित्ता	92.08	78.5

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 12-अ-82-17-18-14524, मौजा हंसरई, पट.ह.नं.-28, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : राहतगढ़
 3. ग्राम : हंसरई
 4. पट.ह.नं.- : 28
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 74.720 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			8
1	मुलायम खा वल्द अलाउद्दीन निवासी राहतगढ़	भूमिस्वामी	2/1	1.160	1.160	
2	दरयाव सिंह वल्द किसान सींग साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	2/2	2.020	2.020	
		भूमिस्वामी	17/1	1.560	1.560	
		भूमिस्वामी	47/7	0.800	0.800	
		भूमिस्वामी	48/1	0.990	0.990	
		भूमिस्वामी	56	0.780	0.780	
		भूमिस्वामी	64	1.110	0.660	
		भूमिस्वामी	51/2	0.800	0.800	
3	बलराम वल्द मनमोहन साकिन जामुढाना	भूमिस्वामी	2/3	0.800	0.800	
4	मुस्ताफा, फातमा नाबालिग बहादुर खां, पीरनबी, इन्दुबी वेवा बहादुर खं पालक माँ	भूमिस्वामी	2/4	0.570	0.570	
		भूमिस्वामी	52/1	0.570	0.570	
5	शोएल, उवेश नाबालिग वल्द नईम मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3	0.650	0.650	
		भूमिस्वामी	4	0.650	0.650	
		भूमिस्वामी	49	0.930	0.930	
6	अब्दुल रहूप मुलकीम वा.मु. सादिक नाबालिग वल्द व वली फकीर मुहम्मद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	6	1.010	1.010	
7	मुन्ना बालिग महेन्द्र नाबालिग पिता देवी, रामकली, सावित्री बालिग हल्की नाबालिग पुत्री देवी पालक व खुद माँ ताराबाई वेवा देवी साकिन समराखेड़ा	भूमिस्वामी	7	1.010	1.010	
8	मोहनलाल वल्द तुलाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	8	0.200	0.200	
		भूमिस्वामी	10	0.620	0.620	
9	रामप्रसाद पिता कुन्जीलाल, तुलसाबाई वेवा कुन्जीलाल साकिन जामुनढाना	भूमिस्वामी	11	0.970	0.970	
10	अब्दुल रहूप वल्द अब्दुल बहीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	12	0.970	0.970	
11	पारवती, शनिया, द्रोपदी, तेजा पुत्री रम्पू साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	13	0.88	0.880	
12	सुखलाल वल्द टूडे साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	14	0.880	0.880	
13	हरीसींग वल्द हल्के साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	15	0.920	0.920	
14	शांतिबाई जोजे माखन साकिन देह	भूमिस्वामी	16	1.290	1.290	
15	रामलाल वल्द गया साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	17/2	1.210	1.210	
16	मुहम्मद युनुस वल्द अब्दुल बाकर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	17/3	1.750	1.750	
17	सिदी, बाबूलाल, भागीरथ, नंदू पिता दमरू साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	18	0.990	0.990	
18	दमरू, कलू पिता मंगल, मनकुवर वेवा मंगल साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	19	0.900	0.900	
19	गीताबाई पुत्री नरान, पानबाई वेवा नारायण साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	20	0.910	0.910	

20	हरीसींग, गंगाधर, देवीसींग, रतीराम पिता नंदराम, बड़ीबहू वेवा दरयाव, बकील, प्रमोद, सीमा, रमा पिता दरयाव, छतरसींग वल्द सुमेरसींग, रामलाल वल्द गनेश, तेजाबाई वेवा अर्जुन, राधेलाल, कल्याण, सुशीलाबाई, श्यामबाई, उमाबाई, द्वारकाबाई पिता अर्जुन साकिन सेमराखेड़ी	भूमिस्वामी	22	0.740	0.740
		भूमिस्वामी	51/1	0.540	0.540
21	फूलाबाई पुत्री सुदामा साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	25/1	1.430	1.430
22	नदराम वल्द फदाली साकिन देह	भूमिस्वामी	25/2	0.870	0.870
		भूमिस्वामी	47/5	0.570	0.570
23	वीरसींग, अमोलसींग पिता महतापसींग साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	27	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	32	1.200	1.200
24	खिलान सींग पिता पंचे साकिन देह	भूमिस्वामी	29	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	39	0.320	0.320
25	नारायण, मुन्शी पिता भैयालाल साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	30	3.040	3.040
26	अब्दुल बहीद पिता अब्दुल शकूर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	31	1.320	1.320
27	जमील मिया पिता शकूर मुहम्मद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	34/1	0.960	0.960
		भूमिस्वामी	34/2	0.410	0.410
28	वीरसींग वल्द महताब सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	35/1	0.500	0.500
29	कमरुद्दीन वल्द रज्जाक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	35/2	0.980	0.980
30	अरुण कुमार पिता बाबूलाल गुप्ता साकिन कल्याणपुर माल	भूमिस्वामी	35/3	0.400	0.400
31	सीताराम वल्द गोदनसींग साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	36/1	0.630	0.630
32	सिद्धीकी वल्द दम्मा, मु. असार मु. इकबाल वल्द सिद्धीकी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	36/2	1.200	1.200
33	अजीज खा पिता नस्सू खां साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	37	0.780	0.780
34	सादिक, रासिद पिता शाबिर मिया, फिरदोश पुत्री शाबिर मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	40	2.020	2.020
35	हरदास, रामदास पिता मरदन, देवकाबाई पुत्री मरदन साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	42	2.000	2.000
36	रम्मा वल्द कलुवा साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	43/2	0.800	0.800
37	प्रकाश, राजेश पिता भददा, अनीता, कविता पुत्री भददा, जुगताबाई वेवा भददा साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	43/3	0.800	0.800
38	परसराम वल्द दरयाव सिंह साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	45	2.000	2.000
		भूमिस्वामी	46/1	0.610	0.610
		भूमिस्वामी	46/2	1.400	1.400
		भूमिस्वामी	58	0.770	0.430
39	गोकल वल्द कुदऊ साकिन बरोदासागर	भूमिस्वामी	47/2	2.250	2.250
40	बाबूखा, हल्के खां पिता लालेखा साकिन बरोदासागर	भूमिस्वामी	47/3	0.280	0.280
41	शेरखां पिता शहादत खा साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	47/4	0.890	0.890
42	काशीराम वल्द देवीप्रसाद, ललिताबाई पति काशीराम साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	47/6	1.430	1.430
43	आरिफ पिता नईम मिया साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	50	0.870	0.870
44	गोपाल पिता कुंजीलाल साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	52/2	0.570	0.570
45	भीकम पिता कुंजीलाल साकिन करई विदिशा	भूमिस्वामी	52/3	0.570	0.570
46					

46	हल्कू वल्द जमना, कोमलबाई पति हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	53/3	1.330	1.330
47	प्रताप वल्द रूपसिंग, बैजन्ती पति प्रताप साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	53/4	1.330	1.330
48	रामस्वरूप नाबालिग वल्द भूपत, सुनीता नाबालिग पुत्री भूपत, श्रीबाई पति भूपत साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	53/5	1.330	1.330
49	हरप्रसाद पिता हल्का साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	76	2.000	2.000
50	दशोदाबाई देवा कलुवा, किशन वल्द कलुवा, तुलसाबाई पुत्री कलुवा साकिन देह	भूमिस्वामी	77	2.010	2.010
51	आरती पुत्री प्यारेलाल, जानकी पति प्यारेलाल साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	78/1	1.000	1.000
52	लक्ष्मण पिता रख्खा, बैजन्ती, सपना पुत्री रख्खा, केशरबाई देवा रख्खा साकिन सेमरामेड़ा	भूमिस्वामी	78/2	0.990	0.990
53	रेवाराम वल्द परमसुख साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	81	0.830	0.830
54	सकीना पति मुहम्मद जलील साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	82/1	0.140	0.140
		भूमिस्वामी	82/2	0.700	0.700
55	गिरधारी उर्फ गोवर्धन पिता रामचरण साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	85	0.600	0.600
56	माखन, घूमनसिंग, गोवर्धन पिता रामचरण, पार्वती, नन्नी पुत्री रामचरण, पारवती पति भोगीराम, पूनाबाई पति गोपीलाल, जयशाम, महताप, हरगोविन्द, हरीराम, तुलसीराम पिता आशाराम, मुलाबाई पुत्री आशाराम साकिन सेमराखेड़ा	भूमिस्वामी	86	2.000	2.000
योग:-			75	75.51	74.72

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की

उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13-अ-82-17-18-14525, मौजा मनकापुर, पट.ह.नं.-29, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | : | मनकापुर |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 29 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 6.730 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मिट्ठू वल्द परमानंद, अरूणाबाई जोजे मिट्ठू साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	6	1.100	0.820	
2	चेनसींग वल्द रामप्रसाद साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	7	1.060	1.060	
3	जगदीश, राधे वल्द रविशंकर, विनीता, गौराबाई, कलीबाई, हल्कीबाई पुत्री रविशंकर, कुन्तीबाई वेवा रविशंकर किसन, मिट्ठू पिता परमानंद वलीराम पिता परसू, अरूणबाई पुत्री दमरू, भगताराम वल्द शेवलाल साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	8	0.630	0.630	
		भूमिस्वामी	32	0.180	0.180	
4	श्री रामजी वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	34	0.520	0.100	
5	निरंजन पिता बाबूलाल साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	41/1	0.910	1.290	
6	रामविशाल पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	41/2	0.720		
		भूमिस्वामी	42	0.230	0.030	

7	देवेन्द्र पिता बाबूलाल ग्राम शिकारपुर	भूमिस्वामी	46/1	0.950	0.700	
8	निरंजन पिता बाबूलाल साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	46/2	0.110		
9	चिरौजीलाल वल्द खेतसींग साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	48	0.880	0.700	
10	सावित्रीबाई पति रंधीर सिंह साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	49	0.830	0.140	
11	रणजीत सिंह, अनीताश सिंह पिता माखन सिंह साकिन भैसा	भूमिस्वामी	66	0.120	0.060	
12	जगदीश, राधे वल्द रविशंकर, मित्तू पिता परमानंद, फूलाबाई पति किशन, सुमंत्रा, कुशम, शीला, लीला, मीरा पिता किशन, जगमोहन, संतोष, राजन, पप्पू पिता किशन, भगतसींग, सुभाष, विनीता, गौराबाई, कलीबाई, हल्कीबाई पुत्री रविशंकर, राजेश पिता बलीराम, मालतीबाई पिता वलीराम, भगतराम वल्द शेवलाल, राधाबाई, ओमबाई पुत्री वलीराम, कुन्तीबाई देवा रविशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	9/1	2.620	1.020	
13	मंगलसींग वल्द गनेशराम साकिन शिकारपुर	भूमिस्वामी	9/2	0.400		
योग:-			15	11.26	6.73	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 14-अ-82-17-18-14526, मौजा शिकारपुर, पट.ह.नं.-27, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : राहतगढ़
 3. ग्राम : शिकारपुर
 4. पट.ह.नं.- : 27
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 81.480 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			8
1	कंचन, मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी, राधा पुत्री गोरेलाल, मुन्नी वेवा गोरेलाल, प्रभू, हुकम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, हरीबाई पुत्री शंकर, भगवानसींग पिता रामलाल, फूलाबाई वेवा रामलाल, तिज्जा पुत्री नन्हे, मनका पिता छुट्टी, जगन्नाथ पिता गुबन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	11 20/1	0.350 2.330	0.350 2.330	
2	आशाराम वल्द शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	19	3.710	3.710	
3	कमलसींग वल्द भगोनी साकिन देह	भूमिस्वामी	20/2	1.200	1.200	
4	वीरसींग, ओंकार, अशोक, रामसेवक, रामबाबू वालिग बकील, मुनीम वल्द शोभाराम, बेटीबाई वेवा शोभाराम, अरुणाबाई, गंगाबाई पुत्री दमरू साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	25 27	0.320 1.500	0.320 1.500	
5	अरुणाबाई जोजे मिठ्ठूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	26	0.730	0.730	

6	प्रकाश वल्द देवी साकिन देह	भूमिस्वामी	28/1	0.890	0.890
		भूमिस्वामी	28/2	1.800	1.800
		भूमिस्वामी	30	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	35/1	3.420	3.420
7	दशरथ वल्द नंदराम साकिन देह	भूमिस्वामी	28/3	0.600	0.600
8	बैजन्ती पति सरमन साकिन देह	भूमिस्वामी	33/1	0.600	0.600
9	गोराबाई पति सुन्दरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	33/2	1.840	1.840
10	राजकुमार, विनोद, सुरेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद, गुड्डिया, सोनाबाई पुत्री ईश्वरीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	33/3	1.880	1.880
11	हिम्मतसिंग वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	33/4	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	33/5	0.800	0.800
12	रामश्री पति जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	33/6	0.840	0.840
13	बैजनाथ, सुन्दरसिंग, कमलसिंग पिता घासीराम, प्यारीबहू वेवा कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	34	3.080	3.080
		भूमिस्वामी	38	0.820	0.400
14	तेजसिंग, सुन्दर, छोटेलाल पिता गयाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	35/2	2.020	2.020
15	सरमन वल्द फूलसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	35/3	1.060	1.060
16	रामस्वरूप, मुरलीधर, महेश, चैनसिंग पिता लक्ष्मन, किशन वल्द मुल्ली, परषोत्तम वल्द रामस्वरूप साकिन देह	भूमिस्वामी	36	4.940	4.940
		भूमिस्वामी	40	1.070	0.390
		भूमिस्वामी	41	0.170	0.100
17	श्री महावीरजी स्वामी बांके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	52	0.080	0.080
18	कालूराम पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	53/1	1.120	1.120
19	चतुरसिंग वल्द तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	53/2	1.120	1.120
20	कम्मोद पिता अजुद्धी साकिन देह	भूमिस्वामी	55/1	0.040	0.040
21	संदेर पिता अजुद्धी साकिन देह	भूमिस्वामी	55/2	0.030	0.030
22	छोटेलाल पिता कुदउ साकिन देह	भूमिस्वामी	55/3	0.010	0.010
23	मकुन्दी, धरम, निरभे, शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद, मीरा, सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद, गन्नीबाई वेवा दुर्गाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	55/4	0.050	0.050
24	पूरन, अमरसिंग पिता जयराम, कमला पुत्री जयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	55/5	0.010	0.010
25	ग्याप्रसाद, रामरतन पिता खुमान, सुशीला वेवा खुमान साकिन देह	भूमिस्वामी	55/6	0.010	0.010
26	प्रभु वल्द रतनसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	56/1	0.400	0.100
27	प्रेमबाई जोजे चतुरसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	56/2	0.400	
28	कम्मोद पिता अजुद्धी साकिन देह	भूमिस्वामी	63/1	1.390	3.590
29	हरिनारायण वल्द कम्मोद, गोकल नाबालिग वल्द व वली सन्देरसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	63/2	0.730	
30	छोटेलाल पिता कुदउ साकिन देह	भूमिस्वामी	63/3	0.690	
31	मकुन्दी, धरम, निरभे, शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद, मीरा, सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद, गन्नीबाई वेवा दुर्गाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	63/4	0.690	
32	ग्याप्रसाद, रामरतन पिता खुमान, सुशीला वेवा खुमान साकिन देह	भूमिस्वामी	65/5	0.690	
33	जानकी, हरनाम पिता भावसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	65	1.900	1.900
34	नारायण, लालसिंग, बलराम पिता देवचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	66	0.610	0.610
35	नेतराम, लक्ष्मीप्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता शिवप्रसाद, मु. धनकुवंर वेवा शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	67	0.590	0.590
36	करन, रघुवीर पिता हरगोन्दि, रम्बो पुत्री हरगोविन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	68	0.450	0.450
37	बलराम वल्द त्रिलोकी साकिन देह	भूमिस्वामी	70/1	0.300	0.300
		भूमिस्वामी	72	0.190	0.190

38	लखन वल्द रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	70/2	1.000	1.000	
39	बाबूलाल वल्द बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	70/3	0.520	0.520	
40	जगदीश, बबलू, राकेश पिता शेरसींग, कपूरीबाई देवा शेरसींग, सुमत्रा, ममता पुत्री शेरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	70/4	0.500	0.500	
41	राजाराम, गुलाब, बाबूलाल, दौलत, वल्देव पिता मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण पति सूरतसींग, अशोकरानी देवा सूरतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	74	2.740	1.420	
42	वलीराम, मिहीलाल, शंकर पिता बाबूलाल, मु. यशोदाबाई देवा बाबूलाल, रामनाथ, श्रीकिशन, लखन, रामदयाल पिता रामप्रसाद, सूरजसींग, नारायणसींग, रामगोपाल पिता रामलाल, सुमतरानी देवा रामलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	76	0.880	0.880	
		भूमिस्वामी	78	3.710	0.790	
43	रामस्वरूप, मुरलीधर, चैनसींग, महेश पिता लक्ष्मन, गुवन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	86/1	0.820	0.820	
44	मनका वल्द छुट्टी, जगन्नाथ वल्द गुबंदी, शारदा, गुलाबबाई पुत्री गुबंदी साकिन देह	भूमिस्वामी	86/2	0.820	0.820	
45	गजराजसींग वल्द बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	88/1	2.380	2.070	
46	रामसींग पिता बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	88/2	2.380		
47	राजाराम वल्द मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	89	0.640	0.300	
48	गुलाब वल्द मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	90	0.390	0.130	
49	बाबूलाल वल्द मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	91	0.39	0.040	
50	वल्देव वल्द मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	114	0.110	0.110	
51	दौलत वल्द मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	115	0.110	0.050	
52	अजयसिंह वल्द रामचंद्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	147	0.040	0.040	
		भूमिस्वामी	148/1	0.410	0.330	
		भूमिस्वामी	192/1	0.190	0.190	
		भूमिस्वामी	193	0.050	0.050	
		भूमिस्वामी	194	0.130	0.130	
		भूमिस्वामी	154/4	1.290	1.290	
53	अमित सिंह पिता रामचंद्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	148/2	0.440	0.260	
		भूमिस्वामी	192/2	0.200	0.200	
54	सौरभ सिंह पिता कोमल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	148/3	0.460	0.240	
55	रनजीत सिंह वल्द कोमल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	148/4	0.440	0.170	
		भूमिस्वामी	152/2	0.770	0.770	
		भूमिस्वामी	156	0.150	0.150	
56	कंचन, मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी, राधा पुत्री गोरेलाल, मुन्नी देवा गोरेलाल, प्रभु, हुकम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर, भगवतसर्वांग पिता रामलाल, तिज्जा पुत्री नन्हे, हिम्मत, सुम्मे, पप्पू पिता मोनी साकिन देह	भूमिस्वामी	150	1.430	1.430	
		भूमिस्वामी	152/1	0.800	0.800	
		भूमिस्वामी	152/3	3.150	3.150	
57						

57	चैनबाबू महेश पिता लक्ष्मन, किशन नाबालिग वल्द व वली मुल्ली, परषोत्तम नाबालिग वल्द रामरूप साकिन देह	भूमिस्वामी	153	2.680	1.550
58	रनजीतसिंह वल्द कोमलसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	154/1	1.400	0.880
59	सौरभ सिंह वल्द कोमल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	154/2	1.390	0.860
60	अमित सिंह पिता रामचंद्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	154/3	1.350	0.750
61	रामचंद्र सिंह पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	192/3	0.310	0.310
62	प्रतिज्ञा उर्फ ववली पुत्री किशोरीलाल साकिन राहतगढ़, भगवानसींग, रामचरण, दशरथ, कमल, लक्ष्मन, रामेश्वर पिता देवी, लक्ष्मी, रामवती, कृष्णा, सविता, संध्या पुत्री देवी, फूलाबाई वेवा देवी साकिन रजोली	भूमिस्वामी	198	0.950	0.950
53	रश्मिवाला पुत्री जीवनलाल साकिन राहतगढ़, भगवानसींग, रामचरण, दशरथ, कमल, लक्ष्मन, रामेश्वर पिता देवीलक्ष्मी, रामवती, कृष्णा, सविता, संध्या पुत्री देवी फूलाबाई वेवा देवी साकिन रजोली	भूमिस्वामी	203	3.790	2.880
64	प्रेमबाई पति मुन्नालाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	207/1	1.550	1.250
65	अनवर पिता अब्दुल वहीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	207/2	0.750	0.750
66	मुन्नालाल वल्द दयाराम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	207/3	1.600	1.600
67	रमेश, बलराम पिता लच्छू साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	207/4	3.150	3.150
68	अनीस वल्द मुह समसुद्दीन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	207/5	1.600	1.600
69	लालमिया वल्द अब्दुल बहीद साकिन देह	भूमिस्वामी	207/6	0.800	0.800
योग:-			90	96.63	81.48

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आवेदन यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15-अ-82-17-18-14527, मौजा रसूलपुर, पट.ह.नं.-29, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-1 पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार-ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| (1) | परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| | 3. ग्राम | : | रसूलपुर |
| | 4. पट.ह.नं.- | : | 29 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 79.30 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	8
1	मुह. इशाक पिता फतेह मुह. साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	1/2	0.810	0.450	
2	मुह. हनीफ लद जमालुद्दीन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3/1	0.450	0.450	
3	नाजिम वल्द हनीफ साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3/2	1.500	1.500	
4	अभिषेक, अखलेश पिता प्रेमनाथ साकिन सागर	भूमिस्वामी	4/1	1.550	0.920	
		भूमिस्वामी	5/4	1.200	1.200	
		भूमिस्वामी	6/2	2.040	2.040	
5	अब्बास वल्द जमालुद्दीन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	5/1	3.010	3.010	
6	रुस्तम नाबालिग वल्द व वली उस्मान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	5/2	2.600	2.600	
7	श्रीहरीहर ऐसोसिएट गांधी चौक सागर द्वारा अध्यक्ष सचिन पिता काशीराम साकिन सागर	भूमिस्वामी	5/3	1.200	1.200	
		भूमिस्वामी	6/1	3.590	3.590	

8	इस्माइल पिता इशाक मुहम्मद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7/1	0.820	0.820
9	मुह. रहीस वल्द अहमदनूर कुरैशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7/2	0.970	0.970
10	फरीद पिता अब्दुल रसीद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7/3	0.400	0.400
11	मुह. शरीफ बालिग रहीश, इस्लाम, इरफान, इकराम, अकबर नाबालिग पिता रहीश वली मुह. शरीफ वल्द रहीश, मुह. दिलशाद, मुह. शादिक, मुह. मुस्सदिक पिता नोसेमिया, मुह. मुस्तफा पिता नोसेमिया, हाफिज अबुल कलाम पिता मह. अय्यूब साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	7/4	0.400	0.400
12	स्पीचुवल रिजनरेशन मूवमेंट एस.आर.एम. फाउंडेशन आफ इंडिया पंजीयन क्रमांक 52366 दि. 7/11/1963 मुख्तयार आम मनीश मालिक सुभाषचंद पता निवासी एम.एम.ई.भोपाल	भूमिस्वामी	7/5	2.510	2.510
13	नूरमिया पिता इशाक मुह निवासी ग्राम राहतगढ़	भूमिस्वामी	8/1	4.000	4.000
14	मुह. हाफिज नासेमिया पिता मुह. इशाक	भूमिस्वामी	8/2	0.050	1.070
15	मुह. रहीस वल्द अहमदनूर कुरैशी साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	8/3	1.070	
16	भूरमिया, अब्बासी, हबीब, नहीम वल्द हमीद साकिन देह	भूमिस्वामी	10/1	0.700	0.700
17	हबीब वल्द हमीद साकिन देह	भूमिस्वामी	10/2	0.800	0.800
18	सलीम वल्द वहीद साकिन देह	भूमिस्वामी	10/3	0.690	0.690
19	हलीम वल्द वहीद साकिन देह	भूमिस्वामी	10/4	0.690	0.690
20	अजीम वल्द वहीद साकिन देह	भूमिस्वामी	10/5	0.700	0.700
21	मियाबाबू अनीष वल्द सलामत हुसैन साकिन देह	भूमिस्वामी	12	1.570	1.570
22	कलू पिता सिद्धीक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	13	1.150	1.150
		भूमिस्वामी	13/93	0.860	0.860
		भूमिस्वामी	23	0.950	0.950
		भूमिस्वामी	24/2	0.960	0.960
23	धनसींग वल्द कुदऊ साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	14/1	0.490	0.490
24	संतोष पिता धनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	14/2	0.470	0.470
25	उत्तम पिता धनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	14/3	0.170	0.170
		भूमिस्वामी	15/2	0.300	0.300
26	रमेश पिता धनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	14/4	0.470	0.470
27	राजकुमार वल्द धनसींग साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	15/1	0.470	0.470
28	किशोर वल्द नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	16/1	0.250	0.250
29	राजू वल्द नारायण साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	16/2	0.160	0.160
		भूमिस्वामी	17	0.140	0.140
30	प्रीतम वल्द नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	16/3	0.250	0.250
31	रामबाई जोजू गठू साकिन देह	भूमिस्वामी	19	1.010	1.010
32	कलू वल्द घसीटे साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	20	1.010	1.010
33	मुन्नी जोजे रूपसींग साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	21	0.870	0.870
34	कलू वल्द घसीटे, घसीटे, रामबाई, मुन्नीबाई, प्रेमबाई, नत्थीबाई पुत्री घसीटे साकिन देह	भूमिस्वामी	22	2.130	2.130
35	आविद, शाविर वल्द इब्राहिम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	24/1	3.060	3.060
		भूमिस्वामी	25	0.860	0.860
36	रामस्वरूप, ब्रजेश वल्द नंदन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	35/1	0.420	0.420
37	रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	35/2	0.150	0.150
		भूमिस्वामी	39	0.280	0.280
		भूमिस्वामी	40	0.880	0.880

38	जाफिर हुसैन, लियाकत हुसैन, जाहिद हुसैन, बाहिद हुसैन, अन्सार हुसैन, खालिद, इमरान हुसैन वल्द अहमद हुसैन, वहीदनवी वेवा अहमद हुसैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	36	0.900	0.900
		भूमिस्वामी	37	2.300	1.760
		भूमिस्वामी	38	2.620	2.620
39	द्रोपतीबाई पल्लि नंदनसिंह साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	43/1	1.410	2.610
40	रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	43/2	1.400	
41	रामस्वरूप, ब्रजेश वल्द नंदन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	44/1	1.570	0.040
42	रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	44/2	0.220	
43	अफसर वल्द अब्दुल करीम साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	54	0.260	0.040
		भूमिस्वामी	55	1.540	0.260
44	रफीक वल्द अब्दुल अजीज साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	71	1.370	1.370
45	अलीम वल्द अब्दुल अजीज साकिन राहतगढ़ (कृषि भिन्न प्रयोजन)	भूमिस्वामी	74	1.650	1.650
46	राकेश वल्द हरप्रसाद साकिन बेगमगंज	भूमिस्वामी	77/1	0.640	0.640
		भूमिस्वामी	77/2	0.360	0.360
		भूमिस्वामी	78/1	0.690	0.690
		भूमिस्वामी	85/1	0.440	0.440
		भूमिस्वामी	85/2	0.760	0.760
		भूमिस्वामी	86/1	1.840	1.840
		भूमिस्वामी	86/2	0.390	0.390
		भूमिस्वामी	87/1	0.800	0.800
47	प्रमा पति राकेश साकिन बेगमगंज	भूमिस्वामी	78/2	0.820	0.820
		भूमिस्वामी	78/3	0.800	0.800
		भूमिस्वामी	80	0.250	0.250
		भूमिस्वामी	81	0.070	0.070
		भूमिस्वामी	82	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	83	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	84/1	1.830	1.830
		भूमिस्वामी	84/2	0.800	0.800
48	राहुल पिता राकेश निवासी बेगमगंज	भूमिस्वामी	87/2	1.830	1.830
49	गुलाब, चौदे पिता मुलू, फूलबाई पुत्री मुलू	भूमिस्वामी	89/1	0.660	0.660
50	रामचरन, काशीराम पिता हरलाल, नल्थीबाइ, रामवतीबाई, दुलाबाई पुत्री हरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	89/2	0.660	0.660
51	अभिषेक वल्द राकेश राय निवासी बेगमगंज	भूमिस्वामी	90	1.660	1.660
		भूमिस्वामी	91/1	0.630	0.630
		भूमिस्वामी	91/2	2.000	2.000
योग:-			81	84.06	79.300

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आवेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 16-अ-82-17-18-14528, मौजा भूलनाभानगढ़, पट.ह.नं.-09, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम | : | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | : | भूलनाभानगढ़ |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 09 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 80.530 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	हरप्रसाद वल्द नंदा साकिन देह	भूमिस्वामी	2/1	0.720	0.720	
2	करन पिता नंदा साकिन देह	भूमिस्वामी	2/2/1	0.320	0.320	
3	सुनील कुमार पिता रामस्वरूप अग्रवाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	2/2/2	0.400	0.400	
		भूमिस्वामी	2/3/2	0.200	0.200	
4	प्रभू पिता नंदा साकिन देह	भूमिस्वामी	2/3/1	0.510	0.510	
5	लक्ष्मण वल्द हल्कई साकिन देह	भूमिस्वामी	2/4	0.590	0.590	
		भूमिस्वामी	3/1	0.570	0.570	
		भूमिस्वामी	8	0.400	0.400	
6	रोहित पिता कमलेश कुमार जैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	3/2	0.600	0.600	
7	अनू वल्द मुन्ना गुप्ता साकिन कल्याणपुर	भूमिस्वामी	4	0.950	0.950	
		भूमिस्वामी	6	0.82	0.820	
		भूमिस्वामी	10	0.290	0.290	
8	प्रीति वेवा सुनील, संदर्भ बालिग समर्थ नाबालिग पिता सुनील वली माँ प्रीति साकिन सागर	भूमिस्वामी	7/1	5.150	5.150	
9	मुजमेश नाबालिग पिता अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	12	0.570	0.570	
		भूमिस्वामी	13/1	1.230	1.230	
		भूमिस्वामी	14/1	0.140	0.140	
		भूमिस्वामी	14/3	0.600	0.600	
		भूमिस्वामी	14/8	0.600	0.600	
10	शाहजाबी जोजे अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	31/1	0.400	0.400	
10	शाहजाबी जोजे अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	13/2	1.220	1.220	
11	अ.रहीम नाबालिग वल्द वली अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	14/2	3.210	3.210	
12	शहीद वल्द अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान पिता रमजानी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/4	0.710	0.710	
		भूमिस्वामी	14/5	0.700	0.700	

13	मुह. शहीद नाबालिग वल्द अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	14/6	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	14/7	1.390	1.390
		भूमिस्वामी	31/6	0.600	0.600
14	सियादुलारी वेवा लक्ष्मीनारायण, दीनदयाल, सुरेन्द्र, किशन, संजय पिता लक्ष्मीनारायणसाकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	15	0.190	0.190
		भूमिस्वामी	29	0.350	0.350
		भूमिस्वामी	30	0.730	0.730
		भूमिस्वामी	39/1	1.400	1.400
15	पुष्पाबाई पत्नि नारायण प्रसाद साकिन कल्यानपुर	भूमिस्वामी	16/1	3.200	3.200
		भूमिस्वामी	28	0.100	0.100
16	नारायण प्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन कल्यानपुर	भूमिस्वामी	16/2	4.000	4.000
17	लखन पिता प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	22/1	0.580	0.580
18	शैरोप्रसाद वल्द परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	22/2	0.580	0.580
19	हरलाल, मुन्नालाल, बृजलाल, खेमचंद, मथुराप्रसाद, लक्ष्मन पिता मिहीलाल, प्रेमबाई वेवा मिहीलाल, संतो साकिन करैया गूजर	भूमिस्वामी	23/1	0.500	0.500
20	राकेश नाबालिग वल्द तुलसीराम, हेमराज नाबालिग वल्द धनसींग, गोलू नाबालिग वल्द तखतसींग, करनसींग नाबालिग वल्द विजयसींग बली दादा शैयालाल साकिन देह		23/2	0.070	0.070
21	मानक वल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	24	2.230	2.230
22	मिथुन पिता नाथूराम, दीपिका, प्रियंका पुत्री नाथूराम, सकुन्तला वेवा नाथूराम, सत्यम, शिवम पिता ऋषिराज, शिल्पी पुत्री ऋषिराज, राधाबाई वेवा ऋषिराज साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	25	3.650	3.650
		भूमिस्वामी	38	2.110	2.110
		भूमिस्वामी	39/2	1.330	1.330
		भूमिस्वामी	40	0.690	0.690
23	पूरन वल्द तिजई साकिन देह	सेवाखातेदार	27	0.240	0.240
		सेवाखातेदार	35	0.570	0.570
24	मुहम्मद असलम, मुहम्मद अकरम पिता अब्दुल लतीफ साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	31/2	2.800	2.800
25	मो. नजीर अहमद, सगीर अहमद पिता अनवर साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	31/3	1.600	1.600
26	रईश, उमर, जाहिद पिता अब्बास साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	31/4	2.400	2.400
27	अब्दुल रहमान पिता रमजानी साकिन देह	भूमिस्वामी	31/5	0.200	0.200
28	विनोद कुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	32	2.180	2.180
29	कृष्णकुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	33	1.870	1.870
		भूमिस्वामी	43	0.750	0.750
30	संजय कुमार वल्द लक्ष्मीनारायण साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	34	2.470	2.470
31	किशनलाल वल्द लक्ष्मीनारायण साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	41	2.930	2.930
32	प्रदीप कुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	42	2.830	2.830
33	मो. जमालउद्दीन वल्द सज्जाद हुसैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	45/1	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	57/1	0.270	0.270
34	कमलाबाई वेवा मनमोहन साकिन खाताखंडी	भूमिस्वामी	45/2	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	57/3	0.270	0.270
35	नाथूराम वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	50/1	1.190	1.190
		भूमिस्वामी	54/1	0.780	0.780
36	तुलसीराम, बलराम वल्द बिहारी, प्रेमरानी उर्फ मुहरबाई वेवा बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	50/2	1.180	1.180
		भूमिस्वामी	54/2	0.790	0.790
37	बन्नेमिया वल्द अब्दुल हक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	51/1	1.160	1.160
38	अब्दुलवारी वल्द अब्दुलहक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	51/2	1.32	1.320
39	रामस्वरूप, विन्द्रावन, कमलकिशोर, रमेश, संजीव पिता बन्नीप्रसाद, विद्या, मुन्नी पुत्री बन्नीप्रसाद साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	58/1	0.130	0.130
		भूमिस्वामी	60	0.800	0.800

40	शाहजाद हुसैन वल्द कल्लूमियां साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	59/1	1.210	2.300
41	फहीनमियां वल्द कल्लूमियां साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	59/2	1.210	
42	घासीराम वल्द वल्देव साकिन देह	भूमिस्वामी	61	1.400	1.400
43	नाथूराम, नारायण पिता हरीराम, कौशाबाई पुत्री हरीराम, तुलसीराम, बलराम, केशव पिता बिहारी, कपूरीबाई, प्रभा पुत्री बिहारी, मोहरबाई वेवा बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	62	0.660	0.660
44	मुमताज बी पति रफीक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	64	0.23	0.230
45	वशीम मिया नाबालिग वल्द वली कल्लूमियां साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	65	0.320	0.320
46	बलराम पिता तुलाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	65/239	0.060	0.060
47	बलराम पिता तुलाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	66	0.800	0.800
48	रोहित पिता कमलेश कुमार जैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	67/1	0.450	0.450
49	तुलाराम वल्द परशोत्तम साहू साकिन देह	भूमिस्वामी	67/2	0.450	
50	मो. जमालउद्दीन वल्द सज्जाद हुसैन साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	69/1	0.620	0.350
51	कमलाबाई वेवा मनमोहन साकिन खाताखंडी	भूमिस्वामी	69/3	0.620	
52	हरलाल, मुन्नालाल, बृजलाल, खेमचंद, मथुराप्रसाद, लक्ष्मण पिता मिहीलाल, प्रेमबाई वेवा मिहीलाल, संतो पुत्री साकिन करैया गूजर	भूमिस्वामी	70/1	0.640	0.300
53	राकेश नाबालिग वल्द तुलसीराम, हेमराज नाबालिग वल्द धनसींग, गोलू नाबालिग वल्द तखतसींग, करनसींग नाबालिग वल्द विजयसींग वली दादा भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	70/2	0.260	
54	खेमचंद पिता प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	71/1	0.430	0.120
55	मुमताज बी पति रफीक साकिन राहतगढ़	भूमिस्वामी	71/2	0.430	
योग:-			82	83.33	80.53

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 61-अ-82-16-17-14662, मौजा बीकोरखुर्द, पट.ह.नं.-29, तहसील राहतगढ़ सागर, दिनांक 27 नवम्बर 2017

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की बीकोरकलां जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बीकोरकलां एवं बीकोरखुर्द की लगभग 170 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | मालथौन |
| 3. ग्राम | : | बीकोरखुर्द |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 29 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 3.94 है. |

:: अनुसूची-1 ::

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			9
1	तिजैया पिता दमरू साकिन दरी	भूमिस्वामी	22	1.570	0.140	
			135	0.020	0.020	
2	सीताराम पिता कुन्जी साकिन दरी	भूमिस्वामी	23	1.190	0.150	
3	भैयालाल पिता सुजान यादव साकिन बीकोरकलां	भूमिस्वामी	140	0.800	0.800	
4	अरजन, हरीराम पिता प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	141/1	0.830	0.830	
5	देवीसिंह पिता गौरीशंकर साकिन सागर	भूमिस्वामी	141/2	0.810	0.200	
6	धरमदास पिता बंदीप्रसाद कलाबाई, जमनाबाई पुत्री बंदीप्रसाद, रामदुलारी वेवा प्रेमदास साकिन देह	भूमिस्वामी	143	2.320	1.620	
7	चाली, शिवराजसींग, हनमतसींग, चंदनसींग, राजेन्द्रसींग पिता रतनसींग, इमरती नाबालिग पुत्री रतनसींग वली भाई चाली, मोहनसींग, अमानसींग पिता हल्के साकिन देह	भूमिस्वामी	144	1.830	0.180	
योग:-			08 किता	9.37	3.94	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य-करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 62-अ-82-16-17-14659 मौजा बीकोरखुर्द, पट.ह.नं.-28, तहसील मालथौन

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है। परियोजना के निर्माण से ग्राम बीकोरकलां की लगभग 170 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | मालथौन |
| 3. ग्राम | : | बीकोरकलां |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 28 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 9.81 है. |

:: अनुसूची-1 ::

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुहागरानी पति महुवा साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	26/8	1.000	1.000	
2	लक्ष्मण पिता मकुन्दे साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	26/11	0.800	0.800	
3	रामाधार पिता रामचरण साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/2	0.800	0.600	
4	सुरेन्द्र कुमार पिता रामकिशन साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/3	0.800	0.800	
5	राजकिशोरदास पिता गोपालदास साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/4	2.000	2.000	
6	करुणा देवी पति राजकिशोर साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/5	2.000	1.400	
7	प्यारेलाल पिता बारसा साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/9	0.500	0.500	

7	प्यारेलाल पिता बारसा साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/9	0.500	0.500
8	ब्रजभान पिता पूरन साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/10	1.200	1.200
9	लोटन पिता भन्ते, मायाबाई पिता भन्ते, सुमन्त्राबाई देवा भन्ते साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/14	0.800	0.600
10	राजकुमार पिता भरोसे साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	29/15	0.800	0.800
11	इन्द्रानी देवा भरोसा, कलू, बालमुकुन्द, धधू, भालू पिता भरोसा, सूमबारी, दुरगाबाई पिता भरोसा साकिन देह	भूमिस्वामी	30	0.700	0.110
योग:-			11	11.4	9.81

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्र. 72-अ-82-16-17-14664 मौजा प.ह.नं.-55, तहसील मालथौन

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की सेवन जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। परियोजना के निर्माण ग्राम सेवन की लगभग 140 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सेवन जलाशय निर्माण कार्य हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : सेवन
 4. पट.ह.नं.- : 55
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 5.93 है.

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मेहरबान पिता पूरन साकिन देह	शासकीय पट्टेदार	182	0.250	0.250	
2	रामेश्वर पिता खिलान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	181	0.260	0.260	
		भूमिस्वामी	187	0.120	0.050	
3	कोमल पिता कुन्दनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	180	0.640	0.640	
4	बाबूलाल पिता पूरनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	185	0.190	0.100	
5	गौरीशंकर पिता शिवप्रसाद, कुसुमबाई पिता शिवप्रसाद, हीरा, रामसिंह पिता खिलान, द्रोपतीबाई, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुन्दा देवा रामेश्वर, हीरा, रामसिंह पिता खिलान, द्रोपतीबाई पुत्री खिलान, मधुरा पिता पूरन, रामाधार, गोविन्द, मुन्शी पिता फुलू, सियाबाई पुत्री फुलू, पूरनसींग, नखीबाई पिता दमरू, वीरन पिता पन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	189	0.370	0.370	
		भूमिस्वामी	190	0.080	0.080	
6	रामसिंह, वीरा पिता खिलान, द्रोपती पुत्री खिलान, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुर्दा देवा रामेश्वर साकिन देह	भूमिस्वामी	191	0.180	0.180	
7	नंदराम, रामसिंह, मनमोहन पिता खिलान सिंह, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुर्दा देवा रामेश्वर साकिन देह	भूमिस्वामी	192	0.100	0.100	
8	राजाराम पिता कुन्दनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	193	0.730	0.730	
		भूमिस्वामी	195/1	0.960	0.960	
9	लक्ष्मन उर्फ लखमीचंद पिता कुन्दनलाल जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	195/2	0.890	0.890	
	नरमोहन पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	188	1.560	1.000	
		भूमिस्वामी	265	0.730	0.320	
	योग:-		14	7.06	5.93	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 73-अ-82-16-17-14660, मौजा नेतना, प.ह.नं.-60, तहसील मालथौन

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की नेतना जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम नेतना की लगभग 210 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | नेतना जलाशय निर्माण कार्य हेतु |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | मालथौन |
| | 3. ग्राम | : | नेतना |
| | 4. पट.ह.नं.- | : | 60 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 28.336 है. |

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	मलखान, रामलाल, जगदीश, देवकीनंदन पिता बुद्धा, फूलाबाई, शीलाबाई पुत्री बुद्धा, उद्दीबाई वेवा बुद्धा साकिन देह	भूमिस्वामी	335	0.810	0.810	
2	राजाराम पिता अधराई साकिन देह	भूमिस्वामी	336/1	0.600	0.600	
		भूमिस्वामी	345/2	0.700	0.700	
		भूमिस्वामी	337/1	0.100	0.100	
3	तुलसीराम पिता अधराई साकिन देह	भूमिस्वामी	336/2	1.560	1.310	
		भूमिस्वामी	332/1	0.020	0.020	
		भूमिस्वामी	337/2	0.100	0.100	
4	पंचू, धनसींग पिता धनुवा, काशीबाई, रामबाई, हीराबाई पुत्री धनुवा, गौरीबाई वेवा धनुवा साकिन देह	भूमिस्वामी	333	1.300	1.300	
		भूमिस्वामी	334	0.040	0.040	
5	दरयावसींग पिता टुण्डेसींग	भूमिस्वामी	338/1	1.640	1.640	

6	अनिल पिता शंकरलाल	भूमिस्वामी	338/2	0.220	0.220
		भूमिस्वामी	344	0.310	0.310
		भूमिस्वामी	343/2	0.100	0.100
7	रामरानी वेवा दरयावसींग, सिन्दूरसींग, कमलसींग वालिग, अमरसींग, अरविन्दसींग नाबालिग पालक पिता दरयावसींग वली माँ रामरानी वेवा दरयावसींग, रामलाल पिता दौलत साकिन देह	भूमिस्वामी	343/1	0.630	0.630
8	अनिल पिता शंकरलाल, पार्वती वेवा शंकरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	345/1	1.200	1.200
		भूमिस्वामी	346	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	347	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	348/1	0.020	0.020
		भूमिस्वामी	415/1	0.080	0.060
9	राममिलन पिता भगवानसींग, सुशीलाबाई वेवा भगवान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	348/2	0.010	0.010
10	कमलनाथ पिता दौलत साकिन देह	भूमिस्वामी	348/3	0.020	0.020
		भूमिस्वामी	332/2	0.030	0.030
11	अनूपा पिता कच्छेदी, पंचू, धनसींग पिता धनुवा, काशीबाई, रामबाई, हीराबाई पुत्री धनुवा, गोरीबाई वेवा धनुवा साकिन देह	भूमिस्वामी	339	0.150	0.150
		भूमिस्वामी	327	0.390	0.390
12	नारायण पिता अधराई साकिन देह	भूमिस्वामी	340	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	345/3	0.960	0.960
13	फूलसींग, शोभाराम, लालसींग, करनसींग पिता गोरा, बड़ीबिन्ना पुत्री गोरा, मझलीबहू वेवा गोरा, भगवानदास, भैयालाल, कैलाश, छोटेभाई पिता भरोसा, बाबूलाल, शोभाराम, बालकदास पिता नन्हा, बड़ीबिन्ना, छोटीबिन्ना पुत्री नन्हा, जालम पिता कलुवा साकिन देह	भूमिस्वामी	330	0.330	0.330
14	माखन पिता बब्बू फूलाबाई, लक्ष्मीबाई, गिरिजाबाई वेवा बब्बू साकिन देह	भूमिस्वामी	329	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	113	0.110	0.110
15	मनोहरलाल पिता गजराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	341	0.410	0.410
16	जाहरसींग, हरीसींग, लक्ष्मनसींग पिता रतन, कस्तूरीबाई, काशीबाई, गोपीबाई, रमकोबाई पुत्री रतन, खिलानसींग, मुन्ना, पंचमसींग वालक हनुमतसींग नाबालिग पिता रामदीन, पार्वतीबाई, हल्कीबाई, प्रेमबाई, गजलीबेन बालिग, नन्दीबेन, हल्कीबेन नाबालिग पिता रामदीन पालक माँ व खुद बड़ीबहू वेवा रामदीन, बारेलाल, बहादुर पिता खलकसींग, खुन्नी मु. बड़ीबहू वेवा खुन्नी साकिन देह	भूमिस्वामी	328	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	112	0.170	0.170
17	विष्णुसींग, वीरसींग, साहबसींग, रामसींग, रामरती, कमलाबाई, इमरतीबाई, अनीता पुत्री वीरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	111/1	0.390	0.390
18	सीताराम पिता बाबूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	111/2	0.760	0.760
19	शिवप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	114/1	0.160	0.160
20	शिवप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	322	1.080	1.080
		भूमिस्वामी	321/1	0.170	0.320
		भूमिस्वामी	321/2	0.180	

21	श्रीताराम पिता मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	114/2	0.180	0.180
		भूमिस्वामी	357/1	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	357/2	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	331/1	0.500	0.500
		भूमिस्वामी	331/2	0.500	0.500
22	नर्मदा प्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	114/3	0.070	0.070
		भूमिस्वामी	114/4	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	323	0.320	0.320
		भूमिस्वामी	326	0.280	0.280
		भूमिस्वामी	119/2	0.230	0.046
23	ईश्वरीप्रसाद पिता रामचरण साकिन देह	भूमिस्वामी	115	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	126	0.150	0.150
24	महेन्द्रसींग, अरविन्द्रसींग, कुसुमबाई, चन्द्राबाई, इन्द्राबाई, राजकुमारी पिता प्रतापसींग, सुमंत्राबाई वेवा प्रतापसींग, मुन्नीबाई वेवा देशराज, धरमसींग, अजयसींग पिता देशराजसींग, दीपशिखा, दीक्षा पिता देवीसींग, सुषमाबाई वेवा देवेन्द्र सींग	भूमिस्वामी	116/1	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	128/1	0.090	0.090
25	बहादुरसींग पिता गनपत, शांतिबाई पिता गनपत, बारीबहू वेवा मंगलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	116/2	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	128/2	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	320	0.620	0.050
26	देवी, निरनसींग, चन्द्रभान, रोशन पिता बालेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	325	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	117	0.790	0.790
		भूमिस्वामी	130	0.950	0.950
27	दिनेश, राजकुमार, जागेश्वर, चन्दाबाई, सरोजबाई पिता मुलू, रामकली वेवा मुलू साकिन देह	भूमिस्वामी	118	0.380	0.380
28	निरनसींग पिता बालेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	127	0.160	0.160
29	कौसाबाई वेवा हीरालाल, नारानसींग पिता अधराई साकिन देह	भूमिस्वामी	129	0.190	0.190
		भूमिस्वामी	417	1.470	0.080
30	मंदिर श्री श्री 108 श्री देव रामचंद्रजी हाजा मुह. महेन्द्र सिंह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	123	0.230	0.230
31	शिवकेश पिता प्रेमनारायन साकिन देह	भूमिस्वामी	122	0.390	0.390
32	मिहीलाल पिता बिरजू साकिन देह	भूमिस्वामी	355	0.310	0.310
		भूमिस्वामी	121	0.170	0.170
		भूमिस्वामी	358	0.670	0.350
		भूमिस्वामी	124	0.620	0.620
		भूमिस्वामी	120/1	0.240	0.240
		भूमिस्वामी	120/2	0.200	0.200
33	रघुनाथ पिता अधराई साकिन देह रघुनाथ	भूमिस्वामी	354	0.520	0.520
		भूमिस्वामी	354/4	0.350	0.350
		भूमिस्वामी	415/5	0.070	0.050

34	फुलू नाबालिग पिता पालक रामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	350	0.570	0.570
35	निरपत्त पिता फुलू, कोमल, घसीटी पुत्री फुलू साकिन देह	भूमिस्वामी	351	0.300	0.300
36	राकेश पिता मिहीलाल	भूमिस्वामी	131	0.150	0.130
37	गनेशसींग पिता रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	352	0.270	0.230
38	करुणेश पति राधेश्याम साकिन देह	भूमिस्वामी	136/1	0.980	0.160
39	लछुवा पिता प्यारेलाल, रामेश्वर, जगदीश माधव पिता पूरन, सविताबाई पुत्री पूरन, शातिबाई देवा पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	353	0.710	0.210
40	विश्वनाथ पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	342/2	0.210	0.210
		भूमिस्वामी	356/2	0.160	0.160
41	अशोक पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	342/3	0.210	0.210
		भूमिस्वामी	356/3	0.160	0.160
42	ग्याप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	331/3	0.300	0.300
43	रामदेवी पति सुखसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	338/3	0.400	0.400
44	जाहरसींग, हरिसींग, लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग, काशीबाई, कस्तूरीबाई, गोपीबाई, रमकोबाई पुत्री रतनसींग, नन्हीबहू देवा रतनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	125	0.210	0.210
45	जाहरसींग, हरीसींग, लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग, सुक्कोबाई देवा रतनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	324	0.260	0.260
46	कडोरी पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	342/1	0.210	0.210
		भूमिस्वामी	356/1	0.160	0.160
47	रामसेवक पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	415/2	0.050	0.050
48	प्रभूदयाल पिता रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	415/3	0.050	0.050
49	भगताराम, इश्वरदीन, विश्वनाथ, राजेश पिता जमना प्रसाद, मझलीबहू उर्फ शीलाबाई देवा जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	415/4	0.050	0.050
योग:-			89	32.500	28.336

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 20-अ-82-16-17-15086 मौजा हफसिली, प.ह.नं.-48, तहसील सागर

सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : कड़ान मध्यम परियोजना
 (2) भूमि का विवरण जिला : सागर
 1. तहसील : सागर
 2. ग्राम : हफसिली
 3. पट.ह.नं.- : 48
 4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 28.12 है.

:: अनुसूची-1 ::

क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता-पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सीताराम पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	2/1	0.21	0.21	
2	राजेश पिता सीताराम	भूमिस्वामी	2/2 12/4	0.40 0.10	0.40 0.10	
3	रेवती पत्नि रामेश्वर प्रसाद	भूमिस्वामी	3	1.13	1.13	
4	राधेश्याम पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	4 10/1	0.45 0.06	0.45 0.06	
5	शेरसिंह बल्द कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	5/1	0.52	0.52	
6	शिबू शेरसिंह पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	5/2	0.20	0.20	
7	मुन्नालाल,राजेन्द्र बा.तोताराम,हल्केभाई ना.बा.पिता बद्दीप्रसाद पा.मा.खुद गुलाबबाई बेबा बद्दीप्रसाद	भूमिस्वामी	5/3	0.2	0.2	
8	रामेश्वर, शेरसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	5/4	0.35	0.35	
9	राजेश, सुरेश, रामस्वरूप पिता सीताराम	भूमिस्वामी	5/5	0.1	0.1	
10	अजुददी बल्द प्यारेलाल	भूमिस्वामी	5/6	0.68	0.68	

		भूमिस्वामी	8/1	0.87	0.87	
11	दिनेश कुमार अजुददी	भूमिस्वामी	5/7	0.32	0.32	
			12/1	0.5	0.5	
12	राजकुमार बल्द रामजी	भूमिस्वामी	5/8	0.05	0.05	
13	शिबू रामेश्वर, रामजी, ठाकुरदास, भगवानदास, शेरसींग, आशाराम पिता कन्हैयालाल, मुन्ना, राजेन्द्र, तोताराम, हल्केभाई, पिता बद्रीप्रसाद सा. उहे भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा बद्रीप्रसाद दिवारी हल्की पुत्री बद्रीप्रसाद सपना अरचो नीतू नावा. पुत्री हरीदास पालक मां व खुद चितोरा बारी बेबा हरीदास अभय नावा. पिता रामस्वरूप निकीता मुन्नी नावा. पुत्री रामस्वरूप पालक मां व खुद कमलेशरानी बेबा रामस्वरूप, शांतिबाई बेबा कन्हैयालाल, मालती पुत्री कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	6	0.4	0.4	
14	दिनेश कुमार अजुददी, अजुददी बल्द प्यारेलाल	भूमिस्वामी	6/181	0.31	0.31	
15	टीकाराम, रामकिशन, मनमोहन, हल्केबाबू, सुनील, धनप्रसाद, राजा पिता परषोत्तम, सीमाबाई, पूनाबाई पुत्री परषोत्तम	भूमिस्वामी	7	0.4	0.4	
			12/182	0.44	0.44	
16	पदम पिता कपूरचंद जैन	भूमिस्वामी	8/2	0.32	0.32	
			8/3	0.36	0.36	
			9	0.1	0.1	
			10/3	0.21	0.21	
			11/2	0.01	0.01	
17	जाहरसिंह पिता शिवराजसिंह	भूमिस्वामी	10/2	0.08	0.08	
			12/2	0.21	0.21	
18	प्रेमबाई जोजे भगवानदास	भूमिस्वामी	11/1	0.25	0.25	
			12/3	0.01	0.01	
19	मंजूलता पत्नि विमलकुमार, आशीष पिता विमलकुमार	भूमिस्वामी	14/1	2.63	2.63	
20	ओमप्रकाश, राजेश, प्रकाश पिता हरीशचंद	भूमिस्वामी	14/2	0.20	0.20	
21	अवधेश कुमार पिता सत्यानंद	भूमिस्वामी	15	0.97	0.60	
22	विमल कुमार पिता मुलायमचंद	भूमिस्वामी	21	2.84	0.05	
23	बृजराज पिता दयाशंकर यादव	भूमिस्वामी	22/1	0.20	0.20	
24	महेश, अशोक, सुदामा पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	22/2	0.20	0.20	
25	बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक	भूमिस्वामी	22/3	1.24	0.64	
26	बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक	भूमिस्वामी	23/2	0.26	0.03	
			28/3	0.07	0.04	
			29/3	0.13	0.13	
27	हंसराज भाई पिता भाणजी भाई पटैल	भूमिस्वामी	27/1	0.21	0.12	
			27/2	0.22	0.14	
			28/2	0.36	0.29	
			29/2	0.32	0.32	
			32/1	0.32	0.32	
			32/3	0.17	0.17	
			33/1	0.19	0.19	
			33/4	0.21	0.21	
			34/1	0.14	0.14	
28	रावरानी बेबा ठाकुरदास, महेश, अशोक सुदामा	भूमिस्वामी	28/1	0.03	0.03	

	पिता ठाकुरदास रामवती पुत्री ठाकुरदास	भूमिस्वामी	29/1	0.47	0.47
			30	0.78	0.78
29	कडोरीलाल पिता मौजीलाल	भूमिस्वामी	31/1	0.31	0.31
30	तनुजा पत्नि आनंदकुमार	भूमिस्वामी	31/2	0.49	0.49
31	लक्ष्मी पत्नि मनोहरलाल	भूमिस्वामी	32/2	0.10	0.10
			33/2	0.14	0.14
32	रमाकांत पिता कुंजबिहारी	भूमिस्वामी	33/3	0.37	0.37
33	जीवनलाल, राजू पिस.परताप, रामकली देवी, मीना, पुत्रियाँ परताप, सुहारानी बेबा परताप	भूमिस्वामी	35	1.78	1.44
34	हरिराम प्रेमनारायण पिता मनमोहन	भूमिस्वामी	36	1.49	1.40
35	राकेश पिता नवलकिशोर पटैल	भूमिस्वामी	40	1.3	0.02
36	महेश कुमार अशोक कुमार पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	43	1.3	0.18
37	बलराम पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	44	0.33	0.04
38	सुभाष पिता रामचरण	भूमिस्वामी	46	1.61	0.03
39	कन्हैयालाल पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	50	5.53	3.22
			52	1.4	1.4
40	सुहागरानी पति कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	53	5.53	1.3
41	कांशीराम, महेन्द्र पिस.चंदनसींग कुसुम क्रांति पुत्रियां चंदनसींग	भूमिस्वामी	58/1	1.75	0.2
42	खेमाबाई बेबा कुंदनलाल, गोपालप्रसाद, जयराम, राजेन्द्र प्रसाद पिता कुंदनलाल, द्रोपती, पार्वती, मालती, प्रेमबाई, भगवती पुत्री कुंदनलाल	भूमिस्वामी	58/2	1.35	0.1
			61/2	0.4	0.02
43	नवलकिशोर, बैजनाथ, हरप्रसाद, पुरुषोत्तम, प्रीतम, प्रेमनारायण पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	61/3	2.23	0.09
44	नंदकिशोर पिता मनसुख बगैरह	भूमिस्वामी	61/4	0.56	0.03
45	लक्ष्मन बैजनाथ पिता मुन्नालाल, राधा, शीला, सुशीला, गायत्री, उत्तरा पुत्री मुन्नालाल, खेतसींग, नैमसींग, इमरतसींग शिवदयाल, लखन पिता दमरू, पार्वतीबाई, सियाबाई, लक्ष्मीबाई, भागबाई पुत्री दमरू, कुंदन, शिवचरण, जगन्नाथ पिता खिलान, केशनबाई, ललिताबाई, लीलाबाई, पुत्री खिलान	भूमिस्वामी	64	0.63	0.03
46	रघुवर बलद पंचे	भूमिस्वामी	65	0.48	0.07
	योग-	46 किता	50.48	28.12	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य

में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम, की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 21-अ-82-16-17-15087 ग्राम सिलेरा, प.ह.नं.-48, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. हैं। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | कड़ान मध्यम परियोजना |
| (2) | भूमि का विवरण जिला | : | सागर |
| | 1. तहसील | : | सागर |
| | 2. ग्राम | : | सिलेरा |
| | 3. पट.ह.नं.- | : | 48 |
| | 4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 13.26 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मुलु, शंकर पिता लछमनिया गनेशीबाई, रम्मोबाई, नन्नीबाई पुत्री लछमनिया वसियावारी भूमि स्वामी उर्फ कौसाबाई बेबा लछमनिया हुकम हरीशचंद्र रूपसींग, जीवन, नंदराम बल्द भगोली, बेटी बाई, हल्ली, गंगा पुत्री भगोली महरानी बेबा भगोली पता सा. देह भूमि स्वामी रामवती सीमा उर्मिला त्रिवेदी खुशबू पुत्री नरान कमलरानी बेबा नरान निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	1.91	0.10	
2	मीरा पत्नि अरुण कुमार	भूमिस्वामी	78/1	1.20	1.20	
3	चंदन पिता रामकुमार	भूमिस्वामी	78/2	1.25	1.25	
4	बद्रीप्रसाद पिता उदयचंद्र	भूमिस्वामी	72/1	1.13	0.72	
5	माखनलाल,हरीलाल,प्रकाश, माधव,राजा पिता शंरसींग, मीना पुत्री शंकरसींग,पार्वतीबाई बेबा	भूमिस्वामी	73	2.69	0.69	

	शंकरसींग				
6	हरीराम कुंवरसींग पिता हजारी, ताराबाई, नरबदबाई गोपीबाई उर्फ कृष्णारानी पुत्री हजारी	भूमिस्वामी	74	2.55	0.62
7	भगवानदास पिता चतरा	भूमिस्वामी	75	1.60	1.60
8	हरिराम, कुंवरसींग पिता हजारी	भूमिस्वामी	76	1.96	1.96
			80	0.92	0.87
9	गौ सेवा संघ, सागर	भूमिस्वामी	82	9.10	0.80
10	बाबूस लाम अफसर पिता गफूर	भूमिस्वामी	79	1.22	0.45
11	शिवराज, गजराज, जुगलकिशोर, मनोहर पिता गोपीलाल, कमलाबाई पुत्री गोपीलाल, शारदाबाई बेबा गोपीलाल	भूमिस्वामी	117	0.49	0.18
12	यूनिस पिता सिराज पता सा. भगतसिंह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	118	0.20	0.20
13	मुकेश, नारान बल्द रामकिशन शीलरानी बेबा रामकिशन	भूमिस्वामी	119	0.08	0.08
			121	0.37	0.37
14	छोटेलाल पिता सूरतसींग	भूमिस्वामी	120	1.08	0.37
15	गंगाराम, बबलू, हेमराज बल्द प्रताप, शकुनबाई गुडडी पुत्री प्रताप	भूमिस्वामी	122/1	1.14	0.60
16	बद्रीप्रसाद, बबलू रामदास पिता कुंदनलाल आशाबाई, द्रोपतीबाई मालतीबाई पुत्री कुंदनलाल	भूमिस्वामी	122/2	1.14	0.60
17	मनोज, केशव सतीष कपिल उर्फ छोटू, पिस शालकराम मीना सीमा पुत्रियों शालकराम आशा बेबा शालकराम बाबूलाल लल्लू पिता रतनसींग उमेश गोलू नाबा. पिता राजाराम पा.मों व खुद मझलीबहू बेबा राजाराम भूमिस्वामी मुन्नी सुमित्रा जिनतो पुत्री रतन	भूमिस्वामी	122/5	1.20	0.60
	योग-		17किता	31.23	13.26

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 22-अ-82-16-17-15088 मौजा बेरखेरी खुर्द, प.ह.नं.-48, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जर्णिय सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | कड़ान मध्यम परियोजना |
| (2) | भूमि का विवरण जिला | : | सागर |
| | 1. तहसील | : | सागर |
| | 2. ग्राम | : | बेरखेरी खुर्द |
| | 3. पट.ह.नं.- | : | 48 |
| | 4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 7.34 है. |

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कमल कुमार बल्द सुंदरलाल जैन	भूमिस्वामी	60/2	0.34	0.15	
2	दिनेश पिता मदनलाल पटेल	भूमिस्वामी	61/1	0.23	0.10	
3	कुन्दनलाल पिता पूरनलाल	भूमिस्वामी	61/2	0.10	0.08	
4	शैलेश कुमार पिता रामशंकर	भूमिस्वामी	62	0.85	0.76	
5	गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुंशीलाल, मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा.परसराम पिता मूलचंद, लीलाबाई, मीनाबाई, बतीबाई, ममताबाई, गुडडी पुत्री मूलचंद	भूमिस्वामी	63	0.10	0.04	
6	मन्नू पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	64	0.08	0.06	
7	राजू पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	65	0.08	0.06	
8	कोसाबाई, बडीबाई पुत्री गोवर्धन सेवक	भूमिस्वामी	67	0.36	0.35	

	झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन, रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्दावन गाम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप				
9	अंजू पत्नि सुनील कुमार	भूमिस्वामी	68 74	0.23 0.39	0.23 0.39
10	पार्वती पुत्री हरीराम	भूमिस्वामी	69	0.08	0.08
11	माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग	भूमिस्वामी	70	0.08	0.08
12	मु. शरीफ मु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद	भूमिस्वामी	77	0.12	0.03
13	मु.रईस पिता मु. शरीफ	भूमिस्वामी	78/1	0.01	0.01
14	मु.रईस पिता मु. शरीफ मु.शरीफ मु. इसलाम बल्द ताज मुहम्मद	भूमिस्वामी	78/2	0.09	0.03
15	लक्ष्मीनारायण, मदन पिता हल्के	भूमिस्वामी	81/1	0.25	0.25
16	अतुल कुमार पिता मुन्नालाल	भूमिस्वामी	81/2	0.1	0.1
17	श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	82	0.44	0.44
18	अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थूसिंह	भूमिस्वामी	83	0.73	0.73
			85	0.2	0.2
			79/1	0.10	0.07
19	तुलसीराम, श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेभाई	भूमिस्वामी	84	1.62	1.62
20	जितेन्द्र बा. महेश, राजकुमारी, मालती ना. बा.पिता प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू	भूमिस्वामी	86	0.72	0.72
			78/3	0.01	0.01
21	गंगाराम पिता प्रताप यादव	भूमिस्वामी	87	0.73	0.73
22	धनीराम पिता मोहनसींग घोषी	भूमिस्वामी	79/2	0.02	0.02
Total			22 किता	8.06	7.34

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 का उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 24-अ-82-17-18 मौजा ग्राम इकवना बसौना, प.ह.नं.-27, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2)	भूमि का विवरण जिला	:	सागर
	1. तहसील	:	सागर
	2. ग्राम	:	इकवना बसौना
	3. पट.ह.नं.-	:	27
	4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	128.64 है.

:: अनुसूची-1 ::

क्र०	नाम भूमि स्वामी/पिता-पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	हरीराम पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	348	1.12	0.65	
		भूमिस्वामी	347/1	0.60	0.57	
		भूमिस्वामी	756/2	0.25	0.25	
		भूमिस्वामी	757/1	0.38	0.38	
2	मोती जलयराम पिता कुन्जी	भूमिस्वामी	349	0.80	0.54	
3	गोविन्द बल्द प्रेमनारायण रामप्रकाश, लखन नीलेश, मनोज, रामाधर पिता गोविन्द, सुलेखा पिता गोविन्द, राधारानी बेबा गोविन्द, राहुल पिता जगदीश, गुडिया पिता जगदीश मुजुलता बेबा जगदीश	भूमिस्वामी	361	1.83	0.09	
4	शीला पति नारायण सिंह	भूमिस्वामी	362	1.40	0.19	
5	भरत पिता नारानसिंग	भूमिस्वामी	364	0.29	0.28	
6	नारान बल्द परमानंद	भूमिस्वामी	365	0.22	0.15	
		भूमिस्वामी	366	0.22	0.10	

7	रविकान्त बल्द हरीराम	भूमिस्वामी	377	0.28	0.25
		भूमिस्वामी	378	0.29	0.09
8	लखनलाल पिता गोविन्दी प्रसाद	भूमिस्वामी	470	1.14	0.53
		भूमिस्वामी	832	0.60	0.07
9	रामप्रकाश वल्द गोविन्द प्रसाद	भूमिस्वामी	471	1.10	1.09
10	मनोज कुमार वल्द गोविन्द प्रसाद	भूमिस्वामी	472	1.10	0.65
		भूमिस्वामी	849	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	862	0.60	0.60
11	रामाधार वल्द गोविन्द प्रसाद	भूमिस्वामी	474	1.10	0.19
12	बृजेशकुमार वल्द गोविन्द प्रसाद	भूमिस्वामी	475	1.10	0.53
13	श्रीदवे गोरीशंकर मंदिर, कमेटी अध्यक्ष राजाराम पिता शिवहरि, बलराम पिता रामचरन सोहन पिता मनसुख, दामोदर पिता रामलाल, मूरत पिता छोटेलाल, वीरसींग पिता चेतू सा.देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पुजारी चंद्रभान पिता रमेश	भूमिस्वामी	480	0.26	0.26
		भूमिस्वामी	700	1.27	1.00
		भूमिस्वामी	702	0.50	0.50
14	चुन्नीलाल पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	481	0.37	0.25
		भूमिस्वामी	482	0.54	0.54
		भूमिस्वामी	719	1.56	1.56
		भूमिस्वामी	629/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	630/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	708/2	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	710/2	0.40	0.40
15	रामलाल वल्द चेतु	भूमिस्वामी	614	0.72	0.62
		भूमिस्वामी	784	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	813	0.42	0.42
16	मोहन पिता वीरन	भूमिस्वामी	615	0.8	0.8
16	भीकम बल्द प्रभू	भूमिस्वामी	616	0.80	0.80
18	माखन, गंधर्व पिता खेतसींग गुलाबबाई, गुड्डीबाई पुत्री खेतसींग	भूमिस्वामी	624	0.85	0.35
19	कैलाश बल्द बाबूलाल वलि माँ इन्द्ररानी बेबा बाबूलाल	भूमिस्वामी	625	0.80	0.80
20	सुखलाल बल्द भैयालाल	भूमिस्वामी	626	0.60	0.02
21	भगवती पति महाराज सिंह	भूमिस्वामी	627	0.23	0.05
22	महाराज वल्द चैनसींग	भूमिस्वामी	631	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	632	1.07	1.07
23	मंसाराम, गोपाल, शालकराम, रामविशाल पिता भावसींग राधारानी बेबा भावसींग	भूमिस्वामी	633	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	638	0.06	0.06
24	गोपाल पिता भावसींग	भूमिस्वामी	634	0.4	0.055
25	शालिगराम पिता भावसींग	भूमिस्वामी	635	0.28	0.084
		भूमिस्वामी	636	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	640	0.30	0.11
26	अमर, माखन, सद्ददोवती, श्यानी पिता उमेद, गुलाबबाई, बेबा उमेद	भूमिस्वामी	693	0.62	0.62
27	बृजकिशोर पिता भवानी प्रसाद	भूमिस्वामी	694	0.40	0.40
28	भगवानसिंह, रूपसिंह वल्द मोहन, जयराम, माखनसिंह, ना.वा. वल्द वलि. गजराजसिंह	भूमिस्वामी	695	1.15	0.58
		भूमिस्वामी	698/3	0.50	0.05
29	प्रकश वल्द रघुवीर सिंह	भूमिस्वामी	701	0.40	0.40
30	मंसाराम पिता भावसींग	भूमिस्वामी	705	1.21	1.06
31	गोरेलाल पिता रामलाल	भूमिस्वामी	707	0.80	0.80

32	नल्लू वल्द फलादी	भूमिस्वामी	709	1.98	1.98
33	रामसहाय पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	712	2.00	2.00
		भूमिस्वामी	754	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	755	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	792	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	711/2	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	790/2	0.20	0.20
34	रामप्रसाद पिता अजुष्टी वृजरानी पति रामप्रसाद	भूमिस्वामी	713	0.83	0.83
		भूमिस्वामी	714	0.25	0.25
		भूमिस्वामी	715	0.83	0.83
		भूमिस्वामी	716	0.78	0.78
		भूमिस्वामी	717	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	718	0.65	0.65
		भूमिस्वामी	774	0.28	0.28
35	रामाधार वल्द गंगाराम	भूमिस्वामी	720	1.21	1.21
36	राजकुमार बल्द प्रतापसिंह	भूमिस्वामी	721	1.74	1.74
		भूमिस्वामी	802	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	803	0.60	0.60
37	प्रभु प्यारेलाल अमरसींग, बालचंद, धनसींग पिता मजबूत सींग, चंदा सिया, कुसुम पुत्री मजबूतसींग	भूमिस्वामी	703/1	0.81	0.81
		भूमिस्वामी	704/1	0.35	0.32
		भूमिस्वामी	722	2.37	2.37
		भूमिस्वामी	745	0.80	0.80
38	वीरसिंह वल्द रामसिंह	भूमिस्वामी	723	0.91	0.91
		भूमिस्वामी	725	0.61	0.61
39	हरगोविन्द वल्द छोटेलाल	भूमिस्वामी	724	1.21	1.21
40	वीरसिंह पिता रामसिंह राजरानी बेबा रामसिंह	भूमिस्वामी	726	0.62	0.62
		भूमिस्वामी	731	0.50	0.50
41	दुर्जन वल्द मुल्लू	भूमिस्वामी	727	0.40	0.40
42	घसीटीबाई वेवा बल्ले	भूमिस्वामी	730	0.40	0.142
43	भागीरथ वल्द रामलाल	भूमिस्वामी	732	0.58	0.17
44	दरऊ वल्द लज्जू	भूमिस्वामी	733	0.60	0.37
45	हुकुम वल्द लक्ष्मी	भूमिस्वामी	734	1.00	1.00
46	मकुन्दी वल्द हीरालाल	भूमिस्वामी	735	0.60	0.60
47	गोरेलाल पिता भागीरथ	भूमिस्वामी	736	0.80	0.80
48	फुल्लू वल्द नंनाई	भूमिस्वामी	737	0.78	0.78
49	शालकराम वल्द वलि रामदीन	भूमिस्वामी	738	0.20	0.20
50	त्रिवेणी वल्द रामसिंह	भूमिस्वामी	739	0.60	0.60
51	मोहन, रामकिशोर पिता दौलतवली मां संतोषरानी वेवा दौलत	भूमिस्वामी	740	0.60	0.60
52	काशीराम सविता पि.गनेश मुन्नीबाई बेवा गनेश	भूमिस्वामी	741	0.44	0.44
53	हीराबाई पत्नि नंनाई	भूमिस्वामी	742	0.65	0.65
54	शालकराम पिता नंनाई	भूमिस्वामी	743	0.77	0.77
55	हरगोविन्द वल्द छोटेलाल	भूमिस्वामी	744	0.82	0.82
56	प्यारेलाल वल्द मजबूत सिंह	भूमिस्वामी	746	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	747	0.80	0.80
57	रामविशाल पिता शिवहरी	भूमिस्वामी	750	0.60	0.60

		भूमिस्वामी	764	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	765	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	845	0.40	0.40
58	मोहनबाई पत्नि कुन्दन	भूमिस्वामी	751	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	753	0.60	0.60
59	शांतिबाई पत्नि कुन्दन	भूमिस्वामी	752	0.60	0.60
60	गोदन पिता चैनसींग	भूमिस्वामी	758	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	759	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	787	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	710/1	0.66	0.66
		भूमिस्वामी	711/3	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	756/1	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	780/2	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	782/2	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	783/1	0.70	0.70
		भूमिस्वामी	783/2	0.90	0.90
61	हीराबाई पति परषोत्तम	भूमिस्वामी	760	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	766	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	768	0.60	0.60
62	आशाबाई पत्नि द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	761	0.60	0.60
63	हरप्रसाद वल्द हल्कू	भूमिस्वामी	762	0.60	0.60
64	दामोदर वल्द रामप्रसाद	भूमिस्वामी	763	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	769	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	757/2	0.22	0.22
65	परषोत्तम पि. घूमन सींग	भूमिस्वामी	767	0.38	0.38
66	सुशील कुमार वल्द कमलाप्रसाद	भूमिस्वामी	770	1.20	1.20
67	अमान वा. हीरालाल, भगोनी, गनेश, ना.वा. पिता कच्छेदी वलि पानबाइ पुत्री हीराबाई	भूमिस्वामी	771	0.8	0.80
68	रगवर रमेश पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	772	0.60	0.60
69	मुह. सादिक रहीस, खान पिता खुर्शीद	भूमिस्वामी	773	0.80	0.80
70	छोटेलाल पिता शिवप्रसाद	भूमिस्वामी	775	0.80	0.80
71	कीरत वल्द भूरे	भूमिस्वामी	776	0.80	0.80
		भूमिस्वामी	796/2	0.30	0.30
72	दुरई वल्द मंगल	भूमिस्वामी	777	0.80	0.80
73	कुन्दन वल्द बुद्धे	भूमिस्वामी	778	0.80	0.80
74	सुहागरानी वेवा चेतु	भूमिस्वामी	781	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	780/1	1.00	1.00
75	रधुवीर वल्द चेतु	भूमिस्वामी	786	0.60	0.60
76	सुमेरसिंह वल्द चेतु	भूमिस्वामी	788	0.60	0.60
77	काशीराम वल्द चेतु	भूमिस्वामी	789	0.60	0.60
78	कल्याण पिता मंगलसींग	भूमिस्वामी	791	0.60	0.60
79	मुल्ला उर्फ मूलचंद वल्द भैयालाल	भूमिस्वामी	793	1.20	1.20
80	रमेश कुमार वल्द प्रेमनारायण	भूमिस्वामी	794	0.60	0.60
81	बेनीबाई पति भगतसींग	भूमिस्वामी	795	0.6	0.60
		भूमिस्वामी	801	0.60	0.60
		भूमिस्वामी	796/1	0.30	0.30
82	पल्दू भूपत पिता छोटेलाल	भूमिस्वामी	797	0.60	0.60
83	काशीराम पिता शिवचरण	भूमिस्वामी	798	0.60	0.60
84	रामपाल वालक श्याम नावा. वल्द भगतसींग, वलि	भूमिस्वामी	799	0.60	0.60

	वेनीबाई वेवा, भगतसिंह,	भूमिस्वामी	800	0.50	0.50	
85	गीताबाई पति हरिशंकर	भूमिस्वामी	804	0.60	0.60	
86	दामोदर वल्द रामलाल	भूमिस्वामी	805	0.60	0.60	
87	बिहारी वल्द रज्जू	भूमिस्वामी	806	0.60	0.60	
		भूमिस्वामी	807	0.6	0.60	
88	शिवलाल बल्द गनेश	भूमिस्वामी	808	0.6	0.60	
89	उमरानी / वीरसींग	भूमिस्वामी	809	0.60	0.60	
90	गोविन्द वल्द दामोदर	भूमिस्वामी	811	0.80	0.80	
91	पंकोणी वल्द मद्दू	भूमिस्वामी	812	0.81	0.81	
92	हीरा वल्द सेतु	भूमिस्वामी	814	0.81	0.81	
93	कलू पिता नन्हाई	भूमिस्वामी	815	0.81	0.81	
94	गुमान वल्द गोदन	भूमिस्वामी	816	0.81	0.81	
95	लक्ष्मी वेवा प्यारा, कमलेश पिता प्यारा, शुभम, सोनम, दीपक, नावा. पिता वीरन वलिमाँ कौशल्या बेवा वीरन	भूमिस्वामी	818	0.81	0.81	
96	राजाराम पिता शिवहरि	भूमिस्वामी	819	0.60	0.60	
		भूमिस्वामी	822	0.60	0.60	
		भूमिस्वामी	823	0.60	0.60	
97	कृष्णकांत वल्द शिवहरी	भूमिस्वामी	820	0.40	0.40	
98	शुभम पिता संतोष	भूमिस्वामी	821	0.80	0.80	
		भूमिस्वामी	827	0.60	0.60	
99	राजाराम पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	824	0.60	0.60	
100	नवल किशोर पिता शिवहरि	भूमिस्वामी	825	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	630/1	0.76	0.76	
101	राजकुमार वल्द रामप्रसाद	भूमिस्वामी	826	0.60	0.60	
102	इमरत वल्द चेतु सौर	भूमिस्वामी	836	0.40	0.40	
103	कमला बाई पिता घूमन सौर	भूमिस्वामी	837	0.40	0.40	
104	जगदीश प्रसाद बल्द दामोदर	भूमिस्वामी	839	0.31	0.17	
105	शालकराम, नेतराम, महेश, नंदे पिता रामदीन	भूमिस्वामी	842	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	841/2	1.87	1.5	
106	सोमनाथ वल्द राजाराम	भूमिस्वामी	844	1.61	1.61	
107	भगोनी वल्द उमराव	भूमिस्वामी	846	0.40	0.40	
108	कनई वल्द रघुवीर	भूमिस्वामी	847	0.40	0.40	
109	गोपाल वल्द शिवचरन	भूमिस्वामी	848	0.40	0.40	
110	हुकुम वल्द शिवचरन	भूमिस्वामी	851	0.40	0.40	
111	देवीसींग वल्द रघुवीर	भूमिस्वामी	852	0.40	0.40	
112	विजय कुमार पिता शिवचरण	भूमिस्वामी	853	0.60	0.60	
		भूमिस्वामी	854	0.35	0.35	
113	महेशकुमार बल्द कमलाप्रसाद	भूमिस्वामी	457/3	2.60	0.80	
114	दिनेश कुमार बल्द कमलाप्रसाद	भूमिस्वामी	469/1	0.55	0.55	
115	राजेश कुमार बल्द कमलाप्रसाद	भूमिस्वामी	469/2	0.55	0.55	
116	काशीराम सविता पिता गनेश मुन्नीबाई बेवा गनेश	भूमिस्वामी	628/1	0.02	0.02	
117	सुखवती पति हरीराम	भूमिस्वामी	628/2	0.40	0.25	
118	अनिता पति राजाराम	भूमिस्वामी	629/1	0.76	0.54	
119	प्रहलादसींग पिता गोमनसींग	भूमिस्वामी	639/2	0.80	0.65	
120	भगोली पिता पिरु	भूमिस्वामी	652/1	1.18	0.48	
121	जगन पिता हल्कू	भूमिस्वामी	652/2	0.07	0.07	
122	घसीटीबाई वेवा बल्ले कुंवर बाई ना.बा.पुत्री बल्ले बलि घसीटी	भूमिस्वामी	683/1	0.80	0.504	

123	बसंता वल्द मुलू	भूमिस्वामी	684/1	0.87	0.8	
124	नंदलाल पिता मिठई	भूमिस्वामी	684/2	0.40	0.40	
125	बेनीबाई पत्नि मोहन	भूमिस्वामी	684/3	0.47	0.47	
126	जयराम बल्द बसंत	भूमिस्वामी	692/1	0.17	0.17	
127	लटोरी पिता मिठई	भूमिस्वामी	692/2	0.48	0.27	
128	वीरेन्द्र वल्द हरप्रसाद	भूमिस्वामी	696/1	0.44	0.35	
129	जगन पिता हल्कू	भूमिस्वामी	699/2	1.11	1.00	
130	राहुल पिता राजकुमार	भूमिस्वामी	703/2	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	704/2	0.80	0.80	
131	लक्ष्मीरानी / राजकुमार	भूमिस्वामी	706/1	0.39	0.39	
132	मानसींग ना.वा. राजकुमार	भूमिस्वामी	706/2	0.80	0.8	
133	रामप्रसाद बल्द अजुद्धीलाल	भूमिस्वामी	708/1	1.03	1.03	
134	विजय सींग पिता गोदन सींग	भूमिस्वामी	710/3	0.80	0.80	
135	शीलरानी पति चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	711/1	0.4	0.4	
136	दलू पिता मिठई	भूमिस्वामी	728/1	0.50	0.50	
137	पंचे पिता मिठई	भूमिस्वामी	728/2	0.10	0.10	
		भूमिस्वामी	729/2	0.40	0.40	
138	अमर माखन सद्ददोवती श्यानी पि. उमेद गुलाबबाई, बेवा उमेद	भूमिस्वामी	729/1	0.40	0.40	
139	हीरालाल वल्द चेतु	भूमिस्वामी	749/1	0.20	0.20	
140	कुजीलाल पिता चेतु	भूमिस्वामी	749/2	0.40	0.40	
141	गुलाबसींग पिता वीरसींग	भूमिस्वामी	779/1	0.68	0.68	
142	चंदाबाई पत्नि काशीराम	भूमिस्वामी	779/2	0.12	0.12	
		भूमिस्वामी	782/1	0.68	0.68	
143	गुलाबसींग पिता वीरसींग	भूमिस्वामी	783/3	0.12	0.12	
144	खेमाबाई पत्नि जगतसिंह	भूमिस्वामी	790/1	0.40	0.40	
145	फूलबाई पत्नि ज्ञानी	भूमिस्वामी	817/1	0.01	0.01	
146	शांतिबाई पुत्री ज्ञानी	भूमिस्वामी	817/2	0.80	0.80	
147	जगदीश प्रसाद बल्द दामोदर	भूमिस्वामी	840/1	0.17	0.01	
		भूमिस्वामी	840/2	0.17	0.15	
148	शेवलाल पिता गनेश	भूमिस्वामी	841/1	1.88	0.45	
149	रघुवर पिता चेतु	भूमिस्वामी	855/1	0.18	0.18	
150	राहुल पिता जगदीश गुडिया पुत्री जगदीश मन्जूलता बेबा जगदीश	भूमिस्वामी	855/2	0.17	0.17	
151	चिंतामन, डेलन, सुखराम पिता जबार, मोहन पिता रूपे, सिरदारबाई, बेबा रूपे बैनीराम, रेवाराम, फूलसींग, भरत पिता मूरत, सियारानी, बेबा मूरत	भूमिस्वामी	856/1	3.06	1.62	
			151किता	147.79	128.64	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 26-अ-82-17-18-15092 मौजा ग्राम बेरखेरी सुवंश, प.ह.नं.-48, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने पर संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2)	भूमि का विवरण जिला	:	सागर
	1. तहसील	:	सागर
	2. ग्राम	:	बेरखेरी सुवंश
	3. पट.ह.नं.-	:	48
	4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	64.64 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	विजयसिंह पिता राजाराम	भूमिस्वामी	1/1	3.22	3.22	
			1/2	3.21	3.21	
			1/3	3.21	3.21	

2	मनमोहन पिता परषोत्तम	भूमिस्वामी	6/1	0.86	0.86
			28/2	0.48	0.44
			98/1	0.05	0.05
3	राजा पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/2	0.86	0.86
			15/3	0.40	0.40
			27/3	0.48	0.46
4	हल्के बाबू पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/3	0.86	0.86
			28/3	0.48	0.45
			98/3	0.05	0.05
5	धनप्रसाद पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/4	0.86	0.86
			27/1	0.48	0.48
			98/7	0.05	0.05
6	रामकिसन पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/5	0.86	0.86
			28/4	0.47	0.47
			98/4	0.05	0.05
7	सुनील पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/6	0.86	0.86
			27/2	0.48	0.48
			98/6	0.05	0.05
8	टीकाराम पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/7	0.85	0.85
			27/4	0.38	0.32
			28/1	0.10	0.10
			98/5	0.04	0.04
9	मीरा बाई बेबा अजय कुमार	भूमिस्वामी	7	0.20	0.20
			8/1	1.54	1.54
			9/1	0.18	0.18
10	मनोहर बल्द बाबूलाल यादव (डायवर्टड)	भूमिस्वामी	8/2	0.38	0.38
			9/2	0.23	0.23
			13/4	0.40	0.40
			15/1	1.33	1.33
11	शिवरानी बेबा नाथूराम	भूमिस्वामी	10	1.22	1.22
			11	0.60	0.60
12	सुरेश पिता बलराम	भूमिस्वामी	13/1	0.55	0.55
			14/2	0.30	0.30
13	रामदास पिता बलराम	भूमिस्वामी	13/2	0.15	0.15
			14/1	0.30	0.30
14	अजुद्धी पिता बलराम	भूमिस्वामी	13/3	0.08	0.08
			14/4	0.29	0.29
			21/3	0.48	0.48
15	छोटेलाल पिता बलराम	भूमिस्वामी	14/3	0.29	0.29
			21/2	0.56	0.56
16	संतोष पिता खिलानसींग	भूमिस्वामी	15/2	0.20	0.20
17	कलावती बेबा सिम्बरलाल, हेमन्तकुमार, पिता सिम्बरलाल, सरस्वती, मोतीबाई, ममताबाई, रीना, पुत्री सिम्बरलाल	भूमिस्वामी	16	1.74	1.74
18	कन्हैयालाल, सीताराम, राधेश्याम, अजुद्धी, हरिशंकर पिता प्यारेलाल, टीकाराम रामकिशुन मनमोहन हल्के बाबू सुनील धनप्रसाद राजा पिता परसोत्तम सीमाबाई पूनाबाई पुत्री परसोत्तम जनकरानी बेबा परसोत्तम बलराम भूमि स्वामी पि.उमराव प्रेमनारायण पिता नाथूराम नर्मदाबाई गुलाबबाई सूरजबाई पुत्री नाथूराम कोमल सत्यनारायण पिता नंदकिशोर लीला मीरा गुड्डी भूरी रामसखी पुत्री रामकिशोर सियारानी बेबा नंदकिशोर पता सा.देह भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुशीलाल मनोहर राजाराम बल्दवान परसराम पिता मूलचंद लीलाबाई, मीनाबाई बतीबाई ममताबाई गुड्डी बाई पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	17/1	0.37	0.37
19	उमेश कुमार पिता राजाराम	भूमिस्वामी	17/2	0.69	0.69
20	रघुनीरसींग बल्द बलरामसिंह यादव	भूमिस्वामी	18/1	0.23	0.23
21	मनोज पि.सालकराम उमेश पिता राजाराम	भूमिस्वामी	18/2	1.41	1.41

22	प्रभाबाई बेबा बाबूलाल, संदीप पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	19	1.73	1.257
23	प्रेमनारायण पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	20	2.02	2.02
24	सुमलरानी बेबा बलराम, अजुददी, रामदास, छोटेलाल, सुरेश, पिसरान, बलराम	भूमिस्वामी	21/1	0.10	0.10
25	प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण	भूमिस्वामी	22	1.68	1.68
26	प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण, महेश, राजकुमार पि. सत्यनारायण, आरती पुत्री सत्यनारायण	भूमिस्वामी	23	1.62	1.59
27	हरप्रसाद बल्द थम्मनसींग	भूमिस्वामी	32/1	0.71	0.71
			47/1	0.07	0.04
28	आशीष पिता अशोक जैन	भूमिस्वामी	32/2	0.51	0.51
29	मिट्टू सींग बल्द घूमनसींग	भूमिस्वामी	32/3	0.78	0.78
30	अनुराग पिता नेमचंद जैन (डायवर्टेड)	भूमिस्वामी	32/4	0.20	2000 वर्गमीटर
31	मनीश जैन पिता अशोक कुमार जैन	भूमिस्वामी	32/5	0.10	0.10
32	मनोहर पिता लक्ष्मण	भूमिस्वामी	44	1.10	1.10
33	विजयसिंह, शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई, छोटीबाई पुत्री राजाराम	भूमिस्वामी	45	0.02	0.02
34	अमृतलाल, शेरसींग, दीनदयाल, बाबू राजाभईया पिता नत्थूसींग, शिवरानी बेबा नत्थूसींग	भूमिस्वामी	46	0.10	0.10
			84	0.11	0.11
			87	0.06	0.06
			89	0.11	0.11
			91	0.12	0.12
			99/3	0.78	0.78
			102	0.14	0.14
			105	3.09	3.09
35	विजयसिंह शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई, छोटीबाई पुत्री राजाराम	भूमिस्वामी	47/2	0.07	0.04
36	मिट्टू सींग बल्द घूमनसींग	भूमिस्वामी	47/3	0.07	0.04
37	विजयकुमार, बालकिशन मानकलाल पिता घासीराम	भूमिस्वामी	48	0.90	0.90
38	रामकिसन, लक्ष्मीनाराण, मदन पिता हल्के मुलाबाई, गौरीबाई, शांतिबाई, चंदाबाई, किरण बाई पुत्री हल्के	भूमिस्वामी	50	1.43	1.34
			95/1	0.53	0.53
39	राजेन्द्र कुमार बल्द शंकरलाल	भूमिस्वामी	51	0.12	0.02
40	कुसुरानी बेबा हरीराम श्यामलाल प्रीतम पिस. हरिराम	भूमिस्वामी	69	0.53	0.43
41	डाल्लू बृजेश पिता वृंदावन, रामप्यारी चन्द्रवती, अनोता पुत्री वृंदावन, प्रेमरानी बेबा विन्द्रावन	भूमिस्वामी	70	0.70	0.26
			97	0.20	0.20
42	रामलाल, हनुमतसींग पिता खूबसींग, अकित विट्टू अल्पेश नाबा. पिता छोटेलाल बली गां व खुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेबा छोटेलाल	भूमिस्वामी	82	0.18	0.09
			86	0.11	0.11
			93	0.09	0.05
			101/1	0.41	0.41
			104	3.52	3.52
			106	1.31	1.31
43	सूरतसींग बल्द जगन्नाथ	भूमिस्वामी	85/1	0.09	0.09
44	राजेश पिता सूरतसींग यादव	भूमिस्वामी	85/2	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	90/1	0.03	0.02
		भूमिस्वामी	92/2	0.03	0.02

45	कमलश पिता सूरतसींग	भूमिस्वामी	90/2	0.03	0.02
			103/7	0.64	0.64
			92/3	0.03	0.02
46	सूरजसींग बल्द जगन्नाथ	भूमिस्वामी	92/1	0.03	0.02
			99/1	0.14	0.14
			103/1	0.07	0.07
47	मुस्ताक पिता चुन्नु	भूमिस्वामी	95/2	0.27	0.27
48	श्रीराम,हरगोविन्द, तुलसीराम पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	96	0.86	0.86
49	राजाराम पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	98/2	0.05	0.05
50	जगन्तराज पिता सूरत सिंह	भूमिस्वामी	99/2	0.64	0.64
51	जनकरानी बेवा खूबसींग, रामलाल हनुमतसींग, पिता खूबसींग, अंकित बिट्टू, अल्पेस नावा. पिता छोटेलाल वलि माँ वखुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेवा छोटेलाल	भूमिस्वामी	99/4	0.78	0.78
52	शिवरानी बेबा नाथूराम, अमृतलाल, शेरसिंह, दीनदयाल,अमरसिंह,बाबू राजा, पिता नाथूराम गुड्डीबाई, गायत्रीबाई, जानकीबाई पुत्री नाथूराम, रामलाल हनुमतसींग पिता खूबसींग	भूमिस्वामी	100	0.21	0.21
53	गंगाराम पिता प्रतापसींग	भूमिस्वामी	101/2	0.80	0.80
54	सुरेश बल्द सूरजसींग	भूमिस्वामी	103/2	0.70	0.70
			103/3	0.40	0.40
			103/5	0.40	0.40
55	विहारीलाल वल्द सूरतसींग	भूमिस्वामी	103/4	0.60	0.60
56	राजेश पिता सूरतसींग	भूमिस्वामी	103/6	0.64	0.64
योग:-			56किता	66.29	64.64

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (षाठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 27-अ-82-17-18/15093 मौजा ग्राम लालपुरा, प.ह.नं. 48, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RJV/20088/2017 लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्राहों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है ए परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इर सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2)	भूमि का विवरण जिला	:	सागर
	1. तहसील	:	सागर
	2. ग्राम	:	लालपुरा
	3. पट.ह.नं.-	:	48
	4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	65.05 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजेन्द्र, सुरेन्द्र, सचिन, वीरेन्द्र बल्द मुन्नालाल	भूमिस्वामी	2	8.94	8.10	
2.	सुधाराणी जोजे माधव मुरारी	भूमिस्वामी	13	0.99	0.24	
		भूमिस्वामी	67	0.18	0.02	
3.	वलाराम सिंह पिता मोहनसिंह	भूमिस्वामी	15	1.08	0.63	
		भूमिस्वामी	17	0.24	0.24	
4.	रामसींग पिता मोहनसींग	भूमिस्वामी	16	1.18	1.10	
		भूमिस्वामी	18	2.64	2.64	
5.	राजेन्द्र बल्द गन्नुलाल	भूमिस्वामी	21/1	0.40	0.40	
6.	अजयसिंह पिता विश्वनाथसिंह घोषी गुरुगोविन्दसिंह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	21/2	0.60	0.60	
		भूमिस्वामी	30/1	3.38	3.38	
7.	भमतरसींग बल्द वलाराम घोसी	भूमिस्वामी	23	0.57	0.57	
		भूमिस्वामी	38	1.09	1.09	
		भूमिस्वामी	40/1	0.32	0.32	

8.	कृष्णाबाई पत्नि बलराम घोषी	भूमिस्वामी	24	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	39	0.43	0.43
		भूमिस्वामी	41	0.40	0.40
9.	घासी पिता परमलाल	भूमिस्वामी	27	0.24	0.24
10.	गगाराम, बबलू, हेमराज बल्द प्रताप शकुन गुडडी पिता प्रताप	भूमिस्वामी	28/1	0.34	0.34
		भूमिस्वामी	35/1	0.84	0.84
11.	हेमराज पिता प्रताप	भूमिस्वामी	28/2	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	35/2	0.85	0.85
12.	शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के	भूमिस्वामी	29	0.47	0.47
13.	सुरेश कुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	30/2	3.00	3.00
14.	सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	30/3	3.00	3.00
15.	रामकिशन, मदन, छोटेलाल पिता हल्के, शीलरानी बेबा हल्के, गगाराम, बबलू, हेमराज पिता प्रताप शकुन गुडडीबाई पुत्री प्रताप, तुलासीराम, श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हे, पार्वती पिता नन्हे सा. बेरखेरी खुर्द	भूमिस्वामी	32	0.60	0.60
16.	तुलसीराम पिता नन्हे	भूमिस्वामी	33	1.76	1.76
17.	शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के	भूमिस्वामी	34	1.43	1.43
18.	धनीराम बल्द मोहनसींग	भूमिस्वामी	36	1.16	1.16
19.	उभयसिंह बालकिशन, मानकलाल, चद्रभान, महेंद्र, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम	भूमिस्वामी	37	0.91	0.91
20.	उमरानी पत्नि ओमकारसिंह	भूमिस्वामी	40/2	0.39	0.39
		भूमिस्वामी	43/2	1.60	1.60
21.	शैलेंद्र बल्द ओमकारसिंह	भूमिस्वामी	43/1	0.12	0.12
		भूमिस्वामी	46/2	0.51	0.51
		भूमिस्वामी	48	0.38	0.38
22.	सरस्वतीबाई पत्नि सुंदर	भूमिस्वामी	44	0.40	0.40
23.	सुन्दरलाल पिता मुलु	भूमिस्वामी	45/1	0.53	0.53
24.	दीनदयाल, भगवानदास, केशव, घूमन, पूरन पिता दुर्गा, प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा	भूमिस्वामी	45/2	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	47/1	1.29	1.29
25.	पवन पिता बट्टी प्रसाद घोषी	भूमिस्वामी	45/3	0.53	0.53
		भूमिस्वामी	45/4	0.53	0.53
26.	सुन्दरलाल, प्यारेलाल पिता मुलु, गिरजा पुत्री मुलु, हरीबाई बेबा हरीसींग, गनेशीबाई बेबा दुर्गा, दीनदयाल, भगवानदास, घूमन, केशव, पूरन पिता दुर्गा, प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा	भूमिस्वामी	46/1	0.33	0.33
27.	अरविन्द बल्द मदनसींग	भूमिस्वामी	47/2	0.44	0.44
28.	देवी ना.वा. पिता वा पा. मोहन	भूमिस्वामी	49	0.23	0.23
29.	भागवद पिता मोहन	भूमिस्वामी	50	0.23	0.23
30.	अनतराम पिता मोहनलाल	भूमिस्वामी	51	0.16	0.16
31.	रामरानी जोजे मोहन	भूमिस्वामी	53/1	0.78	0.78

		भूमिस्वामी	54/2	0.76	0.76	
32.	हेमलता पत्नि राजेन्द्र प्रसाद	भूमिस्वामी	53/2	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	53/4	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	54/1	1.60	1.60	
		भूमिस्वामी	61	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	62	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	63	4.10	3.00	
33.	कीरत प्रसाद पिता तुलसीराम	भूमिस्वामी	53/3	0.60	0.60	
34.	जगदीशसिंह पिता मोहन	भूमिस्वामी	55	1.33	1.33	
35.	राजेन्द्रसिंग उर्फ राजू	भूमिस्वामी	56	6.97	5.82	
36.	जितेन्द्रसिंह शैलेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंह उमा बेवा ओंकारसिंह	भूमिस्वामी	57	1.68	1.68	
37.	बद्रीप्रसाद पिता मोहनसिंह	भूमिस्वामी	58	1.71	1.07	
38.	रजनी पुत्री रामाधार कमला बेबा रामाधार	भूमिस्वामी	60/1	0.52	0.52	
39.	जयप्रकाश पिता गिरजाप्रसाद	भूमिस्वामी	60/2	0.80	0.23	
40.	रजनी पुत्री रामाधर कमला बेबा रामाधार	भूमिस्वामी	64	0.38	0.38	
41.	रामचरण पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	65	2.63	2.63	
	योग-	41 कित्ता	Total	70.80	65.05	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 28-अ-82-17-18/15094, मौजा वनगुवाँ, प.ह.नं.-46, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-- SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | कड़ान मध्यम परियोजना |
| (2) | भूमि का विवरण जिला | : | सागर |
| | 1. तहसील | : | सागर |
| | 2. ग्राम | : | वनगुवाँ |
| | 3. पट.ह.नं.- | : | 26 |
| | 4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 17.49 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	दीपक कुमार पिता माधवमुरारी	भूमिस्वामी	81	2.13	0.83	
2.	संदीप कुमार पिता माधवमुरारी	भूमिस्वामी	87	1.80	0.42	
		भूमिस्वामी	93	0.56	0.40	
		भूमिस्वामी	104	0.18	0.18	
		भूमिस्वामी	111	4.81	4.81	
3.	नन्नीबाई पत्नि रामस्वरूप	भूमिस्वामी	88	0.60	0.60	
		भूमिस्वामी	89	1.16	0.11	
4.	बालाप्रसाद पिता नारायण प्रसाद	भूमिस्वामी	90	0.92	0.14	
		भूमिस्वामी	94	2.60	0.26	
		भूमिस्वामी	102	1.12	1.12	
		भूमिस्वामी	108	0.12	0.12	
5.	भुवानी पिता गनेश	भूमिस्वामी	92	1.05	0.54	
6.	बंटी पिता बालाप्रसाद	भूमिस्वामी	91	0.98	0.98	
		भूमिस्वामी	95	2.60	0.26	
7.	बालकदास, कीरत प्रसाद चंद्रसिंह, ओंकार प्रसाद पिता तुलसीराम	भूमिस्वामी	96	0.78	0.78	
		भूमिस्वामी	105	0.31	0.31	

8.	बालकदास, पिता तुलसीराम	भूमिस्वामी	97	0.53	0.53
		भूमिस्वामी	103	0.41	0.41
		भूमिस्वामी	106	0.29	0.29
9.	निरंजन, जयराम पिता नन्ने	भूमिस्वामी	99	0.14	0.14
10.	आशाराम पिता नन्हेभाई	भूमिस्वामी	100/1	0.14	0.14
11.	निरंजन पिता जयराम	भूमिस्वामी	100/2	1.26	1.26
12.	अभयकुमार ना.बा. पिता रामप्रसाद पा.मां व खुद डाली बेबा रामप्रसाद	भूमिस्वामी	101	1.11	1.11
		भूमिस्वामी	109	0.12	0.12
13.	शीतल पिता प्रभुदयाल	भूमिस्वामी	107	1.39	1.39
14.	राकेश पिता शिवनंदन रेखाबाई, गीताबाई विनीताबाई पुत्री शिवनंदन उमाशंकर पिता नारान प्रसाद	भूमिस्वामी	110	0.24	0.24
योग			14किता	27.35	17.49

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 23-अ-82-16-17/15089, मौजा ग्राम खानपुर, प.ह.नं.-48, तहसील मालथौन

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | कड़ान मध्यम परियोजना |
| (2) | भूमि का विवरण जिला | : | सागर |
| | 1. तहसील | : | सागर |
| | 2. ग्राम | : | खानपुर |
| | 3. पट.ह.नं.- | : | 48 |
| | 4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 50.63 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नन्हीबाई पुत्री जालम धनसींग बा.प्रदीप ना.बा. पिता बब्बू सुनीता बबली ना.वा.पुत्री बब्बू बलि भाई धनसींग सौर	भूमिस्वामी	5	0.47	0.47	
			36	0.11	0.11	
2	परसू पिता गनू फूलरानी पति परशू	भूमिस्वामी	6	0.25	0.25	
3	जवाहर पिता गनू प्रेमरानी पति जवाहर	भूमिस्वामी	7	0.03	0.03	
			9	0.54	0.54	
4	नंदरानी बेबा लक्षमन, कुंदन, मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन सौर	भूमिस्वामी	10	0.57	0.57	
5	मोहन पिता गुलई, महरानी पति मोहन	भूमिस्वामी	11	0.51	0.51	
			15	0.07	0.07	
6	नत्थू पिता हीरा संतोष रानी पति नत्थू	भूमिस्वामी	12	0.45	0.45	
			16	0.12	0.12	
7	हरिराम पिता मोहन	भूमिस्वामी	13	0.26	0.26	
			17	0.11	0.11	

8	प्रमिला पति सुरेश कुमार	भूमिस्वामी	19	1.42	1.42
			31	0.20	0.20
9	अनिल कुमार पिता दयाशंकर	भूमिस्वामी	20	1.22	1.22
			70/1	0.16	0.16
			70/2	0.40	0.40
			70/3	0.80	0.80
10	कुमुद पति दिनेश कुमार	भूमिस्वामी	21	1.22	1.22
11	राजबाई पुत्री मथुरा	भूमिस्वामी	24/1	0.24	0.24
			80	2.39	2.39
12	मानकलाल पिता घासीराम	भूमिस्वामी	24/2	0.41	0.41
13	विजयकुमार पिता घासीराम	भूमिस्वामी	24/3	0.40	0.40
14	विजय, बालकिशन, मानकचंद, मुल्लू राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम	भूमिस्वामी	25	2.62	2.62
			79	2.43	2.08
15	बाबूसींग पिता पूरनसींग	भूमिस्वामी	27	3.55	3.55
			82	1.75	1.75
			84	0.07	0.07
16	सीमा पति अखिलेश कुमार	भूमिस्वामी	28	1.62	1.62
			29	1.62	1.62
17	परसू पिता गनू, फूलरानी पति परसू	भूमिस्वामी	35	0.32	0.32
18	शिवरानी पतिन बैनीसींग उर्फ श्रीकृष्ण	भूमिस्वामी	42	0.46	0.46
19	भागीरथ, जवाहर, परसू पिता गनुआ, श्यामाबाई, मुन्नीबाई, पुत्री जनक नन्हीबाई पुत्री जालम, धनसींग बा. प्रदीप ना.बापिता बबू, सुनीता वा. बलि ना.बा.बबू बलिभाई, धनसींग, कुदन मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन, नंदरानी बेबा लक्षमन सौर	भूमिस्वामी	43	0.08	0.08
20	गनेशी पति बारेलाल	भूमिस्वामी	44	0.04	0.04
21	पूरन हलकाई, शंकर, तुलसी, रामकिशन पिता मथुरा लक्ष्मीबाई, शांतिबाई, रम्मोबाई, छोटीबाई पुत्री मथुरा	भूमिस्वामी	47	1.22	1.22
			49	0.04	0.04
			59	0.38	0.38
22	चेतू पिता तिजई	भूमिस्वामी	50	0.04	0.04
23	पार्वती पति डोमे	भूमिस्वामी	51	0.06	0.06
24	ज्ञानसिंह पिता बलरामसींग दांगी	भूमिस्वामी	52/1	0.38	0.38
			72/3	0.82	0.82
25	लखनसिंह, गोविंदसिंह, अमृतसिंह उर्फ इमरतसिंह, राकेशसिंह, ज्ञानसिंह, लक्ष्मीबाई पिता बलरामसिंह, दुर्गेश, विजेता, मदन, अनुराधा पिता रामसिंह बलि मां व खुद गोमतीबाई बेबा रामसिंह	भूमिस्वामी	52/2	0.02	0.02
26	द्वारका प्रसाद, प्रकाश पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	60	2.26	2.26
27	श्यामसुंदर, महादेव, महरवान, श्रीराम पिता परसराम, सरोजबाई पुत्री परसराम	भूमिस्वामी	61	0.10	0.10
			66/2	0.50	0.50
			68	2.58	2.58
			70/4	0.30	0.30
28	घसीटा पिता बारे	भूमिस्वामी	62	0.03	0.03
29	अनूप पिता मोहन	भूमिस्वामी	63	0.04	0.04
30	दुर्गेश, विजेता, महक, अनुराधा ना.बा.पिता रामसिंह बलि मां व खुद गोमतीबाई	भूमिस्वामी	65	0.09	0.09
			67	0.07	0.07
			74/2	1.04	1.04
31	नथनसिंह पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	66/1	0.75	0.75
			74/1	0.45	0.45
32	ब्रजेश कुमार पिता दयाशंकर	भूमिस्वामी	69	0.81	0.81
33	विजय, बालकिशन, मानकचंद, मुल्लू राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम	भूमिस्वामी	71/1	1.28	1.28
34	मनोज, केसर, सतीष, कपिल उर्फ छोदू पिता सालकराम, मीना, सीमा पुत्रिया सालकराम, आशा बेबा सालकराम	भूमिस्वामी	71/2	1.27	1.07

35	अमृतसिंह पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	72/1	0.46	0.46
			74/3	0.74	0.74
36	राकेश पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	72/2	1.20	1.00
37	गोविन्दसिंह पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	73	1.35	1.35
38	बृजरानी बेबा जगन्नाथ गौरी, मोहन, मानसींग पि, जगन्नाथ प्रसाद, नत्थूबाई, पुत्री जगन्नाथ, प्रसाद, प्रदीप, दीपक, सुषमा पिता मूलचंद, अमोलरानी, बेबा मूलचंद	भूमिस्वामी	75	1.59	0.50
39	प्रदीप दीपक बल्द मूलचंद सुषमा पुत्री मूलचंद, अलोपरानी बेबा मूलचंद	भूमिस्वामी	76/2	0.29	0.29
40	बृजरानी बेबा जगन्नाथ	भूमिस्वामी	76/3	0.19	0.19
41	गौरीशंकर बल्द जगन्नाथ, ब्रजरानी बेबा जगन्नाथ	भूमिस्वामी	76/4	0.28	0.17
42	रमेश बल्द परम	भूमिस्वामी	76/6	0.57	0.18
43	कांशीराम बल्द परम	भूमिस्वामी	76/7	0.57	0.11
44	अनिल बल्द रामनाथ	भूमिस्वामी	76/8	0.57	0.04
45	रामनाथ बल्द परम	भूमिस्वामी	76/9	0.58	0.04
46	दीपक बल्द मूलचंद यादव	भूमिस्वामी	76/10	0.10	0.10
			76/11	0.10	0.10
47	रामचरन बल्द लछमन	भूमिस्वामी	78/1	0.65	0.48
48	विष्णु उर्फ विश्वनाथ व लछमन	भूमिस्वामी	78/2	0.65	0.20
49	भगवानसींग बल्द लक्ष्मन	भूमिस्वामी	78/3	0.65	0.14
50	बाबू पिता पूरनसिंह, शिवरानी, शीलाबाई बेबा पूरनसिंह	भूमिस्वामी	81	3.35	3.35
			83	0.10	0.10
		50किता	Total	55.63	50.63

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला आगर-मालवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्र. क्र. 438 आगर-मालवा, दिनांक 25नवम्बर 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेडा जिला आगर-मालवा की ग्राम कचनारियां के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम :- दात्या		तहसील:- नलखेडा जिला आगर- मालवा	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	1.980	0.610
	योग	1.980	0.610

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	शंकर लाल पिता नाथु सिंह गुर्जर	29	0.300	0.250	
	योग		0.300	0.250	
2	ईश्वर सिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	30/1	0.260	0.170	
	योग		0.260	0.170	
3	भास्कराम पिता बंशीलाल	30/2	0.260	0.180	
	योग		0.260	0.180	
4	शिवनारायण पिता कालुसिंह जाति गुर्जर	41/2	0.770	0.010	
	योग		1.550	0.010	
	कुल योग		1.980	0.610	

नोट :-

भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 454

आगर-मालवा, दिनांक 29 नवम्बर 2017

(भूमि अर्जन भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत)

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) अंतर्गत चूके राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम बिसनी के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम - बिसनी		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	4.266	1.68
	योग	4.266	1.68

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का कुल रकबा	भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति
1	2	3	4	5	6
1	काशीराम पु. भागीरथ जाति गुर्जर	2/1	0.156	0.100	
	योग		0.156	0.100	
2	सीताराम पु. भागीरथ जाति गुर्जर	2/3	0.157	0.080	

	योग		0.157	0.080	
3	रणजीत उर्फ देवेन्द्र पिता सिताराम व चंदरबाई वि. सीताराम जाति गुर्जर	2/4	0.157	0.090	
	योग		0.157	0.090	
4	देवेन्द्र ना.बा.सा.पु. शिवनारायण सर माता राम कुंवर बाई राम कुंवर बाई वि. शिवनारायण जाति गुजर	2/5	0.157	0.070	
	योग		0.157	0.070	
5	निरभे सिंह पु. भागीरथ जाति गुर्जर	2/6	0.167	0.090	
	योग		0.167	0.090	
6	मान सिंह पिता शंकर लाल जाति गुर्जर	4/4	0.418	0.170	
		5/1	0.285	0.110	
	योग		0.703	0.280	
7	देवेन्द्र ना.बा.पु. शिवनारायण सर. माता रामकुंवरबाई व रामकुंवरबाई वि. शिवनारायण जाति गुर्जर	4/7	0.400	0.300	
		योग	0.400	0.300	
8	रुघनाथ पु. शंकरलाल जाति गुर्जर	5/2	0.494	0.150	
		7/1/1	0.209	0.070	
		योग	0.703	0.220	
9	राम सिंह पु. शंकरलाल जाति गुर्जर	5/3	0.159	0.070	
		7/1/2	0.543	0.050	
		योग	0.702	0.120	
10	शिवनारायण पु. शंकरलाल जाति गुर्जर	5/4	0.703	0.259	
11.	देवीसिंह सिद्धनाथ पु. भंवरजी भीताबाई ग्यारसी बाई पु. भंवरजी जाति भील	9/1	0.094	0.040	1 ईमली छोटी 3 बकान 2 करंज छोटी
		9/2	0.167	0.031	5 बबुल 3 खाकरा 2 नीम
	योग		0.261	0.071	
	कुल योग		4.266	1.680	

नोट :-

- (1) भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्र. क्र. ए. 4571

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



अनुसूची (1)


ग्राम - पनाला		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	6.150	4.060
	योग	6.150	4.060

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का	रिमार्क
1	2	3	4	5	
1	होकमसिंह पिता उदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	204	0.040	0.030	
	योग		0.040	0.030	
2	सिद्ध दत्तक पुत्र करण, करण सिंह पिता धुला बापु पिता पुरा देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरबाई सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	0.050	0.050	
		208	0.240	0.140	
	योग		0.290	0.190	
3	बाबुलाल पिता जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	209	0.060	0.060	
		240	0.020	0.020	
	योग		0.080	0.080	
4	रामचरण रामदयाल पिता भंवर जी जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	210	0.140	0.070	
		263/3	0.030	0.015	
	योग		0.170	0.085	

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का	रिमार्क
1	2	3	4	5	
5	अमरसिंह पिता भंवरलाल दरियावबाई वि भंवरलाल राध्नीबाई पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	235	0.040	0.020	
		235/795	0.040	0.040	
	योग		0.080	0.060	
6	रामचंद्र रामप्रसाद रामसिंह दिनेश पु० भागीरथ गीताबाई वि० भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	236	0.100	0.080	
		242	0.040	0.040	
	योग		0.140	0.120	
7	सिद्ध रमेश पिता करण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	237	0.050	0.020	
		256	0.090	0.090	
		259	0.010	0.010	
	योग		0.150	0.120	
8	गीताबाई वि० भागीरथ रामचंद्र रामप्रसाद रामसिंह दिनेश पिता भागीरथ हि० 2/9 राम प्रसाद द०पुत्र कुंवरलाल भेरू पिता बापु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	238	0.020	0.020	
		241	0.030	0.030	
		246	0.020	0.020	
	योग		0.070	0.070	
9	रामेश्वर पिता नाथु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239	0.010	0.010	
	योग		0.010	0.010	
10	श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान	243	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
11	कंवरलाल पिता भंवरलाल दरियावबाई पति भंवरलाल राध्नीबाई पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	244	0.040	0.040	
		245	0.010	0.010	
	योग		0.050	0.050	
12	मांगीलाल पिता देव जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	247	0.070	0.070	
	योग		0.070	0.070	
13	पारीबाई वि० देवलया होकम सिंह राम सिंह हिन्दु सिंह पुत्रगण देवलया रामविलास बाई मेवा बाई पुत्री देवलया हि० 1/2 समभाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249	0.630	0.050	
		251	0.260	0.130	
		252	0.100	0.100	
		253	0.110	0.110	
	योग		1.100	0.390	
14	गंगाबाई बैबा गणपत पता निवासी ग्राम भूमि पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	254	0.290	0.200	
	योग		0.290	0.200	
15	मानसिंह पिता शिवलाल कामू बाई पति शिवलाल जाति	257	0.020	0.020	



क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का	रिमार्क
1	2	3	4	5	
	गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/3	0.050	0.050	
	योग		0.070	0.070	
16	मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3 भेरु कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किरान हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	258	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
17	प्रभु पिता अमरा हि 1/2 लूना भोलू सिंह पिता मांगु सोरभबाई पिता मांगु उमराव बाई वि मांगु हि 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	261	0.800	0.800	
		264	0.090	0.050	
		308	0.100	0.100	
	योग		0.990	0.950	
18	अम्बाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	262	0.110	0.110	
	योग		0.110	0.110	
19	प्रभु पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	263/2	0.030	0.015	
	योग		0.030	0.015	
20	रामदयाल पिता अमर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	263/1	0.040	0.020	
	योग		0.040	0.020	
21	कुंवरलाल पिता भेरुजाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	263/4	0.130	0.065	
	योग		0.130	0.065	
22	बंशीलाल पिता भेरु जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	263/5	0.030	0.015	
	योग		0.030	0.015	
23	प्रहलाद पिता उमरावसिंह सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	265	0.120	0.120	
		272	0.060	0.020	
	योग		0.180	0.140	
24	तौलाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	266	0.120	0.120	
	योग		0.120	0.120	
25	कंचनबाई वि० उदाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/1	0.060	0.060	
	योग		0.060	0.060	
26	निर्मयसिंह भगवानसिंह पिता अगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	271/2	0.060	0.060	
	योग		0.060	0.060	
27	बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई शीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/4	0.060	0.060	
	योग		0.060	0.060	

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का	रिमाक
1	2	3	4	5	
28	हरिसिंह पिता सिद्धू तूजू बाई वि० सिद्धू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	275	0.180	0.090	
	योग		0.180	0.090	
29	अमर सिंह पिता रामचंद्र जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/1	0.050	0.010	
	योग		0.050	0.010	
30	शिवनारायण पिता रामचंद्र जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/2	0.050	0.010	
	योग		0.050	0.010	
31	गंगाराम पिता रामचंद्र जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/3	0.050	0.010	
	योग		0.050	0.010	
32	मोहनलाल पिता रामचंद्र जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/4	0.060	0.010	
	योग		0.060	0.010	
33	प्रेमनारायण पिता रामचंद्र जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/5	0.060	0.010	
	योग		0.060	0.010	
34	कमल सिंह पिता रामचंद्र जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/6	0.060	0.010	
	योग		0.060	0.010	
35	भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	0.100	0.100	
	योग		0.100	0.100	
36	उदय सिंह पिता भुवानी सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	304	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
37	भेरू सिंह पिता भुवानी सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
38	नारायण सिंह पिता भुवानी सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	306	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
39	मेहरबान सिंह साहीब महेश पिता सिद्धू हि 1/5 रामप्रसाद रमेश पिता भंवरलाल अमरा बाई गीताबाई शांति बाई पुत्री भंवरलाल हि 3/5 मांगीलाल ना० घाणुबाई ना०बा०सर मांगीलाल स्वयं पिता गणपत हि० 1/3 जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	307	0.060	0.060	
	योग		0.060	0.060	
40	गिरिराज पिता पीरूलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/1	0.030	0.030	
	योग		0.030	0.030	

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का	रिमारक
1	2	3	4	5	
41	रामप्रसाद पिता पुरा जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/2	0.030	0.030	
	योग		0.030	0.030	
42	फूलचंद पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/3	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
43	मुरलीधर पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/4	0.020	0.020	
	योग		0.020	0.020	
44	रामप्रसाद पिता पुरालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/1	0.170	0.020	
	योग		0.170	0.020	
45	पीरूलाल पिता कंवरलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/2	0.110	0.040	
	योग		0.110	0.040	
46	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310/3	0.120	0.080	
	योग		0.120	0.080	
47	भंवरलाल बालचंद शिवनारायण बाबूलाल पिता भंवरलाल चंदर बाई वि० भंवरलाल गोपाल मुकेश पिता रामेश्वर ललता बाई वि० रामेश्वर जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311	0.410	0.200	
	योग		0.410	0.200	
48	लक्ष्मीनारायण पिता भेरु हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312	0.050	0.050	
	योग		0.050	0.050	
महायोग			6.150	4.060	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए. 460

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकी राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा की ग्राम कचनारियां के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम :- कचनारिया		तहसील:- नलखेड़ा जिला आगर- मालवा	
स. क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	15.640	8.220
	योग	15.640	8.220

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	प्रहलाद पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर	412	0.700	0.010	
	योग		0.700	0.010	
2	देवकरण पिता भेरूसिंह जाति गुर्जर	413	0.680	0.050	
	योग		0.680	0.050	
3	उमराव पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर	414	0.680	0.050	
	योग		0.680	0.050	
4	गोपाल पिता हिरालाल	457	0.480	0.020	
	योग		0.480	0.020	
5	कैलाश पिता हिरालाल	458	0.480	0.050	
	योग		0.480	0.050	
6	भोलाराम पिता रामप्रसाद नि. भण्डावद	459	0.150	0.150	
	योग		0.150	0.150	

स. क.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
7	कमल पिता रामप्रसाद सुतार नि. भण्डावद	460	0.150	0.150	
	योग		0.150	0.150	
8	विष्णु पिता रामप्रसाद सुतार नि. भण्डावद	461	0.150	0.150	
	योग		0.150	0.150	
9	महेश पिता रामप्रसाद सुतार नि. भण्डावद	462	0.150	0.150	
	योग		0.150	0.150	
10	परमानन्द पिता हीरालाल सुतार नि. भण्डावद	463	0.480	0.480	
	योग		0.480	0.480	
11	रमेश पिता नारायण सुतार नि. भण्डावद	464	0.520	0.450	
	योग		0.520	0.450	
12	तोलाराम पिता भुला जाति गुर्जर	466	0.450	0.440	
		481	0.730	0.710	
		497	0.200	0.010	
	योग		1.380	1.160	
13	कालुराम पिता नारायण जाति सुतार नि. भण्डावद	467	0.210	0.150	
		469	0.480	0.480	
	योग		2.340	2.340	
14	मूरली पिता नारायण जाति सुतार नि. भण्डावद	468	1.170	1.170	
	योग		1.170	1.170	
15	जगदीश पिता रामचंद्र सुतार नि. भण्डावद	470	0.310	0.310	
	योग		0.310	0.310	
16	कमल पिता भूला	474	0.240	0.240	
		477	0.220	0.220	
	योग		1.160	1.160	



स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
17	कमल पिता धुला	475	0.580	0.580	
	योग		0.580	0.580	
18	सीताराम पिता धुला जाति गुर्जर	479	1.170	0.920	
	योग		1.170	0.920	
19	निरभेसिंह पिता प्रहलाद जाति गुर्जर	480	1.730	0.050	
	योग		1.730	0.050	
20	मदन पिता प्रहलाद जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	496	0.530	0.010	कच्चा कुआ 01
		500	1.100	0.020	
	योग		1.440	0.040	
21	सुरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील नि. भण्डावद	570	0.720	0.020	कच्चा कुआ 01
	योग		0.720	0.020	
22	घनश्याम पिता रामचंद्र	470/2142	0.160	0.160	
	योग		0.160	0.160	
23	निर्मयसिंह मदनलाल पिता प्रहलाद	476	1.020	1.020	
		473.478			
	योग		1.020	1.020	
	कुल योग		15.640	8.220	

नोट :-

भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश

क्र. 4269-भू-अर्जन-2017

बरेली, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - आंवरिया

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंवरिया	रामकिशन आ. सड्डू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	50/2	0.761	0.015	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की आंवरिया माईनर नहर हेतु
2	आंवरिया	फुल्लो वाई पत्नि नर्वदा प्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	50/1/2	0.405	0.035		
3	आंवरिया	वंशीलाल, मनसुखलाल, विच्योवाई, मालती वाई, अगूरी वाई, मुन्नीवाई आ. हल्के नि. ग्राम भू स्वामी	50/3	0.760	0.020		
4	आंवरिया	भगवान सिंह हिस्सा 2 एकड़ शिवनारायण हिस्सा 70 डेसीमल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	51/1/1	1.113	0.049		
5	आंवरिया	सरवन सिंह आ. भैरोप्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	53/1/2	2.602	0.117		
6	आंवरिया	मालती वाई पत्नि माधव सिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी	54	2.283	0.072		

7	आवंरिया	गौरवकांत ना.वा. आ. वली नरवदा जाति साहू नि. ग्राम भू स्वामी	56/2/1/1 56/2/1/2	0.360 0.607	0.034		
8	आवंरिया	ओमप्रकाश आ. छोटेला जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	57/1	0.809	0.086		
9	आवंरिया	मलखान सिंह आ. छोटेला जाति मैना नि. ग्राम भू स्वामी	57/2/1	0.588	0.070		
10	आवंरिया	नर्वदीवाई पत्नि मलखन सिंह जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	57/2/2	0.202	0.062		
11	आवंरिया	जगदीश आ. छोटेला जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	57/3	0.809	0.122		
12	आवंरिया	पृथ्वीराज आ. छोटेला जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	57/4	0.809	0.122		
13	आवंरिया	रामकुमार आ. मुरारीलाल जाति रघु. हि. 1/2 भाग भूमि मोतीलाल आ. गुलाब सिंह जाति सलावट नि. ग्राम भू स्वामी	61/1/1/1/1	0.404	0.125		
14	आवंरिया	नर्वदा प्रसाद आ. नाथूराम जाति साहू निवासी ग्राम छातैर भू स्वामी	56/1/2	0.405	0.002		
15	आवंरिया	माया वाई पुत्री मोहनलाल जाति साहू निवासी ग्राम छातैर भू स्वामी	56/2/2	0.405	0.002		
16	आवंरिया	जानकी वाई वि. टीकाराम नारायण सिंह, भवानीसिंह, भगवत सिंह आ. टीकाराम जाति मैना नि. ग्राम भू स्वामी	64/1/1	1.903	0.103		
17	आवंरिया	केशर सिंह आ. दौलतराम जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	64/1/3	1.683	0.085		
18	आवंरिया	तुलाराम आ. शंकर सिंह जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी	64/1/4	1.903	0.090		
19	आवंरिया	हरीशंकर आ. रतीराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी	70	2.024	0.072		

क्र. 4270-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - भुवारा

तहसील-उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भुवारा	संदीप कुमार आ. लक्ष्मीनारायण जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	65 67/2	0.672 0.336	0.062	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की भुआरे डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु
2	भुवारा	रामदीन उर्फ मनमोहन आ. लखनसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	148/1	2.695	0.089		
3	भुवारा	अजबसिंह आ. खुमान सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	148/2	1.736	0.111		
4	भुवारा	कमलेश आ. अजबसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	148/3	1.821	0.113		
5	भुवारा	रामकुमार आ. रामनाथ जाति रघुवंशी निवासी उदयपुरा भू स्वामी	149/1/1 154/2	1.214 2.157	0.308		

6	भुवारा	सीताराम आ. रम्मूलाल एवं पिकी पत्नि सीताराम निवासी ग्राम भू स्वामी	154/1	2.157	0.177		
7	भुवारा	नागेन्द्र सिंह आ. पूरन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	152/1	1.491	0.285		
8	भुवारा	प्रहलादसिंह आ. अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	143/1	2.101	0.128		
9	भुवारा	बाबूलाल आ. रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	142	7.05	0.283		
10	भुवारा	घासीराम आ. अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	141/1	1.619	0.194		
11	भुवारा	शशि वाई पुत्री रामदर्शन जाति ब्राह्मण निवासी बरेली भू स्वामी	138/1 138/2/2	1.214 0.809	0.109		
12	भुवारा	मो. सगीर आ. मो. हफीज कदीर जाति मुसलमान नि. ग्राम भू स्वामी	138/2/1/1/1/1/1/2 138/2/1/1/1/1/1/2	0.405 0.809	0.161		
13	भुवारा	प्रतापसिंह आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	138/2/1/1/1/1/2/2	0.405	0.068		
14	भुवारा	राधेलाल आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	138/2/1/1/1/2/1 138/2/1/1/2/1	0.125 0.405	0.068		
15	भुवारा	मोघोसिंह आ. राधेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	138/2/1/1/2/1/2	0.405	0.170		
16	भुवारा	छत्रपाल सिंह आ. राधेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	138/2/1/1/2/2	1.619	0.040		
17	भुवारा	मो. जावेद आ. मो. हाफिज कदीर जाति मुसलमान नि. उदयपुरा भू स्वामी	137/1/2	1.858	0.169		
18	भुवारा	मो. सब्बीर आ. मो. कदीर जाति मुसलमान नि. उदयपुरा भू स्वामी	137/2	2.023	0.080		

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म. प्र. भोपाल

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./महाकौशल/2017-18/723 भोपाल, दिनांक /11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर लि0, बचई, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	118	7316.81
2	नरसिंहपुर/गोटेगाँव	फैक्ट्री गेट	105	5004.56
3	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट	05	93.62
		कुल	228	12414.99

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

महाकौशल श्रम एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	ग्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
1	0101	बचई	26	3	6.64	7.03	4.41	18.08	903.78	9.04	ट्रेक्टर ट्राली	कैक्ट्री गेट
2	0102	करहैया	26	3	94.49	100.04	62.72	257.25	12862.50	128.63	"	"
3	0103	बबरिया	26	3	35.16	37.23	23.34	95.74	4787.08	47.87	"	"
4	0104	नेहमवपुर	26	4	18.64	19.74	12.37	50.75	2537.28	25.37	"	"
5	0105	अगरिया	26	4	22.78	24.12	15.12	62.02	3101.00	31.01	"	"
6	0106	कन्हारपानी	26	5	32.73	34.65	21.73	89.10	4455.15	44.55	"	"
7	0107	मुरली पोडी	24	5	42.18	44.66	28.00	114.84	5741.75	57.42	"	"
8	0108	चौराखेडा	25	5	82.13	86.96	54.52	223.61	11180.25	111.80	"	"
9	0109	सलैया	25	5	16.59	17.57	11.02	45.18	2258.80	22.59	"	"
10	0110	जागीडाना	24	6	52.10	55.16	34.58	141.84	7092.08	70.92	"	"
11	0111	बागपोडी	24	12	54.81	58.03	36.38	149.22	7461.20	74.61	"	"
12	0112	मुडिया	24	8	44.54	47.16	29.57	121.27	6063.40	60.63	"	"
13	0113	हनुमंत पोडी	24	8	9.63	10.20	6.39	26.22	1310.98	13.11	"	"
14	0114	बेहर पोडी	24	8	24.81	26.27	16.46	67.55	3377.33	33.77	"	"
15	0115	डोकरघाट	14	12	24.46	25.90	16.24	66.61	3330.25	33.30	"	"
16	0116	भरवारा	14	13	20.94	22.18	13.90	57.02	2851.20	28.51	"	"
17	0117	खमतरा	20	14	63.72	67.46	42.30	173.48	8673.80	86.74	"	"
18	0118	पांसी	14	15	37.94	40.17	25.18	103.29	5164.33	51.64	"	"
19	0119	सेमरा (पांजरा)	15	16	6.84	7.25	4.54	18.63	931.58	9.32	"	"
20	0120	चीलाचौद खुर्द	27	4	85.72	90.77	56.90	233.39	11669.58	116.70	"	"
21	0121	चीलाचौद कला	23	10	51.12	54.13	33.94	139.18	6959.05	69.59	"	"
22	0122	समानपुर	27	10	30.34	32.12	20.14	82.59	4129.68	41.30	"	"
23	0123	सावलरानी	27	12	33.55	35.52	22.27	91.34	4567.23	45.67	"	"
24	0124	धवई बडगुवा	27	13	39.10	41.40	25.96	106.46	5323.00	53.23	"	"
25	0125	झार-खुरपा	27	13	84.71	89.69	56.23	230.64	11531.85	115.32	"	"



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आवृद्धित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
26	0126	नवलगांव	23	13	70.80	74.96	47.00	192.76	9637.88	96.38	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
27	0127	रानी पिपरिया	20	13	90.33	95.64	59.96	245.93	12296.63	122.97	"	"
28	0128	सुरज गांव	15	15	25.11	26.59	16.67	68.37	3418.35	34.18	"	"
29	0129	मगरथा (रोसरा)	20	17	29.98	31.74	19.90	81.63	4081.33	40.81	"	"
30	0130	टापरियाँ (धवई)	27	17	44.66	47.29	29.64	121.59	6079.25	60.79	"	"
31	0131	झगराई	20	17	14.27	15.11	9.47	38.85	1942.73	19.43	"	"
32	0132	जरजोला	16	18	11.47	12.14	7.61	31.22	1560.78	15.61	"	"
33	0133	गंगई	27	19	19.10	20.22	12.68	52.00	2600.13	26.00	"	"
34	0134	बहोरीपार	25	15	54.66	57.88	36.29	148.83	7441.53	74.42	"	"
35	0135	सग्रामपुर	14	15	3.75	3.97	2.49	10.21	510.28	5.10	"	"
36	0136	सहजपुरा	25	18	38.29	40.55	25.42	104.26	5213.08	52.13	"	"
37	0138	श्यामखंडा	25	22	6.07	6.43	4.03	16.53	826.35	8.26	"	"
38	0140	लुरेहटा	25	24	15.90	16.83	10.55	43.28	2163.85	21.64	"	"
39	0154	खुरपा (बडा)	23	10	114.89	121.65	76.26	312.81	15640.58	156.41	"	"
40	0155	नयाखंडा	27	15	18.29	19.37	12.14	49.80	2490.20	24.90	"	"
41	0156	बारुरेवा	27	15	41.05	43.46	27.25	111.76	5587.78	55.88	"	"
42	0158	बहोरीपार (धुवघट)	23	17	16.91	17.90	11.22	46.03	2301.58	23.02	"	"
43	0160	सिमरिया (जरजोला)	16	18	3.88	4.11	2.58	10.57	528.68	5.29	"	"
44	0161	धुवघट	20	20	34.71	36.76	23.05	94.52	4725.90	47.26	"	"
45	0162	खैरी	6	22	5.19	5.49	3.44	14.12	705.75	7.06	"	"
46	0165	सिंहपुर	21	25	32.47	34.38	21.55	88.40	4420.10	44.20	"	"
47	0166	डेडवारा	16	18	4.28	4.54	2.85	11.67	583.40	5.83	"	"
48	0167	सिमरिया (सिंहपुर क्षेत्र)	21	20	14.03	14.85	9.31	38.19	1909.35	19.09	"	"
49	0168	नदवारा	16	24	7.57	8.01	5.02	20.59	1029.55	10.30	"	"
50	0169	कुम्हंडी	0	24	23.63	25.02	15.69	64.34	3216.90	32.17	"	"

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आव्यक्तित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिचहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
51	0177	बहादुरपुर	25	15	3.79	4.01	2.52	10.33	516.25	5.16	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
52	0201	मुंगवानी	35	15	19.36	20.50	12.86	52.72	2636.05	26.36	"	"
53	0202	मंडारदेव	34	8	6.76	7.16	4.48	18.39	919.63	9.20	"	"
54	0203	बकोरी	34	10	7.45	7.88	4.94	20.27	1013.70	10.14	"	"
55	0204	मढपपरिया	34	10	28.08	29.73	18.63	76.43	3821.73	38.22	"	"
56	0205	केकडा	34	10	8.66	9.17	5.75	23.58	1179.23	11.79	"	"
57	0206	देवनगर	34	12	53.90	57.07	35.78	146.75	7337.58	73.38	"	"
58	0207	भालपानी	34	12	4.34	4.60	2.88	11.82	591.13	5.91	"	"
59	0208	सिहोरा	0	5	11.56	12.24	11.20	35.00	1750.00	17.50	"	"
60	0209	सलैया (देवनगर)	34	13	10.75	11.39	7.14	29.27	1463.68	14.64	"	"
61	0210	पिंडरई (पस्ताना)	33	15	16.17	17.12	10.74	44.02	2201.05	22.01	"	"
62	0211	पस्ताना	35	15	26.08	27.61	17.31	71.00	3550.10	35.50	"	"
63	0212	करहैया (देवनगर)	34	15	10.19	10.79	6.76	27.74	1387.13	13.87	"	"
64	0213	टोला (मुंगवानी)	0	17	4.85	5.13	3.22	13.19	659.55	6.60	"	"
65	0214	पटनिया	35	18	8.21	8.69	5.45	22.35	1117.65	11.18	"	"
66	0216	मुडरई कला	33	18	13.01	13.78	8.64	35.43	1771.63	17.72	"	"
67	0218	गडरिया	36	18	1.47	1.56	0.98	4.00	200.18	2.00	"	"
68	0220	खमरिया (देवनगर)	35	22	5.88	6.23	3.90	16.01	800.70	8.01	"	"
69	0221	विछुआ	0	38	2.72	2.88	10.24	15.84	792.00	7.92	"	"
70	0222	पाठा	0	20	2.04	2.16	2.88	7.08	354.00	3.54	"	"
71	0223	भोती	36	22	12.97	13.73	8.61	35.31	1765.65	17.66	"	"
72	0226	नारिया	31	23	5.22	5.53	3.46	14.21	710.45	7.10	"	"
73	0227	सुडवान	37	23	17.08	19.04	11.93	48.94	2447.69	24.47	"	"
74	0229	कवोतिया (मुगवानी)	22	25	2.35	2.48	1.56	6.39	319.50	3.20	"	"
75	0237	लवरी	0	26	7.89	8.35	5.23	21.47	1073.60	10.74	"	"

महाकौशल श्रुगर एण्ड पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	फेसई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मडी					
76	0238	लिघारी	0	26	7.19	7.61	4.78	19.58	979.05	9.79	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
77	0240	गोगावरी	22	27	16.20	17.15	10.75	44.11	2205.35	22.05	"	"
78	0243	पिपरिया	33	30	6.90	7.31	4.58	18.79	939.70	9.40	ट्रक	"
79	0245	गोरखपुर	29	35	35.76	37.85	23.74	97.36	4867.93	48.68	"	"
80	0247	कोदारास कला	0	25	2.13	2.25	4.40	8.78	438.75	4.39	"	"
81	0253	पाला मुडरई	32	47	9.39	9.95	6.23	25.57	1278.48	12.78	"	"
82	0254	उसरी	28	50	9.44	9.99	6.26	25.69	1284.45	12.84	"	"
83	0267	कछरा	0	19	4.69	4.97	3.11	12.77	638.60	6.39	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
84	0302	लोकीपार	21	32	14.79	15.66	9.82	40.27	2013.30	20.13	ट्रक	"
85	0307	रमखिरिया	0	25	1.28	1.35	2.00	4.63	231.25	2.31	"	"
86	0308	बरखेडा	21	29	5.81	6.16	3.86	15.83	791.30	7.91	ट्रेक्टर ट्राली	"
87	0313	कल्यानपुर	22	32	63.42	67.15	42.10	172.66	8633.18	86.33	ट्रक	"
88	0314	भैसापाला	22	32	17.43	18.46	11.58	47.47	2373.43	23.73	"	"
89	0315	भूत-पिपरिया	22	35	32.04	33.92	21.26	87.22	4361.08	43.61	"	"
90	0318	नरसिंहपुर	17	16	15.81	16.74	10.50	43.05	2152.30	21.52	ट्रेक्टर ट्राली	"
91	0321	पाला (भैसा)	0	33	10.20	10.80	10.56	31.56	1578.00	15.78	"	"
92	0407	तिदंती (बम्होरी)	9	35	1.05	1.11	0.70	2.85	142.43	1.42	ट्रक	"
93	0414	सुपला	9	25	28.74	30.43	19.07	78.24	3911.98	39.12	ट्रेक्टर ट्राली	"
94	0415	धमना	10	28	24.89	26.35	16.52	67.76	3388.00	33.88	"	"
95	0416	सगोनी (सुपला)	8	28	15.81	16.74	10.50	43.05	2152.30	21.52	"	"
96	0417	डुडी-पिंडरई	9	29	5.64	5.97	3.74	15.34	766.93	7.67	"	"
97	0418	रानी-पिंडरई	0	29	7.14	7.56	11.52	26.22	1311.00	13.11	"	"
98	0419	खापा	10	30	24.84	26.30	16.49	67.62	3381.15	33.81	"	"
99	0420	सगोनी लकडहाड	11	30	3.83	4.05	2.54	10.41	520.55	5.21	"	"
100	0421	नयागांव (धमना)	11	30	62.20	66.86	41.29	169.35	8467.65	84.68	"	"



महाकौशल शुरगर एण्ड पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आवृद्धित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
101	0422	बन्होरी (तिदनी)	6	32	11.60	12.29	7.70	31.59	1579.58	15.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
102	0424	मचवारा	11	32	13.00	13.76	8.62	35.38	1769.08	17.69	"	"
103	0425	घाट-पिडरई	13	34	3.08	3.26	2.04	8.38	418.75	4.19	"	"
104	0427	मुराच	6	36	8.18	8.66	5.43	22.27	1113.35	11.13	"	"
105	0428	महादेव-पिपरिया	5	38	2.85	3.02	1.89	7.75	387.53	3.88	"	"
106	0429	करहैया (नर्मदा)	6	38	2.35	2.48	1.56	6.39	319.50	3.20	"	"
107	0431	गुटोरी	13	32	2.68	2.84	1.78	7.30	364.83	3.65	"	"
108	0432	झिरी	13	32	13.01	13.78	8.64	35.43	1771.63	17.72	"	"
109	0433	अडिया	15	22	10.68	11.31	7.09	29.09	1454.28	14.54	ट्रेक्टर ट्राली	"
110	0434	डोणरगांव	15	32	62.52	66.20	41.50	170.22	8510.83	85.11	ट्रक	"
111	0435	खमरिया (जरजोला)	16	21	29.25	30.97	19.42	79.63	3981.68	39.82	ट्रेक्टर ट्राली	"
112	0436	मैहका	28	0	5.19	5.49	3.44	14.12	705.75	7.06	ट्रक	फैक्ट्री गेट
113	0437	घुघरी	4	0	4.20	4.45	2.78	11.43	571.45	5.71	ट्रक	फैक्ट्री गेट
114	0438	करहैयाखेडा	15	0	14.17	15.00	9.41	38.58	1929.03	19.29	ट्रेक्टर ट्राली	"
115	0439	सालीवाडा	0	25	1.02	1.08	1.92	4.02	201.00	2.01	"	"
116	05:7	मल्लाह-पिपरिया	12	35	20.30	21.49	13.47	55.26	2763.10	27.63	ट्रक	"
117	0528	चंद्रपुरा	4	40	7.02	7.43	4.66	19.12	955.95	9.56	"	"
118	0532	गडरियाखेडा	4	44	4.59	4.86	3.05	12.50	624.90	6.25	"	"
119	0539	गुडवारा	0	45	3.69	3.91	2.45	10.04	502.15	5.02	"	"
योग -					2694.56	2853.06	1818.13	7365.75	368287.53	3682.88		

7365.75

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - गोटेगाँव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	अग्र केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
1	0137	शेड-बेलखेडी	30	20	118.13	125.08	78.42	321.63	16081.55	160.82	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	0139	खानापुर	30	23	3.69	3.91	2.45	10.04	502.15	5.02	"	"
3	0141	शेड-मगरधा	30	24	153.37	162.39	101.81	417.56	20878.03	208.78	"	"
4	0142	सुरवारी	11	25	63.04	66.75	41.85	171.65	8582.28	85.82	"	"
5	0143	रीछा	31	25	27.17	28.76	18.03	73.96	3698.10	36.98	"	"
6	0144	बेढू	29	27	75.58	80.03	50.17	205.78	10288.90	102.89	"	"
7	0145	छीताघाट	30	27	3.03	3.20	2.01	8.24	411.90	4.12	"	"
8	0146	नयागाँव (रीछा)	31	27	5.36	5.67	3.55	14.58	728.85	7.29	"	"
9	0147	बरहटा	31	28	75.74	80.19	50.27	206.20	10309.85	103.10	"	"
10	0148	वावली	29	28	23.31	24.68	15.47	63.46	3172.85	31.73	"	"
11	0149	चिरघिटा	30	28	10.76	11.39	7.14	29.30	1464.95	14.65	"	"
12	0150	नोनिया (बरहटा)	32	30	14.74	15.61	9.78	40.13	2006.45	20.06	"	"
13	0151	दौन (कछुआ)	29	32	29.41	31.14	19.52	80.07	4003.50	40.04	"	"
14	0152	रीसरा	29	32	3.83	4.05	2.54	10.41	520.55	5.21	"	"
15	0153	जमुनिया (बरहटा)	0	34	4.76	5.04	6.40	16.20	819.00	8.10	"	"
16	0173	रीसरी	0	35	9.79	10.37	6.50	26.66	1333.20	13.33	"	"
17	0217	गाडारवाडा खेडा	33	18	6.60	6.99	4.38	17.98	899.08	8.99	"	"
18	0224	शेड-पिपरिया	0	22	0.85	0.90	1.12	2.87	143.50	1.44	"	"
19	0225	सिलवानी	0	23	0.69	0.73	0.46	1.87	93.68	0.94	"	"
20	0235	सिवनी (पटी)	32	40	2.77	2.93	1.84	7.55	377.25	3.77	ट्रक	"
21	0236	अधियारी	33	26	5.20	5.51	3.46	14.17	708.30	7.08	ट्रेक्टर ट्राली	"
22	0259	सिवनी (बंधा)	0	40	3.57	3.78	2.80	10.15	507.50	5.08	ट्रक	"
23	0260	बंधा	0	40	15.30	16.20	10.16	41.66	2083.00	20.83	"	"
24	0498	Kachhua	0	32	1.19	1.26	4.16	6.61	330.50	3.31	ट्रेक्टर ट्राली	"
25	0501	वासनपानी	11	27	122.71	129.93	81.46	334.10	16705.18	167.05	ट्रेक्टर ट्राली	"

211C.63

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - गोटागांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.इ.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जडी	मडी					
26	0502	बोछार	10	30	67.07	71.01	44.52	182.60	9129.75	91.30	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
27	0503	कच्छरपुर (ठेमी)	8	38	7.86	8.33	5.22	21.41	1070.58	10.71	ट्रक	"
28	0504	मानेगांव	14	31	30.99	32.81	20.57	84.37	4218.65	42.19	"	"
29	0505	कापखेडा	30	33	5.39	5.71	3.58	14.67	733.55	7.34	"	"
30	0506	छिदामानी	9	33	11.02	11.66	7.31	29.99	1499.60	15.00	"	"
31	0507	करकबेल	9	34	29.27	31.00	19.43	79.70	3985.10	39.85	"	"
32	0508	मुगली	13	34	38.77	41.05	25.74	105.55	5277.68	52.78	"	"
33	0509	मेख	12	34	34.04	36.05	22.60	92.69	4634.38	46.34	"	"
34	0510	नन्हेगांव	8	34	6.53	6.91	4.34	17.78	888.80	8.89	"	"
35	0511	कमला	14	34	1.68	1.78	1.12	4.59	229.25	2.29	"	"
36	0512	लोहारी	10	34	6.07	6.43	4.03	16.53	826.35	8.26	"	"
37	0513	ठेमी	8	35	25.29	26.78	16.78	68.85	3442.33	34.42	"	"
38	0514	बारगी	12	35	3.30	3.49	2.19	8.98	449.10	4.49	"	"
39	0515	मुशरान-पिपरिया	9	35	11.44	12.11	7.60	31.16	1557.75	15.58	"	"
40	0516	बेलखेडा	0	35	24.79	26.24	16.46	67.49	3374.30	33.74	"	"
41	0518	मलहऊआ	0	37	6.94	7.34	4.60	18.88	944.00	9.44	"	"
42	0519	टपरिया (ठेमी)	9	37	13.70	14.51	9.10	37.31	1865.30	18.65	"	"
43	0520	अकोला	7	37	6.98	7.39	4.63	19.00	949.98	9.50	"	"
44	0521	बड़गुआ करकबेल	0	37	4.24	4.49	2.82	11.55	577.43	5.77	"	"
45	0522	देवरी	9	38	24.97	26.44	16.58	67.99	3399.55	34.00	"	"
46	0523	बम्हनी	13	39	20.30	21.49	13.47	55.26	2763.10	27.63	"	"
47	0524	जटलापुर	9	40	7.11	7.53	4.72	19.37	968.38	9.68	"	"
48	0525	सिवनी (मुगली)	13	40	1.85	1.96	1.23	5.05	252.35	2.52	"	"
49	0526	सगरा	9	40	8.29	8.78	5.50	22.57	1128.33	11.28	"	"
50	0527	बढ़ैयाखेडा	2	52	38.25	40.50	25.39	104.14	5207.10	52.07	"	"


3514.34
1182.89



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.से.)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
51	0529	खमरिया (कन्धरापुर)	0	42	10.87	11.51	7.22	29.60	1479.93	14.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
52	0530	झामर (सांकल)	4	42	15.91	16.85	10.56	43.32	2166.00	21.66	"	"
53	0533	सांकल	1	43	31.16	32.99	20.68	84.84	4241.75	42.42	"	"
54	0534	बुधगांव	2	46	13.40	14.18	8.90	36.48	1823.80	18.24	"	"
55	0535	परसबाडा (मुगला)	14	35	16.19	17.15	10.74	44.08	2204.98	22.04	"	इन्डिया
56	0536	रिमझा	2	52	11.42	12.10	7.58	31.10	1555.20	15.55	"	"
57	0537	मोहम्मद	1	54	1.15	1.22	0.76	3.12	155.13	1.56	"	"
58	0538	सनगापुर	9	55	9.32	9.86	6.18	25.36	1268.20	12.68	"	"
59	0540	बिछुआ	11	35	21.74	23.02	14.43	59.20	2959.85	29.60	"	"
60	0541	बरखंडा	0	32	5.48	5.81	3.64	14.93	746.38	7.46	"	"
61	0601	गुंदरई	4	28	74.04	78.40	49.15	201.59	10079.73	100.80	"	"
62	0602	गुन्जी	27	44	7.34	7.77	4.87	19.97	998.73	9.99	"	"
63	0603	विछिया	28	34	5.48	5.81	3.64	14.93	746.38	7.46	"	"
64	0604	इमलिया	14	32	28.08	29.74	18.64	76.46	3823.00	38.23	"	"
65	0605	बटारी	13	38	9.27	9.81	6.15	25.23	1261.35	12.61	"	"
66	0606	कमती	14	33	24.79	26.24	16.46	67.49	3374.30	33.74	"	"
67	0607	गडपेहरा	36	33	9.11	9.65	6.05	24.81	1240.40	12.40	"	"
68	0609	खमरिया (तिघरा)	0	42	4.73	5.01	3.14	12.89	644.58	6.45	"	"
69	0610	पथरोडा	12	35	25.42	26.91	16.87	69.20	3459.85	34.60	"	"
70	0611	टिकरी	13	35	20.13	21.31	13.36	54.80	2740.00	27.40	"	"
71	0612	खमरिया (पिपरसरा)	28	36	4.73	5.01	3.14	12.89	644.58	6.45	"	"
72	0613	बेलखंडी (टिकरी)	6	37	15.58	16.50	10.34	42.42	2121.08	21.21	"	"
73	0614	पिपरसरा	25	37	11.02	11.66	7.31	29.99	1499.60	15.00	"	"
74	0615	दिघारी	6	43	4.59	4.86	3.05	12.50	624.90	6.25	"	"
75	0616	मोहम्मद	6	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"	"

4970



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्स्ट्रिज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरगा	जड़ी	मड़ी					
76	0617	नोन-पिपरिया	28	38	10.12	10.72	6.72	27.56	1378.13	13.78	ट्रक	फैक्ट्री गेट
77	0618	साकली	28	38	15.40	16.31	10.22	41.93	2096.70	20.97	"	"
78	0619	चादनखेडा	28	38	18.05	19.12	11.98	49.15	2457.70	24.58	"	"
79	0620	पिडरई (सिधई)	7	38	15.86	16.79	10.53	43.18	2159.15	21.59	"	"
80	0621	तिघरा (खमरिया)	6	40	1.90	2.02	1.26	5.18	259.20	2.59	"	"
81	0622	बगलई	6	41	2.35	2.48	1.56	6.39	319.50	3.20	"	"
82	0623	तिरका	27	40	3.93	4.16	2.61	10.69	534.65	5.35	"	"
83	0624	सिरकोना	36	40	2.94	3.11	1.95	8.01	400.35	4.00	"	"
84	0625	देवनगर (गोटेगांव)	27	40	29.42	31.15	19.53	80.10	4004.78	40.05	"	"
85	0626	सिमरी छोटी	7	42	3.55	3.76	2.36	9.68	483.75	4.84	"	"
86	0627	राजाकछार	27	43	15.91	16.85	10.56	43.32	2166.00	21.66	"	"
87	0628	कनौर	5	45	3.97	4.20	2.64	10.81	540.83	5.41	"	"
88	0630	रहली	3	40	2.17	2.30	1.44	5.90	295.13	2.95	"	सिमरी
89	0631	आंखीवाडा	6	49	20.35	21.55	13.51	55.41	2770.35	27.70	"	सिमरी
90	0633	परसबाडा (खोबी)	9	50	13.09	13.86	8.69	35.64	1781.90	17.82	"	"
91	0634	सिमरी बडी	7	50	10.03	10.62	6.66	27.31	1365.30	13.65	"	"
92	0635	उमरा	7	51	7.73	8.18	5.13	21.04	1051.78	10.52	"	"
93	0636	सखी	3	52	5.58	5.91	3.71	15.21	760.48	7.60	"	"
94	0637	भूम	3	54	7.29	7.72	4.84	19.86	992.75	9.92	"	सिमरी
95	0638	खोबी	3	49	15.22	16.12	10.10	41.45	2072.33	20.72	"	सिमरी
96	0639	पोनिया (टिकरी)	24	42	13.07	13.84	8.68	35.60	1779.75	17.80	"	"
97	0641	कुन्डाखेडा	0	38	3.79	4.01	2.52	10.33	516.25	5.16	"	"
98	0643	तिघरा (अतारिया)	25	47	2.94	3.11	1.95	8.01	406.35	4.00	"	"
99	0644	रामनिवारी	15	42	2.40	2.54	1.59	6.53	326.35	3.26	"	"
100	0645	बड़ोवा	15	42	3.79	4.01	2.52	10.33	516.25	5.16	"	"

450.93



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मै.)	परिवहन का साधन	ग्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जडी	मडी					
101	0649	पड़रिया	4	45	2.90	3.07	1.92	7.89	394.38	3.94	ट्रक	फैक्ट्री गेट
102	0651	कणई	17	45	15.85	18.89	10.59	43.44	2171.88	24.72	"	लाटागांव
103	0652	अन्नसिमा	25	45	2.42	2.57	1.61	6.60	329.78	3.30	"	लाटागांव
104	0653	गरी	17	47	2.49	2.04	1.66	6.78	339.18	3.39	"	"
105	0654	सिमरिया (कलई कचोरी)	23	47	2.43	2.57	1.62	6.62	331.05	3.31	"	लाटागांव
106	0655	बगासपुर	26	48	15.71	16.63	10.42	42.76	2138.20	21.38	"	"
107	0656	समसिया (साम्बियाट)	0	48	3.83	4.06	2.54	10.44	521.83	5.22	"	जुमर
108	0658	बुरीवाडा	17	48	3.90	4.13	2.59	10.62	531.23	5.31	"	जुमर
109	0659	कुक्काट	24	48	2.49	2.64	1.86	6.78	339.18	3.39	"	जुमर
110	0661	बहरोडा	25	48	3.88	4.41	2.58	10.57	528.68	5.29	"	"
111	0664	मालीवाडा	22	49	9.63	10.20	6.39	26.22	1310.98	13.11	"	जुमर
112	0665	सत्सिमडा	22	49	6.44	6.82	4.27	17.54	876.85	8.77	"	जुमर
113	0666	बंडोल	22	49	2.35	2.49	1.57	6.42	320.78	3.21	"	"
114	0668	मेहमसा-टमरिया	0	50	3.30	3.49	2.19	8.98	449.10	4.49	"	जुमर
115	0673	रिमझा	19	50	5.64	5.97	3.74	15.34	766.93	7.67	"	"
116	0674	पोनिया (कुक्काट)	32	50	3.79	4.01	2.52	10.33	516.25	5.16	"	"
117	0675	मडरी	24	51	5.68	6.01	3.77	15.46	772.90	7.73	"	जुमर
118	0676	सहजपुरा	15	52	4.68	4.97	3.11	12.77	638.60	6.39	"	जुमर
119	0679	टमरिया	25	52	6.84	7.25	4.54	18.63	931.58	9.32	"	जुमर
120	0680	पिपरिया (लाटागांव)	39	52	10.10	10.69	6.70	27.49	1374.70	13.75	"	"
121	0681	श्री नगर	38	53	6.39	6.77	4.25	17.41	870.40	8.70	"	"
122	0682	नरवारा कुक्काट	24	53	4.28	4.54	2.85	11.67	583.40	5.83	"	"
123	0684	लाटागांव	39	53	3.82	4.04	2.54	10.39	519.68	5.20	"	"
124	0685	मनकवारा	24	54	3.39	3.59	2.25	9.23	461.53	4.62	"	"
125	0687	तरवारा (श्रीनगर)	37	55	2.58	2.74	1.71	7.03	351.60	3.52	"	"

149.15



महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
126	0691	उमरिया (श्री नगर)	42	57	11.49	12.17	7.62	31.28	1564.20	15.64	ट्रक	फैक्ट्री गेट
127	0694	सुकरी	0	57	3.77	4.00	2.50	10.27	513.70	5.14	"	"
128	0695	झिरी (नागवारा)	36	60	2.38	2.52	1.58	6.48	323.80	3.24	"	"
129	0698	गोटेगांव	15	49	3.75	3.97	2.49	10.21	546.28	5.10	"	शिमला
130	0724	हिड़की पिपरिया	5	0	4.71	4.99	3.13	12.82	641.15	6.41	"	"
131	0725	जमुनिया	0	0	5.65	5.99	3.75	15.39	769.48	7.69	"	"
132	0731	गढाघाट	25	0	3.34	3.54	2.22	9.09	454.68	4.55	"	"
133	0737	नेगुवा	13	0	2.87	3.04	1.90	7.82	390.95	3.91	"	"
134	0738	नादिया	36	0	2.47	2.61	1.64	6.72	335.75	3.36	"	"
135	0739	केसली	36	0	5.54	5.87	3.68	15.09	754.50	7.55	"	"
योग -								5478.64	273932.13	2739.32		
								5004.56				

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची सत्र 2017-18
तहसील - करेली

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह.न.	कारखाने से दूरी (किमी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @ 50 टन / हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.मे.)	परिवहन का साधन	क्रय केंद्र का नाम
					नोरपा	जड़ी	मड़ी					
1	0159	बासकुवारी	18	18	2.85	3.02	1.89	7.75	387.50	3.88	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	0163	मेनावारी	22	23	2.42	2.57	1.61	6.60	329.78	3.30	"	"
3	0164	कपूरी	21	24	8.26	8.75	5.48	22.49	1124.50	11.25	"	"
4	0303	कुकवारा	18	26	13.97	14.79	9.27	38.02	1901.23	19.01	"	"
5	0304	जल्लापुर	22	26	6.89	7.29	4.58	18.75	937.55	9.38	"	"
6	0306	करवामन	22	26	5.99	6.35	3.98	16.31	815.68	8.16	"	शिमला
योग -								109.93	625496.25	54.96		
महायोग -								42954.32	647715.90	6477.16		

12414.99

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./दुर्गा/2017-18/624 भोपाल, दिनांक 17/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स, मेंद्राना, तहसील- पानसेमल, जिला- बड़वानी (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	बड़वानी/पानसेमल	फैक्ट्री गेट	45	1525.34
	कुल		45	1525.34

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स,

मेंद्राना जिला बड़वानी (म.प्र.)

पैराई सत्र २०१७-२०१८

अ.नं.	गांव	रोपा	जडी	कुल
1	जुनापानी	36.40	23.56	59.96
2	आमदा	15.00	29.72	44.72
3	जलगोन	18.99	20.52	39.51
4	चुनाभट्टी	6.60	6.34	12.94
5	पानसेमल	4.50	5.22	9.72
6	दोदंवाडा	1.20	0	1.2
7	जैतपुरा	0	0.75	0.75
8	धरडगांव	8.80	1.76	10.56

9	दगडगाटी	5.60	0	5.6
10	राजपुरा	8.00	7.30	15.3
11	गौरीखेडा	0.40	5.71	6.11
12	दिवडीया	3.60	1.26	4.86
13	देवघर	0	1.45	1.45
14	पिपलोद	7.80	5.39	13.19
15	पिपरानी	5.80	2.80	8.6
16	खडकी	9.20	5.60	14.8
17	पन्नाली	11.40	10.14	21.54
18	ओसवाडा	0	6.99	6.99
19	मतराला	0	4.00	4
20	चिखल्दा	0	2.04	2.04
21	मेन्द्राना	16.50	16.06	32.56
22	कानसुल	31.80	59.67	91.47
23	गोंगवाडा	31.50	32.08	63.58
24	बालझिरी	4.20	6.61	10.81
25	जाहुर	23.20	19.44	42.64
26	भमरवाडा	21.20	11.41	32.61
27	निसरपुर	59.50	46.25	105.75
28	मेलन	22.00	28.46	50.46
29	टेमला	30.20	57.94	88.14
30	खोडामोहाली	12.80	2.47	15.27
31	दुधी	15.40	18.03	33.43
32	भडगोन	48.60	42.08	90.68
33	मोरतलाई	63.20	43.19	106.39
34	खेतिया	24.60	48.93	73.53
35	बेहडीया	66.20	54.87	121.07
36	भातकी	43.20	31.22	74.42
37	बांदयाबड	3.20	1.20	4.40
38	मलगांव	27.60	13.74	41.34
39	मल्फा	14.00	37.75	51.75
40	आमझिरी	0.00	3.30	3.30
41	टेमली	8.60	4.40	13.00
42	बबूलताड	17.60	29.69	47.29
43	रोकडीया	4.00	11.47	15.47
44	बागदेव	7.20	22.82	30.02
45	करणपुरा	0.00	2.12	2.12
	कुल हेक्टर	739.58	785.73	1525.31

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म. प्र. भोपाल

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./शक्ति/2017-18/632 भोपाल, दिनांक 21/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि., कौड़िया, जिला-नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	78	6040.55
	कुल		78	6040.55

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कौड़िया
पैराई सत्र 2017-18

क्र.	ग्राम	नोरपा	जडी	मडी	योग	कारखाने से सड़क दूरी कि. मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कौड़िया	198	154	89.30	441.30	3
2	केकरा	65	55	35.52	155.52	7
3	बरहेटा	33	31	26.10	90.10	8
4	वेरली	42	30	45.43	117.43	9
5	कजरोटा	36	37	21.48	94.48	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	चिरहकला	68	25	12.00	105.00	10
7	चामचौन	35	15	6.28	56.28	12
8	खापा	32	14	5.72	51.72	13
9	वगदरा	45	18	14.01	77.01	14
10	सांगई	11	5	4.95	20.95	16
11	धौखेडा	25	25	6.06	56.06	15
12	महुआखेड़ा	11	6	0.45	17.45	18
13	नीमच	2	3	3.54	8.54	24
14	सडूमर	152	162.00	106.00	420.00	11
15	सूकरी	71	44.00	35.51	150.51	6
16	गुनवे	33	16.00	18.72	67.72	9
17	लिलवानी	9	1.00	3.12	13.12	10
18	ईमलिया	33	20.00	21.20	74.20	8
19	चिरिया	80	77.00	52.78	209.78	5
20	मंहगवा	45	43.00	30.23	118.23	7
21	पलोहा	121	60	30.77	211.77	19
22	रिछावर	6	4	4.08	14.08	24
23	अमोदा	43	12	11.2	66.2	25
24	खकरिया	69	29	44.51	142.51	16
25	गुजरखेड़ा	25	8	11.15	44.15	18
26	टिमरावन	16	4	11.12	31.12	25
27	थरेरी	14	4	4.56	22.56	25
28	भैसा	73	62	43.84	178.84	15
29	गूजरझिरिया	68	28	18.69	114.69	13
30	अट्ठाईसा	45	21	27.34	93.34	13
31	कारजूनगर	25	20	4.45	49.45	14
32	बोहानी	164	140	101.83	406	5
33	अमई	12	11	8.06	31	8
34	रहली	40	38	29.15	107	8
35	नयागाँव	47	39	29.48	115	9
36	लाखा	13	9	11.01	33	10
37	सुपारी	30	26	18.71	75	13
38	देगुवा	42	53	36.18	131	14
39	तिगुवा	5	2	3.48	10	16
40	सलैया	15	11	14.02	40	18
41	वहरा	3	2	2.53	8	25
42	मनकवारा	61	29	23.98	113.98	8
43	वरांझ	59	35	31.03	125.03	7
44	गगनवारा	5	8	4.21	17.21	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	बम्होरी	28	25	13.66	66.66	9
46	मटवारा	29	18	14.62	61.62	11
47	पुरगवा	25	24	29.46	78.46	11
48	टेकापार	24	20	26.2	70.2	13
49	सिहोरा	31	24	25.41	80.41	13
50	हरई	12	10	14.18	36.18	15
51	घाटपिपरिया	44	26	31.77	101.77	8
52	अजंसरा	32	41	29.12	102.12	17
53	चिरचिरा	17	11	8.24	36.24	10
54	मरका	15	11	12.15	38.15	11
55	सुजवारा	16	13	6.07	35.07	10
56	बुधवारा	33	30	24.36	87.36	17
57	ढाडिया	53	45	37.25	135.25	11
58	दुधवारा	5	5	2.02	12.02	16
59	शेरवरांझ	24	16	15.79	55.79	17
60	इमलिया	6	2.00	1.44	9.44	21
61	गाडरवारा	23	32.00	14.32	69.32	10
62	इमलिया	8	11.00	5.60	24.60	12
63	पतलौन	1	0.00	4.42	5.42	13
64	घुरपुर	16	11.00	9.68	36.68	16
65	सीरगाँव	9	11	6.47	26.47	20
66	जमाडा	10	15	17	42	14
67	भूतखेडा	2	2	0	4	15
68	वरेली	2	6	10.39	18.39	16
69	गोलगाव	17	13	8.5	38.50	25
70	गरधा	20	21	5.67	46.67	17
71	बम्होरी गरधा	24	28	16.6	68.6	21
72	निवारी	15	21	7.69	43.69	19
73	खिरिया	18	14	8.1	40.1	20
74	मडगुला	0	5	0	5	26
75	वोदरी	0	8	2.02	10.02	12
76	सोकलपुर	9	8	2.02	19.02	26
77	भौरगढ	3	2	0	5	27
78	खेरी कामती	3	1	0	4	13
महायोग		3,321	2,513	1,911	6040.55	

नोट.—

नोरपा—वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना.

जड़ी—वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना.

त्रिजड़ी—वर्ष 2014-15 में लगाया गया गन्ना.

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./एन.पंजाब/2017-18/677 भोपाल, दिनांक 28/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि., ग्राम-हिनाखेड़ी, तहसील-चांद, वि.ख.-चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	छिंदवाड़ा	फैक्ट्री गेट	166	2458.360
	कुल		166	2458.360

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

एन० पंजाब शुगर मिल प्रा०लि०

हरनाखेडी (चांद) छिंदवाडा म०प्र०

गन्ना क्षेत्र आरक्षण विवरण (हेक्टेयर में) पेराई सीजन 2017-18

जिला छिंदवाडा के ग्राम					
क्रमांक	ग्राम का नाम	रोपा	जडी	तिरी	योग
1	चांद	15.377	18.757	11.360	45.494
2	भांडपिपरिया	7.069	2.170	0.470	9.709
3	विकला	9.316	8.215	5.020	22.551
4	रानीखैरी	2.320	6.765	5.858	14.943
5	कौआखेडा	24.057	15.283	3.101	42.441
6	वेलगांव	9.150	12.255	6.016	27.421
7	मोघर	18.858	8.911	10.174	37.943
8	गुमगांव	1.441	0.879	0.000	2.320
9	खापाविहारी	11.551	6.401	0.879	18.830
10	दिलावर मोहगांव	37.130	28.547	12.615	78.291
11	रगडा	0.000	0.911	1.020	1.931
12	पठरा	0.939	0.000	0.000	0.939
13	पखडिया	2.000	2.749	1.939	6.688
14	किशनपुर	8.134	1.632	0.870	10.636
15	सटोटी	8.996	5.607	3.421	18.024
16	पिपरिया कला	8.575	3.619	1.551	13.745
17	हिवरा जयसिंग	8.081	2.130	1.409	11.619
18	बतरी	3.121	6.721	0.992	10.834
19	चांदढाना	0.822	0.462	0.632	1.915
20	घोगरी हरहर	0.789	0.619	0.000	1.409
21	मालीखैरी	6.494	1.012	1.478	8.984
22	बंधान	6.883	8.405	1.543	16.830
23	शेरपापडा	1.988	1.020	1.271	4.279
24	डोकली	0.672	1.372	0.000	2.045
25	मोया मोहगांव	0.000	0.842	0.000	0.842
26	सिंगोडी	25.170	11.984	7.069	44.223
27	सिरस	15.283	1.417	10.016	26.717
28	कुकरई	0.607	1.012	0.000	1.619
29	धमनिया सिरस	22.842	9.061	8.502	40.405

30	बम्हनी लाला	16.555	7.862	7.206	31.623
31	बर्वा	19.680	9.166	6.802	35.648
32	बर्वा खेडा	5.445	6.591	1.490	13.526
33	बर्वा मनियाटोला	0.619	0.518	0.850	1.988
34	बर्वा रामाटोला	2.842	0.000	0.769	3.611
35	पांजरा	28.838	24.879	14.567	68.283
36	नोनी खुर्द	20.611	4.964	8.769	34.344
37	नांदना	23.421	6.972	11.514	41.907
38	परसोली	1.271	5.644	5.271	12.186
39	पटिया	3.235	1.530	0.000	4.765
40	डोंगरीटोला	8.709	1.660	1.870	12.239
41	सिंगोडी टोला	9.109	7.045	5.223	21.377
42	जामुन टोला	5.870	1.215	0.000	7.085
43	बाडीबाडा	31.364	8.409	7.457	47.231
44	कुम्पानी	0.000	0.000	0.607	0.607
45	नोनी कला	24.279	9.498	15.919	49.696
46	दुटमर	4.656	0.000	0.000	4.656
47	राजलवाडी	7.478	5.470	11.838	24.785
48	मोंहगांव कला	3.421	4.332	2.660	10.413
49	झिरिया	4.020	0.101	0.000	4.121
50	केरिया	11.879	4.518	7.000	23.397
51	पालादौन	9.320	4.259	2.749	16.328
52	मडकाहान्डी	0.000	0.992	0.000	0.992
53	मुआरी	0.000	0.899	0.000	0.899
54	मेडावानी	1.360	1.000	0.700	3.061
55	खुटपिपरिया	2.518	1.291	4.287	8.097
56	तांडे	1.089	0.000	0.000	1.089
57	तेन्दनी	7.749	0.239	1.648	9.636
58	आमाझिरी	0.530	0.000	0.000	0.530
59	सिरेगांव	0.000	0.000	0.830	0.830
60	लुंगसी	0.000	0.000	0.502	0.502
61	कामठी	0.320	0.000	0.000	0.320
62	कुन्डा	8.202	0.441	0.000	8.644
63	थावरी कुन्डा	5.587	6.255	4.231	16.073
64	हतोडा	1.721	0.000	0.000	1.721

65	खिरखिरी	0.449	3.377	0.000	3.826
66	विछुआ	1.182	2.462	0.802	4.445
67	परासिया	3.336	0.960	0.000	4.296
68	हरनभटा	0.761	2.850	0.000	3.611
69	किरगीपार	5.356	3.267	0.972	9.595
70	लिखडी	2.000	0.000	1.130	3.130
71	हिवरा	0.449	0.000	1.883	2.332
72	झिलमिली	0.000	0.000	0.000	0.000
73	हरनाखेडी	21.162	6.802	11.457	39.421
74	चिखली खुर्द	3.563	0.000	0.510	4.073
75	टिघरा	15.291	3.259	3.121	21.672
76	बांकानागनपुर	17.259	1.680	4.405	23.344
77	पाल्हरी	5.951	6.045	3.850	15.846
78	केरिया	0.101	2.024	0.761	2.887
79	चोरगांव	3.413	0.000	7.656	11.069
80	आमटा	8.502	3.109	7.543	19.154
81	चीजगांव	2.178	0.000	0.219	2.397
82	माचागोरा	0.830	0.000	0.000	0.830
83	बोहनाखैरी	1.263	2.352	4.870	8.486
84	नवेगांव	3.109	0.000	0.000	3.109
85	पान्तखेडा	0.810	0.000	0.000	0.810
86	चनिया खुर्द	1.105	1.421	1.834	4.360
87	बडडाढाना	2.409	0.000	2.409	4.818
88	बेलखेडा	1.012	0.000	0.000	1.012
89	रोहना	6.032	0.000	12.126	18.158
90	जटलापुर	0.000	0.960	0.000	0.960
91	खुटिया	2.688	0.348	0.000	3.036
92	पिण्डरई कला	5.700	5.449	5.312	16.462
93	शहपुरा	17.911	18.142	12.348	48.401
94	खमरा	34.789	17.194	10.166	62.150
95	धमनिया खमरा	1.012	0.000	0.000	1.012
96	सोनापिपरी	9.753	5.004	3.640	18.397
97	सलैया	10.117	9.915	8.984	29.016
98	सुसरई	3.368	1.012	1.219	5.599
99	कोटलवरी	4.291	1.300	4.178	9.769

100	खेडा	1.231	1.502	1.850	4.583
101	पुलपुलडोह	13.255	3.073	11.640	27.968
102	थांवरी भाजीपानी	1.729	4.943	11.085	17.757
103	कुहिया	22.935	17.615	23.623	64.174
104	सुनारी मोहगांव	21.433	25.158	19.603	66.194
105	जैतपुर	1.522	1.960	0.000	3.482
106	धोलपुर	0.000	0.000	0.619	0.619
107	बीजापानी	1.810	0.368	4.352	6.530
108	भाजीपानी	1.409	4.251	5.482	11.142
109	खापा कला भाजीपानी	4.490	6.866	1.130	12.486
110	सांख	1.219	0.000	0.000	1.219
111	जटामा	2.324	0.899	1.830	5.053
112	घगडिया	0.842	1.202	0.000	2.045
113	सालईछिंदी	28.308	5.696	21.101	55.105
114	गोहरगांव	7.992	1.931	7.870	17.794
115	परसगांव	11.785	2.352	3.988	18.126
116	मुडियाखेडा	16.211	4.964	6.381	27.555
117	बम्हनीतुरा	8.543	4.401	3.563	16.506
118	कोंडरखापा	3.919	8.304	0.332	12.555
119	नीलकंठी कला	1.304	0.000	0.000	1.304
120	नोलाझिर	5.012	1.611	7.085	13.709
121	उभेगांव	0.332	0.729	1.462	2.522
122	राजना	0.279	0.891	1.490	2.660
123	केकडा	2.372	0.482	1.231	4.085
124	नवलगांव	4.061	0.000	2.591	6.652
125	ढीमरमेटा	2.502	2.741	1.559	6.802
126	चोर बतरी	0.000	1.332	0.000	1.332
127	माताखैरी	20.713	3.202	8.077	31.992
128	नवेगांव गोड	0.000	0.332	0.000	0.332
129	उलाबाडी	0.000	0.000	0.850	0.850
130	कुकडा	0.000	1.474	0.000	1.474
131	बामला	0.980	1.441	0.478	2.899
132	पचगांव	12.134	16.818	10.939	39.891
133	आमगांव	7.737	10.069	10.247	28.053
134	खाति पिपरिया	0.000	2.162	4.194	6.356

135	टाप	5.737	11.632	0.000	17.368
136	पोनिया	0.000	5.121	0.000	5.121
137	खैरघाट	3.947	4.494	3.053	11.494
138	बांसखेडा	4.381	4.563	11.389	20.332
139	पतलोन	0.000	5.381	2.883	8.263
140	थोटा	0.810	0.810	0.688	2.308
141	रमपुरी	7.170	16.490	21.644	45.304
142	घोडपुर	0.619	0.000	0.789	1.409
143	डोलापांजरा	0.000	0.000	2.393	2.393
144	तीतरी	2.538	4.275	9.696	16.510
145	चंदनगांव	23.955	20.057	18.287	62.300
146	बादगांव	22.004	5.818	5.113	32.935
147	लालगांव	6.421	2.271	5.178	13.870
148	दावाझिर	0.781	0.000	4.421	5.202
149	गुमतुरा	3.142	4.482	0.619	8.243
150	ओरिया	12.474	7.741	3.300	23.514
151	सीताझिर	5.555	5.822	0.000	11.377
152	फुटेरा	10.178	2.611	0.279	13.069
153	समसवाडा	0.599	0.000	0.559	1.158
154	श्यामाटोला	8.761	0.000	0.000	8.761
155	साजपानी	13.733	4.134	3.154	21.020
156	हलाल	9.538	2.992	1.879	14.409
157	मंदरिया	4.020	0.000	4.506	8.526
158	ग्रेहटिया	20.591	5.830	3.879	30.300
159	खैररांझी	8.530	0.320	0.911	9.761
160	सीदप	0.291	1.522	0.300	2.113
161	छापर	10.166	1.591	5.591	17.348
162	फुटेरा मोहगांव	11.494	2.085	5.356	18.935
163	खैरी टोला	4.603	0.000	4.534	9.138
164	करलई	19.826	3.923	4.259	28.008
165	कोना पिण्डरई	1.652	0.000	1.162	2.814
166	हरदुआ	3.822	0.000	0.000	3.822
167	हालाल खुर्द	5.575	0.000	0.538	6.113
	कुल योग				2458.360

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./रेवाकृपा/2017-18/680 भोपाल, दिनांक 28/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि., शाहपुरा (भिटौनी), जिला- जबलपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	जबलपुर/शाहपुरा	फैक्ट्री गेट	160	2071.75
2	जबलपुर/पाटन	फैक्ट्री गेट	65	94.52
3	नरसिंहपुर/गोटेगाँव	फैक्ट्री गेट	122	2265.98
	कुल		347	4432.25

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. (भिटौनी), जबलपुर.

(आकृषि समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टर में) ✓

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौड़ी (फाटक)	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62	181.00	90.50	10
2	धुन्तौर	18.67	10.00	11.00	5.00	44.67	2233.50	1116.75	2
3	कैथरा (शहपुरा)	20.22	10.00	10.00	10.00	50.22	2511.00	1255.50	2
4	भिटौनी	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	4
5	भमकी	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	4
6	खमदेही	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	4
7	भदरवारा	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	4
8	गंजकटंगा	10.04	4.00	2.00	4.00	20.04	1002.00	501.00	5
9	शहपुरा	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	1.00	0.50	5
10	बोनी (टिपरा)	6.53	3.00	2.00	1.00	12.53	626.50	313.25	6
11	खिरकाखेड़ा	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	210.00	105.00	6
12	किसरोद	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	2.50	1.25	6
13	टिकरी	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	107.00	53.50	6
14	टिपरा	10.40	5.00	14.00	10.00	39.40	1970.00	985.00	6
15	मगरमुहा	5.35	1.00	0.00	0.00	6.35	317.50	158.75	7
16	नटवारा	100.09	30.00	40.00	58.00	228.09	11404.50	5702.25	7
17	इमलिया	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	155.00	77.50	7
18	छपरट	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	80.00	40.00	7
19	कुलोन (छपरट)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	7
20	रैयाखेड़ा	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	7
21	पौड़ी (परछिया)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	7
22	कटंगी (सहजपुर)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	7
23	ईश्वरखेड़ा	0.30	0.10	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	8
24	लुहार्य	2.19	0.50	0.50	0.00	3.19	159.50	79.75	8
25	भमका	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	8
26	मालकछार	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	8
27	दिघोरी	1.30	0.50	0.50	0.00	2.30	115.00	57.50	8
28	द्विमर (झोड़ी)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	8
29	पिपरिया(कनवास)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	8
30	सहजपुर	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	8
31	झोड़ी	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	8
32	रमरिमरिया	20.51	10.00	10.00	9.00	49.51	2475.50	1237.75	8
33	नाचनखेड़ा	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	9
34	रामघाट(पिपरिया)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	9
35	बिजना	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	9
36	महगवा सगड़ा	3.51	1.00	1.00	0.00	5.51	275.50	137.75	9
37	बरगी	5.75	2.00	2.00	0.00	9.75	487.50	243.75	10
38	बम्हनौदा	2.33	1.00	1.00	0.00	4.33	216.50	108.25	10
39	सुर्ई	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	10

गन्ना चिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबरपुर के गन्ना ग्रामों की सूची ✓
(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	सीतलपुर	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	10
41	बिलपठार	20.82	5.00	3.00	7.00	35.82	1791.00	895.50	10
42	खपरा	3.77	1.00	0.00	0.00	4.77	238.50	119.25	10
43	धरमपुरा बंधा	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	10
44	बरखेडा(सहजपुर)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	10
45	परछिया	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	10
46	बरहां	0.50	0.20	0.20	0.00	0.90	45.00	22.50	11
47	हिरापुर बंधा	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62	81.00	40.50	11
48	उमरिया	85.40	46.00	40.00	46.00	217.40	10870.00	5435.00	11
49	खैरी बंधा	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	12
50	सहोजनी	3.58	2.00	0.00	0.00	5.58	279.00	139.50	12
51	लूटी	8.15	3.00	2.00	1.00	14.15	707.50	353.75	12
52	भीटा	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	12
53	अगासी	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	12
54	मनगंवा	10.44	5.00	5.00	2.00	22.44	1122.00	561.00	12
55	मानेगांव	6.64	4.00	3.00	3.00	16.64	832.00	416.00	12
56	गडरपिपरिया	0.55	0.30	0.00	0.00	0.85	42.50	21.25	12
57	कैथरा(सहजपुर)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	12
58	सिहोदा	0.36	0.20	0.00	0.00	0.56	28.00	14.00	12
59	दुल(मानसगर)	29.63	8.00	16.00	16.00	69.63	3481.50	1740.75	12
60	बिलखिरवा	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	99.00	49.50	13
61	मटवारा	6.65	3.00	2.00	0.00	11.65	582.50	291.25	13
62	मुडीया	5.89	1.00	1.00	0.00	7.89	394.50	197.25	13
63	ज्वाप	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	14
64	लम्हेटा	1.50	1.00	0.50	0.00	3.00	150.00	75.00	14
65	भीटा	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	14
66	कुसमी	1.04	1.00	1.00	0.00	3.04	152.00	76.00	14
67	डोभी	9.83	3.00	3.00	2.00	17.83	891.50	445.75	14
68	जमुनिया(ज्वाप)	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	20.50	10.25	15
69	खुरई पिपरीया	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	156.50	78.25	15
70	खैरी (लम्हेटा)	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	102.50	51.25	15
71	फूलर	6.70	2.00	2.00	0.00	10.70	535.00	267.50	15
72	अहरोरा	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02	101.00	50.50	15
73	करहैया	10.27	8.00	2.00	5.00	25.27	1263.50	631.75	16
74	केवलारी	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	16
75	भरदा	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	16
76	नीमखेड़ा	5.64	2.00	0.00	0.00	7.64	382.00	191.00	14
77	रैनी	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	83.00	41.50	16
78	आमहिजोता	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	16
79	मजीठा	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	17
80	करहैया कला	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	17

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.	
81	कटीला	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	17
82	इमलिया(मानेगांव)	1.59	1.00	0.00	0.00	2.59	129.50	64.75	17
83	लामी	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	18
84	मनगवां	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	18
85	तिलवारा	1.50	0.50	1.00	0.00	3.00	150.00	75.00	19
86	कूइन	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	19
87	मनकेडी	35.09	10.00	10.00	10.00	65.09	3254.50	1627.25	19
88	खमरिया	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	20
89	तेवर पिपरीया	2.01	1.00	0.00	0.00	3.01	150.50	75.25	20
90	कुआंखेडा	1.00	0.50	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	23
91	जमखार	0.40	0.40	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	24
92	चरणवा (नवीन)	10.93	4.00	3.00	0.00	17.93	896.50	448.25	24
93	कूसली	32.38	18.00	12.00	10.00	72.38	3619.00	1809.50	24
94	जमुनिया (मैली)	1.85	1.00	0.00	0.00	2.85	142.50	71.25	25
95	सालीवाडा (मैली)	0.40	0.40	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	25
96	सुनाचर	20.94	5.00	5.00	5.00	35.94	1797.00	898.50	25
97	गुंदरई	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	25
98	मैली	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	26
99	बेलखेडा	8.97	3.00	3.00	0.00	14.97	748.50	374.25	कय केन्द्र दूरी 12
100	हिनोतिया	2.51	1.00	1.00	0.00	4.51	225.50	112.75	27
101	पिपरीया कला	1.00	0.50	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	28
102	मातनपुर	21.46	8.00	6.00	0.00	35.46	1773.00	886.50	कय केन्द्र दूरी 11
103	गुबरा कला	1.00	0.50	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	30
104	बिहारीपुरा	12.05	4.00	2.00	2.00	20.05	1002.50	501.25	कय केन्द्र दूरी 10
105	सुन्दादेही	34.61	12.00	18.00	10.00	74.61	3730.50	1865.25	कय केन्द्र दूरी 08
106	इमलिया	30.00	20.00	0.00	0.00	50.00	2500.00	1250.00	30
107	झोंसी	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	30
108	भौतिया	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	30
09	बरमान	0.33	0.10	0.10	0.00	0.53	26.50	13.25	31
10	झलोन	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	12.50	31
11	तुमरा	1.20	1.00	0.00	0.00	2.20	110.00	55.00	32
12	गोकला	14.20	5.00	5.00	0.00	24.20	1210.00	605.00	कय केन्द्र दूरी 05
13	छपरा	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	20.00	10.00	33
14	भेरेगांव	18.50	5.00	5.00	4.00	32.50	1625.00	812.50	कय केन्द्र दूरी 05
15	बेलखेडी	30.40	8.00	8.00	12.00	58.40	2920.00	1460.00	कय केन्द्र दूरी 05
16	बसेडी	20.66	5.00	5.00	7.00	37.66	1883.00	941.50	कय केन्द्र दूरी 02
17	गुबरा खुर्द	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	34
18	सिमरिया	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	35
19	कुडा(इमलिया)	3.00	2.00	2.00	0.00	7.00	350.00	175.00	35
20	धनगंवा	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	35
21	कुडाकला	4.82	2.00	2.00	0.00	8.82	441.00	220.50	कय केन्द्र दूरी 08
2	बरपटी	10.35	12.00	5.00	5.00	32.35	1617.50	808.75	कय केन्द्र दूरी 04
3	पावला	20.76	8.00	9.00	6.00	43.76	2188.00	1094.00	कय केन्द्र दूरी 04

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
 ✓ तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.	
124	चरगंवा(पुरानी)	12.32	4.00	4.00	0.00	20.32	1016.00	508.00	35
125	मिहगंवा(भडपुरा)	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	36
126	जगतपुरा	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	75.00	37.50	37
127	धरती कछर	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	38
128	औरिया	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	38
129	बम्बाबारी	10.64	5.00	10.00	3.00	28.64	1432.00	716.00	38
130	सर्रा	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	200.00	100.00	38
131	पाथर पौडी	6.29	2.00	2.00	0.00	10.29	514.50	257.25	38
132	महगंवा(खाप)	12.36	4.00	2.00	2.00	20.36	1018.00	509.00	39
133	दलपतपुर	9.96	2.00	2.00	0.00	13.96	698.00	349.00	40
134	केदारपुर	22.25	10.00	15.00	15.00	62.25	3112.50	1556.25	40
135	अहमदपुर	3.27	2.00	2.00	0.00	7.27	363.50	181.75	40
136	देवरी(पुरानी)	20.78	6.00	4.00	5.00	35.78	1789.00	894.50	42
137	बढ़ैयाखेड़ा	2.90	2.00	0.00	0.00	4.90	245.00	122.50	42
138	किसलई	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	45
139	सुनवारा	12.12	15.00	5.00	10.00	42.12	2106.00	1053.00	45
140	नयानगर	1.12	1.00	1.00	0.00	3.12	156.00	78.00	45
141	सिंगोरी	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	46
142	इमलिया(ललपुर)	6.35	1.50	1.50	0.00	9.35	467.50	233.75	48
143	बिजना	3.37	2.00	1.00	0.00	6.37	318.50	159.25	48
144	भारतपुर	3.63	1.00	1.00	0.00	5.63	281.50	140.75	48
145	दपकिया	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	200.00	100.00	50
146	भीकमपुर	1.58	1.00	1.00	0.00	3.58	179.00	89.50	23
147	सिधपुरी	0.69	2.00	0.00	0.00	2.69	134.50	67.25	20
148	प्रेमनगर (सूखा)	0.88	1.00	1.00	0.00	2.88	144.00	72.00	20
149	गंगई	3.88	1.00	1.00	0.00	5.88	294.00	147.00	22
150	रजोला	4.10	2.00	0.00	0.00	6.10	305.00	152.50	23
151	बम्होरी	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	40
152	खाप	5.32	2.00	0.00	0.00	7.32	366.00	183.00	45
153	भडपुरा	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	122.00	61.00	11
154	कुलीन बिजना	2.83	1.00	1.00	0.00	4.83	241.50	120.75	35
155	पिपरिया बेनी	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	148.00	74.00	45
156	तुमरा पाथरपौडी	29.64	5.00	5.00	0.00	39.64	1982.00	991.00	22
157	बिछुआ	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	106.00	53.00	32
158	हाथीकछर	5.82	2.00	0.00	0.00	7.82	391.00	195.50	48
159	कटोरी	11.77	5.00	5.00	0.00	21.77	1088.50	544.25	वाया गोटेगांव 80
160	छेडी ✓	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	40.00	20.00	25
	कुल योग	1046.25	398.20	342.30	285.00	2071.75	103588	51794	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भितौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
✓ तहसील पाटन जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहसन	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	166.00	83.00	6
2	खैरी (सहसन)	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	8
3	कुवरपुर	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	10
4	रैयाखेड़ा	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	10
5	धनेटा	6.00	3.42	4.00	2.00	15.42	771.00	385.50	10
6	भुवारा	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	8.00	4.00	11
7	राखी	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	11
8	ग्वारी	0.10	0.10	0.20	0.00	0.40	20.00	10.00	11
9	बम्होरी	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	20.00	10.00	12
10	भकलिया	0.20	0.10	0.00	0.10	0.40	20.00	10.00	12
11	नन्दवारा	0.10	0.00	0.10	0.00	0.20	10.00	5.00	13
12	चदवा	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	13
13	पड़रिया (भमक)	1.00	0.31	0.30	0.00	1.61	80.50	40.25	14
14	कुमगंवा	0.20	0.10	0.10	0.10	0.50	25.00	12.50	14
15	सिमरिया	0.30	0.20	0.10	0.20	0.80	40.00	20.00	14
16	बढ़ैयाखेड़ा	1.00	0.50	0.62	0.00	2.12	106.00	53.00	15
17	मढ़पिपरिया	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	15
18	पाटन	2.00	0.50	0.30	0.32	3.12	156.00	78.00	15
19	सिन्गोरी	0.30	0.10	0.10	0.00	0.50	25.00	12.50	16
20	चपोद	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	17
21	अमरपुर	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	17
22	गुरुपिपरिया	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	18
23	इंडी	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	18
24	महुआखेड़ा	2.00	1.06	1.00	1.00	5.06	253.00	126.50	18
25	गाड़ाघाट	0.20	0.10	0.20	0.00	0.50	25.00	12.50	18
26	भोरदा	0.10	0.00	0.10	0.00	0.20	10.00	5.00	20
27	सिन्गोरी	5.03	1.00	2.00	0.00	8.03	401.50	200.75	20
28	सिंगोरी	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	20
29	सरखण्डी	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	20
30	नीची	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	21
31	मुस्करा	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	112.50	56.25	22
32	नीमी	4.00	1.52	1.00	1.00	7.52	376.00	188.00	22
33	कटरा बेलखेड़ा	0.10	0.10	0.00	0.20	0.40	20.00	10.00	22
34	सिमरिया	0.10	0.20	0.20	0.00	0.50	25.00	12.50	22
35	रोसरा	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	23

रेवाकृपा शुगरर्स प्रा. लि. शहपुरा (भितौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	डुडी	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	23
37	जरोद	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	24
38	बरोदा	0.10	0.10	0.00	0.20	0.40	20.00	10.00	25
39	हटेपुरखुर्द	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	27
40	खमोद	0.00	0.10	0.10	0.00	0.20	10.00	5.00	27
41	उजरोड	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	28
42	हटेपुरकंला	0.10	0.20	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	28
43	आगासोद	4.00	2.00	2.00	0.46	8.46	423.00	211.50	30
44	रमखिरिया	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	30
45	सहसन पडरिया	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	30
46	पडरिया (ब्योहारी)	2.38	1.00	1.00	0.00	4.38	219.00	109.50	30
47	मझगंवा	0.10	0.00	0.10	0.00	0.20	10.00	5.00	30
48	कटिया लुहारी	0.10	0.10	0.00	0.20	0.40	20.00	10.00	31
49	पडरिया (थुआं)	3.71	1.00	1.00	0.00	5.71	285.50	142.75	32
50	आरछा	0.10	0.10	0.00	0.00	0.20	10.00	5.00	32
51	बरोदा	0.10	0.10	0.10	0.00	0.30	15.00	7.50	32
52	नुनसर	0.10	0.20	0.00	0.10	0.40	20.00	10.00	32
53	कैथरा	0.10	0.10	0.10	0.00	0.30	15.00	7.50	32
54	भर्रा	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	32
55	लुहारी(कटिया)	0.10	0.00	0.00	0.10	0.20	10.00	5.00	30
56	कौंटी	0.10	0.10	0.10	0.00	0.30	15.00	7.50	25
57	बरही	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	5.00	2.50	12
58	कनवास पिपरिया	0.20	0.10	0.20	0.00	0.50	25.00	12.50	8
59	बनवार	0.50	0.50	0.50	0.00	1.50	75.00	37.50	20
60	पिपरिया चन्द्रभान	0.20	0.10	0.10	0.00	0.40	20.00	10.00	20
61	खैरी हरदुआ	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	15
62	बेनीखेडा	1.00	0.25	0.00	0.00	1.25	62.50	31.25	26
63	पौडी	1.00	1.00	1.00	0.10	3.10	155.00	77.50	35
64	थुआ (पडरिया)	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	139.00	69.50	42
65	ओरिया	2.79	1.00	1.00	0.00	4.79	239.50	119.75	45
कुल योग		51.20	19.06	18.08	6.18	94.52	4726.00	2363.00	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर

(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पिराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसीघाट	18.51	8.00	9.00	9.00	44.51	2225.50	1112.75	18
2	बेलखेड़ी (झाँसीघाट)	25.65	5.00	5.00	0.00	35.65	1782.50	891.25	16
3	खमरीया (झाँसीघाट)	39.85	15.00	15.00	20.00	89.85	4492.50	2246.25	20
4	देगुंवा	27.67	10.00	20.00	20.00	77.67	3883.50	1941.75	20
5	रिमझा (खमरीया)	9.77	5.00	5.00	0.00	19.77	988.50	494.25	22
6	मालीवाडा	25.02	15.00	18.00	17.00	75.02	3751.00	1875.50	23
7	सिलारी	20.35	7.00	4.00	4.00	35.35	1767.50	883.75	23
8	जोनी	20.24	10.00	3.00	7.00	40.24	2012.00	1006.00	23
9	बुढ़ीमचई	12.70	8.00	8.00	4.00	32.70	1635.00	817.50	24
10	कंजई	19.46	18.00	8.00	4.00	49.46	2473.00	1236.50	24
11	पिपरपानी	13.27	16.00	7.00	7.00	43.27	2163.50	1081.75	25
12	करेली (कला)	23.53	8.00	12.00	10.00	53.53	2676.50	1338.25	25
13	बुम्हडाखोडा	5.28	2.00	3.00	1.00	11.28	564.00	282.00	कय केन्द्र दूरी 02
14	गोटेगांव	3.31	2.00	1.00	6.31	12.62	631.00	315.50	कय केन्द्र दूरी 02
15	बुघगाँव	3.36	1.00	1.00	0.00	5.36	268.00	134.00	25
16	कुमझोर	13.31	5.00	2.00	1.00	21.31	1065.50	532.75	कय केन्द्र दूरी 02
17	सालीवाडा	48.85	8.00	6.00	6.00	68.85	3442.50	1721.25	कय केन्द्र दूरी 08
18	झोडा	6.00	2.00	1.00	1.00	10.00	500.00	250.00	26
19	उमरा (उमरी)	3.73	1.00	1.00	0.00	5.73	286.50	143.25	27
20	कुमलाह	20.03	5.00	3.00	2.00	30.03	1501.50	750.75	कय केन्द्र दूरी 05
21	बारा	15.38	5.00	5.00	0.00	25.38	1269.00	634.50	23
22	गोहास	23.81	19.00	9.00	12.00	63.81	3190.50	1595.25	कय केन्द्र दूरी 10
23	मुंघारा (मुंघारा)	5.00	4.00	3.00	3.00	15.00	750.00	375.00	28
24	कमोदी (कमोदी)	2.26	1.00	1.00	0.00	4.26	213.00	106.50	28
25	कमोद	12.00	4.00	2.00	2.00	20.00	1000.00	500.00	28
26	पड़रिया (मुर्ई)	11.59	5.00	3.00	3.00	22.59	1129.50	564.75	28
27	बगलई (तिघरा)	5.89	2.00	1.00	1.00	9.89	494.50	247.25	कय केन्द्र दूरी 02
28	राखी	6.00	2.00	1.00	1.00	10.00	500.00	250.00	28
29	खेलेली (गोटेगांव)	2.76	1.00	0.00	0.00	3.76	188.00	94.00	कय केन्द्र दूरी 07
30	पड़रिया	3.20	2.00	1.00	0.00	6.20	310.00	155.00	29
31	कांचर (कला)	1.80	1.00	1.00	0.00	3.80	190.00	95.00	27
32	औरगीवाडा	9.00	15.00	3.00	2.00	29.00	1450.00	725.00	30
33	जमुनीया	3.57	1.00	0.00	0.00	4.57	228.50	114.25	कय केन्द्र दूरी 05
34	बगलई (पचौरी)	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	कय केन्द्र दूरी 02
35	अतरिया	16.60	5.00	7.00	8.00	36.60	1830.00	915.00	कय केन्द्र दूरी 02
36	पोनिया (गोटेगांव)	8.51	3.00	5.00	2.00	18.51	925.50	462.75	कय केन्द्र दूरी 05
37	खोवी (गोटेगांव)	14.00	10.00	5.00	5.00	34.00	1700.00	850.00	30
38	घरगाँव	17.69	5.00	3.00	2.00	27.69	1384.50	692.25	कय केन्द्र दूरी 05
39	भैसा	10.27	4.00	3.00	3.00	20.27	1013.50	506.75	30
40	बढैयाखोडा(परसबाडा)	35.31	20.00	20.00	10.00	85.31	4265.50	2132.75	30
41	परसबाडा	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	164.50	82.25	30
42	कोड़िया	5.30	3.00	3.00	0.00	11.30	565.00	282.50	कय केन्द्र दूरी 12
43	हिड़की	9.50	5.00	3.00	2.00	19.50	975.00	487.50	कय केन्द्र दूरी 05
44	छिनौरी	4.20	3.00	0.00	0.00	7.20	360.00	180.00	कय केन्द्र दूरी 01
45	पिपरिया (बौधरी)	6.47	2.00	2.00	1.00	11.47	573.50	286.75	29
46	मुर्ई (मुर्ई)	9.28	4.00	2.00	2.00	17.28	864.00	432.00	28
47	मुडीया	9.00	3.00	4.00	3.00	19.00	950.00	475.00	21
48	नवई	4.31	2.00	1.00	0.00	7.31	365.50	182.75	30

1306/19

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील गोटेगाव जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	बगतेला	7.00	2.00	1.00	0.00	10.00	500.00	250.00	24
50	विघरा (अतरिया)	9.38	4.00	3.00	0.00	16.38	819.00	409.50	कय केन्द्र दूरी 03
51	सहजपुरा	8.45	3.00	3.00	3.00	17.45	872.50	436.25	कय केन्द्र दूरी 08
52	बरोली	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	300.00	150.00	कय केन्द्र दूरी 02
53	बरोदा	2.10	1.00	0.00	0.00	3.10	155.00	77.50	कय केन्द्र दूरी 07
54	खैरी (खीरी)	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	300.00	150.00	
55	कुशीवाड़ा	4.89	2.00	1.00	0.00	7.89	394.50	197.25	कय केन्द्र दूरी 07
56	सिमरिया(बगलईपचौरी)	18.26	6.00	3.00	3.00	30.26	1513.00	756.50	31
57	देवरीकंला	14.77	5.00	3.00	2.00	24.77	1238.50	619.25	कय केन्द्र दूरी 08
58	पिपरीया (अटकारी)	3.20	1.00	1.00	0.00	5.20	260.00	130.00	28
59	नरली	2.10	1.00	1.00	0.00	4.10	205.00	102.50	32
60	देवरी (रिमिझा)	8.70	3.00	2.00	1.00	14.70	735.00	367.50	33
61	कमता (कमती)	7.13	2.00	2.00	0.00	11.13	556.50	278.25	कय केन्द्र दूरी 10
62	राका (सोता)	3.10	1.00	1.00	0.00	5.10	255.00	127.50	28
63	तिरका	12.08	4.00	4.00	0.00	20.08	1004.00	502.00	कय केन्द्र दूरी 07
64	समजी	6.30	2.00	0.00	0.00	8.30	415.00	207.50	34
65	लम्हेटी	2.60	1.00	1.00	0.00	4.60	230.00	115.00	34
66	रिमिझा (देवरी)	20.36	5.00	5.00	0.00	30.36	1518.00	759.00	कय केन्द्र दूरी 10
67	सिमरी बड़ी	10.20	3.00	3.00	2.00	18.20	910.00	455.00	35
68	कमती (पिडरई)	6.46	16.00	4.00	4.00	30.46	1523.00	761.50	कय केन्द्र दूरी 07
69	मेहका गाड़ाघाट	4.12	2.00	1.00	1.00	8.12	406.00	203.00	29
70	बहरोरा	6.79	2.00	0.00	0.00	8.79	439.50	219.75	35
71	पिपरिया (मनकवारा)	11.56	2.00	2.00	4.00	19.56	978.00	489.00	35
72	देवगुवा (पिपरिया)	8.63	2.00	2.00	0.00	12.63	631.50	315.75	32
73	सहोजनी	1.20	1.00	1.00	0.00	3.20	160.00	80.00	35
74	वरगुवा (दपकिया)	14.58	9.00	4.00	3.00	30.58	1529.00	764.50	33
75	सर्रा	1.45	1.00	0.00	0.00	2.45	122.50	61.25	34
76	सिमरी	8.30	2.00	2.00	0.00	12.30	615.00	307.50	36
77	पिपरसरा	2.10	1.00	1.00	0.00	4.10	205.00	102.50	36
78	खेरुवा	3.80	2.00	0.00	0.00	5.80	290.00	145.00	36
79	हिन्नोता	1.20	1.00	1.00	0.00	3.20	160.00	80.00	36
80	घुचुरी	3.40	2.00	1.00	0.00	6.40	320.00	160.00	36
81	पिपरिया (बाजारशुक)	8.20	5.00	3.00	2.00	18.20	910.00	455.00	36
82	भडरी	36.83	10.00	10.00	10.00	66.83	3341.50	1670.75	26
83	दपकिया	34.43	8.00	8.00	4.00	54.43	2721.50	1360.75	कय केन्द्र दूरी 07
84	मंहगवा	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	85.00	42.50	37
85	लालई	2.50	2.00	0.00	0.00	4.50	225.00	112.50	37
86	जामुनपानी	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	155.00	77.50	37
87	शुकरी	3.30	1.00	0.00	0.00	4.30	215.00	107.50	37
88	देतरी	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	37
89	पिपरिया (कोहला)	3.10	1.00	0.00	0.00	4.10	205.00	102.50	37
90	टैगोरा	3.30	2.00	0.00	0.00	5.30	265.00	132.50	37
91	हुंगरिया (हुंगरिया)	25.82	10.00	5.00	5.00	45.82	2291.00	1145.50	37
92	बड़खेड़ा (वरगवा)	4.10	2.00	0.00	0.00	6.10	305.00	152.50	40
93	नरवारा	18.35	6.00	3.00	3.00	30.35	1517.50	758.75	27
94	कामती	5.20	3.00	3.00	0.00	11.20	560.00	280.00	38
95	लाटगांव	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	182.50	91.25	35
96	कुडा	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	155.00	77.50	38
97	औरिया	5.15	3.00	2.00	0.00	10.15	507.50	253.75	38
98	कोरेगांव	2.35	1.00	1.00	0.00	4.35	217.50	108.75	38

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%	रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	अंडिया	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	38
100	घुघरा	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	38
101	अनंतपुर	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	30
102	पिपरिया (पथरिया)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	25.00	39
103	श्यामनगर	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	39
104	दौल	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00	39
105	बगलई (ललपुर)	6.20	3.00	2.00	0.00	11.20	560.00	280.00	39
106	उमरिया	31.38	10.00	5.00	5.00	51.38	2569.00	1284.50	39
107	दान (दामिनी) खमरिया	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	155.00	77.50	39
108	तरवारा	4.15	1.00	1.00	0.00	6.15	307.50	153.75	30
109	शकरी	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	40
110	चिंदयाड़ा	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	200.00	100.00	27
111	भंडी (मंडी)	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	150.00	75.00	40
112	मनकचारा	23.93	5.00	5.00	0.00	33.93	1696.50	848.25	कय केन्द्र दूरी 08
113	बन्डोल	4.33	2.00	1.00	0.00	7.33	366.50	183.25	21
114	लम्हेटा	8.20	2.00	2.00	0.00	12.20	610.00	305.00	34
115	मेहका	4.30	2.00	0.00	0.00	6.30	315.00	157.50	35
116	हिनोता	4.20	3.00	2.00	0.00	9.20	460.00	230.00	36
117	बरेली	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	65.00	32.50	30
118	द्विघारी	9.29	6.00	3.00	2.00	20.29	1014.50	507.25	कय केन्द्र दूरी 07
119	बम्हनौदा	7.56	3.00	2.00	2.00	14.56	728.00	364.00	30
120	बेलाखेड़ी (टिकरी)	35.38	6.00	5.00	5.00	51.38	2569.00	1284.50	30
121	गोहचर	5.19	2.00	2.00	1.00	10.19	509.50	254.75	28
122	पिडरई	23.89	5.00	3.00	2.00	33.89	1694.50	847.25	29
कुल योग		1192.7	481.00	344.00	248.31	2265.98	113299.00	56649.50	

क/गन्ना/एस-3/क्षे.आर./राजराजेश्वरी/2017-18/685 भोपाल, दिनांक 29/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि., मोहपानी, गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	62	3170.12
	कुल		62	3170.12

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

राज राजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. मोहपानी
गाडरवारा जिला- नरसिंहपुर(म.प्र.)

पेराई सत्र - 2017-18

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामो की सूची

कं.स.	ग्राम का नाम	कारखाने से ग्रामो की दूरी	परिवहन का साधन	गन्ना फसल अछादित क्षेत्र एकड़				जिला	तहसील	कय केन्द्र
				मडी	जडी	नोरपा	योग			
1	कान्हरगांव	17	ट्रेक्टर - ट्राली	47.34	137.92	175.92	361.18	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सभी ग्रामो को मिल गेट पर आवट करने का प्रस्ताव है।
2	महंगवा खुर्द	16	ट्रेक्टर - ट्राली	14.6	39.32	37.83	91.75	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
3	महंगवा कला	16	ट्रेक्टर - ट्राली	91.16	87.02	93.96	272.14	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
4	दिधोरी	15	ट्रेक्टर - ट्राली	10.17	73.01	77.9	161.08	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
5	थलवाडा	10	ट्रेक्टर - ट्राली	35	171.2	209.64	415.84	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
6	सुदरास	13	ट्रेक्टर - ट्राली	10	12.5	21.5	44	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
7	सुदरास खैरी	8	ट्रेक्टर - ट्राली	34	80.5	84.5	199	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
8	इगलिया (पतलोन)	17	ट्रेक्टर - ट्राली	5	8	76.5	89.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
9	धूरपुर	18	ट्रेक्टर - ट्राली	20.5	45.25	61.5	127.25	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
10	मगरमुहा	14	ट्रेक्टर - ट्राली	9.8	79.61	58.12	147.53	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
11	वहलवाडा	11	ट्रेक्टर - ट्राली	52	128	185	365	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
12	पतलोन	21	ट्रेक्टर - ट्राली	1.5	10	41	52.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
13	सीरेगांव	16	ट्रेक्टर - ट्राली	2.5	24.91	55.95	83.36	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
14	गोलगांव कला	15	ट्रेक्टर - ट्राली	15	23	34.34	72.34	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
15	गोलगांव खुर्द	13	ट्रेक्टर - ट्राली	18	19	23	60	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
16	इगलिया	14	ट्रेक्टर - ट्राली	44.04	165.73	201.95	411.72	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
17	मिपारिया	15	ट्रेक्टर - ट्राली	17	52	131.29	200.29	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
18	दुरसरा	16	ट्रेक्टर - ट्राली	2.38	3.91	10.83	17.12	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
19	दुरसरु	16	ट्रेक्टर - ट्राली	5	6	5	16	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
20	कलीतिया	18	ट्रेक्टर - ट्राली	5	38	248	291	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
21	बरेली	16	ट्रेक्टर - ट्राली	19	53	62.5	134.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
22	जमाडा	20	ट्रेक्टर - ट्राली	0	42	29	71	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
23	भूखेडा	21	ट्रेक्टर - ट्राली	0	89	46	135	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
24	चारगांव कला	12	ट्रेक्टर - ट्राली	0	70	101	171	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
25	उकासघाट	16	ट्रेक्टर - ट्राली	0	15.59	35.77	51.36	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
26	मन्कन	20	ट्रेक्टर - ट्राली	0	71.25	65	136.25	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
27	बगलाई	12	ट्रेक्टर - ट्राली	6	114.5	98.25	218.75	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
28	सिंहपुर	10	ट्रेक्टर - ट्राली	164.67	234.85	299.43	698.95	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
29	आडेगांव	8	ट्रेक्टर - ट्राली	71.71	173.99	175.93	421.63	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
30	बारहा	15	ट्रेक्टर - ट्राली	0	8.82	3.06	11.88	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
31	इकलोनी	5	ट्रेक्टर - ट्राली	8.8	13.6	9.06	31.46	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
32	जाना	12	ट्रेक्टर - ट्राली	15	21	28	67	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
33	देवरी	17	ट्रेक्टर - ट्राली	3	16.45	30.75	50.2	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
34	ग्वारी	17	ट्रेक्टर - ट्राली	0	0	0	0	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
35	मोहपानी	2	ट्रेक्टर - ट्राली	1	1	2	4	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
36	गोटीटोरिया	3	ट्रेक्टर - ट्राली	5	5	5	15	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
37	नानेगांव	7	ट्रेक्टर - ट्राली	0	0	0	0	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
38	पुवांरिया	5	ट्रेक्टर - ट्राली	16.61	85.23	68.59	170.43	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
39	चारगांव खुर्द	3	ट्रेक्टर - ट्राली	1	21.04	19.01	41.05	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
40	रीछई	3	ट्रेक्टर - ट्राली	10	0	0	10	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
41	मालहनवाडा	7	ट्रेक्टर - ट्राली	0	0.2	3.24	3.44	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
42	हीरापुर	15	ट्रेक्टर - ट्राली	26.08	190.02	222.18	438.28	नरसिंहपुर	गाडरवारा	
43	छैनाकधर	12	ट्रेक्टर - ट्राली	38	60	92	190	नरसिंहपुर	गाडरवारा	

Am
सहायक संचालक कृषि (म.प्र.)
नरसिंहपुर
मध्यप्रदेश राजपत्र

	10	ट्रेक्टर - ट्राली	1	35	28.5	64.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा
	17	ट्रेक्टर - ट्राली	51.76	119.76	171.61	343.13	नरसिंहपुर	गाडरवारा
46	10	ट्रेक्टर - ट्राली	0	0	9.26	9.26	नरसिंहपुर	गाडरवारा
47	16	ट्रेक्टर - ट्राली	0	1	8.5	9.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा
48	22	ट्रेक्टर - ट्राली	12.5	100.5	115	228	नरसिंहपुर	गाडरवारा
49	20	ट्रेक्टर - ट्राली	0	5	15	20	नरसिंहपुर	गाडरवारा
50	18	ट्रेक्टर - ट्राली	0	3	7.5	10.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा
51	14	ट्रेक्टर - ट्राली	0	6	41.5	47.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा
52	16	ट्रेक्टर - ट्राली	10	72	86.75	168.75	नरसिंहपुर	गाडरवारा
53	12	ट्रेक्टर - ट्राली	20	5.51	18.32	43.83	नरसिंहपुर	गाडरवारा
54	17	ट्रेक्टर - ट्राली	10	3	29.5	42.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा
55	15	ट्रेक्टर - ट्राली	2	13	14	29	नरसिंहपुर	गाडरवारा
56	16	ट्रेक्टर - ट्राली	4	30	57	91	नरसिंहपुर	गाडरवारा
57	2	ट्रेक्टर - ट्राली	5.06	63.35	30.84	99.25	नरसिंहपुर	गाडरवारा
58	3	ट्रेक्टर - ट्राली	5.53	61.84	36.44	103.81	नरसिंहपुर	गाडरवारा
59	9	ट्रेक्टर - ट्राली	4.5	32.7	10.05	47.25	नरसिंहपुर	गाडरवारा
60	10	ट्रेक्टर - ट्राली	6	5	2	13	नरसिंहपुर	गाडरवारा
61	6	ट्रेक्टर - ट्राली	2.75	22.08	46.66	71.49	नरसिंहपुर	गाडरवारा
62	11	ट्रेक्टर - ट्राली	0	11.98	5.94	17.92	नरसिंहपुर	गाडरवारा
63	14	ट्रेक्टर - ट्राली	25.5	22	8	55.5	नरसिंहपुर	गाडरवारा
64	4	ट्रेक्टर - ट्राली	8	5	10	23	नरसिंहपुर	गाडरवारा
65	4	ट्रेक्टर - ट्राली	6.96	30.53	20.24	57.73	नरसिंहपुर	गाडरवारा
66	7	ट्रेक्टर - ट्राली	56.85	238.14	130.27	425.26	नरसिंहपुर	गाडरवारा
67	7	ट्रेक्टर - ट्राली	0	5.18	7.83	13.01	नरसिंहपुर	गाडरवारा
68	8	ट्रेक्टर - ट्राली	3.5	2	0.5	6	नरसिंहपुर	गाडरवारा
		योग →	1062	3388	4140.7	8590		

62

क्र. 22 अ-82-17-18-15088

सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

चूँकि सन्तुष्टित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि को, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक—SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार पूर्ण सिंचाई परियोजना की वजह से, जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2) भूमि का विवरण जिला	:	सागर
1. तहसील	:	सागर
2. ग्राम	:	बेरखेरी खुर्द
3. पट.नं.-	:	48
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	7.34 है.

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकबा हे.में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कमल कुमार बल्द सुंदरलाल जैन	भूमिस्वामी	60/2	0.34	0.15	
2	दिनेश पिता मदनलाल पटेल	भूमिस्वामी	61/1	0.23	0.10	
3	कुन्दनलाल पिता पूरनलाल	भूमिस्वामी	61/2	0.10	0.08	
4	शैलष कुमार पिता रामशंकर	भूमिस्वामी	62	0.85	0.76	
5	गुलावरानी बेबा मूलचंद मुशीलाल, मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा.परसराम पिता मूलचंद, लीलाबाई मीनाबाई, बतीबाई, ममताबाई, गुलशान पुत्री मूलचंद	भूमिस्वामी	63	0.10	0.04	
6	मन्नु पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	64	0.08	0.06	
7	रामू पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	65	0.08	0.06	
8	काशाबाई बडीबाई पुत्री गोवर्धन सेवक	भूमिस्वामी	67	0.36	0.35	

	झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन, रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्दावन हस्तिनाम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप				
9	अंजू पत्नि सुनील कुमार	भूमिस्वामी	68	0.23	0.23
			74	0.39	0.39
10	पार्वती पुत्री हरिराम	भूमिस्वामी	69	0.08	0.08
11	माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग	भूमिस्वामी	70	0.08	0.08
12	मु. शरीफ मु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद	भूमिस्वामी	77	0.12	0.03
13	मुरईस पिता मु. शरीफ	भूमिस्वामी	78/1	0.01	0.01
14	मुरईस पिता मु. शरीफ मु.शरीफ मु. इसलाम बल्द ताज मुहम्मद	भूमिस्वामी	78/2	0.09	0.03
15	लक्ष्मीनारायण, मदन पिता हल्के	भूमिस्वामी	81/1	0.25	0.25
16	अतुल कुमार पिता मुन्नालाल	भूमिस्वामी	81/2	0.1	0.1
17	श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	82	0.44	0.44
18	अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थूसिंह	भूमिस्वामी	83	0.73	0.73
			85	0.2	0.2
			79/1	0.10	0.07
19	तुलसीराम, श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेभाई	भूमिस्वामी	84	1.62	1.62
20	जितेन्द्र बा. महेश, राजकुमारी, मालती ना. बा.पिता प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू	भूमिस्वामी	86	0.72	0.72
			78/3	0.01	0.01
21	गंगाराम पिता प्रताप यादव	भूमिस्वामी	87	0.73	0.73
22	धनीराम पिता मोहनसींग घोषी	भूमिस्वामी	79/2	0.02	0.02
	Total		22 किता	8.06	9.34

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए प्रोप्रायल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्त श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करते वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा के अधिकारियों की आवश्यकताओं की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (सागर) जिला सागर, जल संसाधन संभाग, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर को निर्देशित किया जा रहा है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए प्रोप्रायल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्त श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन बन्नी, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने के कारण प्रत्येक क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन सचिव, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्र. 20 अ-82-16-17-15172

सागर, दिनांक 30 नवम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | जमुनिया गौंड जलाशय योजना |
| (2) | भूमि का विवरण- | | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | सागर |
| | 3. ग्राम | : | परगासपुरा |
| | 4. पट.ह.नं. | : | 172 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 14.07 हेक्टे. |

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक माँ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	104/1	1.55	1.55	
2	द्वारका पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	104/2	0.40	0.40	
3	रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक माँ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	106	0.60	0.60	
4	नीलेश ना.बा. पिता विष्णुप्रसाद पालक माँ ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	107/1	1.33	1.33	
5	लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	108	2.19	2.19	
6	भगवानदास बल्द मोहनलाल	भूमिस्वामी	109/1	0.40	0.40	

7	अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू	भूमिस्वामी	109/2	0.83	0.83	
9	गनेश, प्रकाश पिता हरिराम	भूमिस्वामी	109/3	0.80	0.80	
10	बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल	भूमिस्वामी	110	2.28	2.28	
11	गुपालसींग पिता धीरजसींग	भूमिस्वामी	112/1	1.29	0.40	
12	जुझारसींग पिता धीरजसिंह	भूमिस्वामी	112/2	1.29	1.29	
13	विकाससिंह पिता कुवरसिंह	भूमिस्वामी	112/5	1.29	0.40	
14	राजेश पिता मंगलसिंह	भूमिस्वामी	112/6	1.29	0.40	
15	नीलेश पिता धनप्रसाद	भूमिस्वामी	112/7	1.29	0.40	
16	नरेन्द्र पिता करतारसिंह	भूमिस्वामी	112/8	1.30	0.40	
17	प्रीतमसिंह पिता चैनसींग	भूमिस्वामी	112/9	1.29	0.40	
				योग:-	14.07	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 48 अ-82-16-17-15177

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बरखेरा महंत
 4. पट.ह.नं. : 150
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.02 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देव जानकी रमणजी मंदिर बाके, ग्राम देह मुहाल मकार, बालकदास चेला बल्देवदास पता सा. देह	भूमिस्वामी	7/1	24.78	0.87	
2	सुनील कुमार वल्द कंचेदीलाल	भूमिस्वामी	7/2	2.03	0.15	
	योग			26.81	1.02	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 51 अ-82-16-17-15175

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है—

(1) परियोजना का नाम	:	जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(2) भूमि का विवरण—		
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	सागर
3. ग्राम	:	सलैया घूघर
4. पट.ह.नं.	:	149
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.01 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा है. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामगोपाल, संतोष, देवकाबाई, पूनाबाई, लीलावती, कमला पिता गिरधारी	भूमिस्वामी	2/1	0.12	0.07	
2	सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई, रूपाबाई तुलसाबाई पिता दयाराम	भूमिस्वामी	2/2	0.12		
3	मनीराम, भगवानसींग पिता शिवलाल, सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई, रूपाबाई, तुलसाबाई पुत्री दयाराम, रामगोपाल संतोष, देवकाबाई पूनाबाई लीलावती कमला पुत्री गिरधारी	भूमिस्वामी	2/3	0.24		
4	मुन्नालाल, राधेश्याम, शिवराज, संतोष पिता हरीप्रसाद, नर्वदा, गुड्डीबाई, ममता, सुशीला पुत्री हरीप्रसाद, सुहागरानी वेवा हरीप्रसाद	भूमिस्वामी	4/1	3.07	0.18	
5	लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू	भूमिस्वामी	82/1	0.11	0.01	
6	बेनीराम पिता भावसींग, मोतीलाल पिता भावसींग	भूमिस्वामी	82/2	0.62		
7	लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू	भूमिस्वामी	86	0.06	0.01	
8	काशीराम, मोतीलाल, पिता कालूराम, भागचंद पिता रामेश्वर	भूमिस्वामी	88	0.80	0.08	
9	पूरन पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	101/1	0.78	0.07	
10	अयोध्या पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	101/2	0.48		
11	मुन्नालाल पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	99	1.09	0.03	
12	हरलाल पिता हरीसींग	भूमिस्वामी	100	0.67	0.05	
13	हरलाल पिता हरीसींग	भूमिस्वामी	126/2	0.08	0.01	
14	रामप्रसाद पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	126/1	0.41	0.01	
15	बालकिशन पिता पूरन	भूमिस्वामी	125	0.62	0.10	
16	अरविन्दकृमार पिता त्रिलोचननाथ, अमरीष, अंजनी पिता त्रिभुवननाथ	भूमिस्वामी	139	2.12	0.06	
17	भगवानसींग वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	138/1	0.37	0.04	
18	भगवानसींग वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	141/2	0.69	0.04	
	लेखनसींग पिता भावसींग		141/3	0.01		
	मनीराम पिता शिवदयाल		141/4	0.11		
	सुमतरानी पति कुदनसींग		141/5	0.21		
19	रामगोपाल पिता गिरधारी	भूमिस्वामी	143/1	0.40	0.07	
20	वेनीराम पिता भावनसींग, मोतीलाल पिता भावसींग	भूमिस्वामी	144/1	0.79	0.15	
21	मनीराम पिता शिवदयाल	भूमिस्वामी	145/1	0.44	0.03	
22	भगवानसींग वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	145/2	0.43		
	महायोग		22किता	14.84	1.01	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 21 अ-82-16-17-15178

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : जमुनिया गौंड
 4. पट.ह.नं. : 150
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.28 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	इमरत पिता बलू	भूमिस्वामी	227/1	1.77	1.77	
2	कालूराम पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	227/2	0.90	0.10	
3	बूठा पिता पंचे	भूमिस्वामी	229/1	0.18	0.18	
4	बृजरानी पत्नि बूठे	भूमिस्वामी	229/2	1.00	1.00	
5	अबधरानी पति देवकरन	भूमिस्वामी	230	0.97	0.97	
6	नत्था पिता दलपा	भूमिस्वामी	231	1.07	1.07	
7	गुबंदी पिता चौदा	भूमिस्वामी	232/1	0.42	0.42	
8	राकेश पिता रामेश्वर	भूमिस्वामी	232/2	0.40	0.40	
9	देवकरन पिता बलुवा	भूमिस्वामी	233	0.98	0.98	
10	प्रताप,मुलू गोविन्द पिता जीवन	भूमिस्वामी	234	1.20	1.04	
11	रामचरण पिता चोखेलाल	भूमिस्वामी	235/1	0.38	0.1	
12	सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्टू	भूमिस्वामी	235/2	0.40	0.40	
13	काशीराम पिता नारायण	भूमिस्वामी	235/3	0.40	0.40	
14	लाइली वेवा खिलान	भूमिस्वामी	236	2.66	2.21	
15	लाइली वेवा खिलान	भूमिस्वामी	237	2.04	0.13	
16	उमेश पिता नंदराम	भूमिस्वामी	240	1.01	0.48	
17	प्रताप,मुलू गोविन्द पिता जीवन	भूमिस्वामी	223	0.01	0.01	

18	लच्छू पिता नन्हा	भूमिस्वामी	241/3	0.65	0.28	
19	प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	239/2	0.93	0.27	
20	अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	238/1	0.83	0.05	
21	कमलरानी पति देवीप्रसाद	भूमिस्वामी	238/2	0.40	0.02	
		योग:-		18.60	12.28	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 45 अ-82-16-17-15185

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है—

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण—
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : चकेरी
 4. पट.ह.नं. : 149
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.86 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	अनीता पत्नि संतोष सिंह	भूमिस्वामी	5	0.74	0.05	
2	रोहन वल्द कमोद प्रीतम पिता बारेलाल सा. देह	भूमिस्वामी	4/2	0.40	0.09	
3	मंदिर श्रीदेव जानकी रमणजी, बांके ग्राम—वरखेरा महंत, मु. बालकदास चेला, वल्देव प्रसाद प्रबंधक, श्रीमान कलेक्टर, भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/1	17.92	0.50	
4	धनप्रसाद पिता काशीराम	भूमिस्वामी	33/1	0.81	0.10	
5	गायत्री पत्नि दीपक	भूमिस्वामी	33/2	0.80		
6	अंकुर पिता रमेश कृ. तिवारी	भूमिस्वामी	33/3	0.80		
7	रमाकांत पिता अंबिका प्रसाद सा. सागर	भूमिस्वामी	68	0.54	0.03	
		भूमिस्वामी	70	0.35	0.07	
8	रामकली पत्नि कोमल	भूमिस्वामी	184	0.28	0.02	
		भूमिस्वामी	139	0.40	0.03	
9	कोमल पिता लटोरी	भूमिस्वामी	185	0.38	0.04	
10	संजय वा. गुड्डू उर्फ रोहत ना.वा. पुत्री नारायण, वर्षा वा. अंकिता, रोशनी ना.वा पुत्रिया नारायण वलि हररिम पिता लटोरी, नीरजबाई	भूमिस्वामी	186	0.38	0.05	

	वेवा नारायण				
11	छतारे परषोत्तम पिता शंकर, श्यामबाई, वारीबाई, रामप्यारी, पुत्री शंकर	भूमिस्वामी	180	1.06	0.01
12	भानुप्रकाश पिता काशीराम	भूमिस्वामी	150/2	0.03	0.005
13	दामोदर, आशाराम, नंदराम, हरलाल, पिता छुटई	भूमिस्वामी	150/1	0.04	0.01
14	नन्हीबाई वेवा बलदबान, शांतिबाई, मथुराबाई, तीरतबाई पुत्री बलदबान	भूमिस्वामी	149/1	0.06	0.03
15	राजाराम, गोरलाल, बारेलाल, शिवप्रसाद, गौरीशंकर, अशोक पिता जगन्नाथ, रामप्यारी नर्वदाबाई, रामकुमारी पुत्री जगन्नाथ, धनबाई वेवा जगन्नाथ, योगेन्द्र कुमार, जनार्दन प्रसाद पिता हरीमोहन श्रीबाई वेवा हरीमोहन	भूमिस्वामी	152	0.19	0.01
16	सकुन, इंदू पुत्री शिवप्रसाद	भूमिस्वामी	107/2	0.73	0.17
17	नंदकिशोर पिता काशीराम	भूमिस्वामी	108	0.69	0.20
18	नारायण पिता गनपत	भूमिस्वामी	123	0.13	0.02
19	राकेश पिता भगवानदास, मिहिलाल देवीसिंह, रामू ना.वा. पिता भगवानदास, पालक बड़ेभाई, राकेश लीलाबाई जोजे भगवानदास	भूमिस्वामी	128/1	0.24	0.06
		भूमिस्वामी	131/2	0.24	0.02
		भूमिस्वामी	132/2	0.07	0.01
20	पुन्नी पिता मुल्ली	भूमिस्वामी	130/2	0.09	0.05
21	धरमदास पिता देवीप्रसाद	भूमिस्वामी	130/1	0.19	0.04
		भूमिस्वामी	132/1	0.20	0.06
		भूमिस्वामी	132/3	0.15	
22	गोरेलाल पिता गनेश	भूमिस्वामी	134/3	0.23	0.01
23	राजाराम पिता प्रेमनारायण	भूमिस्वामी	133/1	0.21	0.03
		भूमिस्वामी	133/2	0.21	0.04
24	मलखान पिता रामसींग	भूमिस्वामी	142/1	0.12	0.01
		भूमिस्वामी	137	0.43	0.09
	महायोग		24	29.11	1.86

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त

किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 49 अ-82-16-17-15186

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

(1) परियोजना का नाम	:	जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(2) भूमि का विवरण-		
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	सागर
3. ग्राम	:	घूघर
4. पट.ह.नं.	:	148
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	5.635 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नारायण शंकर शुक्ला ट्रस्ट, सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी, मीनाक्षी सिंह, पति अनिल सिंह, अध्यक्ष, कृष्णकांत, पिता गोविन्द्र प्रसाद सचिव, कुन्दनसिंह पिता नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, रामायण, पिता गोविन्द्र प्रसाद, श्रीराम पिता राजाराम, गौतम पिता गौरीशंकर सदस्य निवास ग्राम-भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	727 628 330	1.44 2.54 15.57	0.10 0.06 0.50	
2	देवीसीग पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	328/3	0.26	0.04	
3	कमलेश पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	328/1	0.26	0.04	
4	अनंदा पिता रामभरोशी	भूमिस्वामी	328/2	0.14	0.02	
5	मन्शाराम पिता रामभरोषे, शिवप्रसाद पिता कमल	भूमिस्वामी	24	1.45	0.12	
6	राजेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	23	4.81	0.45	
7	गोविन्द्र प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	22	7.28	0.05	
8	चन्द्रिका पुत्री राजबाबू	भूमिस्वामी	21	3.88	0.01	
9	रेखा पत्नि राजबाबू	भूमिस्वामी	50	2.70	0.20	
10	अजय कंडया पिता केलाश कंडया	भूमिस्वामी	48/4	0.60	0.05	
11	नदलाल पिता हल्कू	भूमिस्वामी	52	0.35	0.01	
12	शेव कुमार डोमन पिता रामचंद, हल्की बेवा रामचंद	भूमिस्वामी	53	0.36	0.06	
13	भैयालाल पिता भावसीग	भूमिस्वामी	54	0.68	0.04	
14	गफलू पिता भगोनी	भूमिस्वामी	55	0.45	0.05	
15	अरुण कुमार पिता बालमुकुन्द	भूमिस्वामी	79	3.85	0.16	
16	सौरभ पिता राजेन्द्र	भूमिस्वामी	320	1.91	0.15	
17	रागिनी पत्नि राजेन्द्रकुमार	भूमिस्वामी	319	4.39	0.22	
18	राजेन्द्र कुमार वल्द दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	533	6.92	0.11	
19	राजबाबू पिता बालमुकुन्द दुबे	भूमिस्वामी	530	7.40	0.10	
20	सुषमा पत्नि गोविन्द्र	भूमिस्वामी	526/1	5.60	0.15	
21	रविप्रसाद पिता परमानंद	भूमिस्वामी	522	0.82	0.12	
22	महेन्द्र वल्द रविप्रसाद	भूमिस्वामी	523	1.45	0.06	
23	रामसीग पिता खिलान	भूमिस्वामी	741/2	0.11	0.01	
24	शंकर, खूबसीग, गजाधर, रामसीग, पिता खिलान, बिन्नीबाई, मुलाबाई, संतोषबाई, पुत्री खिलान, राजरानी बेवा खिलान	भूमिस्वामी	741/1	0.61	0.06	
25	शिवचरन पिता घन्सू	भूमिस्वामी	743	0.68	0.07	
26	गिरधारी पिता पूरन	भूमिस्वामी	744	0.53	0.01	
27	जसवंत सिंह, सतीशसिंह अरुणसिंह पिता नारायण सिंह, जयंती पुत्री नारायण सिंह, लीलाबाई बेवा नारायण सिंह	भूमिस्वामी	733/1	0.94	0.15	

28	राजकुमार, उदय, अशोक विक्रमसिंह पिता जीवनसिंह	भूमिस्वामी	733/2	0.94		
29	श्रीदेव जानकीरमण मंदिर बाके देह लक्ष्मण दास चेला महंत बिहारी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय, सागर	भूमिस्वामी	651	1.90	0.15	
30	गनेश पिता तुलसी सा.देह	भूमिस्वामी	660	0.89	0.08	
31	उदयसिंह पिता जीवनसिंह	भूमिस्वामी	658	0.20	0.02	
32	मोहनलाल पिता भागीरथ	भूमिस्वामी	659	0.48	0.10	
33	सीताराम पत्नि महेन्द्र सिंह	भूमिस्वामी	671	0.18	0.05	
34	रूपरानी पत्नि छोलेलाल	भूमिस्वामी	672	0.38	0.07	
35	निर्मल लीलाधर पिता मोहन	भूमिस्वामी	627	0.55	0.09	
36	देवेन्द्र पिता चैनसिंह	भूमिस्वामी	225	2.60	0.14	
37	लखनसिंह पिता चैनसिंह	भूमिस्वामी	224	2.02	0.05	
38	महेन्द्र सिंह वल्द चैनसिंह	भूमिस्वामी	223	3.60	0.24	
39	रुकमेश पिता हनुमत सिंह	भूमिस्वामी	216/2	0.73	0.16	
40	रामकली जोजे रेवाराम	भूमिस्वामी	364	0.76	0.04	
41	बलराम, गोरेलाल, अमरसींग, करनसींग, डेलन पिता हरप्रसाद सा. चकेरी	भूमिस्वामी	365/2	0.53	0.03	
42	कुदऊ पिता चेतु	भूमिस्वामी	366	0.80	0.04	
43	हीरालाल पिता ब्रजलाल	भूमिस्वामी	363/4	0.21	0.04	
44	भुजबल पिता महोपी	भूमिस्वामी	368	0.80	0.005	
		भूमिस्वामी	376/3	0.40	0.005	
45	अनूप कुमार पिता राजबाबू	भूमिस्वामी	380/2	2.60	0.08	
46	मुन्ना पिता हरीराम, मुंशीलाल पिता हरिशंकर	भूमिस्वामी	376/1	0.57	0.06	
47	रतन पिता लटोरी	भूमिस्वामी	378/1	1.00	0.13	
		भूमिस्वामी	378/2	0.59		
48	श्रीराम पिता भावसींग	भूमिस्वामी	379	0.49	0.04	
		भूमिस्वामी	398	0.80	0.02	
49	अमरसींग पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	397/1	0.15	0.05	
50	डेलन पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	397/2	0.17		
51	गोरेलाल पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	397/3	0.42		
52	मन्नूलाल उर्फ गफलू वल्द श्यामलाल	भूमिस्वामी	395	1.44	0.07	
53	तोडरसींग पिता जवाहरसींग, किशोरीसींग पिता गजराज, जगरानी बेवा गजराज	भूमिस्वामी	393	1.29	0.06	
54	लखन पिता हरीराम	भूमिस्वामी	392/1	0.62	0.06	
55	वीरसींग पिता हरीराम	भूमिस्वामी	392/2	0.63		
56	गौरीशंकर, भगवानदास पिता कन्हैयालाल, मुन्नी पुत्री कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	391	3.17	0.07	
57	ऊषारानी पत्नि गोविन्दी	भूमिस्वामी	390/1	0.53	0.05	
58	सिबू पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/1	0.26		
59	दौलत पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/2	0.25	0.10	
60	उदल उर्फ नारायण पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/3	0.25		
61	हल्काई पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/4	0.30		
62	दशरथ पिता चिन्हा	भूमिस्वामी	388	0.36	0.010	
		भूमिस्वामी	451	0.63	0.005	

63	पूरन पिता झब्बू	भूमिस्वामी	450	0.45	0.09	
64	फूलसींग पिता पंचे	भूमिस्वामी	454/2	0.71	0.01	
65	आभा पति अरूण कुमार	भूमिस्वामी	452/1	5.47	0.24	
66	प्रकाश वल्द कुदउ	भूमिस्वामी	453	0.32	0.01	
महायोग:-			66	119.42	5.63	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 22 अ-82-16-17-15190

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौँड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौँड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूँघर, चकेरी, सलैया घूँघर एवं घूँघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौँड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बड़ेरा
 4. पट.ह.नं. : 172
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.40 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	राधे पिता कमोद	भूमिस्वामी	2/1	1.54	0.50	
2	निरभे पिता कमोद	भूमिस्वामी	2/2	0.85	0.30	
3	हल्लू बल्द कमोद	भूमिस्वामी	3/1	1.77	0.50	
4	निरभे पिता कमोद	भूमिस्वामी	3/2	0.62	0.20	
5	जालम बल्द नंदा	भूमिस्वामी	4/1	1.05	0.25	
6	इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नु	भूमिस्वामी	4/2	1.2	0.25	
7	निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा	भूमिस्वामी	5/1	0.6	0.30	
8	गजराज बल्द काशीराम	भूमिस्वामी	5/2	0.4	0.10	
	योग:-			8.03	2.40	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 47 अ-82-16-17-15235

सागर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : जमुनिया गौंड
 4. पट.ह.नं. : 150
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.20 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुनील कुमार पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	341	2.96	0.18	
2	सुमनलता पुत्री कच्छेदी	भूमिस्वामी	342/1	0.13	0.06	
3	हरिराम पिता मूलचंद सुमनलता पुत्री कच्छेदी	भूमिस्वामी	329/1	0.60	0.09	
		भूमिस्वामी	329/2	0.21		
		भूमिस्वामी	329/3	0.15		
	भूमिस्वामी	329/4	0.28			
4	हरीराम पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	328/2	0.42	0.13	
5	भुजबल पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/3	0.36	0.04	
6	हनुमत पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/4	0.36	0.04	
7	शेवप्रसाद पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/5	0.36	0.04	
8	भुजबल, हनुमत, शेवप्रसाद, पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/1	0.12	0.05	
9	मयूरिका पत्नि यादवेन्द्र	भूमिस्वामी	327/3	1.20	0.21	
10	प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	327/2	1.31	0.22	
11	मनीराम पिता भैयाराम	भूमिस्वामी	326/3	0.24	0.03	
		भूमिस्वामी	326/4	0.62	0.10	
12	गीता वेवा दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	325/1	0.30	0.11	
		भूमिस्वामी	318	0.87	0.04	
		भूमिस्वामी	320/1	3.42	0.03	

13	ऋषि ना.वा. बल्द बबली, प्रदीप	भूमिस्वामी	325/4	0.62	0.10	
14	अनिल पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	325/3	0.62	0.01	
15	शालकराम पिता खिलान	भूमिस्वामी	324	1.59	0.13	
16	आकाश, चंद्रभान ना.वा. पिता दयाराम वली व.खुद माँ कृष्णरानी बेवा दयाराम	भूमिस्वामी	323	0.78	0.14	
17	वरुण प्रताप ना.वा. यादवेन्द्र पाखी वा. चित्रांगदा नावा. पुत्री यादवेन्द्र पालक व खुद मां मयूरिका बेवा यादवेन्द्र	भूमिस्वामी	320/2	2.86	0.36	
18	द्रोपती पति जगन्नाथ	भूमिस्वामी	317	0.29	0.07	
19	रमेश, चिंतामन, कुँवरसींग बल्ले, सुदामा, तुलसीराम, घनश्याम पिस. बाबूलाल, सब्बो, रामकली, नब्बों पुत्रियां बाबूलाल बाबूलाल पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	257	0.34	0.04	
20	द्वारकाप्रसाद पिता हरीशंकर, सुमतरानी वेवा हरीशंकर, टीकाराम, अमन ना.वा. पिता महेन्द्र व वली व. खुद माँ सुनीता वेवा महेन्द्र, सुरेश, मुन्नी, बड़ी बिन्ना, पिता रूपसींग, सुनीता, अनिल, सुनीता, पिस. भगवानदास, राधारानी वेवा भगवानदास, हेमराज, कृष्णकुमार, बड़ीबिन्ना, सरोज पिता राजाराम बृजरानी वेवा राजाराम	भूमिस्वामी	267	0.04	0.010	
21	प्रेमसींग पिता धनसींग	भूमिस्वामी	277	0.09	0.03	
22	मुन्ना पिता राजाराम	भूमिस्वामी	281	0.05	0.03	
23	कुँवरसींग पिता धनसींग	भूमिस्वामी	286	0.94	0.11	
24	मंदिर श्री देवमहावीर जी, मुह. अनिल पिता दुर्गाप्रसाद, प्रबंधक	भूमिस्वामी	288	1.51	0.08	
25	माखनलाल पिता मनीराम	भूमिस्वामी	322/2	0.62	0.01	
26	बुददे पिता पंचे	भूमिस्वामी	340/1	1.10	0.03	
27	बलराम सेवक, दिनेश, भूरे पिता दलीप, हरीबाई, बड़ीबाई पुत्र दिलीप, सुमतरानी वेवा दलीप, वीरसींग, वा. भूपेन्द्र ना.वा. पिता जगदीश, माया वा. क्रांति ना.वा. पुत्री जगदीश बगै.	भूमिस्वामी	266	0.29	0.07	
		भूमिस्वामी	263/1	0.06	0.01	
		भूमिस्वामी	264	0.13	0.01	
		भूमिस्वामी	268	0.01	0.01	
28	मुलाबाई बेवा बबुआ	भूमिस्वामी	169	0.02	0.01	
29	ताराबाई वेवा राजाराम	भूमिस्वामी	280	0.04	0.01	
30	देवका, माया पुत्री जगन्नाथ, द्रोपती वेवा जगन्नाथ	भूमिस्वामी	316/1	0.20	0.11	
	बद्री उर्फ हेमराज पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	316/2	0.56		
	कलू उर्फ महेन्द्र पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	316/3	0.55		
31	नीरज पिता निरपत, शारदाबाई, वेवा निरपत	भूमिस्वामी	253/1	0.41	0.01	
	भगवानदास पिता प्यारेलाल, गनेशराम पिता जालम	भूमिस्वामी	253/2	0.40		
32	बल्देव पिता राजाराम	भूमिस्वामी	276/1	0.21	0.03	
	शिवराज पिता राजाराम	भूमिस्वामी	276/2	0.21		
	विजयसींग पिता धनसींग	भूमिस्वामी	276/3	0.22		
33	मंगलसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	283/1	0.48	0.14	
	मुन्ना, शिवराज बल्देव पिता राजाराम	भूमिस्वामी	283/2	0.96		
34	राजकुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	284/1	0.40	0.10	
	मंगलसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	284/2	0.39		

35	चंद्ररानी वेवा दुर्गाप्रसद	भूमिस्वामी	285/1	0.28	0.10	
	राजकुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	285/2	0.48		
	मंगलसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	285/3	1.00		
36	प्रेमसींग पिता अमरसींग	भूमिस्वामी	258	0.09	0.07	
योग-			36किता	32.62	3.20	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 46 अ-82-16-17-15237

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : पिपरिया घूघर
 4. पट.ह.नं. : 150
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.50 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीश पिता बलराम	भूमिस्वामी	92	0.350	0.040	
2	अजय कुमार पिता बलराम	भूमिस्वामी	103/1	0.100	0.020	
		भूमिस्वामी	103/3	0.300	0.040	
		भूमिस्वामी	93/2	0.100	0.030	
3	द्वारका पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	109	1.340	0.110	
4	सुंदर, बाबूलाल, गिरजाशंकर पिता भगवानदीन, रामनारायण पिता रामप्रसाद, भूमि स्वामी बाबूलाल, जमनाप्रसाद पिता देवकीनंदन, मनक्याई वारी वेवा देवकीनंदन	भूमिस्वामी	157	1.00	0.030	
5	विपिन ना.वा. वल्द व वली माधव तरुण ना.वा. वल्द व वली रामबाबू	भूमिस्वामी	159	0.840	0.120	
6	पुरषोत्तम पिता सुंदरलाल, रामबाबू पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	158	0.160	0.020	
		भूमिस्वामी	160	0.760	0.080	
		भूमिस्वामी	172/1	0.11	0.03	
7	नेतराम पिता रामकिशन, महेन्द्र जुगलकिशोर, पिता रामकिसन	भूमिस्वामी	154	0.560	0.070	
		भूमिस्वामी	153	0.71	0.07	
		भूमिस्वामी	148/1	0.50	0.07	
		भूमिस्वामी	148/2	0.12	0.02	

8	सुदीक्षा पत्नि कुलदीप	भूमिस्वामी	172/2	0.240	0.020	
9	गिरजानंदन पिता बलराम	भूमिस्वामी	171	0.38	0.05	
10	चंदाबाई वेवा तुलसीराम कुसुम सुनीता पुत्री तुलसीराम	भूमिस्वामी	167	0.32	0.05	
11	जुगलकिशोर, महेन्द्र कुमार पिता रामकृष्ण	भूमिस्वामी	192/1	0.68	0.05	
12	रामबाबू पिता रेवाराम	भूमिस्वामी	192/2	0.40	0.03	
13	महेन्द्र पिता रामकिसन	भूमिस्वामी	166/2	0.18	0.05	
14	आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद, कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद	भूमिस्वामी	108/1	2.30	0.16	
	रामगोपाल पिता रामनारयण	भूमिस्वामी	108/2	0.76		
	अशोक, मुकेश पिता गयाप्रसाद, प्रभाबाई वेवा गयाप्रसाद	भूमिस्वामी	108/3	0.50		
15	अर्पित ना.वा. वर्षा विन्द्रश्वरी ना.वा. पिता विनोद पालक आजी, शीलरानी वेवा हरीशंकर, अर्चना वेवा हरीशंकर	भूमिस्वामी	106/1	0.44	0.07	
	आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद, कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद	भूमिस्वामी	106/2	0.10		
	रेवाराम पिता रामनारायण	भूमिस्वामी	106/3	0.04		
16	रामाधार पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	161/1	0.53	0.09	
	कमलेश पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	161/2	0.60		
17	गिरजानंदन पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/1	0.240	0.12	
	अशोक पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/2	0.400		
	अरुण पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/3	0.400		
	बलराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	170/4	0.120		
	ब्रजकिशोर पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/5	0.680		
18	अशोक पिता बलराम	भूमिस्वामी	169/1	0.560	0.06	
	अरुण पिता बलराम	भूमिस्वामी	169/2	0.240		
	बलराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	169/3	0.310		
	जगदीश पिता बलराम	भूमिस्वामी	169/4	0.080		
महायोग			18किता	17.45	1.50	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31 अ-82-16-17-15250

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वाणत भूमि का संपन्न नहर के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

		हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(1)	परियोजना का नाम	
(2)	भूमि का विवरण	सागर
	1. जिला	सागर
	2. तहसील	रंगोली
	3. ग्राम	104
	4. पट.ह.नं.-	4.440 है.
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	गोविन्द सिंह, मनोहर, रूपसहि पिता विजय सिंह, सूरजबाई देवा विजयसिंह साकिन देह, राजेन्द्र सिंह पिता दुरग सिंह साकिन गंभीरिया, नरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अशोक सिंह पिता महेन्द्र सिंह साकिन बामोरा, हरीबाई देवा संतोष सींग, ब्रजमोहन, ब्रजभूषण, सरोज पिता संतोष सींग साकिन बामोरा	भूमिस्वामी	480	0.820	0.090	
		भूमिस्वामी	481	1.790	0.190	
		भूमिस्वामी	849	0.950	0.150	
		भूमिस्वामी	850	2.900	0.350	
		भूमिस्वामी	862	0.760	0.130	
2	राजेन्द्र वल्द दुरगसिंह साकिन गंभीरिया	भूमिस्वामी	483	0.460	0.160	
3	अशोक कुमार, चन्द्रभान नाबालिग पिता पालक रामकेश साकिन देह	भूमिस्वामी	485	0.360	0.020	
4	कृष्णकुमार, मोहनसिंह पिता धनीराम, कुसमरानी पत्नि धनीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	492	0.96	0.190	
5	शीलरानी पति गंधर्व सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	493	0.960	0.050	
6	भैयालाल वल्द कड़ोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	497	0.020	0.010	
		भूमिस्वामी	821	0.840	0.130	
		भूमिस्वामी	822	0.620	0.030	

7	श्रीबाई देवा काशीराम, मुकेश पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	498	0.590	0.080	
		भूमिस्वामी	832/3	0.800	0.080	
8	भबूदे वल्द पिट्टू साकिन देह	भूमिस्वामी	499	0.280	0.080	
9	कच्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	795	0.420	0.030	
10	चन्द्रभान पिता जमना साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	797	0.480	0.110	
		भूमिस्वामी	800	0.920	0.130	
11	कच्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन देह	भूमिस्वामी	813	0.92	0.090	
12	गजराज वल्द झल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	814	0.570	0.010	
		भूमिस्वामी	815	0.410	0.090	
			817/1	0.510	0.080	
13	फेरनलाल, गजराज पिता भल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	816	0.850	0.160	
		भूमिस्वामी	817/2	0.550	0.020	
			817/3			
14	धनीराम, खानजू वल्द भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	820	0.840	0.120	
15	प्रहलाद पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	831	0.530	0.030	
16	राधाबाई देवा सुखदीन, बालकिशन, नारान पिता सुखदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	832/2	1.270	0.140	
		भूमिस्वामी	834/3	0.010	0.010	
		भूमिस्वामी	1033/2	0.200	0.060	
17	नन्हेसींग पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी	834/1	1.300	0.160	
		भूमिस्वामी	856	0.93	0.100	
18	नाथूराम पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी	834/2	0.310	0.070	
		भूमिस्वामी	1033/1	0.200	0.010	
19	जनकदुलारी जोजे शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	855	0.880	0.020	
20	परताप वल्द पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	859	0.320	0.120	
21	बैजनाथ वल्द पूरनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	860	0.410	0.110	
22	वीरन सिंह पिता मिट्टू साकिन देह	भूमिस्वामी	863	0.270	0.010	

23	श्री देव जानकी रमण मंदिर हाजा मुह. पंचम, मुन्नालाल वल्द नंदलाल, सिल्ली वल्द धनसींग, पूरन वल्द रज्जू छुट्टी वल्द मुलु, चिन्तू वल्द पहारी, गजाधर वल्द दामोदर साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	865	0.280	0.040	
24	श्री देव महावीर स्वामी मंदिर बाके देह गलहलटोरिया मुह. पंच अमोलसींग, जगन्नाथ, शंकरलाल, प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	972	0.990	0.120	
25	भागबाई उर्फ पगलू पति कुदऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	973	0.340	0.120	
26	वृजराणी वेवा छुट्टी उर्फ छोटेला, दुरगसींग, फेरनसींग, रामकिशन, भूपत, मुन्ना, सुरेश पिता छुट्टी उर्फ छोटेला, मीना, गोमती, गोकलबाई पिता छुट्टी उर्फ छोटेला साकिन देह	भूमिस्वामी	1008	1.200	0.040	
27	व्योम वल्द एम.एल.चौदहा, भगत सिंह वार्ड गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	1009	0.740	0.090	
28	प्रयागबाई पति भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	1010/1	0.050	0.050	1010/1
29	गोराबाई पत्नि मलखान साकिन देह	भूमिस्वामी	1020/1	0.530	0.020	
30	मनोज नाबालिग पिता श्यामलाल आज्ञा रामचरन पिता मल्थू साकिन देह	भूमिस्वामी	1027	0.350	0.080	
31	कुसुमरानी पति गोपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1028	0.290	0.040	

		भूमिस्वामी	1029	0.300	0.060	
32	गुंचा वल्द झल्ला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1032	0.670	0.110	
33	बबलू पिता लाल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1036	0.820	0.150	
34	बहादुरसींग पिता लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1038	0.360	0.070	
35	रामकेश, कामला पिता नन्नेभाई साकिन देह	भूमिस्वामी	1048	0.220	0.030	
योग:-			52	33.35	4.44	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 33 अ-82-16-17-15252

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बोदापिपरिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	बोदापिपरिया
	4. पट.ह.नं.-	:	110
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.200 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अमिलिखित मू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	कल्याण सिंह, भिरजू, बख्तसिंह पिता पन्नालाल, शिबू सिंह पिता रामदयाल, अक्धरानी देवा रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	9	1.830	0.200	
योग:-			01 कित्ता	1.830	0.200	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की मू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत मू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 32 अ-82-16-17-15254

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम दुधोनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	दुधोनिया
	4. पट.ह.नं.-	:	111
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.110 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मूलचंद. पिता मन्ू साकिन देह	भूमिस्वामी	295	1.200	0.110	
	योग:-		01 कित्ता	1.200	0.110	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला

सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 36 अ-82-16-17-15256

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम भैसवाही में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	भैसवाही
	4. पट.ह.नं.-	:	103
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.900 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मानकलाल, रमेश, बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	842	1.570	0.200	
2	राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार, सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन गैसवाही	भूमिस्वामी	843	0.190	0.010	
		भूमिस्वामी	846	0.400	0.070	
3	चन्द्रानी वेवा रतनचंद, सुभाष, सुरेश, देवचंद, कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	844	0.560	0.140	
4	नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार	भूमिस्वामी	847	0.650	0.090	
5	राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	848/4	0.200	0.050	
6	ठाकुरदास, धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू	भूमिस्वामी	851/1	1.350	0.190	
7	गनेश पिता रामकिशन साकिन देह	भूमिस्वामी	851/2	0.770	0.100	
8	रामदास वल्द पन्ना, इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	852	0.200	0.040	
9	शंकर, राजाराम, कुन्दन, बाबूलाल बालिग, राजेन्द्र नाबालिग	भूमिस्वामी	853	1.140	0.010	

	पिता मुन्ना पालक व खुद माँ रानीबहू, छबरानी वेवा मुन्ना साकिन गिरवर					
10	राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	884	0.610	0.020	
11	मानकलाल, रमेश, बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	898	0.730	0.090	
12	अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल, शीला, शारदा, रामवती, मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश, राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन, सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर, केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई, कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह	भूमिस्वामी	900/1	1.530	0.200	
13	मनोहर, केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कंतो पुत्री पुन्नी, पुन्नी पिता कंछेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	900/2	0.760	0.030	
14	प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद, सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	901	0.24	0.010	
15	हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	1074/3	0.600	0.040	
16	गनेश, मोती, प्रहलाद, रामचंद पिता गफलू, शकुन, सरोज पिता गफलू, रामहरी, रामराज, विश्वनाथ, अतीश पिता मुरलीधर, कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	1079	2.250	0.180	
		भूमिस्वामी	1080/2	0.210	0.010	
17	मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम, बड़ीबहू वेवा काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1080/1	1.410	0.020	
18	शंकर उर्फ भैयाराम, राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	1100	1.230	0.060	
19	अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	1102	1.420	0.060	
20	कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	1103	0.540	0.050	
		भूमिस्वामी	1120	1.140	0.100	
21	जमना, गुलाब, विजय, बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा सायमन साकिन देह	भूमिस्वामी	1104	0.550	0.060	
		भूमिस्वामी	1121	1.150	0.100	
22	सत्येन्द्र, पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना, सपना पुत्री कालूराम, गेंदारानी वेवा कालूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1106/1	0.240	0.040	
23	राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1106/2	0.740	0.110	
24	सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह	भूमिस्वामी	1106/3	0.800	0.060	
25	मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह	भूमिस्वामी	1110	0.690	0.040	

26	राधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1111	0.650	0.110
		भूमिस्वामी	1113/2	1.080	0.190
		भूमिस्वामी	1117	0.71	0.010
27	इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह	भूमिस्वामी	1113/1	0.010	0.010
28	जमना वल्द बिहारी, गंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री ननकू, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम वली व खुद मौं छबराणी वेवा राजाराम साकिन आपचंद, काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली, प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई, जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1114/1	1.590	0.210
		भूमिस्वामी	1114/2	0.890	0.060
29	टन्डू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्डू, पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	1118	0.640	0.080
30	धनीराम, नन्ना पिता कलुवा, हनमत, रामचरण पिता हल्का, उत्तरा, जयंती पिता हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	1119	0.920	0.050
योग:-				30.36	2.90

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आपचंद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे.

भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	आपचंद
	4. पट.ह.नं.-	:	109
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	6.360 है।

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित मू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली	भूमिस्वामी	27	3.250	0.100	
2	नारान सींग पिता हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	30/1	0.860	0.040	
3	विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	30/2	1.250	0.030	
		भूमिस्वामी	41	1.600	0.220	
		भूमिस्वामी	269/2	1.220	0.200	
4	पुष्पेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	30/3	0.450	0.030	
5	छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह	भूमिस्वामी	34/1	0.410	0.100	
6	लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह	भूमिस्वामी	34/2	0.400	0.040	
7	राजेन्द्र सींग, देवेन्द्र सींग, वीरेन्द्र सींग, देवराजसींग पिता महाराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35	0.280	0.010	
8	जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	37	0.700	0.070	
9	वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	38/1	1.210	0.140	
10	श्रीपाल पिता विजयसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	40	0.810	0.190	

11	राजाराम, शिवराज, नारान, रामचरण, शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	42	0.300	0.050	
12	दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	54/1	0.010	0.010	
13	संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह	भूमिस्वामी	54/2	0.440	0.010	
14	मंदिर श्री हनुमान स्वामीजी गुलाबटोरिया रंगोली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	269/1	0.800	0.050	
		भूमिस्वामी	507	0.48	0.010	
		भूमिस्वामी	508	0.950	0.120	
15	पलू पिता हज्जू श्रीबाई पति पलू साकिन देह	भूमिस्वामी	270/3	1.000	0.100	
16	इन्द्राज वल्द चौदे, कपूरी मेवा, प्रभा, रतीबाई पुत्री चौदे, कुअरबाई पति चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/6	0.750	0.010	
17	गोठल पिता बबू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/7	0.750	0.120	
18	कमलेश पिता आलम, बैजन्ति पति कमलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/8	0.750	0.060	
19	कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/11	0.750	0.100	
20	जाहिद पिता सुभाष खां साकिन देह	भूमिस्वामी	398	1.380	0.100	
21	लक्ष्मीदेवी पति लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर	भूमिस्वामी	400	0.900	0.100	
		भूमिस्वामी	401	0.900	0.120	

22	कलू पिता टलू साकिन देह	भूमिस्वामी	504	0.400	0.050
23	बबलू बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा, दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई वेवा लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	505	0.860	0.010
24	रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	506	0.540	0.110
25	उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली	भूमिस्वामी	522	1.140	0.010
26	कल्याण, रामचरन पिता झल्ला साकिन रगौली	भूमिस्वामी	523	1.000	0.060
27	कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगौली	भूमिस्वामी	524	1.010	0.110
28	लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगौली	भूमिस्वामी	531/1	0.410	0.120
29	लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगौली	भूमिस्वामी	531/2	0.400	0.040
30	सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली	भूमिस्वामी	532	1.030	0.100
31	अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	533	0.610	0.010
32	फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	538	1.110	0.170
33	दामोदर, बदी पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश, जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगौली	भूमिस्वामी	539/1	0.590	0.080
34	पंचम पिता नन्ना साकिन रगौली	भूमिस्वामी	568	0.440	0.070
35	महेश, चंदू उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	571	0.640	0.130
36	मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी साकिन देह	भूमिस्वामी	580	0.640	0.070
37	भगवानसींग, मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग, सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	581 582	0.520 0.840	0.040 0.080
38	प्रेमसींग पिता बल्ली		619	0.590	0.030
39	अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवर्धन, सध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	620 623/1	1.100 0.400	0.120 0.040
40	बख्त, केशर, दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	621	0.260	0.030
41	भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	623/2	0.170	0.010
			630	0.320	0.010
42	बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	625 626	0.980 1.380	0.090 0.060
43	धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	627	1.340	0.150
44	हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	649	1.550	0.080
45	कमलरानी पति कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	659	1.440	0.050
46	कडोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	660	0.430	0.100
47	डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी	भूमिस्वामी	661	0.720	0.070
48	दोलत नाबालिग पिता वली कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	664	1.440	0.120
49	जीवन पिता कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	665	1.440	0.080
50	पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	673/1	0.830	0.090
51	कलू पिता रतन साकिन देह	भूमिस्वामी	673/2	0.630	0.080
52	मोती पिता कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	674	0.300	0.030
53	संतोष कुमार वल्द कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	675	0.370	0.060
54	मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	677	0.730	0.010
55	कोमलसींग पिता राधे साकिन देह	भूमिस्वामी	682/1	0.880	0.050
56	सूरतसींग पिता राधे साकिन देह	भूमिस्वामी	682/2	0.870	0.010
57	मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू धरमदास पिता बब्बू साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	683 688	2.860 1.520	0.160 0.050
58	रामसजीवन विनोद, आशाराम, राजेश, अजय पिता सुदामा, अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह	भूमिस्वामी	684/1	2.420	0.080
59	रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	684/2 684/3	0.600 0.600	0.030 0.020

60	हलू पिता कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	745	0.850	0.160
61	रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	746	0.850	0.040
62	लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	747/2	0.380	0.010
		भूमिस्वामी	774/1	0.380	0.080
63	दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	774/2	0.760	0.070
64	लखन, तुलसी, ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा, ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद मौं लीलाबाई साकिन बहेरिया	भूमिस्वामी	776	0.710	0.020
65	हल्काई पिता गौरीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	796	1.470	0.210
66	मिदू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना, धिठकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ता, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह	भूमिस्वामी	798	1.090	0.120
67	मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	799	0.640	0.080
68	मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	801	0.670	0.050
69	गिरजेश वल्द खूबसींग, सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	862	0.400	0.090
70	तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/4	0.740	0.030
71	भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/5	0.740	0.120
72	मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/6	0.740	0.130
73	रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	867	0.870	0.050
योग:-			85	72.240	6.360

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्र. 35 अ-82-16-17-15260

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	गौची
	4. पट.ह.नं.-	:	94
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.040 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकिन देह	भूमिस्वामी	5	0.910	0.040	
2	दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	16	0.750	0.010	
3	श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	17	1.630	0.070	
4	मिददू, थोवन वल्द कुदू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी	78	1.700	0.160	
		भूमिस्वामी	127	1.070	0.020	
5	किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	80	1.000	0.120	
6	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	82	0.940	0.170	
7	शंकर, महेन्द्र, शिवराम, गोकल, गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	85	1.000	0.020	
8	बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	91/2	1.000	0.150	
9	फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा	भूमिस्वामी	108/1	1.200	0.060	
10	उमारानी पति सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	108/2	2.300	0.490	
11	दामोदर पिता किशन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	116/1	0.26	0.030	
12	बूठे वल्द कच्छेदी साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	117	0.100	0.060	
13	माधव वल्द कड़ोरी साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	118	0.460	0.020	
14	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	121	0.750	0.220	
		भूमिस्वामी	123	0.83	0.070	

15	बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	124	0.820	0.110
16	रूपरानी वेवा सुक्के, नरान, कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	128	0.510	0.130
17	सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश, अमोल पिता रामरतन, रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	129	1.080	0.060
18	शंकर, शिव, तांतू पिता बारेलाल, प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	133	0.970	0.030
योग:-			20	19.280	2.040

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 37 अ-82-16-17-15262

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गिरवर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : गिरवर
 4. पट.ह.नं.- : 102
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.950 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	भदू वल्द गंगाधर साकिन देह	भूमिस्वामी	912	1.280	0.080	
		भूमिस्वामी	922	0.420	0.090	
2	श्री देव जानकीरमण जी मुह. दामोदर, हीरा पिता भोजराज प्रबंधक कलेक्टर सागर साकिन देह	भूमिस्वामी	919	1.500	0.190	
3	रामकुमार वल्द रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	921	0.230	0.010	
4	शंकर, राजाराम, कुंदन, राजेन्द, पिता मुन्ना, फूलाबाई, शकुनबाई, शांतिबाई, बलाबाई पुत्री मुन्नालाल, जयरानी वेवा बाबूलाल, अनारबाई, पुष्पाबाई, ममताबाई, शीलाबाई नाबालिग पुत्री बाबूलाल वली माँ जयरानी साकिन देह	भूमिस्वामी	977	0.140	0.060	
5	कमलरानी वेवा धपू साकिन देह	भूमिस्वामी	987	0.230	0.080	
6	बैजनाथ वल्द हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	988	1.200	0.060	
7	मंदिर श्री देव जगदीश रमणजी मुह. पुंचे कमेटी साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	989	2.870	0.180	
8	गनेश बालिग सपना, अर्चना नाबालिग पिता हरीनारायण वली माँ व खुद रतीबाई वेवा हरीनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	992	1.110	0.070	
9	हरिनारायण, प्रभूनारायण पिता खेमचंद, मनोहर, विशु, सेवक, मुरारीलाल, कोमलप्रसाद, जगभूषण पिता शिवलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	993	0.420	0.090	
10	हरीनारायण प्रेमनारायण पिता खेमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	994	0.430	0.040	
योग:-			11	9.83	0.95	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 23 अ-82-16-17-15264

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम पड़रिया, खैजरा उददेत, चौका (दमोह), ड़ागीडहर, देवरी पथरिया, मगरौन एवं शाहपुर की करीब 990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|-----------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | भगवंतपुरा जलाशय योजना |
| (2) | भूमि का विवरण- | | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | सागर |
| | 3. ग्राम | : | पड़रिया |
| | 4. पट.ह.नं. | : | 101 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 47.28 हेक्टे. |

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राम पिता गनेश	भूमिस्वामी	1533	1.35	0.48	
2	नन्नेभाई पिता नन्नु	भूमिस्वामी	1540	1.42	1.42	
3	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1541/1	0.66	0.66	

4	तल्ली पिता कुददा	भूमिस्वामी	1541/2	0.20	0.20
5	ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1542/1	0.68	0.68
6	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1542/2	0.18	0.18
7	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1543	0.65	0.65
8	तिजई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1544	0.57	0.57
9	राजू पिता कुददा	भूमिस्वामी	1545/1	1.40	1.40
10	विहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1545/2	0.70	0.70
11	नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1546	0.42	0.42
12	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1547	0.53	0.53
13	महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1548	1.52	1.52
14	शकूर पिता जमना	भूमिस्वामी	1549/1	0.92	0.92
15	साविर, अजीत पि. सबुआ, हसीना वे. सबुआ	भूमिस्वामी	1549/2	0.45	0.45
16	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1550/1	0.50	0.50
17	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1550/2	0.50	0.50
18	कलू, लक्ष्मण, चौदे पिता गोविन्द	भूमिस्वामी	1551	0.95	0.95
19	मूरत पिता फूलसींग, लक्ष्मी	भूमिस्वामी	1552	0.60	0.60
20	रतन पिता हिम्मा सौर	भूमिस्वामी	1553	0.54	0.54
21	रामनारायण पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1555	0.37	0.37
22	बृजकिशोर पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/1	0.09	0.09
23	महेन्द्र पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/2	0.09	0.09
24	अशोकसिंह पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/3	0.08	0.08
25	करन, प्रकाश पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	1562	0.18	0.18
26	प्रताप पिता विन्द्रावन	भूमिस्वामी	1564	1.61	1.61
27	बहादुर खां पिता खुन्ने	भूमिस्वामी	1565	1.30	1.30
28	बाबू खां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1566	4.04	4.04
29	बाबूखां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1567	0.77	0.77
30	बाबूखां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1568	0.37	0.37
31	मजीत खां पिता खुमने खां	भूमिस्वामी	1569	0.02	0.02
32	हरी पिता पचकोडी	भूमिस्वामी	1570	0.78	0.78
33	धन्नी छोटे पि. झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते बेटा वेवा मुल्ले	भूमिस्वामी	1571	0.047	0.047
34	महेन्द्र पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/1	0.29	0.29
35	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/2	0.29	0.29
36	राजू पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/3	0.20	0.20
37	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/4	0.29	0.29
38	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/5	0.29	0.29
39	नारायण पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/6	0.28	0.28
40	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/1	0.04	0.04
41	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/2	0.03	0.03
42	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/3	0.29	0.29
43	राजू पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/4	0.04	0.04

44	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/5	0.03	0.03
45	नारान पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/6	0.03	0.03
46	बलीराम पिता रल्ली	भूमिस्वामी	1574	0.91	0.91
47	प्रताप पिता विन्द्रावन	भूमिस्वामी	1575	0.30	0.30
48	फूलरानी पति मजीदखाँ	भूमिस्वामी	1576	0.32	0.32
49	छोटा पिता झुत्ते	भूमिस्वामी	1577	1.21	1.21
50	राधारानी बेवा मोहन चड़ार	भूमिस्वामी	1578	1.73	1.73
51	सुखनंदन पिता रामगुलाम	भूमिस्वामी	1579	0.10	0.10
52	सुखराम पिता विष्णु	भूमिस्वामी	1580	1.01	1.01
53	बूढा पिता चिमन	भूमिस्वामी	1581	1.01	1.01
54	मजीत पिता खुन्ने	भूमिस्वामी	1582	0.95	0.95
55	बसीर मोहम्मद पित तीरखाँ	भूमिस्वामी	1583	0.84	0.84
56	रामेश्वर पिता बब्बू	भूमिस्वामी	1584	0.37	0.37
57	बफाती पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/1	1.28	1.28
58	उस्ताज पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/2	1.28	1.28
59	मुस्ताक पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/3	1.28	1.28
60	छुट्टी खाँ पिता करन जू	भूमिस्वामी	1586	0.54	0.54
61	बाबूखाँ पिता करनजूखाँ	भूमिस्वामी	1587/1	0.30	0.30
62	छुट्टी खाँ पिता करन खाँ	भूमिस्वामी	1587/2	0.29	0.29
63	रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी वे. गौरीशंकर	भूमिस्वामी	1588	1.76	1.76
64	बाबूखाँ पिता करनजू खाँ	भूमिस्वामी	1589	1.44	1.44
65	रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	1590	0.15	0.15
66	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1591	0.68	0.68
67	नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1592	0.24	0.24
68	काशिम पिता लाल खाँ	भूमिस्वामी	1594	0.54	0.54
69	काशिम पिता लाल खाँ	भूमिस्वामी	1595	0.35	0.35
70	देवीसींग, कुवरसींग पि. नन्हासींग, कमलाबाई पुत्री नन्हा, भागबाई वे. नन्हा	भूमिस्वामी	1596	0.89	0.89
71	तिजई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1597	0.13	0.13
72	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/1	0.03	0.03
73	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/2	0.02	0.02
74	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/3	0.02	0.02
75	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/4	0.02	0.02
76	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/5	0.02	0.02
77	नारान पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/6	0.02	0.02
78	नारायण पिता कुददा	भूमिस्वामी	1534	0.85	0.16
79	नफीसा उर्फ नशीम बी पत्नि मुनीखाँ	भूमिस्वामी	1536	0.93	0.10
80	श्रीराम पिता गनेश	भूमिस्वामी	1537	0.81	0.30
81	कुददा, पूरन, भगवानसींग, फूलसींग पिता रतन, काशीबाई पुत्री रतन, सुहाग रानी वेवा रतन, शारदा पुत्री भूमि	भूमिस्वामी	1538	0.48	0.15

	स्वाकी, बल्लू, फूलरानी वेवा बल्लू					
82	कल्याण पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1539/1	0.18		
83	संजू संजय ना.वा.वल्द हल्लेभाई उर्फ कोमल, पूनम ना.वा.पु.हल्लेभाई उर्फ कोमल बली माँ पार्वती वेवा हल्लेभाई उर्फ कोमल	भूमिस्वामी	1539/2	0.67		
				0.85	0.16	
84	वफादी वल्द अब्दुल	भूमिस्वामी	1600/1	0.18	0.18	
85	मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ	भूमिस्वामी	1600/2	0.18	0.10	
86	मुस्ताक पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1600/3	0.18	0.04	
87	सीताराम पिता हरिराम	भूमिस्वामी	1602	1.35	0.35	
	योग-			52.427	47.28	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष

(कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 18923-भू-अर्जन-2015

राजगढ़ (ब्यावरा) दिनांक 11 दिसम्बर 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चैनपुरिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चैनपुरिया

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
1	चैनपुरिया	2.230
कुलयोग :-		2.230

—: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चैनपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	लाडबाई पति मांगीलाल जाति सौधिया	10/1	1.223	0.140
	योग	1	1.223	0.140
2	गायत्रीबाई पति होकमसिंह जाति दांगी	10/2	2.000	0.400
		9/1/1	0.270	0.270
	योग	2	2.270	0.670
3	दीपक पिता छीरपाल भटकटे जाति महाजन	9/2/2	2.301	0.250
		7/5	4.553	0.100
	योग	2	6.854	0.350

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
4	भूरीबाई पति धीरपसिंह जाति बंजारा	25/5	0.713	0.510
	योग	1	0.713	0.510
5	विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	25/1	1.000	0.560
	योग	1	1.000	0.560
	कुलयोग :-	7	12.060	2.230

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र. क्र. 16616-अ-82-2016-17

धार, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हजरतपुर तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-हजरतपुर

तहसील- धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	7.316	0.750	8.066
	योग:-	7.316	0.750	8.066

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- हजरतपुर

तहसील-धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चम्पाबाई पति स्व. पुना जाति भील निवासी ग्राम - हजरतपुर	54/4	0.000	0.506	0.506	0.000	0.160	0.160
2	श्री मल्हार मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला धार	56	2.352	0.000	2.352	0.320	0.000	0.320
		57	1.909	0.000	1.909	0.400	0.000	0.400
3	बाबुलाल पिता हरीराम जाति लोधा निवासी बांदेडी तह. सरदारपुर	65	8.119	0.000	8.119	0.300	0.000	0.300
4	पार्वतीबाई पति अम्बाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम सुलतानपुर	64/4	0.481	0.000	0.481	0.060	0.000	0.060
		64/8/1	0.279	0.000	0.279	0.160	0.000	0.160
5	मितलकुमार पिता मनोहरलाल जैन निवासी धार	64/9/2	0.000	0.305	0.305	0.000	0.050	0.050
6	भूपेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	83/1/1	1.026	0.000	1.026	0.060	0.000	0.060
		257/2	5.438	0.000	5.438	0.650	0.000	0.650
7	सीताबाई पति स्व. बाबुलाल, आनन्दीलाल पिता बाबुलाल जाति नाई निवासी ग्राम हजरतपुर	82/1	0.000	0.527	0.527	0.000	0.120	0.120
8	शांतिबाई पति अमरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	81/1/1	1.604	0.000	1.604	0.140	0.000	0.140
		258/2	0.912	0.000	0.912	0.380	0.000	0.380
9	दशरथ पिता अम्बाराम जाति भील निवासी ग्राम हजरतपुर	85	0.000	1.113	1.113	0.000	0.140	0.140
10	मुकुटदास पिता गिरधारीदास जाति बैरागी निवासी ग्राम हजरतपुर	86	3.527	0.000	3.527	0.310	0.000	0.310
11	सत्यनारायण पिता शंकरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	80/2/2/1	2.227	0.000	2.227	0.300	0.000	0.300
12	कौशल्याबाई पति सत्यनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	80/2/1	1.770	0.000	1.770	0.360	0.000	0.360
13	अमरसिंह पिता लुणा जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	258/1	3.136	0.000	3.136	0.026	0.000	0.026
14	कन्हैयालाल पिता अम्बाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला	246/2	1.000	0.000	1.000	0.050	0.000	0.050
		254	1.050	0.000	1.050	0.420	0.000	0.420
		255	1.442	0.000	1.442	0.480	0.000	0.480
15	मंगीलाल पिता मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	253/1	0.772	0.000	0.772	0.360	0.000	0.360
16	हरीराम पिता मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	253/2	0.771	0.000	0.771	0.060	0.000	0.060
17	भेरूसिंह पिता अमरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर	252	1.998	0.000	1.998	0.460	0.000	0.460
		257/1	5.438	0.000	5.438	0.060	0.000	0.060

18	कंकुबाई पति कन्हैयालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला	251/1	0.999	0.000	0.999	0.280	0.000	0.280
		251/2	0.999	0.000	0.999	0.480	0.000	0.480
19	जुलसीराम पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला	243	3.857	0.000	3.857	1.200	0.000	1.200
20	भीलु, उंकार पिता दयाराम, बोदरीबाई पति स्व. दयाराम जाति भील निवासी ग्राम हजरतपुर	279/1	0.000	1.846	1.846	0.000	0.280	0.280
योग			51.106	4.297	55.403	7.316	0.750	8.066

प्र. क्र. 16618-अ-82-2016-17

धार, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-बोधवाडा

तहसील- धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	11.847	0.018	11.865
	योग:-	11.847	0.018	11.865

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम-बोधवाडा

तहसील-धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महेश पिता मांगीलाल जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	36/1	1.138	0.000	1.138	0.069	0.000	0.069

2	मांगीलाल पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	36/2	1.138	0.000	1.138	0.030	0.000	0.030
3	दिनेश पिता मांगीलाल जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	36/3	1.138	0.000	1.138	0.030	0.000	0.030
4	सोहन पिता कालुराम जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	37	3.579	0.000	3.579	0.118	0.000	0.118
		257	0.708	0.000	0.708	0.027	0.000	0.027
5	राजाराम पिता रणछोड जाति कुलमी निवासी तिरला	38/1/क	3.037	0.000	3.037	0.599	0.000	0.599
6	रतनबाई पिता शंकर जाति कुलमी निवासी तिरला	38/1/ख	2.669	0.000	2.669	0.560	0.000	0.560
7	योगेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	44	2.706	0.000	2.706	0.823	0.000	0.823
8	सुनिता पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	45	1.075	0.000	1.075	0.339	0.000	0.339
9	रामेश्वर पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी तिरला	195	3.035	0.000	3.035	0.697	0.000	0.697
10	महेशचन्द्र, गोविन्द, हेमलता पिता मांगीलाल जाति कुलमी निवासी तिरला	196	3.794	0.000	3.794	1.080	0.000	1.080
11	मोहन पिता कालुराम जाति कुलमी निवासी बोधवाडा	202/1	5.255	0.000	5.255	0.658	0.000	0.658
12	बबीताबाई पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी बोधवाडा	202/2	5.254	0.000	5.254	0.619	0.000	0.619
13	हरिराम पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा	203/2	2.644	0.000	2.644	0.516	0.000	0.516
14	नागीरथ पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा	204	3.199	0.000	3.199	0.980	0.000	0.980
15	सम्पतबाई पति नरसिंह जाति कुलमी निवासी तिरला	205/1	1.670	0.000	1.670	0.143	0.000	0.143
16	बालुराम पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा	218	3.960	0.000	3.960	1.057	0.000	1.057
17	रामकिशन पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	219	2.175	0.000	2.175	0.445	0.000	0.445
18	मनोज, कमलेश पिता रमेश, सुगनाबाई पति रमेश, राधेश्याम, जितेन्द्र पिता नन्दु, नरवदाबाई पति स्व. नन्दु जाति भील निवासी बोधवाडा	220	0.228	0.000	0.228	0.051	0.000	0.051
19	हरिराम पिता रूग्गा जाति भील निवासी बोधवाडा	221/1	3.516	0.000	3.516	0.099	0.000	0.099
20	मायाबाई पति चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	226/3/1	2.023	0.000	2.023	0.115	0.000	0.115
21	जितेन्द्र पिता रतनसिंह, भुरीबाई पति रतनसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	226/3/2	2.023	0.000	2.023	0.220	0.000	0.220
22	राहुल पिता रतनसिंह, भुरीबाई पति रतनसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	226/3/3	2.024	0.000	2.024	0.081	0.000	0.081

23	राकेश पिता चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा	226/3/4	2.024	0.000	2.024	0.297	0.000	0.297
24	भेरा पिता रूग्गा जाति भील निवासी बोधवाडा	252/2	1.006	0.018	1.024	0.581	0.018	0.599
25	बगदीराम पिता नग्गा जाति कुम्हार निवासी धार	256	1.569	0.000	1.569	0.858	0.000	0.858
26	राजाराम पिता लुणजी जाति कुलमी निवासी बोधवाडा	260/1	1.943	0.000	1.943	0.755	0.000	0.755
	योग		64.530	0.018	64.548	11.847	0.018	11.865

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 3070-भू-अर्जन-2016-17 प्र. क्र. अ-82-16-17

रतलाम, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बोरखेड़ी बैराज तहसील आलोट जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/2 ए/ भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अघोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम बोरखेड़ी पटवारी हल्का नम्बर-35

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	(2)	3	4	5	6	7
1	मागीरथ पिता अम्बाराम, मंवरबाई बेवा अम्बाराम जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी	61	0.10	-	0.10	-
2	मेहरवार, शंभू पिता नागू कालीबाई बेवा नागू जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी	62	0.14	-	0.14	-
3	दौलीबाई बेवा भुवान जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी	63/1	0.02	-	0.02	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुन्डियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2607-भू-अर्जन-2017

देवास, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ कांटाफोड़-पुंजापुरा सड़क निर्माण मार्ग परियोजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास में कुल 0.27 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड हैं, जो 0.27 हेक्टेयर हैं जो ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
1	200	निजी भूमि	सिंचित	0.27	खुमानसिंह पिता ज्ञानसिंह कोरकू				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
कुछ नहीं	कुछ नहीं

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 02 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास क्षेत्र 0.27 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 20अ-82-16-17-15172

सागर दिनांक 30 नवम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : परगासपुरा
 4. पट.ह.नं. : 172
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 14.07 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक माँ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	104/1	1.55	1.55	
2	द्वारका पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	104/2	0.40	0.40	
3	रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक माँ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	106	0.60	0.60	
4	नीलेश ना.बा. पिता विष्णुप्रसाद पालक माँ ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	107/1	1.33	1.33	
5	लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	108	2.19	2.19	
6	भगवानदास बल्द मोहनलाल	भूमिस्वामी	109/1	0.40	0.40	

7	अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू	भूमिस्वामी	109/2	0.83	0.83	
9	गनेश, प्रकाश पिता हरिराम	भूमिस्वामी	109/3	0.80	0.80	
10	बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल	भूमिस्वामी	110	2.28	2.28	
11	गुपालसींग पिता धीरजसींग	भूमिस्वामी	112/1	1.29	0.40	
12	जुझारसींग पिता धीरजसिंह	भूमिस्वामी	112/2	1.29	1.29	
13	विकाससिंह पिता कुवरसिंह	भूमिस्वामी	112/5	1.29	0.40	
14	राजेश पिता मंगलसिंह	भूमिस्वामी	112/6	1.29	0.40	
15	नीलेश पिता धनप्रसाद	भूमिस्वामी	112/7	1.29	0.40	
16	नरेन्द्र पिता करतारसिंह	भूमिस्वामी	112/8	1.30	0.40	
17	प्रीतमसिंह पिता चैनसींग	भूमिस्वामी	112/9	1.29	0.40	
			योग:-		14.07	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 21अ-82-16-17-15178

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौँड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम ग्राम जमुनिया गौँड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौँड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : जमुनिया गौँड
 4. पट.ह.नं. : 150
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.28 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	इमरत पिता बलू	भूमिस्वामी	227/1	1.77	1.77	
2	कालूराम पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	227/2	0.90	0.10	
3	बूठा पिता पंचे	भूमिस्वामी	229/1	0.18	0.18	
4	बृजरानी पत्नि बूठे	भूमिस्वामी	229/2	1.00	1.00	
5	अबधरानी पति देवकरन	भूमिस्वामी	230	0.97	0.97	
6	नत्था पिता दलपा	भूमिस्वामी	231	1.07	1.07	
7	गुबंदी पिता चौदा	भूमिस्वामी	232/1	0.42	0.42	
8	राकेश पिता रामेश्वर	भूमिस्वामी	232/2	0.40	0.40	
9	देवकरन पिता बलुवा	भूमिस्वामी	233	0.98	0.98	
10	प्रताप,मुलू, गोविन्द पिता जीवन	भूमिस्वामी	234	1.20	1.04	
11	रामचरण पिता चोखेलाल	भूमिस्वामी	235/1	0.38	0.1	
12	सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्टू	भूमिस्वामी	235/2	0.40	0.40	
13	काशीराम पिता नारायण	भूमिस्वामी	235/3	0.40	0.40	
14	लाइली वेवा खिलान	भूमिस्वामी	236	2.66	2.21	
15	लाइली वेवा खिलान	भूमिस्वामी	237	2.04	0.13	
16	उमेश पिता नंदराम	भूमिस्वामी	240	1.01	0.48	
17	प्रताप,मुलू, गोविन्द पिता जीवन	भूमिस्वामी	223	0.01	0.01	

M.A. 276

18	लच्छू पिता नन्हा	भूमिस्वामी	241/3	0.65	0.28	
19	प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	239/2	0.93	0.27	
20	अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	238/1	0.83	0.05	
21	कमलरानी पति देवीप्रसाद	भूमिस्वामी	238/2	0.40	0.02	
योग:-				18.60	12.28	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 22अ-82-16-17-15190

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बड़ेरा
 4. पट.ह.नं. : 172
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.40 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	राधे पिता कमोद	भूमिस्वामी	2/1	1.54	0.50	
2	निरभे पिता कमोद	भूमिस्वामी	2/2	0.85	0.30	
3	हल्लू बल्द कमोद	भूमिस्वामी	3/1	1.77	0.50	
4	निरभे पिता कमोद	भूमिस्वामी	3/2	0.62	0.20	
5	जालम बल्द नंदा	भूमिस्वामी	4/1	1.05	0.25	
6	इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नु	भूमिस्वामी	4/2	1.2	0.25	
7	निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा	भूमिस्वामी	5/1	0.6	0.30	
8	गजराज बल्द काशीराम	भूमिस्वामी	5/2	0.4	0.10	
	योग:-			8.03	2.40	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन

कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 25अ-82-16-17-15091

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन सभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन सभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2)	भूमि का विवरण जिला	:	सागर
	1. तहसील	:	सागर
	2. ग्राम	:	पृथ्वीपुरा
	3. पट.ह.नं.-	:	46
	4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	19.98 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	हनीफ पिता शेख मुहम्मद	भूमिस्वामी	43	1.45	0.34	
2	बबलू उर्फ जफर पिता शेख मुहम्मद	भूमिस्वामी	44	1.51	1.11	
3	यूनिश पिता शेख मुहम्मद	भूमिस्वामी	45	1.45	1.45	
4	इसराइल पिता शेख मुहम्मद	भूमिस्वामी	46	1.45	1.45	
5	निजाम निसार आसिफ इरफान जारिफ इसमाइल मनी समावी ताहिर पिता यूसिफ जुमरत बेबा यूसिफ	भूमिस्वामी	56	1.28	1.28	
			59	0.93	0.93	
			60/2	0.90	0.90	
			60/3	0.23	0.23	
6	जुमरान पत्नि यूसिफ उर्फ मिस्टर	भूमिस्वामी	57	1.38	0.15	
7	ईदी उर्फ रफीक पिता शेख बबू	भूमिस्वामी	58	2.2	1.15	
8	शेख मुहम्मद पिता नूर मुहम्मद	भूमिस्वामी	60/1	4.20	4.20	
9	शिवनंदन पिता बाबूलाल तिवारी	भूमिस्वामी	63	0.26	0.10	
			64	0.06	0.06	
			75	0.51	0.51	

10	ठाकुर विजयसिंह पिता मुन्नूसिंह	भूमिस्वामी	66/2	2.72	0.03
11	श्रीराम पिता परम	भूमिस्वामी	69	1.83	0.28
12	दागोदर, रत छोटेभाई, विश्वनाथ पिता रूपसींग, जनकाबाई, सहोद्राबाई पुत्री रूपसींग यादव, मुन्ना हुकुम पिता शिवप्रसाद सखी जयंतीबाई पिता शिवप्रसाद श्यामरानी बेबा शिवप्रसाद	भूमिस्वामी	70/1	1.24	0.30
13	गीता पत्नि अशोक तिवारी	भूमिस्वामी	70/2	0.6	0.30
14	लखनलाल पिता रामसहाय	भूमिस्वामी	71/2	1.00	0.20
			78/3	0.61	0.61
15	मनमोहन पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	73/1	1.25	0.13
16	शिवनदन मनमोहन नरेन्द्र पिता बाबूलाल, रामकली, मायाबाई पुत्री बाबूलाल	भूमिस्वामी	74	0.58	0.58
			77/1	0.84	0.82
17	नरेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	76/1	0.74	0.74
18	दीपक कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार पिता चंद्रकुमार	भूमिस्वामी	76/2	0.88	0.88
			77/2	0.32	0.12
19	दुर्गाप्रसाद पिता रामसहाय	भूमिस्वामी	78/1	0.79	0.53
20	राजाराम पिता रामसहाय	भूमिस्वामी	78/2	0.62	0.60
योग			20किता	31.83	19.98

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.

2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 45अ-82-16-17-15185

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वाणित भूमि का, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : चकेरी
 4. पट.ह.नं. : 149
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.86 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	अनीता पत्नि संतोष सिंह	भूमिस्वामी	5	0.74	0.05	
2	रोहन वल्द कर्मोद प्रीतम पिता बारेलाल सा. देह	भूमिस्वामी	4/2	0.40	0.09	
3	मंदिर श्रीदेव जानकी रमणजी, बांके ग्राम-बरखेरा महंत, मु. बालकदास चेला, वल्देव प्रसाद प्रबंधक, श्रीमान कलेक्टर, भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/1	17.92	0.50	
4	धनप्रसाद पिता काशीराम	भूमिस्वामी	33/1	0.81	0.10	
5	गायत्री पत्नि दीपक	भूमिस्वामी	33/2	0.80		
6	अंकुर पिता रमेश कु. तिवारी	भूमिस्वामी	33/3	0.80		
7	रमाकान्त पिता अंबिका प्रसाद सा. सागर	भूमिस्वामी	68	0.54	0.03	
		भूमिस्वामी	70	0.35	0.07	
8	रामकली पत्नि कोमल	भूमिस्वामी	184	0.28	0.02	
		भूमिस्वामी	139	0.40	0.03	
9	कोमल पिता लटोरी	भूमिस्वामी	185	0.38	0.04	
10	संजय वा. गुड्डू उर्फ रोहत ना.वा. पुत्री नारायण, वर्षा वा. अंकिता, रोशनी ना.वा पुत्रिया नारायण वलि हरशिम पिता लटोरी, नीरजबाई	भूमिस्वामी	186	0.38	0.05	
11	छतारे परशोत्तम पिता शंकर, श्यामबाई, वारीबाई, रामप्यारी, पुत्री शंकर	भूमिस्वामी	180	1.06	0.01	
12	भानुप्रकाश पिता काशीराम	भूमिस्वामी	150/2	0.03	0.005	
13	दामोदर, आशाराम, नंदराम, हरलाल, पिता छुट्टई	भूमिस्वामी	150/1	0.04	0.01	
14	नन्हीबाई वेवा बल्दबान, शांतिबाई, मथुराबाई, तीरतबाई पुत्री बल्दबान	भूमिस्वामी	149/1	0.06	0.03	
15	राजाराम, गौरलाल, बारेलाल, शिवप्रसाद, गौरीशंकर, अशोक पिता जगन्नाथ, रामप्यारी नर्वदाबाई, रामकुमारी पुत्री जगन्नाथ, धनबाई वेवा जगन्नाथ, योगेन्द्र कुमार, जनार्दन प्रसाद पिता हरीमोहन श्रीबाई वेवा हरीमोहन	भूमिस्वामी	152	0.19	0.01	

16	सकुन, इंदू पुत्री शिवप्रसाद	भूमिस्वामी	107/2	0.73	0.17	
17	नंदकिशोर पिता काशीराम	भूमिस्वामी	108	0.69	0.20	
18	नारायण पिता गनपत	भूमिस्वामी	123	0.13	0.02	
19	राकेश पिता भगवानदास, मिहिलाल देवीसिंह, रामू ना.वा. पिता भगवानदास, पालक बड़ेभाई, राकेश लीलाबाई जोजे भगवानदास	भूमिस्वामी	128/1	0.24	0.06	
		भूमिस्वामी	131/2	0.24	0.02	
		भूमिस्वामी	132/2	0.07	0.01	
20	पुन्नी पिता मुल्ली	भूमिस्वामी	130/2	0.09	0.05	
21	धरमदास पिता देवीप्रसाद	भूमिस्वामी	130/1	0.19	0.04	
		भूमिस्वामी	132/1	0.20	0.06	
		भूमिस्वामी	132/3	0.15		
22	गोरेलाल पिता गनेश	भूमिस्वामी	134/3	0.23	0.01	
23	राजाराम पिता प्रेमनारायण	भूमिस्वामी	133/1	0.21	0.03	
		भूमिस्वामी	133/2	0.21	0.04	
24	मलखान पिता रामसींग	भूमिस्वामी	142/1	0.12	0.01	
		भूमिस्वामी	137	0.43	0.09	
महायोग			24	29.11	1.86	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 48अ-82-16-17-15177

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

(1)	परियोजना का नाम	:	जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(2)	भूमि का विवरण-	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	बरखेरा महंत
	4. पट.ह.नं.	:	150
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.02 हेक्टे.
		:	::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देव जानकी रमणजी मंदिर बाके, ग्राम देह मुहाल मकार, बालकदास चेला बल्देवदास पता सा. देह	भूमिस्वामी	7/1	24.78	0.87	
2	सुनील कुमार वल्द कछेदीलाल	भूमिस्वामी	7/2	2.03	0.15	
	योग			26.81	1.02	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को प्रियन्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय बिल्लिय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 49अ-82-16-17-15186

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है—

(1) परियोजना का नाम	:	जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(2) भूमि का विवरण—		
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	सागर
3. ग्राम	:	घूघर
4. पट.ह.नं.	:	148
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	5.635 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नारायण शंकर शुक्ला ट्रस्ट, सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी, मीनाक्षी सिंह, पति अनिल सिंह, अध्यक्ष, कृष्णाकांत, पिता गोविन्द्र प्रसाद सचिव, कुन्दनसिंह पिता नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, रामायण, पिता गोविन्द्र प्रसाद, श्रीराम पिता राजाराम, गौतम पिता गौरीशंकर सदस्य निवास ग्राम-भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	727 628 330	1.44 2.54 15.57	0.10 0.06 0.50	
2	देवीसीग पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	328/3	0.26	0.04	
3	कमलेश पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	328/1	0.26	0.04	
4	अनंदा पिता रामभरोशी	भूमिस्वामी	328/2	0.14	0.02	
5	मन्शाराम पिता रामभरोषे, शिवप्रसाद पिता कमल	भूमिस्वामी	24	1.45	0.12	
6	राजेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	23	4.81	0.45	
7	गोविन्द प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	22	7.28	0.05	
8	चन्द्रिका पुत्री राजबाबू	भूमिस्वामी	21	3.88	0.01	
9	रेखा पत्नि राजबाबू	भूमिस्वामी	50	2.70	0.20	
10	अजय कंडया पिता केलाश कंडया	भूमिस्वामी	48/4	0.60	0.05	
11	नंदलाल पिता हल्कू	भूमिस्वामी	52	0.35	0.01	
12	शेव कुमार डोमन पिता रामचंद, हल्की बेवा रामचंद	भूमिस्वामी	53	0.36	0.06	
13	भैयालाल पिता भावसीग	भूमिस्वामी	54	0.68	0.04	
14	गफलू पिता भगोनी	भूमिस्वामी	55	0.45	0.05	
15	अरुण कुमार पिता बालमुकुन्द	भूमिस्वामी	79	3.85	0.16	
16	सौरभ पिता राजेन्द्र	भूमिस्वामी	320	1.91	0.15	
17	रागिनी पत्नि राजेन्द्रकुमार	भूमिस्वामी	319	4.39	0.22	
18	राजेन्द्र कुमार वल्द दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	533	6.92	0.11	
19	राजबाबू पिता बालमुकुन्द दुबे	भूमिस्वामी	530	7.40	0.10	
20	सुषमा पत्नि गोविन्द	भूमिस्वामी	526/1	5.60	0.15	
21	रविप्रसाद पिता परमानंद	भूमिस्वामी	522	0.82	0.12	
22	महेन्द्र वल्द रविप्रसाद	भूमिस्वामी	523	1.45	0.06	
23	रामसीग पिता खिलान	भूमिस्वामी	741/2	0.11	0.01	
24	शंकर, खूबसीग, गजाधर, रामसीग, पिता खिलान, बिन्नीबाई, मुलाबाई, संतोषबाई, पुत्री खिलान, राजरानी बेवा खिलान	भूमिस्वामी	741/1	0.61	0.06	
25	शिवचरन पिता घन्सू	भूमिस्वामी	743	0.68	0.07	
26	गिरधारी पिता पूरन	भूमिस्वामी	744	0.53	0.01	
27	जसवंत सिंह, सतीशसिंह अरुणसिंह पिता नारायण सिंह, जयंती पुत्री नारायण सिंह, लीलाबाई बेवा नारायण सिंह	भूमिस्वामी	733/1	0.94	0.15	

28	राजकुमार, उदय, अशोक विक्रमसिंह पिता जीवनसिंह	भूमिस्वामी	733/2	0.94		
29	श्रीदेव जानकीरमण मंदिर बाके देह लक्ष्मण दास चेला महंत बिहारी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय, सागर	भूमिस्वामी	651	1.90	0.15	
30	गणेश पिता तुलसी सा.देह	भूमिस्वामी	660	0.89	0.08	
31	उदयसिंह पिता जीवनसिंह	भूमिस्वामी	658	0.20	0.02	
32	मोहनलाल पिता भागीरथ	भूमिस्वामी	659	0.48	0.10	
33	सीताराम पत्नि महेन्द्र सिंह	भूमिस्वामी	671	0.18	0.05	
34	रूपरानी पत्नि छोलेलाल	भूमिस्वामी	672	0.38	0.07	
35	निर्मल लीलाधर पिता मोहन	भूमिस्वामी	627	0.55	0.09	
36	देवेन्द्र पिता चैनसिंह	भूमिस्वामी	225	2.60	0.14	
37	लखनसिंह पिता चैनसिंह	भूमिस्वामी	224	2.02	0.05	
38	महेन्द्र सिंह वल्द चैनसिंह	भूमिस्वामी	223	3.60	0.24	
39	रुकमेश पिता हनुमत सिंह	भूमिस्वामी	216/2	0.73	0.16	
40	रामकली जोजे रेवाराम	भूमिस्वामी	364	0.76	0.04	
41	बलराम, गोरेलाल, अमरसींग, करनसींग, डेलन पिता हरप्रसाद सा. चकैरी	भूमिस्वामी	365/2	0.53	0.03	
42	कृदऊ पिता चेतु	भूमिस्वामी	366	0.80	0.04	
43	हीरालाल पिता ब्रजलाल	भूमिस्वामी	363/4	0.21	0.04	
44	भुजबल पिता महोपी	भूमिस्वामी	368	0.80	0.005	
		भूमिस्वामी	376/3	0.40	0.005	
45	अनूप कुमार पिता राजबाबू	भूमिस्वामी	380/2	2.60	0.08	
46	मुन्ना पिता हरीराम, मुंशीलाल पिता हरिशंकर	भूमिस्वामी	376/1	0.57	0.06	
47	रतन पिता लटोरी	भूमिस्वामी	378/1	1.00	0.13	
		भूमिस्वामी	378/2	0.59		
48	श्रीराम पिता भावसींग	भूमिस्वामी	379	0.49	0.04	
		भूमिस्वामी	398	0.80	0.02	
49	अमरसींग पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	397/1	0.15	0.05	
50	डेलन पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	397/2	0.17		
51	गोरेलाल पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	397/3	0.42		
52	मन्लाल उर्फ गफलू वल्द श्यामलाल	भूमिस्वामी	395	1.44	0.07	
53	तोडरसींग पिता जवाहरसींग, किशोरीसींग पिता गजराज, जगरानी बेवा गजराज	भूमिस्वामी	393	1.29	0.06	
54	लखन पिता हरीराम	भूमिस्वामी	392/1	0.62	0.06	
55	वीरसींग पिता हरीराम	भूमिस्वामी	392/2	0.63		
56	गौरीशंकर, भगवानदास पिता कन्हैयालाल, मुन्नी पुत्री कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	391	3.17	0.07	
57	ऊषारानी पत्नि गोविन्दी	भूमिस्वामी	390/1	0.53	0.05	
58	सिब्बू पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/1	0.26	0.10	
59	दौलत पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/2	0.25		
60	उदल उर्फ नारायण पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/3	0.25		
61	हल्काई पिता अर्जुन	भूमिस्वामी	389/4	0.30		
62	दशरथ पिता चिन्हा	भूमिस्वामी	388	0.36	0.010	
		भूमिस्वामी	451	0.63	0.005	

63	पूरन पिता झब्बू	भूमिस्वामी	450	0.45	0.09
64	फूलसींग पिता पंचे	भूमिस्वामी	454/2	0.71	0.01
65	आभा पति अरुण कुमार	भूमिस्वामी	452/1	5.47	0.24
66	प्रकाश वल्द कुदउ	भूमिस्वामी	453	0.32	0.01
महायोग:-			66	119.42	5.63

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 51अ-82-16-17-15175

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : सलैया घूघर
 4. पट.ह.नं. : 149
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.01 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामगोपाल, संतोष, देवकाबाई, पूनाबाई, लीलावती, कमला पिता गिरधारी	भूमिस्वामी	2/1	0.12	0.07	
2	सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई, रूपाबाई तुलसाबाई पिता दयाराम	भूमिस्वामी	2/2	0.12		
3	मनीराम, भगवानसींग पिता शिवलाल, सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई, रूपाबाई, तुलसाबाई पुत्री दयाराम, रामगोपाल संतोष, देवकाबाई पूनाबाई लीलावती कमला पुत्री गिरधारी	भूमिस्वामी	2/3	0.24		
4	मुन्नालाल, राधेश्याम, शिवराज, संतोष पिता हरीप्रसाद, नर्वदा, गुड्डीबाई, ममता, सुशीला पुत्री हरीप्रसाद, सुहागरानी वेवा हरीप्रसाद	भूमिस्वामी	4/1	3.07	0.18	
5	लेखन ना.वा. पिता वा बलि. खेतसींग वल्द हरजू	भूमिस्वामी	82/1	0.11	0.01	
6	बेनीराम पिता भावसींग, मोतीलाल पिता भावसींग	भूमिस्वामी	82/2	0.62		
7	लेखन ना.वा. पिता वा बलि. खेतसींग वल्द हरजू	भूमिस्वामी	86	0.06	0.01	
8	काशीराम, मोतीलाल, पिता कालूराम, भागचंद पिता रामेश्वर	भूमिस्वामी	88	0.80	0.08	
9	पूरन पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	101/1	0.78	0.07	
10	अयोध्या पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	101/2	0.48		
11	मुन्नालाल पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	99	1.09	0.03	
12	हरलाल पिता हरीसींग	भूमिस्वामी	100	0.67	0.05	
13	हरलाल पिता हरीसींग	भूमिस्वामी	126/2	0.08	0.01	
14	रामप्रसाद पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	126/1	0.41	0.01	
15	बालकिशन पिता पूरन	भूमिस्वामी	125	0.62	0.10	
16	अरविन्दकुमार पिता त्रिलोचननाथ, अमरीष, अंजनी पिता त्रिभुवननाथ	भूमिस्वामी	139	2.12	0.06	
17	भगवानसींग वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	138/1	0.37	0.04	

18	भगवानसींग वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	141/2	0.69	0.04
	लखनसींग पिता भावसींग		141/3	0.01	
	मनीराम पिता शिवदयाल		141/4	0.11	
	सुमतरानी पति कुदनसींग		141/5	0.21	
19	रामगोपाल पिता गिरधारी	भूमिस्वामी	143/1	0.40	0.07
20	वेनीराम पिता भावनसींग, मोतीलाल पिता भावसींग	भूमिस्वामी	144/1	0.79	0.15
21	मनीराम पिता शिवदयाल	भूमिस्वामी	145/1	0.44	0.03
22	भगवानसींग वल्द शिवदयाल	भूमिस्वामी	145/2	0.43	
महायोग			22किता	14.84	1.01

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 23अ-82-16-17-15262

सागर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम पड़रिया, खैजरा उददेत, चौका (दमोह), झागीडहर, देवरी पथरिया, मगरौन एवं शाहपुर की करीब 990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : भगवंतपुरा जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : पड़रिया
 4. पट.ह.नं. : 101
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 47.28 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राम पिता गनेश	भूमिस्वामी	1533	1.35	0.48	
2	नन्नेभाई पिता नन्नू	भूमिस्वामी	1540	1.42	1.42	
3	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1541/1	0.66	0.66	
4	तल्ली पिता कुददा	भूमिस्वामी	1541/2	0.20	0.20	
5	ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1542/1	0.68	0.68	
6	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1542/2	0.18	0.18	
7	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1543	0.65	0.65	
8	तिजई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1544	0.57	0.57	
9	राजू पिता कृददा	भूमिस्वामी	1545/1	1.40	1.40	
10	विहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1545/2	0.70	0.70	
11	नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1546	0.42	0.42	
12	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1547	0.53	0.53	
13	महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1548	1.52	1.52	
14	शकूर पिता जमना	भूमिस्वामी	1549/1	0.92	0.92	
15	साविर, अजीत पि. सबुआ, हसीना वे.	भूमिस्वामी	1549/2	0.45	0.45	

- 03 -

	सबुआ					
16	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1550/1	0.50	0.50	
17	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1550/2	0.50	0.50	
18	कलू लक्ष्मन, चौदे पिता गोविन्द	भूमिस्वामी	1551	0.95	0.95	
19	मूरत पिता फूलसींग, लक्ष्मी	भूमिस्वामी	1552	0.60	0.60	
20	रतन पिता हिम्मा सौर	भूमिस्वामी	1553	0.54	0.54	
21	रामनारायण पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1555	0.37	0.37	
22	बृजकिशोर पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/1	0.09	0.09	
23	महेन्द्र पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/2	0.09	0.09	
24	अशोकसिंह पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/3	0.08	0.08	
25	करन, प्रकाश पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	1562	0.18	0.18	
26	प्रताप पिता विन्द्रावन	भूमिस्वामी	1564	1.61	1.61	
27	बहादुर खां पिता खुन्ने	भूमिस्वामी	1565	1.30	1.30	
28	बाबू खां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1566	4.04	4.04	
29	बाबूखां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1567	0.77	0.77	
30	बाबूखां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1568	0.37	0.37	
31	मजीत खां पिता खुमने खां	भूमिस्वामी	1569	0.02	0.02	
32	हरी पिता पचकोडी	भूमिस्वामी	1570	0.78	0.78	
33	धन्नी छोटे पि. झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते बेटी वेवा मुल्ले	भूमिस्वामी	1571	0.047	0.047	
34	महेन्द्र पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/1	0.29	0.29	
35	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/2	0.29	0.29	
36	राजू पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/3	0.20	0.20	
37	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/4	0.29	0.29	
38	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/5	0.29	0.29	
39	नारायण पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/6	0.28	0.28	
40	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/1	0.04	0.04	
41	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/2	0.03	0.03	
42	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/3	0.29	0.29	
43	राजू पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/4	0.04	0.04	
44	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/5	0.03	0.03	
45	नारान पिता कुददा	भूमिस्वामी	1573/6	0.03	0.03	
46	वलीराम पिता रल्ली	भूमिस्वामी	1574	0.91	0.91	
47	प्रताप पिता विन्द्रावन	भूमिस्वामी	1575	0.30	0.30	
48	फूलरानी पति मजीदखाँ	भूमिस्वामी	1576	0.32	0.32	
49	छोटा पिता झुत्ते	भूमिस्वामी	1577	1.21	1.21	
50	राधारानी बेवा मोहन चडार	भूमिस्वामी	1578	1.73	1.73	
51	सुखनंदन पिता रामगुलाम	भूमिस्वामी	1579	0.10	0.10	
52	सुखराम पिता विष्णु	भूमिस्वामी	1580	1.01	1.01	
53	बूढ़ा पिता चिमन	भूमिस्वामी	1581	1.01	1.01	
54	मंजीत पिता खुन्ने	भूमिस्वामी	1582	0.95	0.95	
55	बसीर मोहम्मद पित तीरखाँ	भूमिस्वामी	1583	0.84	0.84	
56	रामेश्वर पिता बब्बू	भूमिस्वामी	1584	0.37	0.37	
57	बफाती पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/1	1.28	1.28	
58	उस्ताज पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/2	1.28	1.28	

59	मुस्ताक पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/3	1.28	1.28
60	छुट्टी खाँ पिता करन जू	भूमिस्वामी	1586	0.54	0.54
61	बाबूखाँ पिता करनजूखाँ	भूमिस्वामी	1587/1	0.30	0.30
62	छुट्टी खाँ पिता करन खाँ	भूमिस्वामी	1587/2	0.29	0.29
63	रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी वे. गौरीशंकर	भूमिस्वामी	1588	1.76	1.76
64	बाबूखाँ पिता करनजू खाँ	भूमिस्वामी	1589	1.44	1.44
65	रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	1590	0.15	0.15
66	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1591	0.68	0.68
67	नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1592	0.24	0.24
68	काशिम पिता लाल खाँ	भूमिस्वामी	1594	0.54	0.54
69	काशिम पिता लाल खाँ	भूमिस्वामी	1595	0.35	0.35
70	देवीसींग, कुवरसींग पि. नन्हासींग, कमलाबाई पुत्री नन्हा, भागबाई वे. नन्हा	भूमिस्वामी	1596	0.89	0.89
71	तिजई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1597	0.13	0.13
72	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/1	0.03	0.03
73	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/2	0.02	0.02
74	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/3	0.02	0.02
75	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/4	0.02	0.02
76	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/5	0.02	0.02
77	नारान पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/6	0.02	0.02
78	नारायण पिता कुददा	भूमिस्वामी	1534	0.85	0.16
79	नफीसा उर्फ नशीम बी पत्नि मुनीखाँ	भूमिस्वामी	1536	0.93	0.10
80	श्रीराम पिता गनेश	भूमिस्वामी	1537	0.81	0.30
81	कुददा, पूरन, भगवानसींग, फूलसींग पिता रतन, काशीबाई पुत्री रतन, सुहाग रानी वेवा रतन, शारदा पुत्री भूमि स्वाकी, बल्लू, फूलरानी वेवा बल्लू	भूमिस्वामी	1538	0.48	0.15
82	कल्याण पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1539/1	0.18	
83	संजू, संजय ना.वा.वल्द हल्लेभाई उर्फ कोमल, पूनम ना.वा.पु.हल्लेभाई उर्फ कोमल बली माँ पार्वती वेवा हल्लेभाई उर्फ कोमल	भूमिस्वामी	1539/2	0.67	0.16
84	वफादी वल्द अब्दुल	भूमिस्वामी	1600/1	0.18	0.18
85	मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ	भूमिस्वामी	1600/2	0.18	0.10
86	मुस्ताक पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1600/3	0.18	0.04
87	सीताराम पिता हरिराम	भूमिस्वामी	1602	1.35	0.35
योग—				52.427	47.28

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी,

भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 46-अ-82-16-17-15237

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकैरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

(1) परियोजना का नाम	:	जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(2) भूमि का विवरण-		
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	सागर
3. ग्राम	:	पिपरिया घूघर
4. पट.ह.नं.	:	150
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.50 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीश पिता बलराम	भूमिस्वामी	92	0.350	0.040	
2	अजय कुमार पिता बलराम	भूमिस्वामी	103/1	0.100	0.020	
		भूमिस्वामी	103/3	0.300	0.040	
		भूमिस्वामी	93/2	0.100	0.030	
3	द्वारका पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	109	1.340	0.110	
4	सुंदर, बाबूलाल, गिरजाशंकर पिता भगवानदीन, रामनारायण पिता रामप्रसाद, भूमि स्वामी बाबूलाल, जमनाप्रसाद पिता देवकीनंदन, मनक्याई वारी वेवा देवकीनंदन	भूमिस्वामी	157	1.00	0.030	
5	विपिन ना.वा. वल्द व वली माधव तरुण ना.वा. वल्द व वली रामबाबू	भूमिस्वामी	159	0.840	0.120	
6	पुरषोत्तम पिता सुंदरलाल, रामबाबू पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	158	0.160	0.020	
		भूमिस्वामी	160	0.760	0.080	
		भूमिस्वामी	172/1	0.11	0.03	
7	नेतराम पिता रामकिशन, महेन्द्र जुगलकिशोर, पिता रामकिसन	भूमिस्वामी	154	0.560	0.070	
		भूमिस्वामी	153	0.71	0.07	
		भूमिस्वामी	148/1	0.50	0.07	
		भूमिस्वामी	148/2	0.12	0.02	
8	सुदीक्षा पत्नि कुलदीप	भूमिस्वामी	172/2	0.240	0.020	
9	गिरजानंदन पिता बलराम	भूमिस्वामी	171	0.38	0.05	
10	चंदाबाई वेवा तुलसीराम कुसुम सुनीता पुत्री तुलसीराम	भूमिस्वामी	167	0.32	0.05	
11	जुगलकिशोर, महेन्द्र कुमार पिता रामकृष्ण	भूमिस्वामी	192/1	0.68	0.05	
12	रामबाबू पिता रेवाराम	भूमिस्वामी	192/2	0.40	0.03	
13	महेन्द्र पिता रामकिसन	भूमिस्वामी	166/2	0.18	0.05	
14	आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद, कौशलया पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद	भूमिस्वामी	108/1	2.30	0.16	
	रामगोपाल पिता रामनारायण	भूमिस्वामी	108/2	0.76		
	अशोक, मुकेश पिता गयाप्रसाद, प्रभाबाई वेवा गयाप्रसाद	भूमिस्वामी	108/3	0.50		
15	अर्पित ना.वा. वर्षा विन्द्रश्वरी ना.वा. पिता विनोद पालक आजी, शीलरानी वेवा हरीशंकर, अर्चना वेवा हरीशंकर	भूमिस्वामी	106/1	0.44	0.07	
	आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद, कौशलया पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद	भूमिस्वामी	106/2	0.10		
	रेवाराम पिता रामनारायण	भूमिस्वामी	106/3	0.04		

16	रामाधार पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	161/1	0.53	0.09
	कमलेश पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	161/2	0.60	
17	गिरजानंदन पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/1	0.240	0.12
	अशोक पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/2	0.400	
	अरुण पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/3	0.400	
	बलराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	170/4	0.120	
	ब्रजकिशोर पिता बलराम	भूमिस्वामी	170/5	0.680	
18	अशोक पिता बलराम	भूमिस्वामी	169/1	0.560	0.06
	अरुण पिता बलराम	भूमिस्वामी	169/2	0.240	
	बलराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	169/3	0.310	
	जगदीश पिता बलराम	भूमिस्वामी	169/4	0.080	
महायोग			18किता	17.45	1.50

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 47 अ-82-16-17-15235

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकैरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौंड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : जमुनिया गौंड
 4. पट.ह.नं. : 150
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.20 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुनील कुमार पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	341	2.96	0.18	
2	सुमनलता पुत्री कच्छेदी	भूमिस्वामी	342/1	0.13	0.06	
3	हरिराम पिता मूलचंद सुमनलता पुत्री कच्छेदी	भूमिस्वामी	329/1	0.60	0.09	
		भूमिस्वामी	329/2	0.21		
		भूमिस्वामी	329/3	0.15		
	भूमिस्वामी	329/4	0.28			
4	हरीराम पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	328/2	0.42	0.13	
5	भुजबल पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/3	0.36	0.04	
6	हनुमत पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/4	0.36	0.04	
7	शेवप्रसाद पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/5	0.36	0.04	
8	भुजबल, हनुमत, शेवप्रसाद, पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	328/1	0.12	0.05	
9	मयूरिका पत्नि यादवेन्द्र	भूमिस्वामी	327/3	1.20	0.21	
10	प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	327/2	1.31	0.22	
11	मनीराम पिता भैयाराम	भूमिस्वामी	326/3	0.24	0.03	
		भूमिस्वामी	326/4	0.62	0.10	
12	गीता वेवा दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	325/1	0.30	0.11	
		भूमिस्वामी	318	0.87	0.04	
		भूमिस्वामी	320/1	3.42	0.03	

13	ऋषि ना.वा. बल्द बबली, प्रदीप	भूमिस्वामी	325/4	0.62	0.10	
14	अनिल पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	325/3	0.62	0.01	
15	शालकराम पिता खिलान	भूमिस्वामी	324	1.59	0.13	
16	आकाश, चंद्रभान ना.वा. पिता दयाराम वली व.खुद मों कृष्णरानी बेवा दयाराम	भूमिस्वामी	323	0.78	0.14	
17	वरुण प्रताप ना.वा. यादवेन्द्र पाखी वा. चित्रांगदा नावा. पुत्री यादवेन्द्र पालक व खुद मां मयूरिका बेवा यादवेन्द्र	भूमिस्वामी	320/2	2.86	0.36	
18	द्रोपती पति जगन्नाथ	भूमिस्वामी	317	0.29	0.07	
19	रमेश, चिंतामन, कुँवरसींग बल्ले, सुदामा, तुलसीराम, घनश्याम पिस. बाबूलाल, सब्बो, रामकली, नब्बों पुत्रियां बाबूलाल बाबूलाल पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	257	0.34	0.04	
20	द्वारकाप्रसाद पिता हरीशंकर, सुमतरानी बेवा हरीशंकर, टीकाराम, अमन ना.वा. पिता महेन्द्र व वली व. खुद मों सुनीता बेवा महेन्द्र, सुरेश, मुन्नी, बड़ी बिन्ना, पिता रूपसींग, सुनीता, अनिल, सुनीता, पिस. भगवानदास, राधारानी बेवा भगवानदास, हेमराज, कृष्णकुमार, बड़ीबिन्ना, सरोज पिता राजाराम बृजरानी बेवा राजाराम	भूमिस्वामी	267	0.04	0.010	
21	प्रेमसींग पिता धनसींग	भूमिस्वामी	277	0.09	0.03	
22	मुन्ना पिता राजाराम	भूमिस्वामी	281	0.05	0.03	
23	कुँवरसींग पिता धनसींग	भूमिस्वामी	286	0.94	0.11	
24	मंदिर श्री देवमहावीर जी, मुह. अनिल पिता दुर्गाप्रसाद, प्रबंधक	भूमिस्वामी	288	1.51	0.08	
25	माखनलाल पिता मनीराम	भूमिस्वामी	322/2	0.62	0.01	
26	बुददे पिता पंचे	भूमिस्वामी	340/1	1.10	0.03	
27	बलराम सेवक, दिनेश, भूरे पिता दलीप, हरीबाई, बड़ीबाई पुत्र दिलीप, सुमतरानी बेवा दलीप, वीरसींग, वा. भूपेन्द्र ना.वा. पिता जगदीश, माया वा. क्रांति ना.वा. पुत्री जगदीश बगै.	भूमिस्वामी	266	0.29	0.07	
		भूमिस्वामी	263/1	0.06	0.01	
		भूमिस्वामी	264	0.13	0.01	
		भूमिस्वामी	268	0.01	0.01	
28	मुलाबाई बेवा बबुआ	भूमिस्वामी	169	0.02	0.01	
29	ताराबाई बेवा राजाराम	भूमिस्वामी	280	0.04	0.01	
30	देवका, माया पुत्री जगन्नाथ, द्रोपती बेवा जगन्नाथ	भूमिस्वामी	316/1	0.20	0.11	
	बद्री उर्फ हेमराज पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	316/2	0.56		
	कलू उर्फ महेन्द्र पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	316/3	0.55		
31	नीरज पिता निरपत, शारदाबाई, बेवा निरपत	भूमिस्वामी	253/1	0.41	0.01	
	भगवानदास पिता प्यारेलाल, गनेशराम पिता जालम	भूमिस्वामी	253/2	0.40		
32	बल्देव पिता राजाराम	भूमिस्वामी	276/1	0.21	0.03	
	शिवराज पिता राजाराम	भूमिस्वामी	276/2	0.21		
	विजयसींग पिता धनसींग	भूमिस्वामी	276/3	0.22		
33	मंगलसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	283/1	0.48	0.14	
	मुन्ना, शिवराज बल्देव पिता राजाराम	भूमिस्वामी	283/2	0.96		
34	राजकुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	284/1	0.40	0.10	
	मंगलसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	284/2	0.39		

35	चंद्ररानी वेवा दुर्गाप्रसद	भूमिस्वामी	285/1	0.28	0.10	
	राजकुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	285/2	0.48		
	मंगलसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	285/3	1.00		
36	प्रेमसींग पिता अमरसींग	भूमिस्वामी	258	0.09	0.07	
योग—			36किता	32.62	3.20	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 29 अ-82-17-18

सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

मौजा वंशिया पट.ह.नं.-116 तहसील सागर

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/MP/RIV/67810/2017 पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---------------------------|
| (1) | परियोजना का नाम | : | कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | सागर |
| | 3. ग्राम | : | वंशिया |
| | 4. पट.ह.नं.- | : | 116 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 75.380 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	चन्दन, उत्तम बालिग रामबाबू नाबालिग पिता छतरसींग, सरस्वतीबाई, शिववती बालिग लक्ष्मी उत्तरा नाबालिग वल्द छतरसींग, ताराबाई वेवा छतरसींग वली माँ ताराबाई साकिन देह	भूमिस्वामी	456	0.530	0.390	
2	मोहन वल्द बसोरे साकिन देह	भूमिस्वामी	459	0.150	0.030	
3	विजय कुमार वल्द कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	461	0.200	0.200	
		भूमिस्वामी	512	3.260	1.600	
		भूमिस्वामी	514	0.800	0.030	
4	रविप्रकाश वल्द शरदकुमार साकिन ढाना	भूमिस्वामी	462	1.330	1.330	
		भूमिस्वामी	602	0.430	0.430	
		भूमिस्वामी	606	0.260	0.26	
5	प्रागबाई पति खेतसींग साकिन बन्नाद	भूमिस्वामी	464	1.730	0.100	
6	सरवन पिता खिलान साकिन देह	भूमिस्वामी	480	0.530	0.030...	

7	राकेश पिता रघुराज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	497	0.770	0.220
8	मोहन पिता रघुराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	498/2	0.310	0.060
9	बाबूसींग पिता तोड़रसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	508	1.210	0.800
10	पुष्पेन्द्र सींग वल्द तोड़र सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	499/3	1.200	0.400
		भूमिस्वामी	752	0.330	0.330
		भूमिस्वामी	753	0.470	0.470
11	हरिराम पिता निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	507	0.170	0.170
12	घसीटे, थोवन, बलराम बालिग, कृष्णकुमार नाबालिग पिता तिजैया वली व खुद तेजाबाई वेवा तिजैया, भाईलाल पिता निरपत, कुददा पिता भवूदे, काशीराम, भगतसिंह, नन्देभाई पिता मकुन्दा, लक्ष्मीबाई पुत्री मकुन्दा, गौरझामरवारी वेवा मकुन्दा साकिन देह	भूमिस्वामी	509	0.310	0.310
		भूमिस्वामी	779/1	0.590	0.590
13	धर्मन्द्र सिंह पिता साहब सिंह साकिन बम्होरी बीका	भूमिस्वामी	510	0.150	0.150
14	रविन्द्र सिंह वल्द बाबू सिंह दागी साकिन देह	भूमिस्वामी	511	0.260	0.260
15	मंदिर श्री देव जानकी रमणजी मुह. द्वारकादास साकिन देह प्रबंधक, कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	597	2.970	0.780
		भूमिस्वामी	598	5.64	4.400
		भूमिस्वामी	600	0.750	0.750
		भूमिस्वामी	601	2.370	2.370
		भूमिस्वामी	750	5.500	5.500
16	शरद कुमार, सुशील कुमार पिता गोपीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	599	1.080	0.540
17	सुखलाल पिता निजाम, सियारानी वेवा निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	604	1.070	1.070
18	छैकोड़ी वल्द नवल साकिन देह	भूमिस्वामी	605	1.070	1.070
19	मालती देवी पति विष्णुदत्त साकिन सिजोता तहसील व जिला रतलाम	भूमिस्वामी	608	0.150	0.020
		भूमिस्वामी	609	0.680	0.020
20	बिट्टू सिंह वल्द शेर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	624	1.210	1.210
21	प्यारेलाल वल्द दमरू साकिन देह	भूमिस्वामी	625	1.800	0.800
22	भैयाराम वल्द दमरू साकिन देह	भूमिस्वामी	626	1.240	1.240
23	जाहरसींग पिता शेरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	627/1	1.300	0.580
24	धर्मन्द्र पिता तुलसीराम साकिन शंकरगढ़ सागर	भूमिस्वामी	642	1.210	0.020
25	राजेश पिता गनपत साकिन देह	भूमिस्वामी	649	1.160	0.030
26	रूपनारायण पिता खुमान सिंह साकिन सागर	भूमिस्वामी	652	1.470	0.100
27	मीरा पिता छोटा साकिन देह	भूमिस्वामी	653	1.600	1.200
28	मीरा, करन पिता छोटा, सियारानी वेवा छोटा साकिन देह	भूमिस्वामी	655	1.600	1.600
29	सरदार वेवा रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	656	0.290	0.140
		भूमिस्वामी	666	0.220	0.030
		भूमिस्वामी	670	0.810	0.810
30	प्यारीबाई पिता हरजू, हरीबाई पिता हरीसींग, कमलाबाई पुत्री परमानंद, परमानंद वल्द अर्जुन साकिन देह	भूमिस्वामी	661	1.240	0.420
31	बाबूलाल, रवि, दीवान, रोशन, रामनरान नाबालिग पिता गरीबा पालक माँ लटकारी वेवा गरीबा साकिन देह	भूमिस्वामी	662	1.100	0.020
32	दीनदयाल वल्द चेतु साकिन देह	भूमिस्वामी	668	1.210	1.210
33	रामदास वल्द हल्कू, सीताराम वल्द सरमन साकिन देह	भूमिस्वामी	669	0.280	0.280
		भूमिस्वामी	671	0.930	0.930
34	नंदराम पिता छोटेलाल, शकुनबाई, मायाबाई पिता छोटेलाल, जनकदुलारी वेवा छोटेलाल, टन्दू पिता राजाराम, रामदुलारी वेवा विशाल, गुड्डी नाबालिग पिता विशाल वली जनकदुलारी, राजेन्द्र, भागबाई पिता गुपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	672	0.310	0.310
		भूमिस्वामी	673	0.730	0.730
		भूमिस्वामी	674	0.390	0.390
		भूमिस्वामी	680	0.680	0.680

35	जोन पिता आखरा साकिन देह	भूमिस्वामी	675	1.210	1.210
36	बसन्ता वलद गफले साकिन देह	भूमिस्वामी	677	1.210	1.210
37	शिवदर्शन प्रसाद पिता ठाकुरदास साकिन यादव कालोनी सागर	भूमिस्वामी	678	1.210	1.210
		भूमिस्वामी	679	0.800	0.800
		भूमिस्वामी	681/1	0.210	0.210
38	श्रीराम पिता भोले साकिन देह	भूमिस्वामी	681/2	1.200	1.200
39	नत्थीबाई पुत्री हल्लू साकिन देह	भूमिस्वामी	682	1.210	1.210
40	हेमराज गुपाल पिता सीताराम, पूनाबाई पुत्री सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	683	0.600	0.600
41	पप्पू पिता गंगा साकिन देह	भूमिस्वामी	684	0.720	0.720
		भूमिस्वामी	685	0.690	0.690
42	चंदा पति लखन साकिन बरोदा	भूमिस्वामी	686	1.490	1.490
43	पप्पू बल्द गंगाराम सौर साकिन देह	भूमिस्वामी	687	1.250	1.250
44	जगदीश पिता गंगा साकिन देह	भूमिस्वामी	688	1.140	1.140
45	रामसींग, दौलत पिता परमा, राधा कलाबाई वेनी, अनीता पुत्री परमा रामदुलैया वेवा परमा साकिन देह	भूमिस्वामी	689	1.210	1.210
46	हनमत पिता हीरालाल, शारदा कल्लो पुत्री हीरालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	801	2.050	1.130
47	पप्पू जगदीश पिता गंगाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	690/2	1.210	0.200
48	उमराव पिता नंदलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	691	0.940	0.660
49	लटोरी पिता भगोली सुमतरानी वेवा भगोली, ताराबाई पति हरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	692/1	0.350	0.350
50	आशारानी पति जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	692/2	0.640	0.300
51	गैदारानी पति लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	692/3	0.300	0.300
52	कमलारानी पति रामबहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	693	0.840	0.840
53	परमू, हरीराम, सुन्दरा, जयराम, धनीराम पिता मुलू परमाबाई नाबालिग पिता मुलू वली माँ खुद बारीबहू वेवा मुलू सा. देह	भूमिस्वामी	694/1	0.780	0.780
54	आशारानी वेवा जगदीश, पुष्पेन्द्र, लखन नाबालिग वली माँ व खुद आशारानी पिता जगदीश, उर्मिला नाबालिग गायत्री नाबालिग वली व खुद आशारानी पिता जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	694/2	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	695/1	0.380	0.380
		भूमिस्वामी	697	1.210	0.120
55	लक्ष्मन वल्द रामलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	695/2	0.270	0.270
		भूमिस्वामी	696	1.330	1.180
56	भगवानसींग वल्द बहादुरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	738	0.130	0.130
57	श्रीमति आशाबाई पति भगवान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	739	0.130	0.130
		भूमिस्वामी	740	0.260	0.260
58	मरदन सींग पिता सुक्केसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	742	0.080	0.080
59	लालसींग, फूलसींग पिता बाबूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	743	0.080	0.080
60	बहादुरसींग पिता सुक्के साकिन देह	भूमिस्वामी	744	0.120	0.120
61	मलखान सींग वल्द सुक्के सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	745	0.120	0.120
62	आशादेवी पति शरद कुमार साकिन ढाना	भूमिस्वामी	747	2.350	2.350
63	शरद कुमार वल्द गोपीलाल साकिन ढाना	भूमिस्वामी	748	2.350	2.350
64	पुष्पेन्द्र सींग वल्द तोडर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	754/1	0.680	
65	रामसींग वल्द तोडरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	754/2	2.020	1.98
68	बाबूसींग पिता तोडरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	754/3	1.480	
67	आशीष वल्द परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	771	0.620	0.310
		भूमिस्वामी	774	0.250	0.250
		भूमिस्वामी	777	0.070	0.070

68	रामसींग वल्द तोड़रसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	772	1.22	0.580
69	बैजनाथ वल्द निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	773	0.310	0.310
70	रामकिशन पिता बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	775	0.200	0.200
		भूमिस्वामी	776	0.080	0.080
71	भाईलाल वल्द निरपत साकिन देह	भूमिस्वामी	778	0.360	0.360
72	रामकिशन वल्द बैजनाथ साहू साकिन देह	भूमिस्वामी	779/2	0.400	0.400
73	दीना वल्द कुदरु साकिन देह	भूमिस्वामी	780	0.050	0.050
74	खूबसींग पिता लेखन साकिन देह	भूमिस्वामी	783	0.290	0.290
		भूमिस्वामी	786	0.860	0.860
75	सुदामा प्रसाद वल्द भाईलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	785	1.070	1.070
76	शालकराम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	787	0.460	0.460
77	रमेश पिता हरिशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	788/1	0.070	0.070
		भूमिस्वामी	789/1	0.190	0.190
		भूमिस्वामी	791/1	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	792/1	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	793/1	0.050	0.050
78	मोहन पिता नशू साकिन देह	भूमिस्वामी	788/2	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	789/2	0.190	0.190
		भूमिस्वामी	791/2	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	792/2	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	793/2	0.050	0.050
79	विनोद पिता गोपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	788/3	0.070	0.070
		भूमिस्वामी	789/3	0.190	0.190
		भूमिस्वामी	791/3	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	792/3	0.050	0.050
		भूमिस्वामी	793/3	0.050	0.050
80	रामकृष्ण पिता जुगल किशोर साकिन दाना	भूमिस्वामी	790	1.300	1.300
81	प्रेमबाई पति रामा साकिन देह	भूमिस्वामी	794	0.250	0.250
		भूमिस्वामी	795	1.360	0.780
82	शांतिबाई वेवा बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	796	0.250	0.020
83	लाडलीबाई वेवा निर्भय, रगवर, लल्लुभाई, धनीराम, भगवत, जमना वल्द निर्भय, सजराबाई, भागबाई पिता निर्भय साकिन देह	भूमिस्वामी	802	0.350	0.170
84	श्रीसींग वल्द भबूदे साकिन देह	भूमिस्वामी	803	0.370	0.140
85	कृष्णाबाई पत्नि देवीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	804	0.300	0.040
योग:-			127	103.44	75.38

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसके मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43. व

उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 30 अ-82-17-18

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/MP/RIV/67810/2017 पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : नारायणपुर
 4. पट.ह.नं.- : 117
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 60.650 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	गनेशराम पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	192/1	0.520	0.520	
2	मुन्ना पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	192/2	0.520	0.520	
3	मदन पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	192/3	0.570	0.570	
4	अखलेश उर्फ पप्पू पिता तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	192/4	0.590	0.590	
5	फूलरानी वेवा तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	192/5	0.080	0.080	
6	महेश, लखन, जगदीश, प्रभूदयाल, महेन्द्र, कमलेश, अनीता,, शशिकला, लीलाबाई पिता घनश्याम साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	193 213	5.340 0.260	5.340 0.260	
7	रजनीश पिता दीपक, नंदनी नाबालिग पिता नीलेश बली अशोक कुमार पिता गौरीशंकर रेखा वेवा नीलेश साकिन देह	भूमिस्वामी	194	2.490	2.490	
8	ठाकुरदास पिता गोपीकृष्ण साकिन देह	भूमिस्वामी	196	0.660	0.660	
9	रामप्रकाश वल्द माधवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	197	0.720	0.720	
10	श्यामसुन्दन पिता रामचरण साकिन देह	भूमिस्वामी	198	1.230	1.230	

11	बलराम पिता सुन्दरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	199	0.270	0.270
12	रामसींग पिता नत्थू साकिन देह	भूमिस्वामी	200	0.730	0.730
		भूमिस्वामी	211	0.180	0.180
13	हरबाई पति पन्नालाल साकिन सेमरा	भूमिस्वामी	201	1.130	1.130
14	काशीराम, सुक्के, आलम पिता परसादी साकिन देह	भूमिस्वामी	202	1.210	1.210
		भूमिस्वामी	207	0.110	0.110
15	राममनोहर, सुखराम, आत्माराम, रामकृपाल पिता प्रेमनारायण, मुकेश, ववीता पिता रामविशाल, विमला देवा रामविशाल, कमला पुत्री प्रेमनारायण अर्पि नाबालिग पिता गोविन्दराम पालक व खुद माँ शुषमा देवा गोविन्दराम साकिन देह	भूमिस्वामी	203	0.710	0.710
		भूमिस्वामी	206	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	209	0.800	0.800
		भूमिस्वामी	340	0.360	0.360
16	सत्यवती जोजे सुखराम, पुष्पा जोजे आत्माराम साकिन देह	भूमिस्वामी	205	1.330	1.330
17	पूरनसींग पिता लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	210/1	0.820	0.820
18	बाबूलाल पिता लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	210/2	1.200	1.200
19	देवकीनंदन सुदामा पिता रतनलाल साकिन हफसिली	भूमिस्वामी	212	0.320	0.320
20	मरी सीताराम पिता रामचरन नंगी देवा रामचरन साकिन देह	भूमिस्वामी	214	0.170	0.170
21	सीताराम वल्द रामचरन साकिन देह	भूमिस्वामी	215	0.33	0.330
22	रामकृपाल बालिग वल्द प्रेमनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	217	0.07	0.070
23	जसरथ वल्द गुवदी, कुंवरबाई पति जसरथ साकिन देह	भूमिस्वामी	318/1	0.500	0.500
24	कलू पप्पू धन्नु पिता कड़ोरी, रामवती, हल्ली पुत्री कड़ोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	318/2	0.500	0.500
		भूमिस्वामी	318/3	0.300	0.300
25	मुल्ली वल्द धीरज तुलसाबाई पति मुल्ली साकिन देह	भूमिस्वामी	358/11	0.120	0.120
		भूमिस्वामी	318/4	0.500	0.500
26	मुल्ली वल्द मोहन, गल्लोबाई पति मुल्ली साकिन देह	भूमिस्वामी	318/5	0.500	0.500
27	मिट्टू वल्द प्यारेलाल, तेजाबाई पति मिट्टू साकिन देह	भूमिस्वामी	318/6	0.500	0.500
28	चुन्नी वल्द भैयालाल, सरोज पति चुन्नी साकिन देह	भूमिस्वामी	318/7	0.500	0.500
29	राजकुमार, सोहन, शंकर, राजेन्द्र पिता तिलकसिंह, पूना पुत्री तिलक सिंह, मल्लोबाई पति तिलक सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	318/8	0.500	0.080
30	काशीराम वल्द रज्जू, रामरानी पति काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	318/9	0.500	0.220
31	कम्मोदा वल्द भागीरथ, मीरा पति कम्मोदा साकिन देह	भूमिस्वामी	329/1	0.510	0.510
32	नत्थू वल्द पंचू साकिन देह	भूमिस्वामी	331/1	0.660	0.660
33	जगदीश वल्द रामेश्वर साकिन रेवझा	भूमिस्वामी	332/1	1.060	1.060
		भूमिस्वामी	331/2	0.400	0.400
34	प्रभु सिंह पिता दुर्जन सिंह गौड़ साकिन सापट	भूमिस्वामी	332/2	1.060	1.060
35	ज्ञानी पिता दुरगसींग साकिन रेवझा	भूमिस्वामी	336	0.740	0.740
36	रामवती पति हरगोविन्द साकिन पथरिया जाट	भूमिस्वामी	338	0.910	0.910
37	श्री देव राधाकृष्ण जी मंदिर बांके देह मुह. नीमाबाई पति रामचरण साकिन गौरझामर, जयनारायण पुत्र पुरुषोत्तमलाल साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	339	1.620	1.620
		भूमिस्वामी	343/2	1.200	1.200
38	ईश्वरी प्रसाद वल्द रतनलाल साकिन हफसिली	भूमिस्वामी	341	1.620	1.620
39	केशव प्रसाद वल्द अवध बिहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	343/1	1.380	1.380
40	राजकुमार, वीरेन्द्र, मुकेश कुमार, राजेश कुमार, विमल कुमार पुत्र दयाचंद, विरोजीबाइ देवा दयाचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	343/3	0.800	0.800
41	सुदामा वल्द रतनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	344	1.250	1.250
		भूमिस्वामी	345	1.820	1.820
42	देवकीनंदन वल्द रतनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	346	2.330	2.330
43	अनिमेश पिता अशोक कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी			

44	दामोदर वल्द रतनलाल दुबे साकिन हफसिली	भूमिस्वामी	347	0.830	0.830
45	दयाचंद वल्द हजारीलाल सा. ढाना	भूमिस्वामी	349	0.850	0.850
46	रामगोपाल वल्द हल्कूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	350	0.710	0.710
47	रामशंकर पिता शिवनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	351/1	0.460	0.460
		भूमिस्वामी	354	1.090	1.090
		भूमिस्वामी	355	0.140	0.140
48	नीलेश पिता शिवनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	351/2	1.820	1.820
49	सुदाम्भ प्रसाद पिता शिवनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	352	1.820	1.820
50	श्यामबिहारी पिता शिवनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	353	1.820	1.820
51	सुधीर कुमार, संजय कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता शालकराम, विनीता पुत्री शालकराम साकिन देह	भूमिस्वामी	357/1	2.000	2.000
52	हरिनारायण पिता गौरीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	357/2	2.010	2.010
53	सूरत सिंह पिता पलू साकिन देह	भूमिस्वामी	358/2	0.400	0.120
54	सुखबाई वेवा शेवलाल, फूलसींग, हरीसींग, झलकन, अजय पिता शेवलाल, रम्भो, कल्लो, नन्नी पिता शेवलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	358/3	0.400	0.400
55	रमेश, विशाल, रामभरोसी, शारदा, किरण, दीपा पिता गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	358/4	0.400	0.400
56	काशीराम पिता रज्जू साकिन देह	भूमिस्वामी	358/5	0.400	0.400
57	रमेश वलद लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	358/7	0.400	0.400
58	मुरलीधर, रामसींग पिता मोहन, मीना, फूला, बसंती, पुष्पा पिता मोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	358/9	0.140	0.140
59	तिलक पिता भागीरथ, कल्लोबाई पति तिलक साकिन देह	भूमिस्वामी	358/10	0.500	0.500
60	श्रीबाई वेवा ईसुर, रुकमनी, कल्लो, भूरी, मुन्नी पुत्री ईसुर, देवसींग पिता ईसुर साकिन देह	भूमिस्वामी	358/12	0.500	0.350
61	सुरेश वल्द हरिकिशन, शांतिबाई पति सुरेश साकिन देह	भूमिस्वामी	358/14	0.500	0.500
योग:-			73	61.78	60.65

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31 अ-82-17-18

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/MP/RIV/67810/2017 पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : हनौता खुर्द
 4. पट.ह.नं.- : 117
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 182.093 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	वीरसींग पिता गोपसींग साकिन डिलाखेड़ी	भूमिस्वामी	2	1.980	1.980	
2	विक्रमसींग पिता वीरसींग साकिन डिलाखेड़ी	भूमिस्वामी	3	2.080	2.080	
3	भूपत उर्फ भूपेन्द्र पिता वीर सींग साकिन डिलाखेड़ी	भूमिस्वामी	4	1.990	1.990	
4	दिनेश कुमार पिता जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	5	1.820	1.820	
5	जगदीश वल्द रामभरोसे साकिन बरोदा	भूमिस्वामी	6/1	1.520	1.520	
6	संतोषरानी पत्नि जगदीश साकिन वंशिया	भूमिस्वामी	6/2	1.520	1.520	
7	सुशील कुमार पिता गोपीलाल साकिन ढाना	भूमिस्वामी	7	1.720	1.720	
8	शीलू पत्नि नीलेश कुमार निवासी पुरव्याऊ टोरी सागर	भूमिस्वामी	8/1	1.520	1.520	
9	टीना उर्फ मधुलता पति राजेश कुमार साकिन पुरव्याऊ टोरी सागर	भूमिस्वामी	8/2	1.530	1.530	
10	वैभव कुमार, विवेक कुमार पिता सुशील कुमार तिवारी साकिन ढाना	भूमिस्वामी	9	5.720	5.720	
		भूमिस्वामी	28	1.210	1.210	

11	बिजेन्द्र उर्फ बबलू पिता बलराम साकिन देह	भूमिस्वामी	10/1	1.820	1.820
		भूमिस्वामी	10/4	0.050	0.050
12	रविन्द्र उर्फ राजू पिता बलराम साकिन देह	भूमिस्वामी	10/2	0.720	0.720
		भूमिस्वामी	91/2	1.160	1.160
13	रामकृष्ण पिता बलराम साकिन देह	भूमिस्वामी	10/3	0.240	0.240
		भूमिस्वामी	91/3	0.800	0.800
14	बारेलाल, पूरन पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	17	0.040	0.040
15	सूरजबाई पति खिलान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	17/261	0.060	0.060
		भूमिस्वामी	201	2.860	2.660
16	त्रिवेनी बाई पति रामसिंह साकिन सागर	भूमिस्वामी	19	0.170	0.170
		भूमिस्वामी	116	2.740	1.370
17	कच्छेदी पिता बबू साकिन देह	भूमिस्वामी	20	0.120	0.120
18	श्रीराम पिता नारान सींग, लीलाबाई पुत्री नारानसींग ताराबाई वेवा जाहरसींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग, पूजा आरती भारती मुस्कार नाबालिग पिता जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह	भूमिस्वामी	21	0.080	0.080
		भूमिस्वामी	43/1	0.110	0.110
		भूमिस्वामी	44	2.790	2.790
		भूमिस्वामी	46/1	0.29	0.290
		भूमिस्वामी	48	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	22	0.090	0.090
19	भैयाराम, टीकन, कलन पिता राजाराम, कमलाबाई पुत्री राजाराम, दुधोनियावारी वेवा राजाराम, रामवती वेवा गफलू साकिन देह	भूमिस्वामी	23	0.070	0.070
20	शशिप्रभा पति सुशील कुमार साकिन ढाना	भूमिस्वामी	25	1.530	1.530
		भूमिस्वामी	101	0.800	0.030
21	रमेश पिता जगदीश साकिन वंशिया	भूमिस्वामी	26	1.820	1.820
22	रूपसिंह पिता ज्वाला साकिन देह	भूमिस्वामी	29	0.310	0.310
23	अमोलसींग नाबालिग पिता व पालक पंचू साकिन देह	भूमिस्वामी	30	0.310	0.310
24	बोरा, तिजई पिता अमान, रूपरानी वेवा अमान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	33	0.950	0.950
25	शिवदर्शन प्रसाद पिता ठाकुरदास साकिन मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	34	0.800	0.800
		भूमिस्वामी	45	0.450	0.450
		भूमिस्वामी	47	0.170	0.170
		भूमिस्वामी	94	2.000	1.000
		भूमिस्वामी	246/3	1.250	1.250
		भूमिस्वामी	35/2	1.180	1.180
26	विवेक कुमार पिता सुशील कुमार साकिन ढाना	भूमिस्वामी	35/1	0.340	0.340
		भूमिस्वामी	53	0.350	0.350
		भूमिस्वामी	71	0.080	0.080
27	बद्री पिता भगवान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	36/1	1.000	1.000
28	माखन पिता भगवान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	36/3	1.000	1.000
29	श्रीराम पिता नारायण सींग द्वारका नाबालिग पिता व पालक गुलाब सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	37	0.250	0.250
30	द्वारका प्रसाद पिता गुलाब सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	38	0.050	0.050
31	पंचू पिता पहारी साकिन देह	भूमिस्वामी	42/1	0.020	0.020
32	लखन, श्याम, काशीराम, भूरे पिता रमन साकिन देह	भूमिस्वामी	42/2	0.020	0.020
33	विष्णू पिता पहारी, जयसिंह पिता फूलसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	42/3	0.020	0.020
34	सूरज पिता बद्री साकिन देह	भूमिस्वामी	42/4	0.020	0.020

35	तुलसीराम पिता गुलाबसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	43/2	0.230	0.230
		भूमिस्वामी	61	1.610	1.610
36	महन्ता पिता ज्वाला साकिन देह	भूमिस्वामी	43/262	0.040	0.040
		भूमिस्वामी	111	0.300	0.300
37	मायारानी पत्नि द्वारकासींग साकिन देह	भूमिस्वामी	46/2	0.690	0.690
		भूमिस्वामी	50/2	0.810	0.810
38	रूपसींग पिता महन्ता साकिन देह	भूमिस्वामी	51/1	1.450	1.450
		भूमिस्वामी	51/2	1.450	1.450
39	हरीराम, मुन्ना पिता दीना, सोमल, क्रांति पुत्री दीना, सुरेन्द्र पिता सूरतसींग, अनीता पुत्री सूरतसींग, पार्वती वेवा सूरतसींग, हरीबाई वेवा थम्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	52	0.860	0.860
		भूमिस्वामी	74	0.060	0.060
40	कच्छेदी बाबूसींग पिता कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	54	1.230	1.230
		भूमिस्वामी	208	1.470	1.470
41	शरद कुमार पिता गोपीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	55	1.040	1.040
		भूमिस्वामी	56	0.340	0.340
		भूमिस्वामी	62	0.110	0.110
42	छोटा पिता हीरा साकिन देह	भूमिस्वामी	58/1	0.660	0.660
43	मोती, दौलत, राममजन पिता छोटा उर्फ छोटेलाल, शांतिबाई, सूरजबाई पुत्री छोटा उर्फ छोटेलाल साकिन बंसिया	भूमिस्वामी	58/2	1.100	1.100
44	कमल उर्फ मुन्ना वल्द मदनलाल, आशारानी वेवा मदनलाल साकिन बंसिया	भूमिस्वामी	59	1.910	1.910
		भूमिस्वामी	60	1.750	1.750
45	पूनाबाई वेवा हरजू, सियारानी वेवा मुलू ढीकाराम, नन्हेलाल पिता भैयालाल, हीराबाई, मुन्नीबाई पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	65	0.670	0.670
		भूमिस्वामी	96/263	1.130	0.800
		भूमिस्वामी	67	0.040	0.040
46	धीरे पिता छमाधर साकिन देह	भूमिस्वामी	66	0.120	0.120
47	जयसींग, हीरा, गुलाबबाई पिता चेतू मानक, शोवती पुत्री कुददे साकिन देह	भूमिस्वामी	69	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	214/260	0.730	0.013
		भूमिस्वामी	239	0.590	0.590
48	रविन्द्र पिता बलराम साकिन देह	भूमिस्वामी	70	0.040	0.040
49	बारेलाल पिता नन्नेसींग साकिन देवरी	भूमिस्वामी	72	0.290	0.290
		भूमिस्वामी	78/2	0.190	0.190
50	बृजरानी वेवा सुन्दरलाल प्रेमबाई वेवा अरजन सिंह साकिन खमकुआं	भूमिस्वामी	75	0.100	0.100
51	संतोषरानी पति बलराम, बलराम पिता छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	76	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	92/3	0.680	0.680
		भूमिस्वामी	92/4	0.68	0.680
52	भैयाराम, टीकन, कलन पिता राजाराम, कमलाबाई पिता राजाराम, नोनियाबाई वेवा राजाराम, रामवती वेवा गफलू, कच्छेदी पिता बबू साकिन देह	भूमिस्वामी	77	0.29	0.290
		भूमिस्वामी	205	0.680	0.680
53	मानक, शोवदीव पिता कुददा, शोवती पुत्री कुददा, कुसमरानी वेवा कुददा, जयसींग, हीरा पिता चेतू साकिन देह	भूमिस्वामी	78/1	0.230	0.230
		भूमिस्वामी	96	2.160	2.160
54	काशीराम पिता गजई भगतसी गपिता गजई साकिन देह	भूमिस्वामी	80	0.470	0.470
		भूमिस्वामी	83	0.520	0.520
55	संतोष, गंगाराम पिता गनेश साकिन बंसिया	भूमिस्वामी	81/1	0.810	0.810

56	मंगलसौंग पिता रंधीरसौंग साकिन बरोदा रहली	भूमिस्वामी	81/2	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	86/2	0.100	0.100
		भूमिस्वामी	87/2	0.700	0.700
57	राघवेन्द्र नाबालिग पिता रंधीर, प्रियंका, कमलाबाई, सुनीताबाई पुत्री रंधीर पालक व खुद माँ रूपरानी वेवा रंधीर साकिन देह	भूमिस्वामी	82	0.090	0.090
		भूमिस्वामी	85/1	1.100	1.100
58	कल्लोबाई पति भगोनी प्रसाद साकिन शंकरगढ़ रजाखेड़ी	भूमिस्वामी	85/2	0.800	0.800
59	रामसेवक बालकिशन वल्द गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	86/1	0.790	0.790
60	देवीसौंग पिता रंधीर साकिन देह	भूमिस्वामी	87/1	1.480	1.480
61	विक्रम पिता वीरन, राहुल नाबालिग वल्द व बली वीरन यादव साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	88/1	2.090	2.090
		भूमिस्वामी	156	0.310	0.310
		भूमिस्वामी	161	0.160	0.160
		भूमिस्वामी	178	0.240	0.240
62	आशाबाई पति गोपालप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	88/2	0.710	0.710
63	वीरसौंग पिता मोहनसौसंग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	89	1.240	1.240
		भूमिस्वामी	90/1	0.360	0.360
		भूमिस्वामी	90/2	0.410	0.410
64	भाईराम सावित्रीबाई पानबाई पिता निरपत, काशीराम, भगतसौंग, नन्हेभाई, रामदास पिता भगुन्दी, गौरझामरवारी वेवा भगुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	90/3	0.410	0.410
65	लेखनसौंग, गनपतसौंग पिता गुलाबसौंग, मथुराबाई वेवा गुलाबसौंग, गुड्डा, रामनरेश पिता प्रहालदसौंग, रानीबाई, मीनाबाई नाबालिग ल्द रविन्द्र सौंग, शीलाबाई वेवा रविन्द्रसौंग पोथीबाई वेवा पहारी साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	90/4	0.270	0.270
66	रामजी पिता बलराम साकिन देह	भूमिस्वामी	91/1	1.870	1.870
67	सरोजबाई पति रामनरेश साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	92/1	1.250	1.250
		भूमिस्वामी	130/1	1.260	0.630
		भूमिस्वामी	130/2	0.63	0.130
68	रामनरेश पिता परताप सौंग साकिन देह	भूमिस्वामी	92/2	1.350	1.350
69	रतनलाल पिता मुलू साकिन करबना	भूमिस्वामी	102/1	0.650	0.420
		भूमिस्वामी	102/2	1.200	1.000
70	भूपत सिंह विक्रम सिंह पिता वीरसौंग साकिन डिलाखेरी	भूमिस्वामी	103/1	1.360	1.360
71	सियारानी वेवा शिवशंकर, पप्पू महेश, डेलन, केशू प्रसाद, रामबाबू पिता शिवशंकर, गुड्डा, मोतीबाई पुत्री शिवशंकर, विकाश नाबालिग प्रदीप नाबालिग पिता खिलान पालक मां खुद चतराबाई वेवा खिलान साकिन मोकलपुर	भूमिस्वामी	103/3	1.370	1.370
72	रमेश पिता फुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	104	1.090	1.090
		भूमिस्वामी	113	0.150	0.150
		भूमिस्वामी	105	0.150	0.150
73	फगू पिता हीरालाल, किशोरी पिता नारायनसौंग, रत्तीबाई पिता मुलू, बन्दी, माखन पिता भगवानसौंग, अवधरानी वेवा भगवानसौंग, मोती, दौलत, रामभजन पिता छोटा, शांतिबाई, सूरजबाई पुत्री छोटा, रामजी पिता मिठू, रामवती पुत्री मिठू, सुहागरानी वेवा मिठू साकिन देह	भूमिस्वामी	107	2.110	2.110
74	नन्हेभाई पिता मिहीलाल, कुसुमबाई पुत्री गोकल, बली पिता ज्ञान, रज्जे पिता ज्ञान, जितेन्द्र कलू पिता हेमराज सविता, सुनीता पिता हेमराज, राधारानी वेवा हेमराज साकिन देह	भूमिस्वामी	108	0.970	0.970
75	जगदीश पिता महाराजसौंग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	109	1.850	1.850
76	रत्तीबाई पुत्री फुलू पति प्रेमसौंग साकिन देह	भूमिस्वामी	110	0.490	0.490

77	लल्लू पिता महाराज सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	114/1	0.950	0.950
78	कल्लोबाई, हुकुमबाई पुत्री महाराज सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	114/2	0.270	0.270
79	उर्मिला पत्नि लल्लू साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	114/3	1.000	1.000
80	बोदन पिता महाराजसींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	115	1.470	1.470
		भूमिस्वामी	204	0.520	0.520
81	द्वारका कड़ोरी पिता हल्का, गनेशी, राजबाई पुत्री हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	122	1.520	0.170
82	चन्द्रासीसंग पिता मोहनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	158	1.110	1.110
83	जगन्नाथ पिता पट्टी साकिन देह	भूमिस्वामी	123/2	0.400	0.170
		भूमिस्वामी	152/1	0.680	0.680
84	गुड्डा पिता मोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	123/3	1.110	1.110
85	महाराजसींग, जाहरसींग पिता मानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	125	0.490	0.03
86	लक्ष्मनसींग पिता देवीसींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	126/2	1.020	0.920
87	कुवरसींग, भीकमसींग, निरपत हीरासींग पिता वल्देवसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	131/1	1.660	0.730
88	सतेन्द्र सिंह पिता रंधीर सिंह साकिन बरोदा रहली	भूमिस्वामी	131/2	0.560	0.220
89	लेखन पिता गुलाब सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	132/1	1.200	0.620
		भूमिस्वामी	133/1	1.080	0.700
90	सावित्रीबाई पत्नि लेखनसींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	132/2	1.600	0.900
91	गुड्डा नाबालिग पिता प्रहलाद, दीना, मीना नाबालिग पिता रवेन्द्र सींग पालक व खुद माँ शीलाबाई वेवा रवेन्द्र सींग पुट्टीबाई वेवा पहारी साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	133/3	0.800	0.900
92	गब्बर सिंह पिता लेखन सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	133/4	0.280	0.280
93	पूनाबाई वेवा हरजू, सियारानी वेवा मुलू ढीकाराम, नन्हेलाल पिता भैयालाल, हीराबाई, मुन्नीबाई पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	147/1	0.230	0.230
94	राघवेन्द्र दीपेश वल्द प्रीतम सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	148	0.850	0.080
95	मालती वेवा गंधर्व सींग, प्रथम नाबालिग, नीलम नाबालिग पिता गंधर्व सींग पालक मालती साकिन देह	भूमिस्वामी	150/2	0.400	0.400
96	वीरसींग पिता लक्ष्मन सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	151	0.600	0.600
97	दुरगसिंह पिता सीताराम साकिन हफसिली	भूमिस्वामी	152/2	0.400	0.400
98	दीपक पिता श्रीराम साकिन करैया	भूमिस्वामी	153	0.160	0.160
		भूमिस्वामी	155	0.140	0.140
		भूमिस्वामी	160	0.160	0.160
99	धीरज, हल्के पिता बूडे कुवरबाई वेवा बूडे, राघवेन्द्र पिता रंधीर कमलाबाई, सुनीताबाई प्रियंका पिता रंधीर, रूपरानी वेवा रंधीर साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	154	0.300	0.300
100	हीराबाई वेवा रामदीन, रामसींग बालिग, राकेश नाबालिग सुशीला, सविता उर्फ शीलाबाई पिता रामदीन पालक माँ हीराबाई कविता नाबालिग पिता रामदीन पालक माँ हीराबाई साकिन रिछोड़ा	भूमिस्वामी	157	1.640	1.340
		भूमिस्वामी	179	0.84	0.840
		भूमिस्वामी	180	0.090	0.090
101	हल्के पिता बूठे साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	159/1	0.410	0.410
102	अर्जुन नाबालिग वल्द चन्द्रभान वली गुलाबरानी पति मोहन सींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	159/2	0.400	0.400
103	महाराज सींग पिता मानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	163	1.570	0.140
		भूमिस्वामी	165	0.510	0.250
104	प्रीतम सिंह पिता लक्ष्मन सिंह साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	164	1.070	0.770
105	बैजनाथ पिता दौलत सिंह साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	166	0.510	0.510

106	पर्वत पिता बल्देव सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	181	1.590	1.590
		भूमिस्वामी	184	0.540	0.540
		भूमिस्वामी	189	0.140	0.140
		भूमिस्वामी	194	0.600	0.600
		भूमिस्वामी	227	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	249	0.800	0.800
107	नारान, पर्वत, पंचू पिता बल्देव, महारानी वेवा बल्देव साकिन देह	भूमिस्वामी	182	1.590	1.590
		भूमिस्वामी	190	0.44	0.440
		भूमिस्वामी	195	0.280	0.280
		भूमिस्वामी	225/1	0.230	0.230
		भूमिस्वामी	233	0.620	0.620
108	पंचू बल्देव सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	185	0.850	0.850
		भूमिस्वामी	191	0.52	0.520
		भूमिस्वामी	196	0.710	0.710
		भूमिस्वामी	226	0.510	0.510
109	बबली पिता नन्नाई साकिन देह	भूमिस्वामी	186/1	0.550	0.550
		भूमिस्वामी	188/1	5.160	5.000
110	सरस्वती पत्नि कड़ोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	186/2	1.210	1.210
		भूमिस्वामी	188/3	0.800	0.660
111	नारान सिंह पिता बल्देव सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	187	1.800	1.550
		भूमिस्वामी	228	0.840	0.840
112	मोहनसींग बल्देव केशव सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	188/2	1.000	1.000
		भूमिस्वामी	238/3	0.260	0.260
113	मल्थू गोदन किन्ती पिता जवरे साकिन देह	भूमिस्वामी	192	0.280	0.280
		भूमिस्वामी	236	0.560	0.560
114	कलू उर्फ पंचम पिता रघुवीर साकिन करैया	भूमिस्वामी	202	0.690	0.690
115	बाबूसींग बल्देव कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	203/1	0.610	0.610
115	कन्छेदी बल्देव कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	203/2	0.620	0.620
116	श्रीराम पिता नारान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	207	1.470	1.470
117	ताराबाई वेवा जाहर सींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग, पूजा, आरती, भारती, मुस्कान नाबालिग जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह	भूमिस्वामी	210	1.490	1.360
118	श्रीराम पिता नारान सींग, लीलाबाई पुत्री नारानसींग ताराबाई वेवा जाहरसींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग, पूजा आरती भारती मुस्कार नाबालिग पिता जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह	भूमिस्वामी	211/1	1.290	0.500
119	फूलरानी वेवा महादेव, पार्वती हरीबाई, उमेदी पुत्री महादेव सीताराम, अर्जुन प्रभा पिता बहादुर साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	218	0.950	0.260
120	भावसींग पिता लक्ष्मण साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	219	0.530	0.290
121	अवधरानी वेवा लक्ष्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	220	0.950	0.470
123	मुरलीधर, रामकृष्ण पिता जुगलकिशोर, शरद कुमार, सुशील कुमार पिता गोपीलाल, मयंक, प्रियंक नाबालिग पिता सुरेन्द्र पालक व खुद माँ आरती वेवा सुरेन्द्र, गीताबाई वेवा रामसहाय साकिन दाना	भूमिस्वामी	222/1	1.500	1.550
124	मोहनसींग बल्देव पुट्टी कलू बल्देव मोहनसींग साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	223/1	0.650	0.650
125	गोरेलाल बल्देव रगवीर साकिन करैया	भूमिस्वामी	223/2	0.470	0.470
126	विक्रम पिता वीरन साकिन वंसिया	भूमिस्वामी	224	0.910	0.910

1-11

127	सुनीता पति प्रकाश साकिन देह	भूमिस्वामी	225/2	0.800	0.800
128	मल्लीबाई पति किशोर साकिन देह	भूमिस्वामी	229	1.780	1.380
129	जगदीश पिता रामेश्वर साकिन देह	भूमिस्वामी	230	1.760	1.360
130	भगत सींग, खिलानसींग, वल्वंत पिता मूरतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	231/1	0.570	0.370
131	शारदाबाई पति इमरतलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	231/2	1.200	1.000
132	जीवन पिता नरान साकिन देह	भूमिस्वामी	234	0.420	0.420
		भूमिस्वामी	235	0.420	0.420
133	हीरा पिता चेतू साकिन देह	भूमिस्वामी	237	1.330	1.330
134	श्रीमति संध्याबाई पति मोहनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	238/1	0.270	0.270
		भूमिस्वामी	238/2	0.800	0.800
135	जयसिंह पिता चेतू साकिन देह	भूमिस्वामी	240	1.340	1.340
136	उधम, रामसेवक नाबालिग पिता हल्के पालक व खुद रूपरानी वेवा हल्के साकिन देह	भूमिस्वामी	243/3	1.210	1.210
137	रामकुमार पिता गोपाल प्रसाद साकिन तिली	भूमिस्वामी	244	0.810	0.810
		भूमिस्वामी	252/1	0.810	0.810
138	भगवानदास पिता गोपालप्रसाद साकिन तिली सागर	भूमिस्वामी	245/1	1.210	1.210
139	राजेश पिता नन्हे साकिन करैया	भूमिस्वामी	245/2	1.210	1.210
140	उधम, रामसेवक नाबालिग पिता हल्कू पालक मां खुद रूपरानी वेवा हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	245/3	1.210	1.210
141	रामसेवक पिता नन्हीबाई साकिन करैया	भूमिस्वामी	245/4	0.160	0.160
		भूमिस्वामी	245/5	1.050	1.050
142	कीर्ति पति अशोक साकिन देह	भूमिस्वामी	246/1	1.400	1.400
143	अनिल पिता शिवदर्शन प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	246/2	1.400	1.400
144	गुलझारी पिता पुखऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	247	0.900	0.900
145	मित्तू तुलसीराम, श्रीबाई क्रांतिबाई पिता अनंदी, रामबाई वेवा अनंदी साकिन देह	भूमिस्वामी	248	0.900	0.900
146	भगवानदास पिता गोपालप्रसाद साकिन सागर	भूमिस्वामी	250	1.180	1.180
147	श्रीमति रूकमणी बाई पति गोकलप्रसाद साकिन तिली	भूमिस्वामी	251	2.840	2.840
148	मनमोहन पिता गोपालप्रसाद साकिन तिली	भूमिस्वामी	252/2	1.620	1.620
योग:-			227	200.100	182.093

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31 अ-82-16-17-15250

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	रंगोली
	4. पट.ह.नं.-	:	104
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	4.440 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	गोविन्द सिंह, मनोहर, रूपसहि पिता विजय सिंह, सूरजबाई वेवा विजयसिंह साकिन देह, राजेन्द्र सिंह पिता दुरग सिंह साकिन गंभीरिया, नरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अशोक सिंह पिता महेन्द्र सिंह साकिन बामोरा, हरीबाई वेवा संतोष सीग, ब्रजमोहन, ब्रजभूषण, सरोज पिता संतोष सीग साकिन बामोरा	भूमिस्वामी	480	0.820	0.090	
		भूमिस्वामी	481	1.790	0.190	
		भूमिस्वामी	849	0.950	0.150	
		भूमिस्वामी	850	2.900	0.350	
		भूमिस्वामी	862	0.760	0.130	
2	राजेन्द्र वल्द दुरगसिंह साकिन गंभीरिया	भूमिस्वामी	483	0.460	0.160	
3	अशोक कुमार, चन्द्रभान नाबालिग पिता पालक रामकेश साकिन देह	भूमिस्वामी	485	0.360	0.020	
4	कृष्णकुमार, मोहनसिंह पिता धनीराम, कुसमरानी पत्नि धनीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	492	0.96	0.190	
5	शीलरानी पति गधर्व सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	493	0.960	0.050	
6	भैयालाल वल्द कडोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	497	0.020	0.010	
		भूमिस्वामी	821	0.840	0.130	
		भूमिस्वामी	822	0.620	0.030	

7	श्रीबाई वेवा काशीराम, मुकेश पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	498	0.590	0.080	
		भूमिस्वामी	832/3	0.800	0.080	
8	भबूदे वल्द पिट्टू साकिन देह	भूमिस्वामी	499	0.280	0.080	
9	कन्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	795	0.420	0.030	
10	चन्द्रभान पिता जमना साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	797	0.480	0.110	
		भूमिस्वामी	800	0.920	0.130	
11	कच्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन देह	भूमिस्वामी	813	0.92	0.090	
12	गजराज वल्द झल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	814	0.570	0.010	
		भूमिस्वामी	815	0.410	0.090	
			817/1	0.510	0.080	
13	फेरनलाल, गजराज पिता भल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	816	0.850	0.160	
		भूमिस्वामी	817/2	0.550	0.020	
			817/3			
14	धनीराम, खानजू वल्द भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	820	0.840	0.120	
15	प्रहलाद पिता लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	831	0.530	0.030	
16	राधाबाई वेवा सुखदीन, बालकिशन, नारान पिता सुखदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	832/2	1.270	0.140	
		भूमिस्वामी	834/3	0.010	0.010	
		भूमिस्वामी	1033/2	0.200	0.060	
17	नन्हेसीग पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी	834/1	1.300	0.160	
		भूमिस्वामी	856	0.93	0.100	
18	नाथूराम पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी	834/2	0.310	0.070	
		भूमिस्वामी	1033/1	0.200	0.010	
19	जनकदुलारी जोजे शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	855	0.880	0.020	
20	परताप वल्द पूरन साकिन देह	भूमिस्वामी	859	0.320	0.120	
21	बैजनाथ वल्द पूरनसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	860	0.410	0.110	
22	वीरन सिंह पिता मिठू साकिन देह	भूमिस्वामी	863	0.270	0.010	
23	श्री देव जानकी रमण मंदिर हाजा मुह. पंचम, मुन्नालाल वल्द नंदलाल, सिल्ली वल्द धनसीग, पूरन वल्द रज्जू, छुट्टी वल्द मुलु, चिन्तू वल्द पहारी, गजाधर वल्द दामोदर साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	865	0.280	0.040	
24	श्री देव महावीर स्वामी मंदिर बाके देह गलहलटोरिया मुह. पंच अमोलसीग, जगन्नाथ, शंकरलाल, प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	972	0.990	0.120	
25	भागबाई उर्फ पगलू पति कुदऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	973	0.340	0.120	
26	वृजराणी वेवा छुट्टी उर्फ छोटेलाल, दुरगसीग, फेरनसीग, रामकिशन, भूपत, मुन्ना, सुरेश पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल, मीना, गोमती, गोकलबाई पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1008	1.200	0.040	
27	व्योम वल्द एम.एल.चौदहा, भगत सिंह बाई गढाकोटा	भूमिस्वामी	1009	0.740	0.090	
28	प्रयागबाई पति भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	1010/1	0.050	0.050	1010/1
29	गोराबाई पति मलखान साकिन देह	भूमिस्वामी	1020/1	0.530	0.020	
30	मनोज नाबालिग पिता श्यामलाल आज्ञा रामचरन पिता मल्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	1027	0.350	0.080	
31	कुसुमरानी पति गोपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1028	0.290	0.040	

		भूमिस्वामी	1029	0.300	0.060	
32	गुंजा वल्द झल्ला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1032	0.670	0.110	
33	बबलू पिता लाल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1036	0.820	0.150	
34	बहादुरसिंग पिता लालसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	1038	0.360	0.070	
35	रामकेश, कामला पिता नन्नेभाई साकिन देह	भूमिस्वामी	1048	0.220	0.030	
योग:-			52	33.35	4.44	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 33 अ-82-16-17-15252

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बोदापिपरिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बोदापिपरिया
 4. पट.ह.नं.- : 110
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.200 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	कल्याण सिंह, मिरजू, बखतसिंह पिता पन्नालाल, शिबू सिंह पिता रामदयाल, अवधरानी वैवा रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	9	1.830	0.200	
योग:-			01 किता	1.830	0.200	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 32 अ-82-16-17-15254

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम दुधोनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	दुधोनिया.
	4. पट.ह.नं.-	:	111
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.110 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित मू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मूलचंद पिता मन्नु साकिन देह	भूमिस्वामी	295	1.200	0.110	
योग:-			01	1.200	0.110	
			किता			

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की मू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत मू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 36 अ-82-16-17-15256

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम भैसवाही में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	भैसवाही
	4. पट.ह.नं.-	:	103
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.900 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मानकलाल, रमेश, बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	842	1.570	0.200	
2	राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार, सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	843 846	0.190 0.400	0.010 0.070	
3	चन्द्रानी वेवा रतनचंद, सुभाष, सुरेश, देवचंद, कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	844	0.560	0.140	
4	नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार	भूमिस्वामी	847	0.650	0.090	
5	राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	848/4	0.200	0.050	
6	ठाकुरदास, धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू	भूमिस्वामी	851/1	1.350	0.190	
7	गनेश पिता रामकिशन साकिन देह	भूमिस्वामी	851/2	0.770	0.100	
8	रामदास वल्द पन्ना, इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	852	0.200	0.040	
9	शंकर, राजाराम, कुन्दन, बाबूलाल बालिग, राजेन्द्र नाबालिग	भूमिस्वामी	853	1.140	0.010	
	पिता मुन्ना पालक व खुद मा रानोबेहू, छबरानी वेवा मुन्नी साकिन गिरवर					
10	राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	884	0.610	0.020	
11	मानकलाल, रमेश, बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कडोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	898	0.730	0.090	
12	अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल, शीला, शारदा, रामवती, मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश, राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन, सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर, केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई, कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह	भूमिस्वामी	900/1	1.530	0.200	
13	मनोहर, केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कन्तो पुत्री पुन्नी, पुन्नी पिता कच्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	900/2	0.760	0.030	

14	प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद, सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	901	0.24	0.010
15	हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	1074/3	0.600	0.040
16	गनेश, मोती, प्रहलाद, रामचंद पिता गफलू, शकुन, सरोज पिता गफलू, रामहरी, रामराज, विश्वनाथ, अतीश पिता मुरलीधर, कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	1079	2.250	0.180
		भूमिस्वामी	1080/2	0.210	0.010
17	मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम, बड़ीबहू, वेवा काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1080/1	1.410	0.020
18	शकर उर्फ भैयाराम, राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	1100	1.230	0.060
19	अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	1102	1.420	0.060
20	कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	1103	0.540	0.050
		भूमिस्वामी	1120	1.140	0.100
21	जमना, गुलाब, विजय, बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा सायमन साकिन देह	भूमिस्वामी	1104	0.550	0.060
		भूमिस्वामी	1121	1.150	0.100
22	सत्येन्द्र, पुष्येन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना, सपना पुत्री कालूराम, गंदारानी वेवा कालूराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1106/1	0.240	0.040
23	राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1106/2	0.740	0.110
24	सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह	भूमिस्वामी	1106/3	0.800	0.060
25	मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह	भूमिस्वामी	1110	0.690	0.040
26	साधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1111	0.650	0.110
		भूमिस्वामी	1113/2	1.080	0.190
		भूमिस्वामी	1117	0.71	0.010
27	इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह	भूमिस्वामी	1113/1	0.010	0.010
28	जमना वल्द बिहारी, गंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री ननकू, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम बली व खुद माँ छबरानी वेवा राजाराम साकिन आपचंद, काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली, प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई, जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1114/1	1.590	0.210
		भूमिस्वामी	1114/2	0.890	0.060
29	टन्दू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्हू पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	1118	0.640	0.080
30	धनीराम, नन्ना पिता कलुवा, हनमत, रामचरण पिता हल्का, उत्तरा, जयती पिता हल्का साकिन देह	भूमिस्वामी	1119	0.920	0.050
योग-				30.36	2.90

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया

गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 36 अ-82-16-17-15258

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आपचंद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : आपचंद
 4. पट.ह.नं.- : 109
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 6.360 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली	भूमिस्वामी	27	3.250	0.100	
2	नारान सींग पिता हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	30/1	0.860	0.040	
3	विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	30/2	1.250	0.030	
		भूमिस्वामी	41	1.600	0.220	
		भूमिस्वामी	269/2	1.220	0.200	
4	पुष्पेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	30/3	0.450	0.030	
5	छोटेला पिता परसादी साकिन देह	भूमिस्वामी	34/1	0.410	0.100	
6	लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह	भूमिस्वामी	34/2	0.400	0.040	
7	राजेन्द्र सींग, देवेन्द्र सींग, वीरेन्द्र सींग, देवराजसींग पिता महाराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35	0.280	0.010	
8	जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	37	0.700	0.070	
9	वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	38/1	1.210	0.140	
10	श्रीपाल पिता विजयसींग, साकिन देह	भूमिस्वामी	40	0.810	0.190	
11	राजाराम, शिवराज, नारान, रामचरण, शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह	भूमिस्वामी	42	0.300	0.050	
12	दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	54/1	0.010	0.010	
13	संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह	भूमिस्वामी	54/2	0.440	0.010	
14	मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रंगोली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	269/1	0.800	0.050	
		भूमिस्वामी	507	0.48	0.010	
		भूमिस्वामी	508	0.950	0.120	
15	पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह	भूमिस्वामी	270/3	1.000	0.100	
16	इन्द्राज वल्द चौदे, कपूरी मेवा, प्रमा, रतीबाई पुत्री चौदे, कूरबाई पति चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/6	0.750	0.010	
17	गोठल पिता बबू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/7	0.750	0.120	
18	कमलेश पिता आलम, बेजन्ति पति कमलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/8	0.750	0.060	

19	कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	270/11	0.750	0.100
20	जाहद पिता सुभाष खां साकिन देह	भूमिस्वामी	398	1.380	0.100
21	लक्ष्मीदेवी पति लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर	भूमिस्वामी	400	0.900	0.100
		भूमिस्वामी	401	0.900	0.120
22	कलू पिता ठलू साकिन देह	भूमिस्वामी	504	0.400	0.050
23	बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा, दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई वेवा लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	505	0.860	0.010
24	रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	506	0.540	0.110
25	उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगोली	भूमिस्वामी	522	1.140	0.010
26	कल्यान, रामचरन पिता झल्ला साकिन रगोली	भूमिस्वामी	523	1.000	0.060
27	कड़ोरी, परम पिता गफलू साकिन रगोली	भूमिस्वामी	524	1.010	0.110
28	लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगोली	भूमिस्वामी	531/1	0.410	0.120
29	लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगोली	भूमिस्वामी	531/2	0.400	0.040
30	सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगोली	भूमिस्वामी	532	1.030	0.100
31	अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	533	0.610	0.010
32	फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	538	1.110	0.170
33	दामोदर, बंदी पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश, जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगोली	भूमिस्वामी	539/1	0.590	0.080
34	पंचम पिता नन्ना साकिन रगोली	भूमिस्वामी	568	0.440	0.070
35	महेश, चंदू उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	571	0.640	0.130
36	मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी साकिन देह	भूमिस्वामी	580	0.640	0.070
37	भगवानसींग, मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग, सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	581	0.520	0.040
		भूमिस्वामी	582	0.840	0.080
38	प्रेमसींग पिता बल्ली		619	0.590	0.030
39	अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवस्थन, संध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	620	1.100	0.120
		भूमिस्वामी	623/1	0.400	0.040
40	बखत, केशर, दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	621	0.260	0.030
41	भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	623/2	0.170	0.010
			630	0.320	0.010
42	बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	625	0.980	0.090
		भूमिस्वामी	626	1.380	0.060
43	धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	627	1.340	0.150
44	हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	649	1.550	0.080
45	कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	659	1.440	0.050
46	कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	660	0.430	0.100
47	डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी	भूमिस्वामी	661	0.720	0.070
48	दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	664	1.440	0.120
49	जीवन पिता कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	665	1.440	0.080
50	पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	673/1	0.830	0.090
51	कलू पिता रतन साकिन देह	भूमिस्वामी	673/2	0.630	0.080
52	मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	674	0.300	0.030
53	संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर	भूमिस्वामी	675	0.370	0.060
54	मुला, खुम्मा, उभेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	677	0.730	0.010
55	कोमलसींग पिता राधे साकिन देह	भूमिस्वामी	682/1	0.880	0.050
56	सूरतसींग पिता राधे साकिन देह	भूमिस्वामी	682/2	0.870	0.010
57	मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू धरमदास पिता बबू साकिन देह	भूमिस्वामी	683	2.860	0.160
		भूमिस्वामी	688	1.520	0.050
58	रामसजीवन विनोद, आशाराम, राजेश, अजय पिता सुदामा, अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह	भूमिस्वामी	684/1	2.420	0.080

59	रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी	भूमिस्वामी	684/2	0.600	0.030
		भूमिस्वामी	684/3	0.600	0.020
60	हलू पिता कलू साकिन देह	भूमिस्वामी	745	0.850	0.160
61	रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	746	0.850	0.040
62	लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	747/2	0.380	0.010
		भूमिस्वामी	774/1	0.380	0.080
63	दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	774/2	0.760	0.070
64	लखन, तुलसी, ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा, ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद मौ लीलाबाई साकिन बहेरिया	भूमिस्वामी	776	0.710	0.020
65	हल्काई पिता गौरीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	796	1.470	0.210
66	मिठठू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना, चिटकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह	भूमिस्वामी	798	1.090	0.120
67	मोहन वल्द नल्लू सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	799	0.640	0.080
68	मोहन वल्द नल्लू सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	801	0.670	0.050
69	गिरजेश वल्द खूबसींग, सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	862	0.400	0.090
70	तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/4	0.740	0.030
71	भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/5	0.740	0.120
72	मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	864/6	0.740	0.130
73	रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	867	0.870	0.050
योग:-			85	72.240	6.360

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके क्षेत्रों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 35 अ-82-16-17-15260

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : गौची
 4. पट.ह.नं.- : 94
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.040 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकिन देह	भूमिस्वामी	5	0.910	0.040	
2	दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	16	0.750	0.010	
3	श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	17	1.630	0.070	
4	मिठठू, थोवन वल्द कुदू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी	78	1.700	0.160	
		भूमिस्वामी	127	1.070	0.020	
5	किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	80	1.000	0.120	
6	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	82	0.940	0.170	
7	शंकर, महेन्द्र, शिवराम, गोकल, गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	85	1.000	0.020	

8	बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	91/2	1.000	0.150	
9	फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा	भूमिस्वामी	108/1	1.200	0.060	
10	उमारानी पति सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	108/2	2.300	0.490	
11	दामोदर पिता किशन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	116/1	0.26	0.030	
12	बूठे वल्द कच्छेदी साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	117	0.100	0.060	
13	माधव वल्द कड़ोरी साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	118	0.460	0.020	
14	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, करतूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	121	0.750	0.220	
		भूमिस्वामी	123	0.83	0.070	
15	बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	124	0.820	0.110	
16	रूपरानी वेवा सुक्के, नरान, कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	128	0.510	0.130	
17	सिरदारबहू वेवा कच्छेदी, नरेश, अमोल पिता रामरतन, रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	129	1.080	0.060	
18	शंकर, शिव, तांतू पिता बारेलाल, प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	133	0.970	0.030	
योग:-			20	19.280	2.040	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 35 अ-82-16-17-15262

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	गौची
	4. पट.ह.नं.-	:	94
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.040 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकिन देह	भूमिस्वामी	5	0.910	0.040	
2	दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह	भूमिस्वामी	16	0.750	0.010	
3	श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	17	1.630	0.070	
4	मित्तू, थोवन वल्द कुदू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	78 127	1.700 1.070	0.160 0.020	
5	किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	80	1.000	0.120	
6	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	82	0.940	0.170	
7	शंकर, महेंद्र, शिवराम, गोकल, गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	85	1.000	0.020	
8	बाबूलाल वल्द मुलू लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	91/2	1.000	0.150	
9	फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा	भूमिस्वामी	108/1	1.200	0.060	
10	उमारानी पति सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	108/2	2.300	0.490	
11	दामोदर पिता किशन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	116/1	0.26	0.030	
12	बूठे वल्द कच्छेदी साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	117	0.100	0.060	
13	माधव वल्द कड़ोरी साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	118	0.460	0.020	
14	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	121 123	0.750 0.83	0.220 0.070	

16	रूपरानी वेवा सुक्के, नरान, कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	128	0.510	0.130	
17	सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश, अमोल पिता रामरतन, रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	129	1.080	0.060	
18	शंकर, शिव, तांतू पिता बारेलाल, प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैसवाही	भूमिस्वामी	133	0.970	0.030	
योग:-			20	19.280	2.040	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्र. 609-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. बमरहातालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पटेहरा	0.697	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. बैंक के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.697</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 610-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. बमरहातालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	हर्दिहाई	0.546	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. बैंक के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.546</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 नवम्बर 2017

प्र. क्र. 224-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम रामपुर खजुरी स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 मई 2016 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रामपुर खजुरी	निजी भूमि रकबा 12.08	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम रामपुर खजुरी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 219-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु ग्राम खुसरा स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 मई 2016 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	खुसरा	निजी भूमि रकबा 3.15	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2017

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17-पत्र क्र. 573.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से

(4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) गोरइया	(4) 0.142	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.	(6) सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी, किचवरिया, इटौर, मैनपुरा, अकौना, टिकरी, खम्हरिया, गोरइया मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17-पत्र क्र. 585.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) किचवरिया	(4) 0.199	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.	(6) सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी, किचवरिया, अकौना, खम्हरिया, गोरइया मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17-पत्र क्र. 586.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) टिकरी	(4) 0.179	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.	(6) सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी, किचवरिया, अकौना, खम्हरिया, गोरइया मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 नवम्बर 2017

प. क्र. 8407-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)		
(1) सिवनी	(2) धनौरा	(3) थावरी	(4) 2.18	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.	(6) हालोन जलाशय की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 8408-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	पनारझिर	2.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.	हालोन जलाशय की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1919-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अमझोरी रामाधीन	0.780	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलौद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1921-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	गुलबार गुजारा.	0.250	कार्यपालन यंत्री, बा/सा पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलौद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1925-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	जुडमानी	2.900	कार्यपालन यंत्री, बा/सा पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलौद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. 05-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनोर	आंतरी	1547/4क	0.052 कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-22 नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	राई	908/1, 908/2 0.150 909 0.010 914 0.150 योग 0.310	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर को एम-1 मायनर नहर निर्माण के हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 नवम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक-15834-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डाडूर, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - डाडूर

तहसील - सरदारपुर /

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टैयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	1.591	1.573	3.164
	योग:-	1.591	1.573	3.164

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डाडूर की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम - डाडूर तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टैयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बजेसिंह, राधेश्याम पिता रुगनाथसिंह, सुन्दरबाई पति स्व. रुगनाथसिंह जाति दागी निवासी ग्राम मारोल	11	5.163	0.000	5.163	0.080	0.000	0.080
2	नंदु, कंवरलाल पिता बाबू, कस्तूरीबाई पति स्व. बाबू जाति भील निवासी ग्राम मारोल	18	0.000	0.492	0.492	0.000	0.100	0.100
3	रामूबाई पति स्व. चतरसिंह, रेखाबाई पिता चतरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर	20/3	1.254	0.000	1.254	0.034	0.000	0.034
4	बनेसिंह पिता मलजी जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर	20/4	1.254	0.000	1.254	0.210	0.000	0.210
5	औंकारसिंह, शंकरसिंह, बनेसिंह पिता गलजी जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर	20/5	0.597	0.000	0.597	0.167	0.000	0.167

6	थावरिया, गबुरिया पिता उकडिया जाति पटल्या निवासी ग्राम डाडूर	21	0.000	2.226	2.226	0.000	0.460	0.460
7	टीकाबाई पति यशवंतसिंह व सुभम पिता यशवंतसिंह ना.बा. सर माता टीकाबाई जाति दांगी	25/2	0.000	2.000	2.000	0.000	0.210	0.210
8	रतन पिता नाथू जाति भील निवासी ग्राम मारोल	26	2.748	0.000	2.748	0.330	0.000	0.330
9	राधेश्याम पिता गब्बा जाति पटल्या निवासी ग्राम डाडूर	27	0.000	0.763	0.763	0.000	0.160	0.160
10	धन्ना पिता नरसिंह जाति कुलमी	29/2	1.228	0.000	1.228	0.000	0.040	0.040
11	हेमंतसिंह, जालमसिंह, राधेश्याम पिता रतनसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	30	3.805	0.000	3.805	0.330	0.000	0.330
		42	1.411	0.000	1.411	0.385	0.000	0.385
12	सायरबाई पति उदेसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	32/1	0.000	1.986	1.986	0.000	0.355	0.355
13	जसपालसिंह पिता उदयसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	35	0.000	1.244	1.244	0.000	0.114	0.114
14	सोहनसिंह पिता रमेश जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	70/2	2.327	0.000	2.327	0.050	0.000	0.050
15	अर्जुनसिंह पिता रमेश जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	70/3	2.338	0.000	2.338	0.005	0.000	0.005
16	अम्बाराम, नरसिंह पिता धन्ना, धन्नीबाई पति स्व. धन्ना जाति भील निवासी ग्राम डाडूर	74	0.000	0.209	0.209	0.000	0.134	0.134
योग:-			22.125	8.920	31.045	1.591	1.573	3.164

प्रकरण क्रमांक-15836-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - राजपुरा

तहसील - सरदारपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	6.286	0.540	6.826
	योग:-	6.286	0.540	6.826

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - राजपुरा

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	हुकमीचंद पिता चंपालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	403/15/1	0.500	0.000	0.500	0.310	0.000	0.310
		405/5/2	0.220	0.000	0.220	0.010	0.000	0.010
		405/6	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
		408/2/1	0.050	0.000	0.050	0.040	0.000	0.040
2	धर्मेन्द्र, पिकी, बालिग, मदन ना.बा. पिता गोपाल ना.बा. सरपरस्त माता भागुबाई व भागुबाई पति स्व. गोपाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	403/15/2	0.340	0.000	0.340	0.170	0.000	0.170
3	भूरा पिता काना जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	410	0.230	0.000	0.230	0.105	0.000	0.105
4	उदीबाई पति स्व. हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	412	0.146	0.000	0.146	0.105	0.000	0.105
		413	0.052	0.000	0.052	0.011	0.000	0.011
		417	0.408	0.000	0.408	0.220	0.000	0.220
5	गोपाल पिता रामा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	416	0.481	0.000	0.481	0.230	0.000	0.230
6	संतोष पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	424/1	0.081	0.081	0.162	0.040	0.000	0.040
7	महेश पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	424/2	0.081	0.081	0.162	0.081	0.009	0.090
8	खेमालाल पिता पेमा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	425	0.314	0.000	0.314	0.140	0.000	0.140
9	रंभाबाई पति स्व. मोहनलाल, राकेश, विजय पिता मोहनलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	455	0.115	0.000	0.115	0.100	0.000	0.100
		465/1	0.157	0.000	0.157	0.020	0.000	0.020
10	चन्द्रशेखर, शकुंतलाबाई, सुशीलाबाई पिता नंदराम जाति भोई निवासी ग्राम राजपुरा	456	0.000	1.861	1.861	0.000	0.430	0.430
11	पंकज पिता चंपालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	457/2	0.811	0.000	0.811	0.090	0.000	0.090
		459	0.731	0.000	0.731	0.560	0.000	0.560
12	मांगुबाई पिता हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	460	0.314	0.000	0.314	0.230	0.000	0.230
		462/1	0.366	0.000	0.366	0.025	0.000	0.025
13	रामेश्वर पिता उंकार जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	461/1	0.283	0.000	0.283	0.270	0.000	0.270

14	उदीबाई पति मन्नालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	461/2	0.284	0.000	0.284	0.230	0.000	0.230
15	लक्ष्मीबाई पति स्व. बाबूलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	485/2	0.209	0.000	0.209	0.030	0.000	0.030
16	धारिया, सीताबाई, कमलाबाई पिता सूरजा व सीताराम पिता रामा, विनोद बालिग जसवंत, पवित्रा ना. बा. पिता मादुसिंह पालनकर्ता माता बालीबाई व बालीबाई पति स्व. मादुसिंह जाति भील निवासी ग्राम राजपुरा	638/1	0.466	0.000	0.466	0.100	0.000	0.100
17	नारायण पिता हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	639	0.773	0.000	0.773	0.240	0.000	0.240
18	गोविन्दराम, सालगराम पिता कचरालाल जाति महाजन निवासी ग्राम राजपुरा	640	0.000	0.282	0.282	0.000	0.050	0.050
19	भेरूलाल, धन्नालाल, मोहनलाल पिता अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	641	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105

20	गीताबाई पति स्व. ओमप्रकाश, जगदीश राकेश पिता राजेश पिता ओमप्रकाश जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा	665/3	1.716	0.000	1.716	0.270	0.000	0.270
21	रमेशचन्द्र पिता बाबूलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	665/4	1.986	0.000	1.986	0.259	0.000	0.259
		675/1	1.850	0.000	1.850	0.150	0.000	0.150
22	रामेश्वर पिता अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	667/3	1.881	0.000	1.881	0.800	0.000	0.800
23	अन्नपूर्णा पति स्व. महादेव, राजेन्द्र, सुरेन्द्र उर्फ सुरेश पिता महादेव, हि. 25 प्रतिशत गीताबाई पति स्व. ओमप्रकाश, जगदीश, राकेश, राजेश पिता ओमप्रकाश, मनोहर, पुष्पकर पिता बन्दीदिन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा	665/5	0.000	0.051	0.051	0.000	0.051	0.051
24	कनीराम, मनीराम, मोहन, शिवा, छगन पिता बदिया व मुकेश पिता गोविन्द व कालीबाई पति स्व. गोविन्द, लीलाबाई पति स्व. वादिया जाति पटलिया निवासी ग्राम इडरिया	674/1	0.230	0.000	0.230	0.015	0.000	0.015
25	निर्मलादेवी पति जगदीशचन्द्र जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	676/1	1.129	0.000	1.129	0.200	0.000	0.200
26	भम्भुबाई पति गेंदालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	676/2	1.672	0.000	1.672	0.480	0.000	0.480
27	सुमनबाई पति स्व. गोपाल जाति राजपुत निवासी ग्राम राजपुरा	679	2.801	0.000	2.801	0.150	0.000	0.150
28	गंगाबाई पति लाला जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	691/1	2.038	0.000	2.038	0.390	0.000	0.390
29	मोहन, दत्तक पत्र अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	646	0.878	0.000	0.878	0.010	0.000	0.010
योग :-			23.798	2.356	26.154	6.286	0.540	6.826

प्रकरण क्रमांक-15838-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मारोल, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

ग्राम - मारोल		अनुसूची (1) तहसील - सरदारपुर		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	0.175	0.000	0.175
	योग:-	0.175	0.000	0.175

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मारोल की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम - मारोल तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिलीपसिंह, प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	242	1.275	0.000	1.275	0.075	0.000	0.075
2	भूरुसिंह पिता रामसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल	243	0.219	0.000	0.219	0.100	0.000	0.100
	योग :-		1.494	0.000	1.494	0.175	0.000	0.175

प्रकरण क्रमांक-15843-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अमझेरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम - अमझेरा

तहसील - सरदारपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	14.022	1.159	15.181
	योग:-	14.022	1.159	15.181

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अमझेरा की प्रभावित भूमि का विवरण /

ग्राम - अमझेरा

तहसील - सरदारपुर /

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	(5)	(6)	(7)	(8)	9
1	अब्दुल, रजाक पिता अब्दुल मजीद खॉ. जाति मुसलमान निवासी ग्राम अमझेरा	220	0.899	0.000	0.899	0.722	0.000	0.722
2	सुरेन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अमझेरा	221	0.387	0.000	0.387	0.095	0.000	0.095
3	जगदीश पिता गंगाराम जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा	223/2	1.045	0.000	1.045	0.595	0.000	0.595
4	सुमनबाई पति कालू मांगीलाल पिता कालू ना.बा. सरपरस्त माता सुमनबाई स्वयं जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	223/3	0.898	0.000	0.898	0.250	0.000	0.250
5	राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र गुलाब प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अमझेरा	275	1.933	0.000	1.933	0.637	0.000	0.637
6	पेपाबाई पति स्व. रामसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपुत निवासी राजेन्द्र मार्ग धार	277	1.285	0.000	1.285	0.669	0.000	0.669
		285	1.484	0.000	1.484	0.595	0.000	0.595
7	पेपाबाई पति रामसिंह जाति राजपुत निवासी धार	283	0.608	0.000	0.608	0.436	0.000	0.436
8	चन्द्रभानसिंह, हेमंतसिंह पिता स्वरूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमझेरा	279	1.871	0.000	1.871	0.375	0.000	0.375
		299	2.592	0.000	2.592	1.015	0.000	1.015
		300	0.188	0.000	0.188	0.012	0.000	0.012
		301	2.518	0.000	2.518	0.308	0.000	0.308
		307	1.672	0.000	1.672	0.510	0.000	0.510
9	वरदीचन्द्र पिता भलजी जाति भील निवासी ग्राम अमझेरा	280	0.000	0.073	0.073	0.000	0.015	0.015
10	लक्ष्मीबाई पति स्व. मांगीलाल, संतोष, अशोक, सुनिल ना.बा. पिता मांगीलाल सरपरस्त माता स्वयं जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	29/3	0.696	0.000	0.696	0.260	0.000	0.260
		282	2.810	0.000	2.810	0.995	0.000	0.995
11	राजेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, नारायणसिंह पिता स्वरूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमझेरा	329	1.254	0.000	1.254	0.777	0.000	0.777
		350	4.577	0.000	4.577	1.361	0.000	1.361
12	प्रभाकर, दिनेश पिता राजाराम, जाति मराठा निवासी ग्राम अमझेरा	361	1.829	0.000	1.829	0.380	0.000	0.380
13	गीताबाई पति स्व. सुरजबन, रमेशबन, महेशबन पिता सुरजबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा	351/1	3.094	0.000	3.094	0.650	0.000	0.650

14	दिनेश पिता लालबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा	351/2/1	0.800	0.000	0.800	0.145	0.000	0.145
		352/1	0.501	0.000	0.501	0.150	0.000	0.150
15	संजयबन पिता लालबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा	351/2/2	0.193	0.000	0.193	0.105	0.000	0.105
		352/2	0.387	0.000	0.387	0.092	0.000	0.092
16	प्रहलाद पिता गंगाराम जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा	223/1	1.045	0.000	1.045	0.030	0.000	0.030
17	नारायण पिता कालू जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	109	2.769	0.000	2.769	0.020	0.000	0.020
18	खालिद हुसैन पिता असफाक हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम अमझेरा	204/1/3	1.836	0.000	1.836	0.371	0.000	0.371
19	गोराबाई पति नारायण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	203	1.745	0.000	1.745	0.165	0.000	0.165
20	गोराबाई पति नारायण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	204/1/1	1.165	0.000	1.165	0.005	0.000	0.005
		204/1/2	0.508	0.000	0.508	0.267	0.000	0.267
21	देवानन्द पिता रामचंद्र जाति नाई निवासी ग्राम अमझेरा	114	0.627	0.000	0.627	0.095	0.000	0.095
		115	1.609	0.000	1.609	0.410	0.000	0.410
22	छोटीबाई पति स्व. चंपालाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	69	1.473	0.000	1.473	0.305	0.000	0.305
23	परमानंद पिता लक्ष्मण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	70	0.366	0.000	0.366	0.075	0.000	0.075
		71/1	1.430	0.000	1.430	0.015	0.000	0.015
24	कृष्णकुमार पिता रामेश्वर जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा	26	3.136	0.000	3.136	0.445	0.000	0.445
25	कमलाबाई पति ओमप्रकाश जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	27/3ख/1	0.314	0.000	0.314	0.010	0.000	0.010
26	रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	29/2/3	0.267	0.000	0.267	0.065	0.000	0.065
27	इन्दरसिंह पिता मोतीलाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	29/2/2	0.163	0.000	0.163	0.035	0.000	0.035
28	जुगलकिशोर पिता अम्बाराम जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा	29/1/1	0.696	0.000	0.696	0.145	0.000	0.145
29	भूरीबाई पति स्व. हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम अमझेरा	30/3	1.986	0.000	1.986	0.095	0.000	0.095
30	लक्ष्मीबाई पति जगदीश, संतोष, रमेश पिता जगदीश जाति गवली निवासी ग्राम	31/2/1	1.245	0.000	1.245	0.000	0.190	0.190
31	ब्रदीलाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम	31/2/2	0.000	0.957	0.957	0.000	0.250	0.250
32	गोपाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम	10/1	0.000	0.864	0.864	0.000	0.524	0.524
		31/2/3	0.000	0.956	0.956	0.000	0.180	0.180
33	तुलसीराम पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम	31/2/5	1.392	0.000	1.392	0.200	0.000	0.200
34	चुन्नीलाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम	31/2/4	1.820	0.000	1.820	0.135	0.000	0.135
योग :-			59.109	2.850	61.959	14.022	1.159	15.181

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 24अ-82-16-17-16149

सागर, दिनांक 18 दिसम्बर 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा-रहली मार्ग का उन्नयन कार्य
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : रहली
 3. ग्राम : बरखेरा जगन
 4. पट.ह.नं.- : 33
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.030 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चन्द्रकांत पिता हल्के नेमा साकिन रहली	भूमिस्वामी	142	0.050	0.020	असिंचित	निरंक
2	हीराबाई पुत्री हरगोविन्द, काशीबाई वेवा हरगोविन्द लोधी साकिन कासल पिपरिया	भूमिस्वामी	143	0.010	0.010	असिंचित	निरंक
योग:-			02 कित्ता	0.060	0.030	असिंचित	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/01/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

1/1/

क्र. 25-अ-82-16-17-16148

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा-रहली मार्ग का उन्नयन कार्य
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : रहली
 3. ग्राम : गोपालपुरा
 4. पट.ह.नं.- : 33
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.470 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (एकवा हेक्ट. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार	अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4			7	8
1	राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले लोधी साकिन कासल पिपरिया	भूमिस्वामी	4/1	0.040	0.010	असिंचित	निरंक
2	श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली	भूमिस्वामी	5/1 5/2	0.380 0.470	0.080	असिंचित असिंचित	निरंक निरंक
3	श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली	भूमिस्वामी	7/1	0.020	0.020	असिंचित	निरंक
4	श्री विनोद कुमार, दिलीप कुमार पिता रतनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	7/2	0.270	0.230	असिंचित	निरंक
5	श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	9/2 9/7	1.040 0.080	0.020	सिंचित सिंचित	निरंक निरंक
6	हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला	भूमिस्वामी	9/6	0.200	0.020	असिंचित	निरंक
7	श्री घरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम अंसाकला	भूमिस्वामी	9/4	0.250	0.040	सिंचित	एक पक्का शौचालय एवं एक बोर
8	श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकला	भूमिस्वामी	9/5	0.200	0.050	असिंचित	एक पक्का शौचालय
योग:-			10	2.950	0.470		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/01/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 9 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 624-भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूँकि, ग्राम बोदा, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द, तहसील हुजूर, रीवा शहर में बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—बोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.053 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
688	0.053
कुल योग . . . 0.053	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा शहर में बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुँच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीती मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. 171-ए-भू-अर्जन-38-(अ-82) 2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—भानपुर, प.ह.नं. 42
(घ) क्षेत्रफल—48.772 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
बंड लाइन (बांध)	
(1)	(2)
496/1	0.10
497	0.36
495	0.36
487	0.50
537	0.22
542/1	0.52
617/1	0.16
542/2	0.56
619	0.60
618	2.71
625	0.30
626	0.08
637/1	0.36
638	0.60
648/1	0.60
648/2	0.60
648/3	1.04
649/1	0.48
649/2	0.36
535	0.52
546	0.042
योग . . . 11.45	

(1)	(2)	(1)	(2)
	स्पिल एवं एप्रोज चैनल	641/1	1.82
647/1	0.15	643	0.21
647/2	0.40	640/1	1.03
650	0.30	640/2	0.80
	योग . . .	640/3	0.80
	<u>0.85</u>	647/2	0.58
	डूब क्षेत्र	649/1	0.12
618/2	1.45	649/2	0.66
617/1	0.66		योग . . .
617/2	0.82		<u>31.23</u>
539/3	0.19		बांघी तट नहर
542/2	1.04	635/1	0.15
539/2	0.20	635/2	0.16
532/1	0.78	634/1	0.08
533/1	0.46	634/2	0.08
534	1.50	631/1	0.02
535/2	0.33	631/2	0.02
536/1	0.52	631/3	0.02
538/1	0.14	631/4	0.02
539/2	0.20	629	0.06
538/2	0.14	476/1	0.024
539/3	0.19	476/2	0.024
546/2	1.62	476/3	0.024
547	0.95	476/4	0.024
543	1.02	478/1	0.03
544/1	0.40	478/2	0.03
544/2	0.88	380	0.285
545/1	0.18	378	0.195
545/2	0.15	374	0.165
545/3	0.45	375/1	0.150
557/1	0.15	375/2	0.150
539/1	0.40	352	0.009
610/1	1.15	353	0.450
611/1	0.45	334/1	0.009
611/2	0.46	334/2	0.009
613	0.57	333/1	0.180
614	0.76	327	0.204
607/2	0.42		योग . . .
626/2	1.62		<u>2.572</u>
627	2.55		दांघी तट नहर
637	0.65	487	0.15
639/1	0.71	488	0.10
639/2	0.40	489	0.12
608	0.55	490	0.19
642	0.10	196	0.08
		193	0.19

(1)	(2)	(1)	(2)
190	0.12	166/1	0.04
187	0.23	166/2	0.04
181	0.16	166/3	0.04
162	0.13		योग . . 2.67
163	0.15		महायोग . . 48.772
164	0.08		
168/2	0.19	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भानपुर जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
32/2	0.13	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mandla.nic.in संभाग पर देखी जा सकती है.
32/1	0.13	(4)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.
10/1	0.04		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
11	0.07		
8/1	0.03		
8/2	0.04		
8/3	0.03		
493/1	0.06		
493/2	0.60		
493/3	0.07		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 640-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—गोपदबनास
 (ग) ग्राम का नाम—देवराड़ा
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.701 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	291	0.193	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग	महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के
2	292	0.017	सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	निर्माण कार्य हेतु.
3	293	0.038		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	301	0.062		
5	302	0.011		
6	321	0.065		
7	322	0.114		
8	323	0.039		
9	324	0.033		
10	325	0.019		
11	330	0.024		
12	331	0.048		
13	355	0.020		
14	356	0.092		
15	357	0.045		
16	358	0.111		
17	359	0.010		
18	361	0.119		
19	362	0.123		
20	383	0.045		
21	385	0.002		
22	389	0.002		
23	390	0.029		
24	391	0.109		
25	392	0.036		
26	393	0.041		
27	394	0.016		
28	395	0.018		
29	412	0.220		
	योग	1.701		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 643-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन

एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—गोपदबनास
 (ग) ग्राम का नाम—हडबड़ो
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.856 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)		
1	125	0.016	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
2	130	0.010		
3	131	0.118		
4	134	0.063		
5	190	0.016		
6	192	0.110		
7	194	0.038		
8	195	0.062		
9	236	0.247		
10	237	0.148		
11	239	0.150		
12	241	0.022		
13	305	0.014		
14	310	0.088		
15	311	0.046		
16	312	0.033		
17	313	0.004		
18	315	0.023		
19	316	0.060		
20	345	0.047		
21	346	0.219		
22	347	0.108		
23	351	0.042		
24	352	0.034		
25	353	0.040		
26	354	0.063		
27	355	0.036		
	योग . .	<u>1.856</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है।
 (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
 (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
 (5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 644-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—गोपदबनास
 (ग) ग्राम का नाम—बेन्दुआ
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.239 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	14	0.082	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग	महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के
2	16	0.056	सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	निर्माण कार्य हेतु.
3	18	0.050		
4	30	0.031		
5	32	0.237		
6	33	0.002		
7	34	0.006		
8	35	0.008		
9	35/488	0.046		
10	44	0.038		
11	45	0.012		
12	46	0.101		
13	48	0.021		
14	64	0.018		
15	65	0.011		
16	66	0.01		
17	67	0.023		
18	68	0.009		
19	82	0.127		
20	83	0.075		
21	113	0.040		
22	114	0.040		
23	116	0.084		
24	117	0.014		
25	118	0.048		
26	119	0.02		
27	121	0.018		
28	122	0.012		
	योग	1.239		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गोपदबनास में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 646-भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपदबनास
- (ग) ग्राम का नाम—उपनी
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.525 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	20	0.008	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग	महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के
2	21	0.300	सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	निर्माण कार्य हेतु.
3	53	0.107		
4	54	0.081		
5	55	0.035		
6	56	0.022		
7	76	0.034		
8	77	0.082		
9	82	0.078		
10	84	0.074		
11	86	0.005		
12	111	0.051		
13	112	0.055		
14	113	0.005		
15	179	0.148		
16	180	0.105		
17	186	0.006		
18	187	0.051		
19	188	0.053		
20	197	0.060		
21	198	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	205	0.639		
23	338	0.026		
24	383	0.011		
25	384	0.072		
26	385	0.065		
27	386	0.081		
28	392	0.065		
29	395	0.079		
30	400	0.075		
31	401	0.062		
32	402	0.050		
33	427	0.027		
34	428	0.029		
35	429	0.100		
36	430	0.005		
37	437	0.063		
38	438	0.111		
39	441	0.070		
40	442	0.016		
41	457	0.014		
42	458	0.080		
43	460	0.013		
44	461	0.017		
45	462	0.011		
46	463	0.004		
47	499	0.264		
48	500	0.180		
49	501	0.023		
50	521	0.092		
51	522	0.092		
52	523	0.018		
53	700	0.102		
54	703	0.100		
55	705	0.116		
56	722	0.152		
57	723	0.087		
58	729	0.130		
	योग	4.525		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 648-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—गोपद बनास
 (ग) ग्राम का नाम—कोठार
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.122 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)		
1	192	0.169	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग	महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के
2	193	0.029	सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	निर्माण कार्य हेतु.
3	194	0.030		
4	195	0.040		
5	239	0.109		
6	240	0.091		
7	271	0.141		
8	274	0.078		
9	275	0.028		
10	281	0.024		
11	283	0.098		
12	285	0.066		
13	286	0.091		
14	287	0.011		
15	288	0.029		
16	289	0.026		
17	626	0.065		
18	627	0.069		
19	628	0.038		
20	629	0.030		
21	631	0.135		
22	632	0.003		
23	634	0.008		
24	636	0.083		
25	638	0.169		
26	691	0.199		
27	698	0.088		
28	700	0.063		
29	701	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	734	0.040		
31	754	0.116		
32	755	0.001		
33	756	0.040		
34	757	0.001		
35	758	0.133		
36	762	0.101		
37	763	0.024		
38	766	0.006		
39	774	0.049		
40	775	0.035		
41	776	0.002		
42	777	0.118		
43	778	0.003		
44	782	0.056		
45	787	0.194		
46	792	0.106		
47	793	0.067		
48	794	0.097		
49	796	0.066		
50	196/1	0.107		
51	196/2	0.093		
52	196/3	0.091		
53	786/1	0.100		
54	786/2	0.007		
55	246	0.007		
56	247/1	0.206		
57	248	0.007		
58	251	0.030		
59	252	0.138		
60	253	0.014		
61	257	0.007		
	योग	4.122		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 650-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—गोपद बनास
 (ग) ग्राम का नाम—खजुरी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.410 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	42	0.065	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग	महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के
2	43	0.011	सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	निर्माण कार्य हेतु.
3	44	0.009		
4	46	0.007		
5	47	0.012		
6	59	0.037		
7	61	0.019		
8	62	0.011		
9	76	0.013		
10	77	0.029		
11	78	0.015		
12	79	0.021		
13	80	0.007		
14	81	0.019		
15	82	0.07		
16	148	0.009		
17	149	0.008		
18	890	0.048		
	योग	0.410		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.
 (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
 (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
 (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 नवम्बर 2017

क्र. 584-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—बरदाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.359 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.648
2/1	0.108
2/2	0.016
3	0.045
4/1	0.025
4/2	0.025
4/3	0.025
4/4	0.025
5	0.057
6	0.061
7	0.073
8	0.085
9	0.040
10/1	0.297
10/2	0.284
11/1/ब	0.008
11/1/स	0.024
12/1/ब	0.345
12/1/स	0.769
13/1/ब	0.020
13/1/स	0.024
14/1/ब	0.265
14/1/स	0.276
15/1/ब	0.008
15/1/स	0.024
17/479	0.020
18/2	0.012

(1)	(2)
19	0.024
20/1	0.065
21	0.036
22/2	0.024
23/481	0.016
25/2/2	0.077
25/2/3	0.129
29/1/ख	0.040
29/1/ग	0.134
30/1/ब	0.053
30/1/स	0.152
निजी खाता भूमि योग . .	4.359

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 27 नवम्बर 2017

क्र. 8403-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—रैपुरा, प.ह.नं.—44
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235/2	0.12

योग . . 0.12

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8404-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—आमानाला, प.ह.नं.—32
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.60 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
348/1	0.06
319/1	0.15
378	0.12
328	0.10
377	0.17
343/5	0.08
343/2	0.15
340	0.11
374	0.16
375	0.03
376	0.33
336/1	0.06
339/4	0.06
354	0.02
योग . .	1.60

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8405-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बामहनवाड़ा, प.ह.नं.—39
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/3	0.03
101	0.03
108	0.03
111	0.03
योग . .	0.12

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8406-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बोरिया, प.ह.नं.—39
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.06 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/4	0.06
	योग . . . 0.06

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 9400-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी

घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बरेलीपार माल ब.नं.—प.ह.नं.—81
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97/1	0.01
98/1	0.01
99/1	0.01
100/1	0.01
171	0.07
101/1	0.02
102/1	0.01
105/1	0.05
230/2	0.06
105/2	0.04
230/3	0.05
114/1	0.08
115	0.11
146	0.23
145	0.05
142	0.18
140/1	0.27
174/2	0.31
174/1	0.42
173/4	0.02
173/2	0.02
173/1	0.02
173/3	0.02
172	0.10
170	0.06
162	0.35
160	0.05
161	0.14
160/292	0.03
230/293	0.03
230/1	0.16
231	0.14

(1)	(2)
234	0.03
236/2	0.01
योग . . .	3.17

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण)दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8401-भू. अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बरेलीपार रैयत, ब.नं. 401.-
प.ह.नं.—80
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.81 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/1	0.25
186	0.20
187/1	0.60
187/2	0.19
188	0.42
189	0.15
योग . . .	1.81

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8402-भू.-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—भोमा, ब.नं.—460, प.ह.नं.—75
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25	0.09
27/2	0.05
28	0.26
29/2	0.03
29/1	0.34
योग . . .	0.77

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

सिवनी, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्र. 2003-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—खैरा, प.ह.नं.—07 लगभग क्षेत्रफल 0.15 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132	0.03
134/1	0.03
134/2	0.03
136	0.02
133	0.01
135	0.02
147	0.01
योग . .	0.15

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 2004-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—मैरा, प.ह.नं.—07 लगभग क्षेत्रफल 0.03 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67/1	0.02
61/2	0.01
योग . .	0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1923-प्रका.-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—हिनाती
(घ) क्षेत्रफल लगभग—7.626 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1133	0.064
1134	0.089
1140	1.400

(1)	(2)
1141	0.125
1142	0.108
1144	1.080
1145	0.585
1146	0.032
1147	0.482
1148	0.097
1149	0.098
1150	0.296
1151	0.194
1152	0.085
1153	0.840
1197	0.144
1198	0.278
1199	0.340
1200	0.614
1161	0.125
993	0.024
994	0.117
992	0.093
879/1	0.069
25/2/1	0.166
914/1/क	0.020
914/2	0.061
योग	7.626

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 27 नवम्बर 2017

प्र. क्र. 08-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—घौंघा
(घ) क्षेत्रफल—1.340 हेक्टेयर.

बिलौआ—घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घौंघा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	59	0.050	-
2	178	0.020	-
3	60	0.030	-
4	61	0.040	-
5	62	0.010	-
6	64	0.050	-
7	65	0.030	-
8	66	0.040	-
9	67	0.010	-
10	68	0.010	-
11	69	0.010	-
12	70	0.020	-
13	72	0.050	-
14	101/1	0.025	-
15	101/2	0.025	-
16	120/1	0.040	-
17	120/2	0.040	-
18	144	0.040	-
19	142	0.020	-
20	143	0.030	-
21	146	0.030	-
22	340	0.110	-
23	150	0.030	-
24	151	0.030	-
25	172	0.010	-
26	391	0.060	-
27	394	0.100	-
28	358	0.030	-
29	152	0.020	-
30	174	0.030	-
31	175	0.050	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
32	202	0.060	-	9	10	0.200	-
33	203	0.040	-	10	12/1	0.040	-
34	204	0.050	-	11	12/2	0.030	-
35	205	0.050	-	12	14 मिन-1	0.080	-
36	351	0.040	-	13	44	0.200	-
37	388/1	0.010	-	कुल योग		0.960	-
योग		1.340	-				

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन+पेहड/हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—बांसी
(घ) क्षेत्रफल—0.960 हेक्टेयर.

ग्राम—बांसी प.ह.नं.—07 तहसील डबरा, जिला ग्वालियर

बिलौआ—घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बांसी के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3 मिन-1	0.030	-
2	3 मिन-2	0.030	-
3	4/1	0.040	-
4	4/2	0.040	-
5	5	0.080	-
6	39	0.060	-
7	40	0.080	-
8	9	0.050	-

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:—ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन+पेहड/हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—लदेरा
(घ) क्षेत्रफल—0.960 हेक्टेयर.

बिलौआ—घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लदेरा के प्रभावित

निजी सर्वे नम्बरों की सूची

स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	443	0.020	-
2	447	0.010	-
3	461	0.010	-
4	462	0.120	-
5	463	0.010	-
6	464	0.040	-
7	467	0.020	-
8	458	0.020	-
9	459	0.010	-
10	468/1	0.010	-
11	468/2	0.020	-

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

प्रका.5-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील— बड़ामलहरा

(ग) ग्राम—बडेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—14.292 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	3	0.737
2	4 शा.नं.7.क्षे.1.98	0.550
3	6	0.943
4	8	0.783
5	12/3	0.243
6	19/1	1.153
7	19/2	0.878

(1)	(2)	(3)
8	20/1/1	1.190
9	20/1/2	0.446
10	22 शा.नं.23क्षे.5.25	0.506
11	82/1/2	0.910
12	82/1/3	0.682
13	84	0.085
14	86	0.557
15	87 शा.नं.88क्षे.3.24	0.650
16	94/1	0.200
17	94/2	0.364
18	95/1	0.110
19	101	0.204
20	103	0.338
21	107	0.174
22	130/1	0.248
23	130/2 शा.नं.131.2.52	1.100
24	132	0.224
25	133.शा.नं.134-0.33,135-1.64	0.903
26	136	0.090
27	288/5	0.024

योग . . 14.292

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बान सुजारा बांध परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.